दशम माला, खंड 45, अंक 5

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1995
10 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पंद्रहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये.

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

1 दिसम्बर, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1 (i)	13	समिति	समितियों
1 (ii)	2	अनुच्छेद	अनुच्छेदों
27	14	(ख)	(घ)
27	15	(ग)	(ङ)
76	नीचे से 9	श्री प्रमथेसमुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
94	नीचे से 7	श्री कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
126	15	(क)	(क) और (ख)
140	8	श्रीमती महेन्द कुमारी	श्रीमती महेन्द्र कुमारी
192	नीचे से 13	(क) और (ङ)	(क) से (ङ)
224	अंतिम पंक्ति के पश्चात् (ग) जी, नहीं। जोड़िए।		
231	2	डा॰ डुगरीमल जेस्वाणी	डा॰ डुंगरीमल जेस्वाणी
241	13	प्रो॰ उम्मारेड्डि वैंकटस्वरलु	प्रो॰ उम्मारेड्डि वैंकटेस्वरलु
255	16	सैफुद्दीन चौधरी	श्री सैफुद्दीन चौधरी
258	13	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)	रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)
259	पंक्ति 6 के पश्चात "रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) जोड़िए।		
265	16	2.23 म॰प॰ के पश्चात् सभा का कार्य जोड़िए।	
291	5	श्री राम॰आर॰कादम्बूर जनार्दनन	श्री एम॰आर॰कादम्बूर जनार्दनन
315	4	श्री सत्यनारायण जटिया	डा॰ सत्यनारायण जटिया

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पंद्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 5, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1995/10 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	81 से 83	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	84 से 100	23—36
अतारांकित प्रश्न संख्या	833 से 1062	36—242
सभा पटल पर रखे गए पत्र		258—263
सभा का कार्य		265—267
समिति के लिये निर्वाचन हेतु प्रस्ताव		267—268
सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित		268—269
(एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा - शर्तें विनियमन) विधेयक		268—269
(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक		269
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया		270
निक्षेपागार अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और निक्षेपागार विधेयक		270—287
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री राम नाईक		270—274
डा. देवी प्रसाद पाल		275—276
श्री अमल दत्त		276—281
श्री गिरधारी लाल भार्गव		281—282
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी		282—287
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
छ्यालीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत		287
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित		
(एक) श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 3 का अंतः स्थापन)		288
(दो) श्री बसुदेव आचार्य का अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (निवारक उपाय) विधेयक		288
(तीन) श्री सैयद शहाबुद्दीन का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 345, आदि में संशोधन)		288—289

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
संविधान (संशोधन) विधेयक	289—297
(नए अनुच्छेद 330क और 330ख आदि का अंतः स्थापन)	
विचार के लिए—**प्रस्ताव**	
श्री याइमा सिंह युमनाम	289—291
श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन	291
डा. सत्यनारायण जटिया	291—294
डा. मुमताज अंसारी	294—295
श्री राम टहल चौधरी	296
समाज के आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण	
(उच्च शिक्षा तथा सरकारी नियोजन) विधेयक	
विचार हेतु प्रस्ताव	
श्री सैयद शहाबुद्दीन	297—315
डा. सत्यनारायण जटिया	315—325
श्री नवल किशोर राय	325—332

लोक सभा

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1995/10, अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11.01 म.पू. पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों, को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री एम.के. कृष्णन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एम.के. कृष्णन और केरल के पौन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1971 से 77 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व वह केरल विधान सभा के सदस्य रहे और 1967 से 69 के दौरान राज्य मंत्री परिषद में मंत्री के पद पर रहे।

श्री कृष्णन एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे और समाज के दलित तथा कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण में उनकी गहरी रूचि थी।

वह 1953 से 62 तक इडावनाकाड पंचायत के अध्यक्ष रहे और केरल राज्य कृषक इहोजिलाली संघ के अध्यक्ष भी रहे तथा 1945 से 47 तक कोचीन हरिजन विद्यार्थी परिसंघ के उपाध्यक्ष भी थे।

श्री कृष्णन का 71 वर्ष की आयु में 14 नवम्बर, 1995 को निधन हो गया।

हम अपने प्रिय सहयोगी के दुखद निधन पर अपनी गहन संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सदस्यगण शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रकट करने में मेरा साथ देगें।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिये मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

11.03 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना

\+

*81. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**
श्री रवि राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस योजना से कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख). से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

16.11.1995 से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तैयार और अधिसूचित की है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अधिवार्षिता, सेवानिवृत्ति, स्थायी पूर्ण विकलांगता, मृत्यु आदि की आकस्मिकताओं में मासिक पेंशन की अदायगी करने की व्यवस्था की गई है। पेंशन का हकदार बनने के लिए कम से कम दस वर्षों की अंशदायी सेवा का होना अनिवार्य है। पेंशन की गणना पिछले 12 महीनों के औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाएगी। 33 वर्षों की अंशदायी सेवा वाली सामान्य अधिवर्षिता पेंशन राशि पेंशन योग्य वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी जिसमें मंहगाई भत्ता भी शामिल है। ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो 24 वर्षों से परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य रहे हैं, परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 500/- रु. प्रति माह होगी और 15.11.1995 तक भविष्य निधि में संचित समस्त राशि (नियोजक के हिस्से सहित) उन्हें वापस कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को यह विकल्प है कि चाहे वे अनुमेय पेंशन प्राप्त करें अथवा मूल मासिक पेंशन के 100 गुना के बराबर राशि की वापसी के साथ 10 प्रतिशत कम की पेंशन प्राप्त करें।

2. भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से, जो कि मासिक मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर है, को पेंशन निधि में अंतरित करके इस योजना को वित्त पोषित किया गया है। केन्द्रीय सरकार भी इस योजना में कर्मचारियों की मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान कर रही है। कर्मचारियों से पेंशन योजना में कोई अंशदान करने की अपेक्षा नहीं की गई है। पेंशन निधि से पेंशन का भुगतान विविध रूपों में होगा जो कि अधिवार्षिता प्राप्त करने वाले, सेवा-निवृत्त होने वाले, मृत होने वाले रोजगार से अन्यथा अलग होने वाले जैसे छंटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि द्वारा अथवा निःशक्त होने वाले उन व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा जो निधि के सदस्य हैं।

3. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन आने वाली सभी निजी/सार्वजनिक इकाइयों में नियुक्त लगभग 19.00 मिलियन कर्मचारी इस योजना की परिधि के अंतर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में बताया गया है कि यदि कोई प्रतिष्ठान स्वयं अपनी पेंशन योजना लागू करना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि अपने हिस्से की धनराशि भविष्य निधि में अंशदान करे और वह इस नई पेंशन योजना में जमा कराकर अपने पास ही रहने दे या स्वयं अपने कर्मचारियों को पेंशन दें। यदि यह सही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस योजना में कर्मचारियों की मजदूरी का 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान करके उसे क्या उन निजी प्रतिष्ठानों के पास जमा करायेगी या अपने पास जमा करायेगी? इसके साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि यदि किन्हीं कारणों से वह प्रतिष्ठान जो पेंशन योजना लागू करता है, भविष्य में बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पेंशन योजना में आने वाले उन कर्मचारियों को पेंशन किस प्रकार से मिल सकेगी?

श्री जी. वेंकट स्वामी : जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, हाउस के बाहर इस पेंशन स्कीम के बारे में काफी कंफ्यूजन चल रहा है...

श्री राम नाईक : हाउस में तो अभी बात हुई है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मुझ से काफी सदस्यों ने पूछा है इसलिए मैंने कहा है।

[अनुवाद]

मजदूर संघों की पहल पर पेंशन योजना तैयार की गई है। यह एक त्रिपक्षीय संस्था कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाई गई है और सिफारिश की गई है।

महोदय, यह सरकारी योजना नहीं है। मजदूर संघ पेंशन योजना आरम्भ करना चाहते हैं। मजदूर संघों की मांग पर न्यासियों के बोर्ड, जो कि स्वायत्त संस्था है, ने पेंशन योजना की सिफारिश की है।

पेंशन योजना निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना, आजादी के पश्चात् उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संरक्षा का कदम है। इस योजना से 190 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जो कि लघु संगठनों और असंगठित क्षेत्र, जैसे बीड़ी उद्योग, ठेके/अस्थायी कर्मचारी, कम वेतन पाने वाले अधिकांश कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। माननीय सदस्यों को जानकारी है कि 80 प्रतिशत से अधिक अंशदाता भविष्य निधि से अग्रिम राशि निकालते हैं। इसके फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के समय उनके भविष्य निधि खाते में बहुत कम राशि होती है। इस स्थिति में माहवार पेंशन योजना वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। महोदय, यह योजना 16.11.95 से लागू हो गई है। वे कर्मचारी जो कि पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 के 24 वर्षों से सदस्य हैं, को 500 रुपये माहवार पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, भविष्य निधि खाते में (कर्मचारी और मालिकों दोनों) जमा 15.11.95 तक सम्पूर्ण राशि उनको वापस कर दी जायेगी।...**(व्यवधान)** महोदय, उनको मेरी बात सुननी चाहिये। वह मुझको पांच मिनट का समय दें। मैं माननीय सदस्यों को योजना का सम्पूर्ण ब्यौरा देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अधिकांश माननीय सदस्य योजना का ब्यौरा जानना चाहते हैं। इसलिये, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसको सभा पटल पर रखें। यह योजना अभी तक सभा पटल पर नहीं रखी गई है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं इसे सभा पटल पर रख चुका हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही इसे सभा पटल पर रख दिया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैंने सभी माननीय सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करा दी है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आप सदन को क्यों गुमराह करना चाहते हैं। आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस में टेबिल पर रखने की बात है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं एडवांस इन्फार्मेशन भेजा हूं, तो आपको क्या तकलीफ है।

श्री राम नाईक : हम को तकलीफ यह है कि यह पहले भेजना चाहिए था।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं आज टेबिल पर रख रहा हूं, पहले से इन्फार्मेशन भेज चुका हूं।

श्री राम नाईक : किसको भेज चुके हैं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : आनरेबिल मैम्बर्स को।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : ये कुछ लोगों को भेजते हैं और कुछ सदस्यों को नहीं भेजते हैं। ये डिक्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, किसको भेजे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप कब भेजे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : अगर नहीं मिला है, तो आज रख रहा हूं, आपको मिल जाएगा।

श्री राम नाईक : हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने भेजा नहीं है, यह सही बात है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : भेजा हूं, यह सही बात है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : हमको नहीं मिला है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : नहीं मिला है, तो सोमनाथ चटर्जी जी से पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : सोमनाथ चटर्जी जी से क्यों?

श्री जी. वेंकट स्वामी : गुप्ता जी को भी मिला है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमको नहीं मिला है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : किसी को नहीं मिला है, तो मैं आज टेबिल पर रख रहा हूं, आपको मिल जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय आपके सभी पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं हाउस के सदस्यों को गलत नहीं बताऊंगा।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं मिला है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : इन्द्रजीत दा को मिला है। सोमनाथ चटर्जी जी से पूछिए, उनको भी मिला है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : सोमनाथ चटर्जी जी यहां नहीं है, कैसे पूछें?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आपको यह नहीं मिला है, वे इसे आपको भेज देंगे।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप कलकत्ता पूछ लीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हमको टेलीफोन करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। यदि आप माननीय मंत्री महोदय से कोई स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं तो आपको अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं आज टेबिल पर रख रहा हूं, सदस्यों को मिल जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री कालकादास : हम जानना चाहते हैं, हमको क्यों नहीं मिला है और किनको भेजा है तथा किनको नहीं भेजा है? जिनको नहीं भेजा है, उनको क्यों नहीं भेजा है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना 16.11.1995 से लागू है। वे कर्मचारी जो परिवार पेंशन योजना, 1971 के 24 वर्षों से सदस्य रहे हैं, न्यूनतम 500 रु. मासिक पेंशन के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त 15.11.1995 तक का पूरा भविष्य निधि जमा (नियोजक और कर्मचारी दोनों का अंश) उन्हें वापस कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

यह गलतफहमी हो रही है कि सरकार पैसा लेकर रख लेगी। मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। प्रोविडेंट फन्ड मालिकों का और मजदूरों का, दोनों का, वापिस होगा और साथ-ही-साथ 500 रुपया पेंशन शुरू होगी।...**(व्यवधान)** स्केल के हिसाब से मैक्सिमम और कैलकुलेशन बढ़ेगी, 1500 रुपए से 2000 रुपए और 2500 रुपए तक बढ़ेगा। मगर हाउस के सामने बगैर कैलकुलेशन के मैं नहीं रखना चाहता हूं। इसके अलावा में सदस्यों को इन्फारमेशन देना चाहता हूं कि ग्रेच्युटी मिलेगी। डिपाजिट्स लिंक इन्श्योरेंस स्कीम, अगर वर्कर मर गया, तो उसको इस स्कीम में से न हो कर, प्रोविडेंट फन्ड में से न हो कर, उसको पेंशन मिलेगी। उसको इन्श्योरेंस स्कीम के तहत पैसा मिलेगा। 35,000 मैक्सिमम, उसको मिलेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

लगभग 9,000 करोड़ रु. की आरम्भिक राशि में से, सरकार का अंश 3,000 करोड़ रु. की राशि का है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार का कोई अंश नहीं है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त, सरकार इसे पेंशन योजना के लिए हर वर्ष लगभग 300 रु. करोड़ का अंशदान करेगी। बाकी 6,000 करोड़ रु. की राशि हमने भविष्य निधि योजना से ली है।

न्यासियों के बोर्ड ने इसकी सिफारिश की है, सरकार ने इसे स्वीकार किया और इसे लागू कर रही है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य इसकी सराहना क्यों नहीं कर रहे हैं। अंशदान में उत्तरोत्तर वद्धि होती जायेगी। हम हर तीसरे वर्ष जीवनयापन लागत सूचकांक और अन्य बातों के मध्यनजर इस योजना पर विचार-विमर्श करने जा रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ इसको नहीं जोड़ा गया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ा है, मगर डी ए है और इसको हर तीन साल में रिव्यू करना है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह भी कह रहे हैं कि भविष्य में नियोजक का भविष्य निधि का अंशदान जो मासिक मजदूरी का 8.33 प्रतिशत है इसे भी पेंशन निधि में मिला दिया जायेगा। अपने वक्तव्य में ही आप यह कह रहे हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अभी आपने कहा कि स्टेटमेंट नहीं मिला है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपके वक्तव्य से मैं यह पढ़ रहा हूं। आप नियोजक के अंशदान को पेंशन निधि में मिलायें।... **(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : जी, हां। केवल नियोजक की भविष्य निधि की राशि न कि कर्मचारियों की... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके दो चरण हैं।... **(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तीन वर्ष की अंशदायी सेवा समेत सामान्य अधिवर्षिता पेंशन की राशि उसके पेंशनयोग्य वेतन (मंहगाई भत्ता सहित) के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। 40 वर्ष की सेवा सहित अधिकतम पेंशन पेंशनयोग्य वेतन के 60 प्रतिशत तक हो सकती है।

[हिन्दी]

गवर्नमेंट सर्वेंट को बेसिक पे विदाउट डिअरनेस अलाउंस के 50 परसेंट से ज्यादा पेंशन नहीं मिलता, लेकिन वर्कर्स के लिए 60 परसेंट तक मिलने का प्रावधान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

योजना के अन्तर्गत, कोई कर्मचारी जिसकी 10 वर्ष की... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर नहीं, भाषण है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं स्कीम समझा रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं, दूसरी चीजों के बारे में बता रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल पाठक जी वे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : स्कीम के बारे में बताने के बाद आपको भी उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट करूंगा।

[अनुवाद]

इस योजना के अन्तर्गत कोई कर्मचारी जिसकी 10 वर्ष की अंशदायी सेवा हो गई है, पेंशन का हकदार होगा।

[हिन्दी]

10 साल अगर सर्विस में कांट्रीब्यूट किया है तो वह पेंशन के लिए एलीजिबल हो जाएगा।

[अनुवाद]

सरकार में, न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा के पूरे होने पर ही पेंशन देय होती है।

1971 की परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत, विधवा को पेंशन उसी स्थिति में देय होती थी जब कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो।

[हिन्दी]

ड्यूरिंग दी सर्विस मर गया तभी फैमिली पेंशन का एंटायटलमेंट है, अदरवाइज नहीं है।

[अनुवाद]

इस योजना के अन्तर्गत, अब चाहे सदस्य की मृत्यु सेवा काल में हुई हो या अवकाश प्राप्ति के बाद, इस पर ध्यान दिये बिना विधवा पेंशन देय होगी। विधवा पेंशन के अतिरिक्त, बच्चों को भी पेंशन का हकदार बनाया गया है।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न-काल है। यह सारी जानकारी मंत्री महोदय लिख कर भेज सकते हैं।

श्री राजवीर सिंह : मंत्री महोदय सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि घोषणाएं पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जी. वेंकट स्वामी : यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : मंत्री महोदय सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो जानकारी लिख कर भेजनी चाहिए, उसकी जानकारी सवाल के जवाब में दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जी. वेंकट स्वामी : परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत, विधवा पेंशन की राशि 250 रु. और 1,050 रु. के बीच थी। इस पेंशन योजना के अन्तर्गत, विधवा पेंशन सदस्य की पेंशन के 100 प्रतिशत तक अधिक कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक काम करें। कई पूरक प्रश्न भी हैं। आप इन सब बातों को पूरक प्रश्नों में पूछ सकते हैं। कुछ पूरक प्रश्न रह गये हैं जिनका उत्तर दिया जाना है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले ही 20 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। ये 20 मिनट हमारे प्रश्न पूछने के लिए थे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है विशेष मामले के रूप में प्रश्न काल का समय बढ़ाया जाये ताकि यह समय जो बर्बाद हुआ उसे समायोजित किया जा सके। तदनुसार प्रश्न काल को 12.20 तक बढ़ाया जाये। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अन्य पूरक प्रश्न है जो आप पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे जो पूछा था उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है? आप प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : मैंने जो पूछा था उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं फिर से पूछ रहा हूं। समाचार पत्रों में बताया गया है कि यदि कोई प्रतिष्ठान स्वयं ही अपनी पेंशन योजना लागू करना चाहता है तो क्या उसे यह छूट होगी कि वह अपने हिस्से की जो धनराशि भविष्य निधि में अंशदान करता है वह इस नयी पेंशन योजना में न जमा कराकर अपने पास रखे तथा वह स्वयं अपने कर्मचारियों को पेंशन दे। यदि यह सही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस योजना में कर्मचारियों की मजदूरी का 1.16 प्रतिशत की दर से जो अंशदान करेगी उसे क्या उस प्रतिष्ठान के पास जमा कराएगी या अपने पास जमा रखेगी। यदि किन्हीं कारणों से ऐसे प्रतिष्ठान जो स्वयं अपनी पेंशन योजना लागू करेंगे, भविष्य में बंद हो जाते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल, अब आप अपने पूरक प्रश्न इस तरह संक्षिप्त रूप में पूछे जिससे आपको उत्तर मिल सके। कृपया आप इसे पढ़ें नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : हम यह जानना चाहते हैं कि अगर वे प्रतिष्ठान अपनी पेंशन योजना स्वयं लागू करेंगे तो उनको सरकार 1.16 प्रतिशत की दर से जो अंशदान दे रही है क्या वह इन प्रतिष्ठानों के पास जमा कराएगी और यदि ऐसे प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं तो पेंशन योजना के अन्तर्गत उनको कितनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी? इसका जवाब मुझको दिलवा दीजिए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : ऑनरेबल मैम्बर का सवाल है कि पैसा कहां रहेगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार के पास नहीं रहेगा। प्रॉविडेंट फंड स्कीम जो बनी है, वहां रहेगा। पेंशन स्कीम के लिए सरकार ने इजाजत दी है। आपने जो प्रपोजल दिया है वह बहुत अच्छा है। उसके लिए सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपये देकर इस पेंशन स्कीम को शुरू किया है। यह पैसे सरकार के पास नहीं रहेगा। सरकार ने तो इस स्कीम में अंशदान किया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको एक समय सभी पूरक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं आप केवल उनके प्रश्न का उत्तर दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : ये सी पी एम वाले हमेशा इन्टरप्ट करते हैं। मैं माननीय मैम्बर का जवाब दे रहा हूं। इस स्कीम के लिए अलग फंड बनाया गया है। इसमें 6 हजार रुपये प्रॉविडेंट फंड स्कीम से लिया है और 3 हजार रुपये सरकार का अंशदान है।...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : यह पैसा कहां रहेगा? क्या आपके पास रहेगा?

श्री जी. वेंकट स्वामी : बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो स्कीम बनाई है वहां रहेगा।...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : हमारा जवाब नहीं आया। हमारा दूसरा सप्लीमेंटरी...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले प्रश्न के लिए अवसर दिया गया था। दूसरे प्रश्न के लिए भी अवसर दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : नहीं-नहीं, हमने पहले ही प्रश्न पूछा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप संतुष्ट नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : अभी भी हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हम दूसरा सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन तथा सीआईटीयू की शिकायत है कि इस नयी पेंशन योजना को बनाते समय उनसे विचार-विमर्श नहीं किया गया है। उन्होंने इस पेंशन योजना के प्रावधानों पर एतराज किया है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के अनुसार भविष्य निधि के मौजूदा लाभ से कोई भी कटौती प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। यूनियन ने सुझाव दिया है कि भविष्य निधि में कर्मचारी और मालिक दोनों की मौजूदा 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए और इस तरह से फालतू धन से पेंशन के लिए अलग कोष बनाया जाए, जिसमें सरकार भी योगदान करें।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार की इसपर क्या प्रतिक्रिया है? उसने नई पेंशन योजना शुरू करने से पहले क्या इस सुझाव पर विचार किया था?

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष जी, सरकार ने बोर्ड आफ ट्रस्ट के मैम्बर्स से, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया था। उन सबको सैटिसफाइड करके ही वह यह स्कीम लाये हैं। अगर किसी इंडिविजुअल से बात करनी है या माननीय सदस्य को स्कीम लागू होने के बाद कुछ खामियां दिखायी देती हैं तो वह हमारे ध्यान में ला सकते हैं। माननीय सदस्य इंटरस्ट ऑफ दी वर्किंग क्लास के बारे में कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे करने के लिये तैयार होगी।

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वेंकटस्वामी जी की पेंशन स्कीम को लाने की व्याकुलता को समझता हूं। अच्छा होगा अगर वह स्पैसिफिक सवाल का स्पैसिफिक जवाब दें। उन्होंने अभी कहा कि वे ट्रेड यूनियन्स की पूरी बात को सुनने के बाद ही यह पेंशन स्कीम लाये हैं। आज आम शिकायत ट्रेड यूनियन्स की तरफ से यह आ रही है कि ग्रेच्युटी, प्राविडेंट फंड के बाद तीसरा फायदा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इनके बारे में मंत्री जी का क्या उत्तर है? दूसरी बात यह है कि सरकार कर्मचारियों को पे का 1.17 हिस्सा देती थी और जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में मजदूर यूनियन को शिकायत है कि सरकार पेंशन योजना लागू होने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है। मेरे प्रश्न का 'ग' पार्ट यह है कि सी.पी.एफ. के चलते मजदूर लोन ले सकते थे। पेंशन योजना लागू होने के बाद उनको लोन कम मिलेगा। मंत्री महोदय खुद एक मजदूर नेता हैं। आप जब तक पेंशन को प्राइस इंडैक्स के साथ लिंक-अप नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस सरकार के चलते जो इनफ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कम नहीं किया जा सकेगा। इससे आप उनके लीविंग आफ स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की बजाय घटा देंगे। मेरे यह चार बुनियादी सवाल हैं। वह इनका प्वाइंटवाइज जवाब दें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐक्सैप्ट सीटू मैंने दो मर्तबा बाकी सैंट्रल ट्रेड यूनियन्स से कनसल्ट किया...(व्यवधान) आप जरा सुनिये। उनसे दो मर्तबा बात करने के बाद मैं यह समझ पाया हूं कि सीटू थर्ड बैनिफिट के लिये कोशिश कर रही है। मैंने उनको समझाया कि भारत सरकार का तीन हजार करोड़ रुपया जो कि 40 परसैंट बिलो पावर्टी लाइन में रहने वाले लोगों का है, उसके द्वारा यह स्कीम शुरू की जा रही है। अगर ये लोग भूखे मर रहे हैं... (व्यवधान) आप जरा जवाब देने दीजिये। उन पर भार डालना ठीक नहीं है। इसलिये जितना सरकार से लेना था, वह लिया है। एच.एम. एस., बी.एम.एस., आई.एन.टी.यू.सी. और सी.आई.टी.यू. को छोड़ कर बाकी सारी सैंट्रल ट्रेड यूनियन्स ने सर्वसम्मति से इसे सपोर्ट किया है। सीटू का यह कहना था कि थर्ड बैनिफिट देना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि अगर मजदूरों के प्रति इतना ही प्रेम है तो बंगाल से शुरू कीजिये। फिर हम दूसरी स्टेट्स में शुरू करेंगे। आप क्यों इसका राजनीतिकरण करते हो? स्वतंत्रता के बाद मजदूरों को कुछ नहीं मिला है। अगर हम इनको 500 रुपये दे रहे हैं तो क्यों आपके पेट में तकलीफ हो रही है। आप कैसे ट्रेड यूनियन के लीडर हैं? यह स्कीम सभी लोगों की मंजूरी लेने के बाद ही शुरू की गई है। आपका दूसरा क्वश्चन क्या था...(व्यवधान)

श्री रवि राय : कॉस्ट आफ लीविंग और लोन के बारे में था।

श्री जी. वेंकट स्वामी : हमने बोर्ड आफ ट्रस्टी में एक क्लॉज रखा है कि दो साल के अन्दर अगर कॉस्ट लीविंग इंडैक्स इनक्रीज हुआ है, तो वे ट्रस्टीज बैठकर रिव्यु करेंगे। अगर वर्कर्स को तकलीफ है तो उनको अख्तयारात दिया गया है और सरकार उसमें नहीं आती है। दूसरा आपने लोन के बारे में कहा है तो मैंने फेयरली इस स्कीम के बारे में कहा है कि अगर हमने मैंनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन लिया है तो वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन विद इंट्रेस्ट रिटायरमेंट और पेंशन का पूरा मिलेगा। और यदि उस बीच में लोन की जरूरत हो तो ले सकता है लेकिन हाउसिंग लोन को छोड़कर।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न पर चर्चा के लिए आधे घंटे की अनुमति दी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : इस प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री शरद दिघे : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री का यह दावा है कि यह योजना मजदूर संघों द्वारा शुरू की गई है और इसकी सिफारिश न्यासियों के बोर्ड ने भी की है। इसके बावजूद, इस योजना के संबंध में अब लिखित प्रतिक्रिया है और विभिन्न मजदूर संघों द्वारा आन्दोलनों का सहारा लिया जा रहा है। वे हमारे घरों में भी आते हैं और हमसे इस योजना के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिए कहते हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए, क्या श्रम मंत्री इन सभी शंकाओं को दूर करने और योजना में जो बाधाएं हैं उन्हें भी दूर करने के लिए एक बड़ा श्रम सम्मेलन बुलाने के बारे में सोचते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्षमा करेंगे क्योंकि श्री दत्ता सामंत के सिवाय कोई ट्रेड यूनियन सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरे पास जो सूचना है कि इस स्कीम के बारे में सी आई टी यू को छोड़कर, उन्होंने थर्ड बेनेफिट के लिये अपोज किया है।

[अनुवाद]

वे समर्थन भी कर रहे हैं। मै. फिलिप्स, मैं. वोल्टाज संघों के सिवाय समूचा केन्द्रीय मजदूर संघ आन्दोलन इस योजना का समर्थन कर रहा है।

[हिन्दी]

और मफतलाल जिनकी यादा असेट्स हैं, उनको नुकसान होता है और वे समझते हैं। वे आपके घर पर आये हैं। कोई दूसरा इंडस्ट्रियल वर्कर आपके पास नहीं आया और अगर माननीय सदस्य सोचते हैं कि उनको नुकसान हो रहा है तो मैं आज ही अनाऊंस करता हूं कि यूनिटवाईज स्कीम देंगे और हमारे से अच्छी स्कीम है तो हम मंजूर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हमने इस प्रश्न पर बिना और अधिक सूचना प्राप्त किये ही पैंतीस मिनट लगा दिये हैं और अभी कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाये जा रहे हैं।

हम, वस्तुतः, पेंशन योजना आरम्भ करने का सामान्य सिद्धान्त के रूप में स्वागत करते हैं। मजदूर संघ आन्दोलन की यह चिरकालिक मांग रही है। अतः यह सामान्य सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। यदि यह पेंशन का आरम्भ होना होता तो यह स्वीकार्य होता। लेकिन यह योजना, जैसा हम समझते हैं, अनेक गंभीर विषयों से भरी है जिसे संशोधित किया जाना है और जिन पर विचार किया जाना है और सभी मजदूर संघों ने इन खामियों की ओर इंगित किया हुआ है। कोई उल्लेख कर रहे हैं कि इसे जीवनयापन लागत सूचकांक से कतई जोड़ा नहीं गया है। लेकिन उनका कहना है कुछ समय बाद वे इस पर पुनर्विचार और समीक्षा करेंगे बशर्ते जीवनयापन लागत में वृद्धि होती है। सूचकांक तो ऊपर जा ही रहा है, यह नीचे नहीं जा रहा है।

दूसरा, इस समय विद्यमान कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि योजनाएं जो कई वर्षों से लागू हैं, के बारे में एक आम शिकायत हर रोज की जाती है कि नियोक्ता मजदूरों के वेतन से अंशदान की कटौती तो करते हैं लेकिन प्राधिकारियों के पास जमा नहीं करते हैं।

इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि यदि इसी प्रकार की चूक नियोक्ता द्वारा की जाती है और यदि नियोक्ता अपना अंशदान नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए एक आकस्मिकता निधि होनी चाहिए जिससे इन मजदूरों को यह पेंशन दी जायेगी। अभी आकस्मिकता निधि का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने डिफाल्टर मनी के बारे में कहा है। अगर नहीं आया है तो जो आप सजेशन देते हैं तो कंटनजैंसीशिप फंड बनाकर कर्मचारी को पेंशन कंटीन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो सुझाव हों तो दें। इस सैशन में बिल आ रहा है, आप कीजिये। यह वर्किंग क्लास के लिये और देश के लिये रीजनेबल है।

गवर्नमेंट की तरफ से मैं अमेण्डमेंट मूव करने के लिए तैयार हूं। क्यों उसको रोक दें? अच्छी स्कीम रही है और वर्किंग क्लास के इंटरस्ट में रही है तो उसे मैं जरूर यहां आपके कनसेन्सस से करूंगा।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, यह जो योजना आपने कह दी, यह कामगार संगठनों के साथ बातचीत करके बनायी है। इस प्रकार का विधेयक इस संसद की स्टैण्डिंग कमेटी में पेण्डिंग है और 1993 में यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था।

पार्लियामेंटरी स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले, मतलब संसद को विश्वास में न लेते हुए आप इतनी जल्दी इसको क्यों लाए हैं?...**(व्यवधान)** यदि यह स्कीम इतनी अच्छी है तो जो कर्मचारी इस स्कीम में नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए वौलण्टरैली इस प्रकार का औप्शन देने के लिए क्या आप तैयार हैं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि स्टैण्डिंग कमेटी के सामने है तो क्यों किया। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि कब से यह पेण्डिंग है। ढाई साल से पेण्डिंग है।...**(व्यवधान)** मेरी बात सुनिये। मैं आपको डेट देता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : जी, नहीं यह ढाई वर्ष से स्थाई समिति के पास लंबित नहीं पड़ा है। यह योजना उन्हें केवल पिछले सप्ताह ही दी गई थी।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो मैं डेटवाइज दे सकता हूं।

श्री राम कापसे : आप दीजिए, पेश कीजिए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं माननीय सदस्यों को सैटिस्फाइ करना चाहता हूं कि ढाई साल से यह बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : यह उन्हें फरवरी, 1995 में ही भेजी गई थी।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : सुनिये, 1993 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो कितने दिन हो गए?

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : स्थाई समिति 1994 में बनी थी।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : स्टैण्डिंग कमेटी में 1994 में गया है जहां तक मेरा ख्याल है और मैं एक्चुअल डेट देता हूं। उपाध्यक्ष जी, यह इसलिए किया गया है कि इलेक्शन्स आ रहे हैं, संसद भंग हो जाएगी। हममें से कितने सदस्य आते हैं और कितने नहीं आते हैं यह मालूम नहीं हैं। इसलिए मैंने जल्दी किया। यह गारण्टी है कि हम सब इलैक्ट होकर आएंगे। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए उससे पहले मैंने वर्किंग क्लास का फायदा करने के लिए ऐसा किया। इसमें कोई कानून नहीं है। स्टैण्डिंग कमेटी के सामने माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि अगर सामने हैं तो ऑर्डिनेन्स नहीं निकालने की कोई पाबंदी ऐक्ट में नहीं है। मैंने इसलिए जुर्रत की कि यह इस सेशन में पास करे और इंप्लीमेंट करें।

श्री राम नाईक : वौलंटरी स्कीम के बारे में?

श्री जी. वेंकट स्वामी : वौलंटरी स्कीम आपने कहा कि क्यों नहीं दे रहे हैं? इनडिविजुअल ऑप्शन हो जाता है तो सारी स्कीम विदड्रा हो जाएगी, इसलिए नहीं किया। जैसे मैंने गुप्ता जी के प्रश्न के जवाब में कहा कि इसके लिए हम यूनिटवाईज, इंडस्ट्रीजवाइज अगर कोई चाहते हैं तो उनको ऑप्शन देंगे और कंडीशन यह होनी चाहिए कि हमसे अच्छी स्कीम पेश करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। इसमें चालीस मिनट का समय चला गया अन्य प्रश्न भी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने सी.आई.टी.यू. के बारे में उल्लेख किया है। हमें अपने विचार स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर मंत्री महोदय के साथ चर्चा कर सकते हैं...

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस योजना का पूरी तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ सुझाव हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो मंत्री जी एक छोटी बैठक बुलाने और उन पर आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं...

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने सी.आई.टी.यू. का उल्लेख किया और कहा कि सी.आई.टी.यू. इस योजना का पूरी तरह से विरोध कर रही है। हम इस योजना का पूरी तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे पास योजना में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव हैं। हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए।...**(व्यवधान)**

महोदय, सी.आई.टी.यू. के विचारों के बारे में उन्होंने गुमराह किया है। हमें सी.आई.टी.यू. के विचारों को स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जाधवपुर) : महोदय, हमारी बात गलत ढंग से प्रस्तुत की गई है। हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सी.आई.टी.यू. इसका पूरी तरह से विरोध कर रही है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के बारे में ग्यारह सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैंने यह नोट कर लिया है। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी सभी संबंधित लोगों को बुलाएंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो वह निश्चित रूप से खुले मन से आपके सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार होंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सी.आई.टी.यू. को इस योजना के बारे में कुछ आपत्तियां हैं। हमें वे आपके ध्यान में लानी चाहिए। मैं अब तक अपने विचार आपके समक्ष रख चुका होता। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, हमें मंत्री महोदय के सामने अपने विचार रखने का समय देने की कृपा करें...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम इस पेंशन योजना का पूरी तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ सुझाव हैं। कृपया हमें वह सुझाव देने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा करें, यह प्रश्न काल है। यदि आप अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसे किसी और रूप में ला सकते हैं जहां मंत्री जी इसे समुचित रूप से स्पष्ट करेंगे।

अब मैं प्रश्न संख्या 82 प्रस्तुत करने के लिए श्री हाराधन राय को आमंत्रित करता हूं। वह यहां पर मौजूद नहीं हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी इस प्रश्न को प्रस्तुत कर सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा करवाने की अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं।... **(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। जब आपने अगला प्रश्न पुकार लिया है तो वे पिछले प्रश्न पर कैसे बात कर सकते हैं?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इसे आधे घण्टे की चर्चा के लिए लिया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 82 को लेते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

+

*82. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री हाराधन राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को देश में बीमा कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बीमा क्षेत्र संबंधी मल्होत्रा समिति की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में अपने प्रथम उपाय के रूप में एक बीमा विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में की गयी अन्य सिफारिशों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को देश में बीमा कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, माननीय मंत्री ने कहा 'नहीं' और प्रश्न के अगले भाग में इसके कारण पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर में कहा 'प्रश्न नहीं' उठता।

मेरा प्रश्न यह है कि सदन में एक ही बात को बार-बार कहे जाने पर भी क्या यह सत्य नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी, जो यहां बैठे हैं, ने सिंगापुर में हाल ही में कहा था कि बीमा कारोबार में निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया जाएगा? वे यहां उपस्थित हैं। वे उत्तर दे सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं मल्होत्रा समिति के विभिन्न सुझावों और सिफारिशों का उल्लेख कर रहा था और सकरार के समक्ष यह भी एक सुझाव है। मैं सदन में और सदन के बाहर बार-बार कहता रहा हूं कि हम इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम इसके लिए व्यापक रूप से बहुमत तैयार करेंगे और कुछ भी हो जब तक हम वर्तमान बीमा राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन नहीं लाते तब तक निजी क्षेत्र को बीमा कारोबार में नहीं लाया जा सकता। अतः सदन की सहमति के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, उत्तर में कहा गया है कि एक विनियामक निकाय, बीमा विनियामक प्राधिकरण का गठन होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्राधिकरण का कार्यकरण क्या होगा? हमें डर है कि इस प्राधिकरण के माध्यम से सरकार गुप्त द्वारा से निजी क्षेत्र को इस बीमा कारोबार में लाना चाहती है जिससे हमें बहुत राजस्व की प्राप्ति हो रही है। क्या वह कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि इस प्राधिकरण के गठन का क्या आशय है और इस प्राधिकरण के कार्यकरण कार्यक्षेत्र क्या है?

डा. देवी प्रसाद पाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सुझाव का कोई आधार नहीं है क्योंकि मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा विनियामक प्राधिकरण का गठन हुआ है। वर्तमान जीवन बीमा करोबार और सामान्य बीमा कारोबार, जिसके लिए पूरे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की जरूरत होती है, के भी कई कार्य कलाप है और इसलिए विनियामक प्राधिकरण का गठन हुआ है। विनियामक प्राधिकरण वर्तमान बीमा कारोबार में उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों एवं समस्याओं पर भी ध्यान देगा और इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि विनियामक प्राधिकरण का गठन केवल निजी बीमा कारोबार को प्रोत्साहन देने अथवा गुप्त द्वार से प्रवेश देने के लिए ही हुआ है। मैं कहता हूं कि यह सुझाव न्यायोचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हम लोगों को अखबारों से ही जानने को मिलती हैं। जैसे-लेबर मिनिस्टर द्वारा लागू की गई पेंशन योजना। बीमा की योजना के बारे में कभी तो वित्त मंत्री जी द्वारा सिंगापुर में बयान दिया जाता है और कभी दिल्ली के अखबारों में इनका बयान आता है। "एशोचैम" की मीटिंग में इन्होंने बयान दिया, जो हमें 30 सितम्बर के अखबार में पढ़ने को मिला कि बीमा कम्पनियां खोलने के लिए निजी क्षेत्र को बीमा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए नियमन प्राधिकरण की स्थापना की अनुमति हमने दे दी है। उसके नियमन की स्थापना की अनुमति देने का मतलब हम यह लगाते हैं कि आपने खोलने की इच्छा बना ली है। लेकिन आप प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ऐसा कोई विचार नहीं है। तो क्या सरकार मीटिंगों में असत्य वादे या दावे करती है और चलाने के लिए दूसरे मंतव्य रखती है? यदि ऐसा नहीं है तो इसको आप अपना कथन मानेंगे या उस कथन का आप खंडन करेंगे? यदि आप उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करते हैं तो गांव-गांव तक बीमा के विस्तार के लिए आप कौनसी योजना बना रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विनियामक प्राधिकरण बीमा नियंत्रक का कार्य करेगा। सरकार, जो वर्तमान में बीमा नियंत्रक का कार्य कर रही है, वह यह काम बीमा विनियामक

प्राधिकरण को सौंप देगी और बीमा विनियामक प्राधिकरण, नियंत्रक का काम करेगा। मैं यह नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है और मैं यह भी नहीं कह सकता कि हमेशा के लिए यही सबकुछ होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, इस सदन के अनुमोदन। अनुमति के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। मूल प्रश्न था क्या आपने निर्णय ले लिया है? वह प्रक्रियात्मक कठिनाइयों-जैसे कि उस अधिनियम को संशोधित किया जाना है, इत्यादि-का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन इस प्रश्न का बिल्कुल सुस्पष्ट उत्तर दिया जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बीमा व्यापार में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है।

वे किसी विनियमन-तंत्र की बात कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कि द्विपक्षीय-निपटारों की अभी भी अनुमति नहीं है। बैंकों में, बैंक कर्मचारी संघ का आई.बी.ए. के साथ द्विपक्षीय-समझौता है तथा यहां पिछले तीन वर्षों से वे बार-बार ऐसे आदेश जारी करने से इंकार कर रहे हैं, जिनके द्वारा बीमा कर्मचारियों की परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें बदलती हैं। ऐसे कोई द्विपक्षीय करार नहीं किये गये हैं। क्या वे ऐसी कोई व्यवस्था लागू करने को तैयार हैं, जिसके द्वारा कि आदेशों की बजाये, द्विपक्षीय वार्ताओं की अनुमति होगी?

उनका यह कहना है कि वे कोई विनियमन-तंत्र लाना चाहते हैं। जीवन बीमा व्यापार के क्षेत्र में मात्र एक ही कम्पनी अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम ही विद्यमान है। सामान्य बीमा क्षेत्र में चार ईकाइयां कार्यरत हैं। वह यह जानते हैं। उनका प्रबंधन सही तरीके से किया जा रहा है। बैंकरों ने हाल ही में अनुरोध किया है कि वित्त मंत्रालय से बैंकिंग प्रभाग की शक्तियां वापिस ली जानी चाहियें ताकि समूची व्यवस्था वहीं पर हो सके। क्या वे ऐसे किसी करार के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि वित्त मंत्रालय में से बीमा प्रभाग को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए तथा इस प्रकार एक नये संगठन का अविर्भाव होगा? इस प्रश्न के यही तीन भाग हैं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया है कि निजी क्षेत्र को बीमा व्यापार के क्षेत्र में लाया जाये। मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन आपने यह निर्णय नहीं लिया है कि ऐसा नहीं किया जायेगा।

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह नहीं कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी। यथार्थ स्थिति तो यही है जो मैं आज कह रहा हूं। आज, दूसरा प्रश्न द्विपक्षीय करार के बारे में है, मेरे विचार से, यह असंगत प्रश्न है तथा इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका इस प्रश्न से संबंध है अथवा नहीं, इसका निर्णय आपको नहीं लेना है।

श्री मनमोहन सिंह : आप अलग से एक प्रश्न पूछिये, मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने एक प्रश्न पूछा है तथा उसकी असंगतता के बारे में आप निर्णय नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप एक विनियमन प्राधिकरण की स्थापना कर रहे हैं। ऐसा करने की क्या मंशा है?

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक प्रश्न के तीसरे भाग का प्रश्न है ...**(व्यवधान)** यदि आप मेरा बोलना पसंद नहीं करते, तो मैं नहीं बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मल्होत्रा समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था, तो क्या वर्तमान सरकार इसको डीलाइसेंस कर रही है?

[अनुवाद]

डा. देबी प्रसाद पाल : मेरे विचार से इस सुझाव का कोई आधार नहीं है। मल्होत्रा आयोग की नियुक्ति बीमा-व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए की गई थी तथा इसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। अब, इन सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जब तक सरकार कोई निर्णय लेगी...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मंत्री महोदय, मल्होत्रा समिति ने क्या सिफारिशें की हैं, कुछ तो बताइए?

[अनुवाद]

डा. देबी प्रसाद पाल : ये सिफारिशें अनेक प्रकार की हैं। ये सिफारिशें न केवल बीमा व्यवसाय के निजी-करण से संबंधित हैं बल्कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम दोनों ही के बीमा-व्यवसाय के सुचारू कार्य संचालन के बारे में भी हैं। अतः, ये सिफारिशें अनेक किस्म की हैं तथा कुछेक सिफारिशों के संबंध में तो कानून में संशोधन किये जाने की भी जरूरत है। जब तक सरकार द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक इस सभा में कोई विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस आयोग ने अन्य सिफारिशें भी की हैं, जिनके संबंध में कोई विधाई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अब, सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय पहले से ही अतः, मेरा निवेदन है कि मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।...**(व्यवधान)** कोई कानून नहीं बनया गया है क्योंकि सरकार ने निजीकरण के प्रश्न

पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि कोई निर्णय हुआ है तो हम उसके अनुमोदन के लिए सभा के समक्ष आ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अभी मंत्री जी, मल्होत्रा समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें भी यह बात आई है, तो क्या सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन करने वाली है?

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल : हमने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। वित्त मंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः, अंतिम निर्णय देने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यह भी कहा गया है कि फिलहाल जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कार्य का निजीकरण नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एन. जे. एम. सी. की रुग्ण पटसन मिलों के पुनरुद्धार की योजना

*83. **श्री चित्त बसु :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन उत्पादक निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार हेतु कोई एकमुश्त (पैकेज) योजना तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह परियोजना किस चरण में है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एन जे एम सी) का पुनरुद्धार करने से संबंधित मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेजा हुआ है। वर्ष के दौरान एन जे एम सी के उत्पादन में सुधार दृष्टिगत हुआ है। सरकार का यह विचार है कि आगे छः महीनों की अवधि तक कम्पनी के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जाए तब तक कम्पनी अपने उत्पादन स्तर को स्थिर रख सकती है तथा उसके बाद ही सर्वांगीण सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। जो कोई भी योजना अन्तिम रूप से उभर कर सामने आयेगी उसको क्रियान्वित करने से पहले उस पर बी आई एफ आर की सहमति भी प्राप्त करनी अपेक्षित होगी।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : महोदय, नेशनल जूट मैन्यूफक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण और प्रबंध में छह पटसन मिलें हैं और यह राज्य के लगभग 24,000 से 25,000 पटसन कामगारों को रोजगार प्रदान करती है। अब, यह समाचार है, या फिर एक तरह से सरकार ने स्वीकार किया है कि यह निगम को इस अनुमान के आधार पर बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया है कि इसकी अर्थव्यवस्था और प्रबंध सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब, ऐसे समाचार हैं कि बी.आई.एफ.आर. ने इसके पुनर्स्थापन पैकेज के लिए आवश्यक 182.14 करोड़ रुपये का सुझाव दिया है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि बी.आई.एफ.आर. के सुझाव का क्या हुआ? क्या आपको वह पुनर्स्थापन पैकेज मिल चुका है? यदि हां, तो उसे लागू करने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं?

श्री कमल नाथ : महोदय, जहां नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य-निष्पादन में कुछ सुधार हुआ है, वहां सरकार द्वारा एक टर्न एराऊंड स्ट्रैट्जी तैयार की गई थी। इस पर सचिवों की समिति ने विचार किया और इस टर्न एराऊंड स्ट्रेट्जी पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, इसमें 182 करोड़ रुपये शामिल थे, इससे उत्पादन बढ़ा होगा और वह 375 टन पर स्थिर हो गया। इस संदर्भ में, मंत्रियों के समूह ने दो या तीन सप्ताह पहले इस बात पर विचार किया और यह फैसला किया गया कि हमें कारपोरेशन, जिसके कार्य-निष्पादन में कुछ सुधार हुआ है, पर और छह महीने तक निगरानी रखनी चाहिये और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लेना चाहिये। अतः, इस निर्णय को जुलाई, 1996 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

श्री चित्त बसु : मेरा दूसरा प्रश्न साधारण विषय से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग भारी संकट में है; इस संकट का पता लगाने के लिए क्या कोई व्यापक अध्ययन किया गया है या नहीं, इस संकट के कारण तथा कुल मिलाकर क्या सरकार ने पटसन उद्योग को पुनः चलाने के तरीकों तथा उपायों का पता लगाया भी है या नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है या नहीं कि कामगार उत्तेजित हो रहे हैं और उन्होंने हड़ताल के लिए नोटिस भी दे दिया है...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे पहले से ही हड़ताल पर हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, मुझे नहीं लगता कि पटसन उद्योग में कोई संकट है। पिछले वर्षों से इस उद्योग को पुनः चलाने के प्रयास किये गये हैं। मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पटसन रेशे के विकास की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि यह जैविक-विगलक (बायो-डिग्रेडेबल) है, नवीकरणीय संसाधन है और इसलिए सारे विश्व में पटसन की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। यह प्रसंस्करण का प्रश्न है। अगर हम पटसन के रेशे के प्रसंस्करण का उपाय ढूंढने में सफल हो जायें, तो मुझे वास्तव में इसके विकास की संभावनाएं नजर आती हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इसीलिए इस समय कुछ भी नहीं किया जा रहा है!...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मैं इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं क्योंकि पटसन उत्पादों के विकास के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। अगर हम दस वर्ष पहले के पटसन उत्पादों पर नजर डालें, तो आज के पटसन उत्पाद, जिन्हें हमने विकसित किया है, ने हमारे निर्यातों को बढ़ाया है। यदि हम पहले के पटसन मूल्य और आज के पटसन मूल्य को देखें तो आज जो पटसन का मूल्य है उतने पहले कभी नहीं थे। लेकिन यह बात मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि पटसन उद्योग में कुछ समस्या है। आधुनिकीकरण के अभाव, बाजार के अभाव इत्यादि के कारण इन पटसन मिलों का अधिग्रहण किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आधुनिकीकरण के बारे में क्या विचार है?

श्री कमल नाथ : पैकेज में जो कुछ है, वह आधुनिकीकरण के बारे में ही है। इसी टर्न एरांऊड स्ट्रैट्जी पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने श्री आचार्य की जानकारी के लिए कहा, इस पर मंत्रियों के समूह ने बड़ी गहराई से विचार किया था। और नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पहले से काफी बेहतर कार्य-निष्पादन के कारण, इसके बारे में कुछ उम्मीद बंधी है। जुलाई, 1996 में जब संपूर्ण पैकेज को बी.आई.एफ.आर. के सामने पेश किया जायेगा, तब मंत्रियों का समूह, मंत्रिमंडल इस पर पुनः विचार करेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एक्जिट पॉलिसी

***84. श्री राम कापसे :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की "एक्जिट पॉलिसी" की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उसके किसी भाग की बन्दी अथवा एग्जिट से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में किया गया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बन्द करने और छंटनी/तथा बंदी के मामले में कर्मकार को देय प्रतिकर की अदायगी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नए औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुजम समिति द्वारा की गई सिफारिशों, विभिन्न मंचों पर किए गए विचार-विमर्श के आधार पर और औद्योगिक पुर्नसंरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीय दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने से संबंधित विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उन्हें उपयुक्त समय पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

हवाला कांड

***85. श्री रूपचन्द पाल :**
श्री चितेन्द्र नाथ दास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैन डायरियों, जिन्हें "हवाला कांड" के नाम से जाना जाता है, में कितने लोगों के नाम हैं;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस संबंध में कुल कितने छापे मारे गये;

(ग) क्या राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों को हवाला राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उपरोक्त लोगों के विरूद्ध कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(छ) उक्त जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कितने अधिकारियों को इस जांच कार्य से हटाया गया/स्थानांन्तरित/सेवानिवृत्त किया गया; और

(ज) उन्हें इस जांच कार्य से हटाये जाने के मुख्य कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) श्री जे.के. जैन से जब्त की गई डायरियों में कूटबद्ध किए हुए 115 आवक्षर नाम हैं।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच के दौरान अनेक स्थानों पर छापे मारे।

(ग) से (च). चूंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए इस स्तर पर इस मामले का ब्यौरा देना उचित नहीं है।

(छ) और (ज). मामले की जांच करने वाला अधिकारी बदला नहीं गया है।

पांचवां वेतन आयोग

***86. श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग के सदस्यों ने मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा ब्रिटेन का ढाई सप्ताह का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या आयोग से दिसम्बर, 1995 के अंत तक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने 3 अक्तूबर से 19 अक्तूबर, 1995 तक मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन का अध्ययन दौरा किया था। इसका प्रयोजन लोक सेवा प्रबन्धन, वेतन, निर्धारण, सरकारी तंत्र के आकार का यथेष्ट उपयोग आदि के क्षेत्र में इन देशों की सरकारों द्वारा की गई विभिन्न पहलकदमियों को जानना-समझना था और नीतिगत शुरूआतों को व्यवहारतः कार्यान्वित करते समय इनके प्रभावों का अध्ययन करना भी था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वायुदूत

***87. श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वायुदूत को वर्षवार कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) वायुदूत को हुई हानि को कम करने और अर्थक्षम बनाने तथा लाभ अर्जित करने वाला बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में वायुदूत को हुई अनुमानित हानि निम्नवत है :

1992-93	22.88 करोड़ रुपए
1993-94	20.40 करोड़ रुपए
1994-95	25.82 करोड़ रुपए
योग :	69.10 करोड़ रुपए

(ख) वायुदूत का इंडियन एयरलाइन्स में विलय करने का निर्णय किया जा चुका है। वायुदूत के सभी कर्मचारियों को अन्ततः इंडियन एयरलाइन्स के शॉर्ट हॉल आपरेशन्स विभाग और एयर इंडिया में खपाया जाएगा।

भुगतान संतुलन

***88. श्री अर्जुन सिंह यादव :**
डा. आर. मल्लू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बाजार में भारत के व्यापार की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयात और निर्यात में वृद्धि का वर्षवार प्रतिशत कितना रहा है और आगामी दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और इस शताब्दी के अंत तक कितने प्रतिशत निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व बाजार के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993 के दौरान विश्वव्यापी निर्यात एवं आयात में भारत का हिस्सा क्रमशः 0.56 प्रतिशत और 0.60 प्रतिशत था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात एवं निर्यात में हुई वृद्धि का प्रतिशत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	अमरीकी डालर में प्रतिशत वृद्धि	
	निर्यात	आयात
1993-94	20.0	6.5
1994-95	18.4	22.9
1995-96 (अप्रैल-सितम्बर)	26.4	32.8

निर्यात लक्ष्य वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं। चालू वर्ष (1995-96) में निर्यात लक्ष्य में अमरीकी डालर में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि होने के संकेत हैं।

(ग) निर्यात संवर्धन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। व्यापारी वर्गों, उद्योग और अन्य संबद्ध संस्थाओं के प्रभाव से निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार नीति और प्रक्रिया का वातावरण अधिक निर्यात-मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास कर रही है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात उत्पादन बढ़ाने वाली निर्यात-आयात नीति एवं प्रक्रिया का सरलीकरण, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता सुधार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर बल, मूलभूत सुविधाओं में सुधार और निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु-विशेष और देश-विशेष के उपाय शामिल हैं। इस शताब्दी के अन्त तक 75 बिलियन डालर का एक अनन्तिम निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

यात्रियों पर "उपयोग शुल्क" लगाया जाना

***89. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट विमानपत्तन से खाड़ी के देशों में जाने वाले यात्रियों पर "उपयोग शुल्क" लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह शुल्क सरकार की अनुमति से लगाया जा रहा है;

(घ) क्या देश के किसी अन्य विमानपत्तन पर भी इस प्रकार का शुल्क लगाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। कालीकट हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के विमान पर चढ़ने पर प्रति यात्री 500/- रुपए की दर से "प्रयोक्ता प्रभार" लगाया जा रहा है। इस राशि का उपयोग कालीकट हवाई अड्डे के विकास और विस्तार के लिए मियाड्स (मालाबार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी) द्वारा जुटाई गई राशि पर ब्याज की अदायगी के लिए किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के साथ समझौता

***90. श्री नीतिश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के बीच हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उपरोक्त समझौता कितनी अवधि के लिए किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच दिनांक 16/11/95 को एक समझौते (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) इस समझौते (एम.ओ.यू.) का मुख्य विवरण इस प्रकार है :

(1) हथकरघा क्षेत्र के लिए 116.74 लाख कि.ग्रा. सूत की आपूर्ति।

(2) हथकरघा क्षेत्र के लिए 6.00 लाख कि.ग्रा. रंजक रसायन की आपूर्ति करना।

(3) 425 लाख रुपये मूल्य के वस्त्र की आपूर्ति करना।

(4) विभिन्न राज्यों में 33 रंजक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(5) विपणन कम्पलैक्सों की स्थापना द्वारा हथकरघा क्षेत्र को विपणन सहायता मुहैया कराना।

यह समझौता वर्ष 1995-96 के लिए किया गया है।

विमान दुर्घटनाएं

***91. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में अनेक विमान दुर्घटनाएं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दुर्घटनाओं में हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को और मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन महीनों के दौरान, भारत में सिविल रजिस्टर्ड विमानों की कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) विमान दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच से निकली सिफारिशों, फ्लाइट रिकार्डरों, मॉनीटरिंग, सुरक्षा सूचना का प्रसार, उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी, हवाई अड्डों और कार्यान्वयन उपायों का आवधिक निरीक्षण करना और प्रचालकों की सुरक्षा संबंधी जांच आदि जैसे कदम निरन्तर उठाए जाते हैं ताकि हवाई सुरक्षा का स्तर उन्नत किया जा सके।

[अनुवाद]

रुपये का मूल्य

***92. श्री विजय कुमार यादव :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये के मूल्य में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी पूंजी निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में हो रही कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). अन्य मुद्राओं के संबंध में रुपए की विनिमय दर अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और सैद्धान्तिक दबाव का सामना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप के अधीन विदेशी मुद्रा बाजारों के मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर आर्थिक मूलभूत और अल्पकालिक सट्टेबाजी दोनों कारकों को दर्शाने वाली बाजार स्थितियों में घट-बढ़ कर सकती है। सितम्बर और अक्तूबर, 1995 में, विदेशी मुद्रा बाजार में काफी अस्थिरता हुई थी जिससे अमरीकी डॉलर और कुछ दूसरी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर में मूल्य ह्रास हुआ।

(ग) हाल के महीनों में सांकेतिक अर्थों में रुपए की विनिमय दर में मूल्यह्रास प्रमुख व्यापार भागीदारों की तुलना में भारत में उच्च मुद्रास्फीति के लिए क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार, विनिमय दर में हाल के इन परिवर्तनों से निर्यातों के प्रोत्साहन को बढ़ावा, आयातों को निरूत्साहित करना और तदनुसार विदेशी निवेशों के अंतर्वाह सहित भुगतान संतुलन को सुदृढ़ करना होना चाहिए।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अन्तः निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुकूल स्तरों पर दरों को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने तथा मांग को कम करने के लिए भी अनेक उपाए किए हैं। इनमें ये शमिल है: (i) अप्रवासी वाह्य रुपया सावधि जमाओं पर ब्याज दर में वृद्धि करना; (ii) दिनांक 27.10.95 को मौजूद स्तर पर एन.आर.आई. और एन.आर.एन.आर जमा राशियों तथा 24.11.95 को मौजूद स्तर पर एफ.सी.एन.आर.(बी) जमा राशियों में वृद्धि के संबंध में नकद प्रारक्षित अनुपात आवश्यकताओं में छूट; (iii) 90 दिनों से अधिक और 6 महीने तक की परिपक्वता के लिए अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित नौ भरण-पश्च निर्यात ऋणों (पी.एस. सी.एफ.सी.) पर ब्याज दरों में वृद्धि और (iv) आयात वित्तपोषण पर ब्याज दर अधिभार। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल में जी.डी.आर. /एफ.आर.एन./एफ.सी.सी.बी. को जारी करने संबंधी आवश्यकताओं की इन प्राप्तियों और इनके उपयोग का भारत में प्रेषण के लिए छूट दी है।

तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौते

***93. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के साथ हुए संयुक्त उद्यमों सहित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समझौतों के अंतर्गत भारत से उस देश को कितनी राशि के ऋण उपलब्ध कराये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). दिनांक 19 से 21 सितम्बर, 1995 तक प्रधान मंत्री के तुर्कमेनिस्तान भ्रमण के दौरान दोनों सरकारों के बीच निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापन/नयाचार संपन्न हुए।

(i) **ऋण करार :** इस करार के अधीन, भारत ने भारत से तुर्कमेनिस्तान को भारतीय पूंजीगत सामग्रियों, सेवाओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के निर्यात के लिए तुर्कमेनिस्तान सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। यह ऋण रियायती शर्तों पर है और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, जहां प्रतिदेय अवधि और ऋणस्थगन अवधि क्रमशः 3 वर्ष और 1 वर्ष है, जो छोड़कर 3 वर्ष की रियायती अवधि सहित 12 वर्षो की अवधि में प्रतिदेय है।

(ii) **निवेशों के संवर्धन और संरक्षण पर करार :** यह करार गैर-भेदमूलक आधार पर और उचित तथा समान क्षतिपूर्ति के एवज में कानून के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य तरीके से स्वामित्वहरण अथवा राष्ट्रीयकरण के विरूद्ध दोनों देशों में निवेशों की सुरक्षित करता है तथा अन्य बातों के साथ-साथ गृहयुद्ध, निवेशों और अधिप्राप्तियों के प्रत्यायोजन, विवादों का प्रतिस्थापन, निपटान आदि से होने वाली क्षति के लिए गैर-भेदमूलक क्षतिपूर्ति भी संकल्पित करता है।

(iii) **व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अन्तः सरकार आयोग पर करार :** यह करार विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग संवर्धित करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना संकल्पित करता है और इसके कार्य करने की सीमा, इसकी बैठकों का तरीका और बारम्बारता तथा संबद्ध रूपात्मकता निर्धारित करता है।

(iv) **भारत गणतंत्र के विदेश मंत्रालय और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग में नयाचार :** यह नयाचार दोनों देशों के बीच राजनीतिक, अर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग संवर्धित करने तथा साथ ही द्विपक्षीय संबंधों तथा पारस्परिक हित की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर दोनों मंत्रालयों के बीच नियमित संपर्क बनाए रखना संकल्पित करता है।

(v) **तुर्कमेनिस्तान, भारत और ईरान इस्लामी गणराज्य के शिष्टमंडलों के बीच त्रिपक्षीय बैठक का ज्ञापन :** यह ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय पारगमन व्यापार पर एक करार करने पर तीनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, संस्कृति, कला, शिक्षा, जन-प्रचार माध्यम और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग पर दोनों सरकारों के बीच वर्ष 1982 में हुए नयाधार को अगले दो वर्षों की अवधि अर्थात् 1995 और 1996 के लिए बढ़ाया गया।

3. प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 10 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार के अतिरिक्त, भारत के तुर्कमेनिस्तान को मार्च, 1995 में दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित एक ऋण करार के अधीन 5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण भी दिया। इस ऋण का उपयोग भारत से पूंजीगत सामग्रियों/परियोजना के निर्यात तथा सेवाओं हेतु किया जाना है। इस ऋण के अधीन औषधीय क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान में एक-भारत-तुर्कमेनिस्तान संयुक्त उपक्रम का वित्तपोषण करने के लिए 4.65 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अनुमोदित की गई है। जब इससे पहले के ऋण का पूरी तरह उपयोग हो जाएगा तब 10 मिलियन अमरीकी डालर का दूसरा ऋण उपलब्ध होगा।

गांजा जब्त किया जाना

***94. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अगस्त, 1995 के हिन्दुस्तान टाईम्स में 'सी.आर.पी.एफ. ट्रक्स विद गांजा इंटरसेप्टेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) भारी मात्रा में गांजा ले जाने के लिए कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया; और

(घ) गांजा के ऐसे अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिनांक 12.8.95 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पटना के अधिकारियों ने दीदारगंज रेलवे फाटक पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 61वीं वाहिनी के दो ट्रकों को रोका तथा इसमें लाया गया 3200 कि.ग्रा. गांजे की जब्ती की। उस ट्रक में सवार 12 लोगों में से 11 व्यक्तियों को जो के.रि.पु. बल के कार्मिक थे तथा गांजे की वसूली में लिप्त पाए गए गिरफ्तार कर लिया गया।

अनुवर्ती जांच के आधार पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत के.रि.पु. बल के एक कार्मिक को 26.8.95 को गिरफ्तार किया गया तथा के.रि.पु. बल के 7 कार्मिकों को 28.8.95 को गिरफ्तार किया गया, के.रि.पु. बल के 5 कार्मिकों को 22.9.95 को तथा शेष एक को 28.11.95 को गिरफ्तार किया गया। इसकी शिकायत 10.11.95 को पटना में दर्ज की गई थी। के.रि.पु. बल का एक कार्मिक तथा 5 असैनिक अभी तक फरार हैं।

(घ) विशेषकर इस विशिष्ट क्षेत्र के परिचालन में सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल को जिसे भूमि सीमा पर लगाया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधी का प्रत्याख्यान हो सके।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की तिमाही प्रवर्तन समन्वय बैठकें आयोजित की गई जिसमें मणिपुर राज्य ने भी भाग लिया था।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन लागत

***95. प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख :** क्या नागर विमानन **और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त दोनों एयरलाइनों की परिचालन लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) विमान कम्पनियों की प्रचालन लागत में वृद्धि के कारण है—विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्यहास की वजह से व्यय में वृद्धि, अवतरण और हैंडलिंग प्रभारों में वृद्धि, पुराने बेड़े के कारण ऊंची अनुरक्षण लागत ईंधन व्यय में वृद्धि और सामान्य मुद्रास्फीति आदि। इसके अलावा, एयर इंडिया को अपने नये बी-747-400 विमानों पर उच्चतर मूल्यहास प्रभार वहन करने पड़े हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने प्रचालन लागत को कम करने के अनेक कदम उठाए हैं, जैसे—अधिक लाभकारी मार्गों पर उच्चतर क्षमता नियोजन के लिए मार्गों को युक्तियुक्तकरण, विशेष आयात लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात करके ईंधन व्यय में कटौती, भर्ती पर रोक, समयोपरि में कटौती और जेट इंजन शॉप, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा स्थल सहायता को अलग लागत और लाभ केन्द्रों में परिवर्तित करना।

एयर इंडिया बचत के लिए कड़ा बजटीय नियंत्रण और व्यय की सभी मदों पर निगरानी रखता है। एयर इंडिया के प्रचालन विभाग ने सिमुलेटरों पर कर्मीदल का प्रशिक्षण बढ़ा दिया है, ईंधन संरक्षण के उपाय सतत आधार पर अपनाए गए हैं। विमानों के कार्य-निष्पादन की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और प्रचालन लागत कम करने के लिए विमानों का अनुरक्षण वांछित स्तर पर बनाए रखा जाता है।

बगिया रेस्तरां का आवंटन

***96. डा.(श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :**
श्री राम नाईक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली स्थित बगिया रेस्तरां के आवंटन के संबंध में तथा बरती गई अन्य अनियमितताओं की जांच के लिये गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनियमितताओं के लिए दोषी पाये गये लोगों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). पर्यटन के महानिदेशक से, भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्तरां को लाइसेंस दिए जाने के संबंध में कथित अनियमितताओं के बारे में जांच-पड़ताल करने को कहा गया था। उनकी रिपोर्ट सरकार को दिनांक 31.7.1995 को मिली तथा इसमें दी गई जानकारियों के आधार पर मामले को विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो दिनांक 4.9.1995 को मामला पंजीकृत कर चुका है। मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आन्तरिक जांच-पड़ताल के आदेश भी दिए गए हैं। इस जांच-पड़ताल की रिपोर्ट तो प्राप्त हो चुकी है, परन्तु उसका परीक्षण होना है।

हथकरघा बुनकर

***97. श्री एन. डेनिस :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों तथा इनकी समितियों को समय पर तथा सामान्य दर पर धागा न मिलने, समितियों से हथकरघा उत्पादों के जमा स्टाकों के न उठाये जाने तथा छूट राशि के समय पर भुगतान न किये जाने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों में पर्याप्त मात्रा में हैंक यार्न उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. हथकरघा क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में हैंक यार्न उपलब्ध करवाने के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा हैंक यार्न बाध्यता योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सूत निर्यातकों को सूत का निर्यात करने से पूर्व हैंक यार्न बाध्यता की शर्तों को पूरा करना होता है।
2. हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत हैंक यार्न की आपूर्ति करना है जिसमें 20 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उचित मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है।
4. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से मिल गेट मूल्यों पर हैंक यार्न की आपूर्ति।
5. हैंक यार्न मूल्यों और इसकी उपलब्धता की निरंतर समीक्षा करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक हैंक यार्न मूल्य मानिटिरिंग समिति भी कार्य कर रही है।

एकत्र हुए हथकरघा स्टॉक की बिक्री करवाने में सहयोग देने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा एक्सपो का आयोजन करती है जिसमें विभिन्न राज्यों के राज्य हथकरघा विकास निगम, शीर्ष और बड़ी प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां भाग लेती हैं जो हथकरघा क्षेत्र से उत्पाद लेती हैं। इसके अतिरिक्त लघु स्तर के हथकरघा एक्सपो का आयो भी किया जाता है जिसमें पात्र प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां भाग लेती हैं। एक्सपो अवधि के दौरान की गई हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 20 प्रतिशत विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष समितियों और प्राथमिक समितियों को हथकरघा कपड़े की बिक्री करने हेतु सरकार एम.डी.ए. योजना के अंतर्गत भी सहायता देती है।

हड़तालों पर प्रतिबंध

***98. श्री श्रीकान्त जेना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन कर के कई सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मजदूर संघों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

"वेट लीज" पर विमान

***99. डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने "वेट लीज" पर विमान लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमान "वेट लीज" पर किन शर्तों पर लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन विमानों को किन-किन मार्गों पर चलाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) अपनी संवृद्धि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एयर इंडिया ने 1995 के दौरान वेट लीज पर लिए गए विमानों का उपयोग किया तथा मैसर्स केरिब जेट इंक से 1.12.1995 से दो एल 1011-500 विमान और 1.1.96 से एक ए 310-300 विमान तथा मैसर्स एयर क्लब इन्टरनेशनल से 1.1.96 से दो ए 310-300 विमान वेट लीज पर लेने का ठेका किया है। अमेरिकी डालरों में प्रति घंटे आधार पर देय वेट लीज प्रभारों में विमान उपलब्ध कराने, केबिन क्रू सहित कर्मीदल, विमान के रख-रखाव और बीमा की लागत शामिल है। शेष आदानों की, जिनमें ईंधन शामिल है, लागत का वहन एयर इंडिया द्वारा किया जाएगा।

एल 1011-500 विमानों का नियोजन मुख्य रूप से फ्रेंकफर्ट, पेरिस और एम्स्टरडम के मार्गों पर किए जाने का प्रस्ताव हैं। ए 310-300 विमानों का नियोजन मद्रास-कुवैत-लन्दर सैक्टरों पर बढ़ी हुई क्षमता उपलब्ध कराने के अलावा, अन्य मार्गों के साथ-साथ, मास्को, तेल अवीब, नैरोबी एन्टेब्बे, दार-एस-सलाम, सिंगापुर कुआलालम्पुर और पर्थ मार्गों पर किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों को वेतन

***100. श्री बृशिण पटेल :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनेक एकक बंद पड़े हैं अथवा अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या इन एककों के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन एककों को फिर से चालू करने और इनके कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में एन.टी.सी. के अंतर्गत कोई भी मिल बंद नहीं पड़ी हुई है। तथापि, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण इन मिलों के उत्पादन क्रिया-कलाप या तो आस्थगित हैं अथवा कम कर दिए गए हैं।

पूर्वी क्षेत्र में मिलों के प्रभारी सहायक निगम एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) को घाटा हो रहा है जिसके फलस्वरूप कुल निबल पूंजी में कमी हो रही है। इसके परिणामस्वरूप इसका मामला बी आई एफ आर को भेजा गया है तथा उसने उसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया है। सरकार ने एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) के पुनर्वासन के लिए एक संशोधित आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन किया है तथा उसे क्रियान्वयन से पहले बी आई एफ आर के समक्ष उसका अनुमोदन करने के लिए रखा गया है। फिलहाल सरकार वेतन/मजदूरियों सांविधिक बोनस का भुगतान करने के लिए निधियां रिलीज कर रही है। ये नवंबर, 1995 के महीने तक रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

कराधान में कमी

833. श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टेटस हिट हार्ड बाई डिक्लाइनिंग टेक्सबेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार मद ने सरकार का ध्यान राज्य स्तर पर कर संग्रहण में बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में खींचा है। इसने कर सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है तथा सुमेलित मूल्य-वर्धित कर (पू.व.क.) आरम्भ किए जाने की सिफारिश की है।

(ग) सरकार ने धीरे-धीरे मूल्य वर्धित कर लागू किए जाने सहित कर सुधार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1995 में प्रस्तुत की। 2.12.95 को होने वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गुजरात और उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण

834. श्री महेश कनोडिया :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा प्रत्येक श्रेणी में वितरित किये गये ऋणों की कुल धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभेदक ब्याज दर पर विभिन्न अर्ह क्षेत्रों में ऋण के वितरण के लिए प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उपरोक्त अवधि के दौरान विभेदक ब्याज दर पर उपरोक्त राज्यों में हथकरघा बुनकरों को प्रत्येक बैंक द्वारा वितरित किये गए ऋण की धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). गुजरात और उत्तर प्रदेश के संबंध में जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिमों के संवितरण का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

श्रेणी	गुजरात	उत्तर प्रदेश
कृषि	322.40	453.28
लघु उद्योग	231.04	158.83
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	85.79	171.16

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अन्तर्गत संवितरण के लिये अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक पिछले वर्ष के अंत में डीआरआई योजना के अन्तर्गत ऋण संवितरण उनके कुल अग्रिमों का 1 प्रतिशत होना चाहिए। डीआरआई योजना के अन्तर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को ऋण दिये जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सूचना संकलित नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

जमा/ऋण के संबंध में बैंकों को निर्देश

835. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह निर्देश जारी किया है कि दस लाख रुपये से अधिक जमा कराने या निकालने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाय;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश इस तथ्य के आधार पर जारी किया है कि कुछ बैंक संदिग्ध व्यापार की कार्यवाही में लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, हां। ग्राहक खातों की अंतर्ग्रस्तता वाले कतिपय संदिग्ध और शंकास्पद अंतरणों, के बारे में लगातार आरोपों के संदर्भ में बैंकों से कहा गया है कि वे 10 लाख रुपए और इससे अधिक की अलग-अलग नकद जमाराशियों और निकासियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए शाखाओं में अलग रजिस्टर रखें।

(ग) और (घ). किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा के संबंध में कतिपय अंतरणों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि शाखा के कतिपय चालू खातों में केवल नकद विप्रेषण किए गए थे। ये विप्रेषण बहुत अधिक थे और कई मामलों में करोड़ों रुपए के थे। आयात बिलों का समाधान करने के लिए पार्टियों द्वारा नकद राशि में किए गए ऐसे विप्रेषण में और आयात बिलों के प्रस्तुतीकरण ने, जिन्हें पार्टियों द्वारा सीधे ही प्राप्त किए जाने का दावा किया गया है, यह संदेह उत्पन्न किया कि अंतरण वास्तविक नहीं थे। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि 10 लाख रुपए और इससे अधिक की जमाराशियों और निकासियो की निकट से मानीटरिंग करने की प्रणाली शुरू की जाय।

दलहनों का आयात तथा निर्यात

836. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में दलहनों का निर्यात/आयात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई/इन पर खर्च की गयी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शुल्क छूट योजना के तहत निर्यात/आयात की गई दालों सहित दालों की कुल निर्यातित/आयातित

मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1992-93	34,309	5344.12	382.615	33437.61
1993-94	43.601	7358.55	627.958	56636.36
1994-95	50.707	9041.32	554.072	50273.08

(स्रोत: डी.सी.सी.आई.एण्ड एस, कलकत्ता)

[हिन्दी]

बिहार में कर अपवंचक

837. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने बिहार में कर अपवंचकों का पता लगाने और करदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान वसूल किए गए कर का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई कर की राशि की तुलना में वह कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133(क) के अन्तर्गत 290 और धारा 133(ख) के अन्तर्गत 29762 सर्वेक्षण किए गए।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में प्रत्यक्ष करों की कुल वसूली केवल 256.30 करोड़ रु. की थी। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यह धनराशि क्रमशः 196.11 करोड़ रु. 263.26 करोड़ रु. और 244.68 करोड़ रु. थी।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों का आयात

838. श्री भगत बीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग ने जीवन रक्षक औषधियों के शुल्क मुक्त आयात का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग द्वारा जीवन रक्षक औषधियों के शुल्क मुक्त आयात के लिए हाल में वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड

839. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड, दिल्ली का उद्देश्य क्या है तथा यह कब गठित हुआ था;

(ख) समिति अपने लक्ष्य को कहां तक प्राप्त कर सकी है;

(ग) ऋण हेतु संसाधनों/वित्त प्रबंध का ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार स्वीकृत की गयी धनराशि का उचित प्रयोग हो;

(घ) समिति द्वारा अब तक अर्जित लाभों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार मुनाफे की इस राशि का उपयोग किया गया और इस संबंध में गत पांच वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति के लेखे का एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उन चार्टर्ड एकाउन्टेंट की टिप्पणी, जिन्होंने लेखा परीक्षा की, का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लि. (डीसीएचएफसीएल), नई दिल्ली का पंजीकरण दिनांक 18.2.1970 को किया गया था। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य सहकारी आवास समितियों और नासिक/सहयोगी सदस्य को ऋण या अग्रिम राशियां देना, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पूर्व स्वीकृति से सदस्यों तथा आवश्यक समझे जाने वाले खातों से जमाराशियों, ऋणों या अनुदानों के जरिए निधियां प्राप्त करना, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक तथा बांड जारी करके धन उधार लेना, प्राप्त करना या धन का भुगतान प्राप्त करना शामिल है।

(ख) डी सी एच एफ सी एल ने सूचित किया है कि निगम ने इसके आरम्भ होने की तारीख से अब तक (29.11.95) 36000 फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली में 248 सहकारी समूह आवास समितियों को कुल 190.94 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। निगम ने

28 समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) से जमीन लेने के लिए कुल 12.53 करोड़ रुपए की तात्कालिक ऋण सुविधाएं भी दी हैं। इसके अलावा, दिनांक 28.9.1994 को शुरू की गई उनकी नई ऋण योजना के तहत सहकारी समूह आवास समितियों के अलग-अलग 264 सदस्यों तथा डी.डी.ए. में पंजीकृत व्यक्तियों को 6.20 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गये हैं।

(ग) डी सी एच एफ सी एल ने सूचित किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) से 91.60 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋण कार्यक्रम के तहत 126 करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त किए गये हैं। डी सी एच एफ सी एल ने सूचित किया है कि उक्त निधियां दिल्ली में सहकारी आवास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त की गई। निगम ने ऋणों की स्वीकृति और ऋण देने के लिए समय-समय पर विशिष्ट मार्गनिर्देश एवं मानदण्ड बनाए हैं और इन मार्गनिर्देशों के आधार पर ऋण दिए जाते हैं।

(घ) पिछले 5 वर्षों में व्यय की तुलना में अधिक आय तथा इसके विनियोग के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

(च) सांविधिक लेखा-परीक्षकों के वर्ष 1994-95 के लिए लेखा-परीक्षा सम्बन्धी अभिमत तथा उनके अनुपालन की स्थिति विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

व्यय की तुलना में अधिक आय

वर्ष	1990-91 (रुपए)	1991-92 (रुपए)	1992-93 (रुपए)	1993-94 (रुपए)	1994-95 (रुपए)
क. व्यय की तुलना में अधिक आय	68394059.07	89,087,397.61	111,873407.94	145473813.91	*122510040.48
ख. आबंटन					
(i) सांविधिक आरक्षित निधि	17100000.00	22272000.00	27918000.00	33082954.00	
(ii) अशोध्य ऋण निधि	1000000.00	20000000.00	30000000.00	20000000.00	
(iii) शेयर शोधन निधि	500000.00	2000000.00	300000.00	5000000.00	
(iv) बाण्ड शोधन निधि	274000000.00	15000000.00	12500000.00	34500000.00	
(v) सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान	2500.00	2500.00	10000.00	10000.00	
(vi) कर्मचारियों को अनुग्रह अदायगी	114629.00				
(vii) यथानुपात की दर से समानुपातिक आधार पर रियायती शेयर पूंजी पर लाभांश	22151373.00 (8%)	29715962.00 (9%)	39439451.00 (10%)	49312282.00 (11%)	
(viii) महाराष्ट्र भूंकप सहायता के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष अधिनियम की धारा 47 के तहत राहत			1500000.00		
(ix) कर्मचारी कल्याण निधि			205956.94	250000.00	
(x) लाभांश समकरण निधि				1300000.00	
(xi) भवन रख-रखाव				1000000.00	
(xii) धर्मार्थ कार्यों के लिए अंशदान निधि-अधिनियम की धारा 47 के तहत				1000000.00	
(xii) शेष सी/एफ	125557.07	96935.61		18577.91	
योग	68394059.07	89087397.61	111873407.94	145473813.91	122510040.60

* व्यय की तुलना में अधिक आय का आबंटन अभी किया जाना है।

विवरण-II

वर्ष 1994-95 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक के लेखा-परीक्षा संबंधी अभिमत

लेखा-परीक्षा आपत्तिय	अनुपालन
1. दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार बांड शोधन निधि 15.11 करोड़ रुपए है और बीमाकिंक मूल्यांकन के अनुसार अपेक्षित निधि 16.11 करोड़ रुपए है। अतः चालू वर्ष के लिए लाभ आबंटित करते समय समुचित अंशदान किया जाना चाहिए।	वर्ष 1994-95 के लिए लाभ आबंटित करते समय निधियों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बांड शोधन हेतु सुझाई गई राशि से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
2. निगम के पस ऋण से संबद्ध पूंजी 14.33 करोड़ रुपए है तथा शेयर शोधन निधि 96.58 लाख रुपए है और वर्ष के दौरान 83.36 लाख रुपए की पूंजी छुड़ाई गई थी। अतः चालू वर्ष के लिए लाभ आबंटित करते समय पर्याप्त अंशदान किया जाना चाहिए।	वर्ष 1994-95 के लिए लाभ आबंटित करते समय शेयर पूंजी शोधन के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।
3. अशोध्य ऋण निधि, शेयर शोधन निधि, लाभांश समकरण निधि, भवन रख-रखाव निधि तथा धर्मार्थ कार्य निधि के लिए उपयुक्त निवेश निर्धारित नहीं किए गए हैं।	चूंकि उल्लिखित निधियां गैर-सांविधिक वैकल्पिक निधियां हैं और निगम के पास पर्याप्त निधियां एवं नकदी है, अतः इस समय यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि निधियों के निवेश का निर्धारण करके उन्हें अवरूद्ध किया जाए।

[हिन्दी]

आगरा में शुष्क पत्तन

840. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री 24 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड ने आगरा में शुष्क पत्तन स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड ने इस पर क्या आपत्तियां की है; और

(घ) सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के आगरा में शुष्क पत्तन (अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिकों के लिए टी.बी.अस्पताल

841. श्री सुखेन्दु खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर टी.बी. अस्पतालों की स्थापना करने का है जहां पर बीड़ी श्रमिकों की बहुतायत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में भी ऐसे अस्पतालों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). बीड़ी कर्मकारों के लिए करमा में एक 50 बिस्तरों वाला टी.बी. अस्पताल और नीमटीटा, जिला मुर्शिदाबाद (प.बंगाल) में एक चेस्ट क्लिनिक स्थापित किया गया है। इनके अलावा, मैसूर (कर्नाटक) में बीड़ी कर्मकारों के लिए 50 बिस्तरों वाले अस्पताल और गुरसहायगंज (उ.प्र.) में बीड़ी कर्मकारों के लिए 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में भी टी.बी. के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के जिला-मुर्शिदाबाद के धुलियां में बीड़ी कर्मकारों के लिए निर्माणाधीन एक 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बीड़ी कर्मकारों के लिए टी.बी. के उपचार की सुविधाएं प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

बिहार के ग्रामीण इलाकों में ऋण

842. श्री लाल बाबू राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में स्थित विभिन्न बैंकों द्वारा बिहार के ग्रामीण इलाकों में बांटी गई ऋण की कुल कितनी राशि है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बैंकों में कुल जमा की तुलना में ऐसे ऋणों का क्या प्रतिशत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). मार्च 1993, 1994 और 1995 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक ऋण और तदनुरूप जमाराशियों के तुलना में ऐसे ऋणों की प्रतिशतता नीचे दी गई है:

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण (लाख रुपए)	ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशियों की तुलना में ऋणों का प्रतिशत
मार्च, 1993	1790,74	50.93
मार्च, 1994	1915,40	47.31
मार्च, 1995	2028,20	41.95

वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद का कार्यालय

843. श्री एन.जे राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद के कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु अनेक प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). यद्यपि देश के विभिन्न भागों में अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यालयों की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय खोलने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक विशिष्ट क्षेत्र में अवस्थित निर्यातकों की संख्या उनके निर्यात की मात्रा; परिषद के पास उपलब्ध संसाधनों आदि के आधार पर ही परिषद नए कार्यालय खोलने पर स्वतः निर्णय लेती है।

[अनुवाद]

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

844. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने शाल तथा ऊन के विभिन्न प्रकार के अन्य ऊनी वस्त्र फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में अत्यधिक लोकप्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार न उन देशों को इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की किन संभावनाओं का पता लगाया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय शालों तथा अन्य ऊनी परिधानों की मांग है।

(ख) ऊनी परिधानों सहित परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश

845. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में की गयी नीलामी में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के मामले में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ख). डा. अरविन्द गुप्ता द्वारा दिल्ली न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिका सं. 1995 की 3857, जिसमें भारतीय संघ और सेबी को प्रतिवादी बनाया गया है, के जवाब में "सेबी" ने निम्नलिखित रूख अपनाया है :

जब शेयरों का विनिवेश किया जा रहा हो, सेबी किसी भी प्रकार के विनिवेश का समर्थन या विरोध नहीं करता। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के मामले में, शेयरधारक के रूप में सरकार को वह कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी जिस पर शेयरों का विनिवेश किया जाए। सेबी का कोई नियामक तंत्र नहीं है (क) जिसका पालन किसी निर्गमकर्ता कंपनी अथवा किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को उस कीमत का निर्धारण करने के लिए करना होता हो जिस पर किसी कंपनी के शेयरों का उस कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा विनिवेश किया जा सके; अथवा (ख) जिसमें विनिवेश अथवा जनता को शेयरों की बिक्री की पेशकश करने के समय शेयरों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई हो।

महाराष्ट्र में बैंकिंग सेवा का विस्तार

846. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में किन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान नीति के अन्तर्गत, यह बैंकों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे अपने सबंधित सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त शाखाओं के खोलने की आवश्यकता का स्वमूल्यांकन करें। बैंकों से कहा गया है कि ग्रामीण केन्द्रों की पहचान करते समय देश के पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों और दूर-दराज में फैली जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शाखा खोलन की आवश्यकता को महत्व दें।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के उन केन्द्रों/ग्रामों का विवरण जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है, निम्नलिखित है

	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
1.	बैंक आफ महाराष्ट्र	भरम	नासिक
2.	बैंक आफ महाराष्ट्र	शिरोली धुमाला	कोल्हापुर
3.	भारतीय स्टेट बैंक	मेहरगांव	धूले
4.	इण्डियन बैंक	रासा	यवतमाल

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

847. श्री कुन्जी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राजस्थान में हमीरपुर, झुनझुनू और माउंट आबू हवाई पट्टियों के आधुनिकीकरण के लिए राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ). ये हवाई पट्टियां राजस्थान सरकार की हैं। फिलहाल इन हवाई पट्टियों के आधुनिकीकरण की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिल

848. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम, और निजी क्षेत्र के अंतर्गत कपड़ा मिलों की कुल संख्या कितनी-कितनी है और अक्तूबर, 1990 तथा अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन मिलों के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय और पुनर्वास प्रदान की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने मध्य प्रदेश में एन टी सी मिलों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए नकदी घाटों तथा निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए 104.80 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है। वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में तीन मिलों को ब्याज की रियायती दर पर 26.31 करोड़ रु. की राशि दी गई।

विवरण

	अक्तूबर, 1990 तक की स्थिति के अनुसार स्थिति		अक्तूबर, 1995 तक की स्थिति के अनुसार स्थिति	
श्रेणी	मिलों की सं.	संस्थापित तकुओं/रोटरों/करघों के रूप में उत्पादन क्षमता	मिलों की सं.	संस्थापित तकुओं/रोटरों/करघों के रूप में उत्पादन क्षमता
1. एनटीसी	7	(1) 195960 तकुए	7	(1) 124352 तकुए
		(2) 3656 करघे		(2) 2187 करघे
2. एसटीसी मिल	3	(1) 76500 तकुए	4	(1) 98920 तकुए
		(2) 968 करघे		(2) 1472 करघे
3. निजी क्षेत्र	18	(1) 473020 तकुए	40	(1) 736320 तकुए
		(2) 3336 रोटर्स		(2) 9968 रोटर्स
		(3) 4864 करघे		(3) 3319 करघे

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को मुआवजा

849. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को दोषी चालकों के बीमाकर्ताओं से मुआवजे की राशि प्राप्त करने में वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य बीमा निगम द्वारा इस संबंध में एक नई योजना शुरू की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). बीमा कम्पनियों ने बीमाकर्ताओं और बीमाकृतों के हितों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्रियाविधियां निर्धारित की हैं। दुर्घटना संबंधी दावों के निपटान के लिए वर्तमान में विद्यमान क्रियाविधियां काफी व्यापक हैं और बीमा कम्पनियों द्वारा उन क्रियाविधियों में और कोई परिवर्तन किए जाने का विचार नहीं है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 14.11.94 से आयु समूह और आय से सम्बद्ध मानदंडों के आधार पर सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान के लिए एक संरचनात्मक फार्मूला आरम्भ किया है। दावेदार के पास यह विकल्प होगा कि प्रावधान के अनुसार यदि मुआवजे की राशि उसे स्वीकार्य नहीं है तो वह एम ए सी टी में दावा डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गयी जल्द राहत योजना स्कीम का लाभ उठाकर और लोक अदालतों के माध्यम से तीसरे पक्ष के दावों को शीघ्रता से निपटाया जा सकता है।

खनिजों के आयात संबंधी अध्ययन

850. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव खनिजों के निर्यात के तेजी से विकास में सबसे बड़ी कठिनाई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अध्ययन दल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं के अभाव में निर्यात की वृद्धि अवरूद्ध हुई है जिसमें खनिज का निर्यात भी शामिल है। इस संबंध में इस मंत्रालय ने कोई निश्चित अध्ययन नहीं कराया है।

विशेष आहरण अधिकार

851. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से उन्नत देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा और अधिक विशेष आहरण अधिकार जारी करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं;

(ख) जारी की जाने वाली विशेष आहरण अधिकार की प्रस्तावित राशि कितनी है तथा इसमें भारत का संभावित हिस्सा कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य विकासशील देशों का समर्थन हासिल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ). यदि ऐसा महसूस होता है कि अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय भंडार की दीर्घावधिक विश्वव्यापी आवश्यकता है तो इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों में विशेष आहरण अधिकारों (एस डी आर) का पुनः आवंटन किए जाने की व्यवस्था है। विशेष आहरण अधिकारों का पहले दो बार (वर्ष 1972 तथा 1981 में) आवंटन किए जाने के पश्चात् विशेष आहरण अधिकारों का पुनः नवीन आवंटन किए जाने के मामले पर चर्चा हुई जिसका औद्योगिक देशों ने इस आधार पर कि इसकी दीर्घावधिक विश्वव्यापी आवश्यकता नहीं है, समर्थन नहीं किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक ने 36 बिलियन एस. डी.आर. के नये सामान्य आवंटन का प्रस्ताव पेश किया था लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। अन्य विकासशील देशों (जिनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जी-9 समूह की संज्ञा दी जाती है) के साथ-साथ भारत प्रबन्ध निदेशक के प्रस्ताव का जबरदस्त समर्थन करता रहा था। भारत ने इस संबंध में विकासशील देशों का समर्थन जुटाने में मुख्य भूमिका अदा की है तथा यह कुछ समय तक जी-9 समूह का अध्यक्ष भी रहा था, क्योंकि यह पद आवर्तन के आधार पर मिलता है।

जब प्रबन्ध निदेशक का मूल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो विभिन्न देशों के समूहों द्वारा कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। तथापि, किसी भी प्रस्ताव पर मतै नहीं हो पाया। अन्तरिम समिति की अक्तूबर, 1995 में सम्पन्न हुई पिछली बैठक में गवर्नर मण्डल ने निर्णय लिया था कि एस.डी.आर. के नवीन सामान्य आबंटन पर कोई आम सहमति नहीं है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिशासी मण्डल को यह विषय पुनरीक्षाधीन रखना चाहिए।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

852. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशकालिक मजदूरों तथा गोदी मजदूरों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना किस तिथि से लागू की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस योजना को संलग्न विवरण में उल्लिखित कुछ निबंधनों और शर्तों के अधीन 29 अगस्त, 1991 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

(क) वह कर्मचारी जिसने 10 वर्षों की सेवा अथवा 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लिखित रूप से अनुरोध करके स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की मांग कर सकता है।

(ख) लिखित रूप से अभिलेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर पत्तन न्यास और गोदी श्रम बोर्ड को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति प्रदान न करने का अधिकार प्राप्त है।

(ग) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की मांग करने वाले कर्मचारी को देय सेवा-समाप्ति अदायगियां निम्नलिखित होंगी :

(i) उस पर लागू होने वाले सा.भ.नि./अ.भ.नि. विनियमों के अनुसार उसके भविष्य निधि लेखा में देय अधिशेष राशि।

(ii) पत्तन न्यास/गोदी श्रम बोर्ड के नियमों के अनुसार संचित अर्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि।

(iii) उपदान अधिनियम अथवा कर्मचारी पर लागू उपदान योजना के अनुसार उपदान।

(iv) एक माह/तीन माह का नोटिस वेतन (उस पर लागू सेवा की शर्तों के अनुसार)

(v) पत्तन न्यास/गोदी श्रम बोर्ड के नियमों के अनुसार पेंशन।

(घ) वह कर्मचारी, जिसके स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति से संबंधित अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, अपनी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 1½ माह के पारिश्रमिक (वेतन+मंहगाई भत्ता) के बराबर अथवा उस पारिश्रमिक के घटे हुए दर पर (12 प्रतिशत की दर से कटौती करके), जो सेवा छोड़ने पर बचे हुए माह के लिए देय हो गया होता, जो कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त करने का भी हकदार होगा। उदाहरण के लिए वह कर्मचारी जिसने 24 वर्षों तक सेवा की है और सामान्य सेवा निवृत्ति के लिए उसकी एक वर्ष की सेवा शेष है, तो वह केवल 12 माह के पारिश्रमिक (वेतन+मंहगाई भत्ता), जिसमें 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से कटौती की जाएगी, की अनुग्रह राशि और न कि 36 माह का पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

(ङ) कर्मचारी और उसका परिवार हकदार श्रेणी में उस स्थान तक की यात्रा करने का भी पात्र होगा जहां बसने की वह इच्छा रखता हो।

लौह तथा इस्पात का निर्यात

853. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान लौह तथा इस्पात के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) सरकार द्वारा लौह तथा इस्पात के निर्यात का बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान इंजीनियरी निर्यात-संवर्धन परिषद ने 1085 करोड़ रुपए के लौहे और इस्पात के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) अप्रैल, 95 से अगस्त, 95 के दौरान लौह और इस्पात का निर्यात (लगभग) 850 करोड़ रुपये का किया गया है।

(ग) सरकार निर्यात संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क प्रति अदायगी योजना और आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी के अंतर्गत छूट सहित आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत लोहे और इस्पात सहित वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद को बाजार विकास सहायता भी दी जाती है। इसके साथ-साथ इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (लोहा और इस्पात मध्यवर्तिय की पुनःपर्ति योजना) नामक एक नई योजना भी 1.3.95 को सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है।

अलफांसों आमों का निर्यात

854. श्री सुधीर सांवत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलफांसो आमों के निर्यात की भारी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में "अलफांसो" आम का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन अधिकरण ने अलफांसो आमों के निर्यात को बढ़ावा देने और उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सहकारी समितियों को फसल कटने के बाद कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा चालू वर्ष में निर्यात को बढ़ावा देने और अलफांसो आम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) आमों के किस्मवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान निर्यात दिए गए आमों की कुल मात्रा (ताजे, सुखे अथवा अलासड) और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

	मात्रा	मूल्य
1992-93	25942	46.14
1993-94	22423	44.22
1994-95	25774	45.74

(ग) से (छ). आम और अन्य कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विशेषीकृत परिवहन एककों की खरीद, पूर्व-प्रशीतन/प्रशीतित भंडार सुविधाओं की स्थापना जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना;

(2) ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, पकाने/क्योरिंग चैम्बर और गुणवत्ता की जांच करने वाले उपकरणों की स्थापना के लिए आसान ऋण;

(3) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता अनुदान;

(4) स्वीकृति के लिए प्रतिक्षा में पड़ी निर्यात वस्तुओं के लिए चलते-फिरते प्रशीतित भंडारों की स्थापना;

(5) एक ही छत के नीचे कार्गो बुकिंग और सीमाशुल्क की स्वीकृति के लिए एयर कार्गो सुविधाएं स्थापित करना;

(6) उत्पाद की उन्नत स्वीकार्यता के लिए वाष्प सुविधाओं की स्थापना;

(7) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(8) निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास के लिए वित्तीय सहायता देना।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत केरल में ऋण दिए जाने में देरी

855. **श्री थाइल जॉन अन्जलोस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल की बैंक शाखाएं विशेषरूप से अलेप्पी जिले में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार उत्पादक उद्यमों को ऋण दिए जाने में देरी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रवैये के खिलाफ समय-समय पर शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए और स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केरल में बैंक शाखाओं के विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो संपार्श्विक/गारंटी मांगने, ऋण को मंजूर न करने आदि से संबंधित हैं। इस संबंध में उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु संबंधित बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिवेन्द्रम को ऐसी सभी शिकायतें भेज दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए क्षेत्र अध्ययन में यह देखा गया है कि 77 प्रतिशत मामलों में, अभ्यावेदनों को निर्धारित समय सीमा में मंजूर किया गया। अध्ययन में शामिल किसी भी मामले में संवितरण में देरी होने की सूचना नहीं मिली है। वर्ष 1995-96 के लिए अलेप्पी जिले में, 1350 के लक्ष्य के मुकाबले, बैंकों ने 31 अक्तूबर, 1995 तक 287 मामलों को मंजूरी दी है और विभिन्न बैंकों के पास 1351 अभ्यावेदन लम्बित थे। बैंकों और सरकारी विभागों की एक बैठक भारतीय रिजर्व बैंक ने बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बैंक सभी लम्बित अभ्यावेदनों को 15 दिसम्बर, 1995 तक निपटा देंगे। जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, बैंकों ने क्रमशः 1993-94 के लिए 2755 के लक्ष्य के मुकाबले 1594 मामले और वर्ष 1994-95 के लिए 15000 के लक्ष्य के मुकाबले 11289 मामले मंजूर किए।

निर्यात लक्ष्य

856. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 मिलियन डालर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने हेतु 1995-96 के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्य की उपलब्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात ऋण संबंधी मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ भी उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1995-96 हेतु निर्यात योजना लगभग 22 चयनित निर्यात केन्द्रों में बुनियादी सुविधा में सुधार की भी संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मंत्रालय ने ऐसे अनेक देशों का भी पता लगाया है जहां निर्यात की अधिक संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). चालू वर्ष में अमरीकी डालर के रूप में निर्यात लक्ष्य में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि का पता चला है। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ परामर्श करके निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में आयात-निर्यात नीति तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण, निर्यात-उत्पादन में वृद्धि, कार्य-कुशलता तथा प्रतियोगिता क्षमता में सुधार, गुणवत्ता सुधार पर बल तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों के सक्रिय योगदान का उल्लेख किया जा सकता है। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्य-योजना तैयार की गई है जिसमें निर्यात संवर्धन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु विशिष्ट एवं देश विशिष्ट उपाय शामिल हैं।

(ग) और (घ). निर्यात ऋण मामलों सहित व्यापार से संबंधित वित्तीय मामले वित्त मंत्रालय के साथ, दोनों मंत्रालयों से संबंधित द्विपक्षीय मामलों के दौरान नियमित आधार पर बातचीत की जाती है। निर्यात ऋण संबंधी मामलों पर व्यापारियों और उद्योगपतियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

(ङ) और (च). निर्यात सघन क्षेत्र योजना के अंतर्गत देश में अवस्थापना संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु 23 केन्द्रों को अभिज्ञात किया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान दो अभिज्ञात केन्द्र नामतः तमिलनाडु में तिरुपुर तथा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद को इस योजना के अंतर्गत लिया जाना है।

(छ) और (ज). नए बाजारों का निर्धारण तथा निर्यातों के अवसर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मौजूदा बाजारों में निर्यातों में हमारे शेयर में वृद्धि करने तथा दक्षिण अफ्रीका इजराइल, केन्द्रीय एशियाई गणराज्य तथा पड़ोसी देशों जैसे उभरते देशों में नए बाजार विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आयकर अपील न्यायालय

857. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष भारी संख्या में लम्बित अपीलों को निपटाने की दृष्टि से आयकर अपील न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

पांचवां वेतन आयोग

858. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने तक सरकारी कर्मचारियों को आयोग द्वारा कोई अन्तरिम राहत दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह प्रतिवेदन किस तारीख से प्रभावी होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (घ). विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग को अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू होने की तारीख, प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निश्चित की जाएगी।

(ख) और (ग). सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की और किस्त देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बोनस की अधिकतम सीमा

859. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बोनस की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). बोनस अदायगी अधिनियम 1965 में हाल ही में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस की पात्रता सीमा तथा उत्पादकता से जुड़े बोनस व तदर्थ बोनस दोनों के लिए परिकलन सीमा को दिनांक 1.4.93 से क्रमशः 2500 रु. से 3500 रु. तथा 1600 रुपए से 2500 रुपए प्रतिमाह बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 1995 को जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिंगापुर में भारतीय नौकरानियों की भर्ती

860. श्री राम विलास पासवान :
श्री राजेश कुमार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की युवा लड़कियों को नौकरानियों के रूप में भर्ती की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु श्रम मंत्रालय से निर्बंधित फर्मों की संख्या क्या है; और

(घ) श्रमिकों को विदेश भेजने के कार्य में लगी फर्मों के पूर्ववृत्त की जांच करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां। यह एक सतत् प्रक्रिया है और अब तक उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा सिंगापुर में मेड के रूप में कार्य करने के लिए तीन लड़कियों को निर्बाधन दिए गए हैं।

(ख) उन भारतीयों और सिंगापुर एजेन्सियों के नाम और ब्यौरे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारतीय मेडों की भर्ती कार्य में लगी हैं निम्नानुसार हैं :—

(1) एस.एस. नावलकर, यूनी एक्सपोर्टस नवालकर्स टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, 47, लक्ष्मी बिल्डिंग, तृतीय तल, पी.एम. रोड, बम्बई-400001
टेलीफोन नं. : 2663434/2679093

(2) अकीद जामान, एच एण्ड जेड इन्टरनेशनल ईंक, जयन्त कमर्शियल सेन्टर, पंचवटी, जी.एन.बी.रोड, गुवाहटी (असम)

(3) श्रीमती विन्नीवांग फर्दर क्रियेशन इनवेस्टमेन्ट, प्रा. लि. सिंगापुर दूरभाष : 2250707

(ग) और (घ). अब तक, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत सारे देश के लिए कुल 2668 भर्ती एजेन्सियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पूर्व, एजेन्सियों के मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के पूर्ववृत्तों की जांच सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से करायी जाती है।

घातक विस्फोटकों की तस्करी

861. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घातक विस्फोटकों "आरडीएक्स" की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान की आईएसआई भारी मात्रा में भारत में कार्यरत उग्रवादियों को आरडीएक्स भेज रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों से स्थिति की समीक्षा करने हेतु बैठक बुलाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अवतरण-पथ (रनवे) का विस्तार

862. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अहमदाबाद अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमानों का उतरना सुनिश्चित करने के लिए इसके अवतरण-पथ (रनवे) को 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अहमदाबाद विमानपत्तन के धावनपथ को 9,000 फुट से 11500 फुट तक बढ़ाने की योजना है।

गुजरात की राज्य सरकार ने हाल ही में भूमि अधिग्रहीत कर ली है जो कि अभी इस प्रयोजन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित की जानी है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों को समाप्त किया जाना

863. श्री पीयूष तीरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन में 1977 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न संवर्गों में 100 से अधिक आरक्षित पदों को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों की बहाली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रत्येक संवर्ग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी करके खर्च में किफायत करने संबंधी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए और भूतपूर्व व्यापार विकास प्राधिकरण (टीडीए) का भूतपूर्व भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएआई) के साथ विलय करने के कारण संयुक्त संगठन नामतः इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) में स्टाक को युक्ति संगत बनाया गया और कार्मिकों की मौलिक आवश्यकता की एक नीति बनाई गयी। इसके परिणामस्वरूप आईटीपीओ में वर्ष 1993 में 153 पद समाप्त कर दिए गए जिनमें अ.जा. तथा अ.जन. जाति के लिए आरक्षित 30 पद शामिल हैं। आईटीपीओ में समाप्त किए गए अ.जा./अ.ज. जाति के ऐसे पदों का वर्गवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पद का नाम	के लिए आरक्षित	पदों की संख्या
उप-प्रबंधक (नौवहन)	अ.ज.जाति	1
सहायक-प्रबंधक (जी.सी.)	अ.त./अ.ज.जा.	2 (प्रत्येक एक)
सहायक-प्रबंधक (वित्त)	अ.ज.जा.	1
सहायक-प्रबंधक (सिविल)	अ.ज.जा.	1
प्रस्तुतिकर्ता	अ.जा.	1
पर्यवेक्षक		
प्रोग्राम	अ.ज.जा.	1
कार्यपालक		
सुरक्षा गार्ड	अ.ज./अ.ज.जा.	23

(ग) चूंकि विभिन्न वर्गों के 153 पदों को समाप्त करने का निर्णय एक सुविचारित निर्णय था, इसलिए इनमें से किसी पद को पुनः बहाल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को सुविधायें

864. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान विदेशी पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों में जहां पर क्रिकेट मैच आयोजित किए जाने हैं पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिये कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर विश्व कप क्रिकेट मैच आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है उनके लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को वर्तमान पर्यटन आधारभूत सुविधाएं पूरा करेंगी।

[अनुवाद]

असम में पर्यटन का विकास

865. श्री प्रबीन डेका : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की मंजूरी और वित्तीय सहायता के आवंटन हेतु असम में पर्यटन के विकास के लिए लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा असम को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) किन-किन ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और अन्य स्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) असम में पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार ने असम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 78.11 लाख रु. तथा वर्ष 1994-95 के लिए 52.99 लाख रु. तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता जिन ऐतिहासिक तथा धार्मिक (तीर्थ) महत्व के स्थानों को दी गई थी वे हैं—हाजू, विश्वनाथघाट तथा पर्यटक स्थल जैसे काजीरंगा, मानस, तिनसुखिया, भालुकपांग, हालफलोंग एवं औरंग आदि।

विदेशी निवेशकों को सुरक्षा

866. श्री के.एम. मैथ्यू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने मध्यस्थता संबंधी कानूनों में सुधार करके उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने और विदेशी निवेशकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सामान्यतः ऐसा महसूस किया जाता है कि विवाचन संबंधी भारतीय कानून का विवाधन कानून में आधुनिक विकासों के अनुरूप नहीं है। विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए हमारे विवाचन कानून को इस विषय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विचार धारा के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 16 मई, 1995 को राज्य सभा में विवाचन एवं सहमति विधेयक, 1995 शीर्षक से एक विधेयक पेश किया है।

समुद्री खाद्य पदार्थ/समुद्री उत्पादों का निर्यात

867. श्री विजय एन. पाटील :
श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक समुद्री उत्पादों/समुद्री खाद्य पदार्थों की कुल कितनी मात्रा का देशवार निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या कुछ देशों विशेषरूप से यूरोपीय संघ के देशों ने गुणवत्ता स्तर के संबंध में शिकायतें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समुद्री खाद्य पदार्थों/समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित समुद्री उत्पाद/समुद्री खाद्य वस्तुओं की मात्रा और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का देश/बाजार-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

देश/बाजार		1994-95	1993-94
1		2	3
जापान	मात्रा	53500	44985
	मूल्य	1643.82	1185.67
सं.रा.अमरीका	मात्रा	32102	26152
	मूल्य	490.23	306.17
ब्रिटेन	मात्रा	11202	9698
	मूल्य	182.03	142.66
इटली	मात्रा	12495	12941
	मूल्य	120.36	120.07
स्पेन	मात्रा	13461	15751
	मूल्य	111.59	138.51
बेल्जियम	मात्रा	7057	6985
	मूल्य	86.33	73.57
फ्रांस	मात्रा	7095	7824
	मूल्य	54.99	45.40
नीदरलैंड	मात्रा	5196	6762
	मूल्य	59.71	67.63
मिस्र	मात्रा	7539	6690
	मूल्य	47.51	35.59
पुर्तगाल	मात्रा	3611	3327
	मूल्य	24.40	18.58
जर्मनी	मात्रा	1860	1411
	मूल्य	22.34	14.67
स्विट्जरलैंड	मात्रा	788	138
	मूल्य	4.54	0.87
डेनमार्क	मात्रा	346	116
	मूल्य	3.72	1.16
आयरलैंड	मात्रा	266	137
	मूल्य	4.09	2.49
आस्ट्रेलिया	मात्रा	5	—
	मूल्य	0.05	—
नार्वे	मात्रा	296	83
	मूल्य	4.52	1.01
स्वीडन	मात्रा	7	7
	मूल्य	0.12	0.08
दक्षिण-पूर्व एशिया	मात्रा	135567	87099
	मूल्य	602.32	288.40
अन्य	मात्रा	14945	13867
	मूल्य	112.60	78.15
योगः	मात्रा	307338	243968
	मूल्य	3575.27	2522.68

(ख) जी, हां। अन्य देशों में यूरोपीय संघ के देशों द्वारा भारतीय खाद्य वस्तुओं में सममिश्रण पाये जाने और उनकी रिपोर्ट करने के बहुत कम मामले रहे हैं।

(ग) सरकार विभिन्न बाजारों को होने वाले समुद्री खाद्य/समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु इनके पर्याप्त गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। इस संबंध में सरकार/एम्पीडा द्वारा किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सरकार ने दिनांक 21.8.95 की अपनी अधिसूचना सं. एस ओ 729 (ई) के जरिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआई ए) को उत्पादों का निरीक्षण और प्रमाणन करने तथा समुद्री उत्पादों से संबंधित सुविधाओं के लिए प्राधिकृत अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया है।

(2) प्रोसेसिंग संयंत्रों की कमियों और इनके उन्नयन की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से निर्यात इकाईयों के मानकों के प्रति उनकी अनुरूपता का जायजा लेने के लिए ई आई ए एम्पीडा और व्यापार वर्ग के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा इनका सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(3) प्रोसेसिंग संयंत्रों को लागत की इमदाद देकर अपने निजी पूर्व-प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरी ओर, पूर्व-प्रोसेसिंग केन्द्रों को भी सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए सहायता दी जा रही है। एम्पीडा समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग कारखानों द्वारा संबद्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना में आने वाली लागत को कम करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(4) मछुवारों और मत्स्य पकड़ने का काम करने वालों को मछली पकड़ने में सफाई/आरोग्यता बरतने के बारे में शिक्षित करने के लिए विस्तार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एम्पीडा द्वारा निर्यातकों, प्रौद्योगिक विदों, मत्स्य व्यापारियों और मछुवारों के लिए गुणवत्ता पहलुओं के बारे में समय-समय पर सेमीनार और कार्यशाला आयोजित की जाती है।

छोटे निवेशकर्त्ताओं को सुरक्षा

868. श्री राजेश कुमार :
श्री राम विलास पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5000/-रुपये तक की जमाराशि का कम्पनी में पुनर्भुगतान करने वाले छोटे निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(ख) क्या सामान्य बीमा निगम के सहयोग से बैंक जमा राशि की बीमा व्यवस्था की तरह कोई बीमा योजना तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क में पहले से ही अनिवार्य कारावास की व्यवस्था है जिसे इस धारा से संबंधित उपबंधों अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 14-5-1993 को राज्य सभा में पेश किये गये कम्पनी विधेयक, 1993 में यह व्यवस्था है कि ऐसी कोई कम्पनी जो जमाराशियों का अथवा उस पर देय ब्याज का वापसी भुगतान करने में चूक करती है उसे और जमाराशियां उगाहने से तथा अन्तर-निगम ऋणों अथवा निवेशों को जुटाने से तब तक प्रतिबंधित किया जा सकता है जब तक कि वह इन चूकों को सुधार नहीं लेती। इसमें विज्ञापन के माध्यम से जमाराशियों को उगाहने की इच्छुक कम्पनियों के लिए अनिवार्य साख दर निर्धारण करने की भी व्यवस्था है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रचलित कम्पनी अधिनियम, 1956 में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

[हिन्दी]

भारत और मारिशस के बीच कर संधि

869. श्री केशरी लाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत और मारीशस के बीच कर संधि की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आर्थिक स्थितियों एवं देशीय कर कानूनों में परिवर्तनों के कारण हमारे द्वारा कुछ देशों के साथ किए गए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी समझौतों की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। मारिशस के साथ किया गया करार इस पुनरीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया गया एक ऐसा ही करार है।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देना

870. डा. साक्षीजी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत एवं रद्द हुए अथवा कितने प्रस्ताव अभी तक लम्बित हैं तथा रद्द किये गये प्रस्तावों के क्या-क्या कारण थे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का 1995-96 के दौरान इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान जो प्रस्ताव हर लिहाज से पूरे पाए गए, वे सभी वित्तीय सहायता अनुदान के लिए स्वीकृत कर दिए गए थे। प्रदान की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	दी गई राशि
1992-93	8	46.88 लाख रु.
1993-94	11	60.65 लाख रु.
1994-95	13	144.30 लाख रु.

पर्यटन विभाग ने वर्ष 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 156.91 लाख रु. की राशि वाले 14 प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान की है। फिर भी, विस्तृत प्रस्ताव अभी नहीं मिले हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

871. श्री पवन दीवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अधिनियम में संशोधन कब तक कराए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). नए औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुजम समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न मंचों पर किए गए विचार-विमर्श और औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीय दल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उन्हें उपयुक्त समय पर अन्तिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों का मूलतत्व है औद्योगिक विवादों का समाधान करने में द्विपक्षीयता सुनिश्चित करना ताकि जहां तक संभव हो सके तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से बचा जा सके; औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के लिए आवश्यक स्थितियां उत्पन्न करना; तालाबंदी और छंटनी की स्थिति में श्रमिकों के लिए उच्चतर प्रतिकार की व्यवस्था करना और अधिनियम को सुचारू बनाना ताकि औद्योगिक संबंध में बेहतर सौहार्दता सुनिश्चित की जा सके जो कि अधिकाधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिए सहायक होती है।

[अनुवाद]

पेंशन फंड

872. श्री सनत कुमार मंडल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 अक्तूबर, 1995 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" के नई दिल्ली संस्करण में "ट्रेड यूनियन्स अपोज प्लान टु डिपाजिट मनोज इन सेंटर्स पब्लिक एकाउन्ट-गवर्नमेंट अन डिसाइडेड आन पेंशन फंड इन्वेस्टेमेंट पैटर्न" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित पेंशन फंड को सामान्य निवेश हेतु खोलने अथवा उससे अपने उपयोग के लिए कम ब्याज पर ऋण लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). समाचार में यह उल्लेख है कि पेंशन निधि को लोक लेखा में जमा करने की सरकार की योजना से व्यवसाय संघ उत्तेजित है। इसमें पेंशन को एक तीसरे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्रदान करने पर सीटू द्वारा जोर देने और पेंशन निधि को सरकार द्वारा अपनी मौद्रिक समस्या आदि को हलका करने के लिए उपयोग में लाने के संबंध में व्यवसाय संघों द्वारा सराकार के विरोध का भी उल्लेख किया गया है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, हाल ही में 16.11.95 से प्रभावी हुई है। इस योजना के पैरा 26 के अंतर्गत, 16.11.1995 की स्थिति के अनुसार परिवार पेंशन निधि की निवल परिसम्पत्तियों को पेंशन निधि में आमेलित कर दिया गया है। चूंकि आमेलित परिवार पेंशन निधि में सरकार के अंशदान का तत्व शामिल है अतः इसका भारत सरकार के लोक लेखा में निवेशित रहना अपेक्षित है। इसी प्रकार, 16.11.1995 से आगे पेंशन निधि में केन्द्रीय सरकार के अंशदान से प्राप्त होने वाली भावी संभूति का भी लोक लेखा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। पेंशन निधि से उपार्जित अन्य सभी धनराशियों का कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के उपबंधों के अनुसार निवेश किया जाना अपेक्षित है।

पेंशन और अं.भ.नि. को पारस्परिक रूप से अलग समझा गया है। अतः क.भ.नि. अंशदाताओं के लिए पेंशन की तीसरे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में देने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को बैंक ऋण

873. श्री खेलन राम जांगडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को समय पर ऋण नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप ये उद्योग रुग्ण हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में मार्च 1992, मार्च 1993, और मार्च 1994 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को संवितरित किये गये ऋण निम्नानुसार थे :—

(करोड़ रुपए में)

मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1992-93	199139	737.45	338228	1603.31
1993	163882	776.12	333890	1850.25
1994	148276	844.32	343824	2015.28

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम यह अनुदेश जारी किया है कि 25,000 रुपए तक को ऋण सीमा वाले आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रुपए से अधिक ऋण सीमा वाले आवेदनों को आवेदन प्राप्ति के 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि ऋण सीमा में बढ़ोतरी के अनुरोध पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए और किसी भी हालत में निर्णय 6 सप्ताह के भीतर लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की कमी

874. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के प्रथम छः महीनों के दौरान 1993-94 की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कोई कमी आयी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी महीना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी के कारण विदेशी मुद्रा का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जी, नहीं। वर्ष 1993-94 और 1994-95 के प्रथम छः महीनों के दौरान जिन विदेशी पर्यटकों ने देश की यात्रा की उनकी संख्या और उनसे अर्जित की गई अनुमानित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार थी :—

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	विदेशी मुद्रा अर्जन (करोड़ रु. में)
1993-94	7,50,607	2547.23
1994-95	8,50,075	3231.71

(घ) भारत की ओर विदेशी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार, पर्यटक स्थलों का विकास तथा प्रचार और संवर्धनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करना शामिल है।

[हिन्दी]

वित्तीय वर्ष

875. श्री राम पूजन पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वार्षिक बजट वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्योगपतियों पर छापे

876. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान कितने औद्योगिक घरानों पर आयकर के छापे मारे गये; और

(ख) छापों के दौरान बरामद वस्तुओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

माह अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1995 के दौरान ली गई तलाशियों और अभिग्रहणों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	वारंटो की संख्या	अभिग्रहण (रु. लाखों में)
आंध्र प्रदेश	94	1965.64
बिहार	20	810.75
दिल्ली	295	1066.46
गुजरात	228	1754.82
हरियाणा	17	38.32
जम्मू एवं कश्मीर	1	9.01
कर्नाटक	46	183.32
केरल	40	322.75
मध्य प्रदेश	35	451.36
महाराष्ट्र	275	1604.46
पंजाब	126	1540.57
राजस्थान	6	38.98
तमिलनाडु	117	353.40
उत्तर प्रदेश	60	524.29
प. बंगाल	149	722.13
	1509	11386.26

विदेशी मुद्रा की हानि

877. श्री अनिल बसु :
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी क्रेताओं द्वारा धनराशि का भुगतान न किये जाने/कम राशि का भुगतान करने के कारण देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, चूंकि निर्यात आयों को बट्टे खाते में डालने के लिए संतुष्ट की जाने वाली अपेक्षित शर्तें सख्त हैं इसलिए इस कारण से विदेशी मुद्रा में किसी भी पर्याप्त हानि होने की कोई संभावना नहीं है।

रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान

878. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कितने रेशम का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) राज्य में रेशम उत्पादन के कितने प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) राज्य में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत किए गए अथवा शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में अपरिष्कृत रेशम का कुल उत्पादन 8 टन था।

(ख) महाराष्ट्र के अकोलो जिले में शिराला में एक रेशम उत्पान प्रशिक्षण विद्यालय चल रहा है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय रेशम बोर्ड समय-समय पर महाराष्ट्र में उक्त प्रशिक्षण विद्यालय सहित अपने विशिष्ट एककों के उपयुक्त कार्यचालन के लिए उनके कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करता है। बाद में सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा करता है।

(ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 से 7 वर्ष की अवधि के लिए 544 लाख रु. की कुल लागत से प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना में राज्य में शहतूती रेशम-उत्पादन का विकास करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में परियोजना के लक्ष्यों की तुलना में संचयी उपलब्धियां निम्न अनुसार हैं :—

	परियोजना का लक्ष्य	संचयी उपलब्धियां
1. मूल बीज फार्म	1	1
2. अनाज भंडार	2	2
3. चाकी कीट पालन केन्द्र	40	4
4. प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र	1	1
5. तकनीकी सेवा केन्द्र	8	8
6. रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय	1	1

निर्यात में वृद्धि

879. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उच्चतम निर्यात मूल्य वाली दस वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक वस्तु के मुख्य आयातक देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की आय के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अप्रैल-सितंबर, 1995-96, जिसके विदेश व्यापार के आंकड़े 1995-96 में उपलब्ध हैं, के दौरान 14685 मिलि. अमरीकी डालर के मूल्य का निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग). इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) चालू वर्ष (1995-96) में अमरीकी डालर के रूप में निर्यात लक्ष्य में 20 प्रतिशत के लगभग वृद्धि का पता चला है। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ परामर्श करके निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार नीति तथा क्रियाविधियों को और अधिक निर्यातोन्मुख बनाने के प्रयास कर रही है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में आयात-निर्यात नीति तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण, निर्यात-उत्पादन में वृद्धि करने में कुशलता तथा प्रतियोगिता क्षमता में सुधार करना, गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों के सक्रिय योगदान आदि का उल्लेख किया जा सकता है। चालू वर्ष में, एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु-विशिष्ट तथा देश-विशिष्ट उपाय किए जाते हैं।

विवरण

	वस्तु	प्रमुख आयातक देश
1.	रत्न और आभूषण	यू.एस.ए., हांगकांग, जापान
2.	आर.एम.जी. कॉटन एवं आनुषंगी	यू.एस.ए. जर्मनी, इंग्लैंड
3.	कपास, यार्न, फैब्रिक्स ऐंड मेड-अप्स	यू.एस.ए., इंग्लैंड, बंगला देश
4.	औषधियां, भेषजीय ऐंड, उत्कृष्ट रसायन	यू.एस.ए., जर्मनी, रूस
5.	परिवहन उपकरण	हांगकांग, यू.एस.ए., श्रीलंका
6.	मानव निर्मित यार्न फैब्रिक्स मेड अप्स आदि	संयुक्त अरब अमीरात, इंगलैंड, इटली
7.	मशीनरी और उपकरण	यू.एस.ए., इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात
8.	समुद्री उत्पाद	जापान, यू.एस.ए., इंग्लैंड
9.	धातुओं के निर्माण	यू.एस.ए., इंग्लैंड, उक्रेन
10.	चमड़े की वस्तुएं	जर्मनी, यू.एस.ए., जापान

टिप्पणी : अप्रैल-अगस्त, 1995 की अवधि के आंकड़ों पर आधारित

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एण्ड एस., कलकत्ता

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हड़ताल

880. श्री अन्ना जोशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई हड़ताल सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक संघ के नेताओं के खिलाफ इस वजह से दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कामगारों के चार संघों के महा सचिवों/सचिवों, जिन्होंने गैर-कानूनी हड़ताल के लिए उकसाया था, के विरूद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम को धारा 26,27,28 और 29 के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के समक्ष एक अभियोजन मामला दायर किया गया है।

पटसन सेवा केन्द्र

881. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में एक पटसन सेवा केन्द्र की स्थापना की निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र पर क्या सुविधाएं उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). सरकार ने वाराणसी सहित अनेक स्थानों पर पटसन सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इन केन्द्रों में विविधीकृत पटसन उत्पादों का विनिर्माण करने के इच्छुक उद्यमियों को अत्यावश्यक तकनीकी मानव संसाधन विकास और विपणन सहायता तथा अनुरक्षी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

882. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मूल्य की स्थिति, वित्तीय स्थिति और मुद्रा स्फीति आदि गंभीर चिन्ता के क्षेत्र हैं और यह बताया गया है कि 1995-96 का वर्ष भी बेहतर नहीं रहेगा;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में स्थिति में सुधार लाने हेतु ठोस उपाय सुझाए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट ने 1994-95 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन को "समग्र आर्थिक गतिविधि में स्पष्ट सुधार" के रूप में वर्गीकृत किया है जैसाकि अन्य बातों के साथ-साथ निम्न में परिलक्षित होता है :—(I) 1994-95 में 5.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर, (II) कृषिय और औद्योगिक उत्पादन में समुत्थान (III) बजटीय स्तर की अपेक्षा काफी कम मौद्रिक घाटा (IV) विशाल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार और (V) वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार जिससे सेवाओं का व्यापाक क्षेत्र उपलब्ध होता है।

तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि 1994-95 में मूल्य स्थिति और राजकोषीय स्थिति चिन्ता के क्षेत्र थे और चालू वित्तीय वर्ष में भी इनके इसी प्रकार जारी रहने की सम्भावना है।

(ख) रिपोर्ट में सुझाए गए प्रमुख उपायों में ये शामिल हैं :—

(i) राजकोषीय घाटे विशेषरूप से राजस्व घाटे का नियंत्रण,
(ii) मुद्रा आपूर्ति वृद्धि का नियंत्रण,
(iii) कर सुधार उपायों को सुदृढ़ करना,
(iv) सरकारी प्रतिभूतियों में एक सक्रिय बाजार का विकास करना, और
(v) वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को जारी रखना।

(ग) विभिन्न आर्थिक नीति उपायों के विनिर्माण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा उचित ध्यान दिया जाता है।

हेरोइन का अवैध व्यापार

883. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हेरोइन के अवैध कारोबार के संबंध में राजस्व सचिव, भारत सरकार, भारतीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के महानिदेशक, म्यांमार की पीपुल्स पुलिस फोर्स के पुलिस जनरल एवं महानिदेशक के बीच तीन दिवसीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). स्वापक औषध अवैध व्यापार विरोधी भारत और म्यांमार द्विपक्षीय समझौते पर मुख्य एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी बैठक दिनांक 19 दिसंबर, 1994 को येंगोन में हुई थी।

दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान तथा गहन सहयोग करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

884. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 सितम्बर, 1995 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन शाखाओं को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हुए घाटे तथा लाभ का विवरण क्या है;

(ग) क्या घाटे में चलने वाली शाखाओं को बंद कर दिया जाता है अथवा बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक शाखाओं द्वारा उठाई गई हानियों और अर्जित लाभों का विवरण निम्नानुसार है :—

	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
(i) हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या (प्रशासन कार्यालयों और सेवा शाखाओं को छोड़कर)	2421	3416	2906
(ii) हानि की राशि (करोड़ रुपए)	74.83	122.95	119.87
(iii) लाभ कमाने वाली शाखाओं की सं.	6228	5304	5848
(iv) लाभ की राशि (करोड़ रुपए)	1774.01	1900.06	2382.79

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान नीति के अन्तर्गत पर्याप्त बैंक शाखा वाले शहरी/महानगरीय केन्द्रों पर स्थित हानि उठाने वाली शाखाओं की बन्द करने के लिए बैंकों के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण केन्द्रों में जहां दो वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की शाखाएं हैं। किसी एक शाखा को बन्द करने का निर्णय, संबंधित बैंकों द्वारा आपस में परामर्श करके लिया जा सकता है।

अपनी अनर्थक्षम ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तित करने की अनुमति भी बैंकों को दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि फरवरी, 1995 में तमिलनाडु में एक शाखा बन्द की गई और मध्य प्रदेश में हानि उठाने वाली पांच शाखाओं को अनुषंगी शाखाओं में परिवर्तित किया गया है। हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करने पर केवल अन्तिम उपाय के रूप में ही विचार किया जाता है।

विवरण

सितम्बर, 1995 के अंत तक की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्यवार संख्या	शाखाओं की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18
आंध्र प्रदेश	803
अरुणाचल प्रदेश	42
असम	201
बिहार	917
दमन और दीव	3
दिल्ली	181
दादरा और नागर हवेली	1
गोवा	46
गुजरात	436
हरियाणा	101
हिमाचल प्रदेश	144
जम्मू व कश्मीर	118
कर्नाटक	285
केरल	228
मध्य प्रदेश	694
महाराष्ट्र	787
मणिपुर	16
मेघालय	85
मिजोरम	24
नागालैंड	44
उड़ीसा	462
पाण्डिचेरी	12
पंजाब	230
राजस्थान	162
सिक्किम	26
तमिलनाडु	560
त्रिपुरा	32
चंडीगढ़	22
उत्तर प्रदेश	1347
पश्चिम बंगाल	722
कुल	8801

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का भण्डार

885. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्रमथेस मुखर्जी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1995 के "दि स्टेट्समैन" में "इण्डियाज फोरेन एक्सचेंज रिजर्व्ज डिप टू 19 मिलियिन डालर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसी गिरावट किन कारणों से हुई; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की विदेशी मुद्रा भंडार (स्वर्ण और एस.डी.आर. को छोड़कर) मार्च, 1995 के अन्त में 20809 मिलियन अमरीकी डॉलर में से 1917 मिलियन अमरीकी डॉलर घटकर सितम्बर, 1995 के अन्त में 19012 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

(ग) और (घ). अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से होने वाले विदेशी मुद्रा लेन-देनों के कारण हुई प्राप्तियों और भुगतानों में असंतुलन को प्रतिबिम्बित करती है। सरकार ने देशीय और विदेशी दोनों व्यवहारों के संबंध में अनेक उपाय किए हैं जो देश के विदेशी व्यापार और भुगतान स्थिति को सुदृढ़ करेंगे।

[हिन्दी]

किराए में वृद्धि

886. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के किराए में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किराए में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) किराये में वृद्धि के कारण इंडियन एयरलाइन्स को कितनी अधिक आय होने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अंतर्देशीय किराए में हुई वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्र. सं.	वृद्धि की तिथि	वृद्धि का औसत प्रतिशत	वृद्धि के कारण
1.	2.10.1992	9%	ईंधन की दर में वृद्धि होना
2.	13.9.1993	15%	विभिन्न आदानों की लागतों में वृद्धि होना
3.	25.7.1994	15%	-वही-
4.	01.10.1995	20%	-वही-

(ग) किरायों में हाल ही में किए गए संशोधनों से प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा।

[अनुवाद]

वैष्णों देवी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री

887. डा. वसंत पवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में अशान्त स्थिति के कारण वैष्णों देवी मन्दिर के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कोई कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने तीर्थ यात्रियों वैष्णों देवी की यात्रा की है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1994 के दौरान वैष्णों देवी मन्दिर के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 1993 और 1994 के दौरान जिन तीर्थ यात्रियों ने वैष्णों देवी की यात्रा की उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
1993	33,68,735
1994	37,05,945

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मालाबार ग्रामीण बैंक में हड़ताल

888. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक को कितना-कितना लाभ या घाटा हुआ;

(ख) क्या इन दोनों बैंकों के कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या निदानात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्जित लाभ और हानि निम्नानुसार थे :—

(रुपए लाख में)

साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक		नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	
1992-93	(—) 201.0	+	5.78
1993-94	(+) 125.31	+	52.44
1994-95	(+) 210.50	+	215.45
	(—) हानि		
	(+) लाभ		

(ख) जी, हां।

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि छठे द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को दिए गए लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को दिए जाएं। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विमानपत्तनों पर सुविधाएं

889. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या नागर विमान और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर आधारभूत और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के प्रथम चरण में शामिल किये जाने वाले विमानपत्तनों के क्या नाम हैं; और

(घ) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है और इस योजना को कब तक आरम्भ किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). हवाई अड्डों और अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का स्तरोन्मयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे चरणबद्ध ढंग से प्रयोजित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित है :

1. 351.87 करोड़ रुपए की लागत से बंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।
2. 193.35 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता और मद्रास में हवाई अड्डा निगरानी राडारों और मोनोपल्स गौण निगरानी राडारों की प्राप्ति और संस्थापन।
3. 24.35 करोड़ रुपए की लागत से मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, कालीकट, कोयम्बतूर, इन्दौर, हैदराबाद, औरंगाबाद, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, राजकोट, मंगलौर, उदयपुर और पोर्ट ब्लेयर में उपकरण अवतरण प्रणाली की प्राप्ति और संस्थापन।
4. 336.63 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, लखनऊ, नागपुर, इंदौर, बड़ौदा, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कालीकट, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और इम्फाल में आदर्श हवाई अड्डों का विकास।
5. 105.49 करोड़ रुपए की लागत से बंबई हवाई अड्डे पर अन्तरराष्ट्रीय यात्री टीर्मनल परिसर (चरण-3) का निर्माण।
6. 126 करोड़ रुपए की लागत से बंबई हवाई अड्डे अपर अन्तरदेशीय टर्मिनल परिसर (चरण-2) का निर्माण।

स्विट्जरलैंड की घड़ियों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना

890. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्विट्जरलैंड की घड़ियों के आयात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है जैसाकि 8 फरवरी, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय घड़ी उद्योग विशेषकर एच.एम. टी. पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वदेशी घड़ी उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). मौजूदा आयात-निर्यात नीति, 1992-97 के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु होने के कारण घड़ियों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। इस स्थिति में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उत्पाद शुल्क में छूट

891. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को कुछ विदेशी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। लघु उद्योग एककों ने, हाल ही में, विद्युत के उपयोग के बिना ही विनिर्मित स्काउरिंग पाउडर; चिकित्सा/शल्य चिकित्सा दस्तानों; पेपर बैगों; मुद्रित कार्टूनों; परिवर्तित किस्मों के पेपर और पेपरबोर्ड; कुछेक इलेक्ट्रिकल उपकरणों; पी.वी.सी. मिश्रण; धातु आधानों; कैलकुलेटरों आदि जैसी विभिन्न मदों और सोडा ऐश,

लाइनियर अल्कायल बेनजींन, सिंथेटिक रबड़ और सेरामिक ट्रांस्फर्ज जेसी कुछेक निविष्टियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राहत देने की मांग की है।

उन्होंने कोल्ड रोलिंग मशीनों पर मिश्रित शुल्क में कमी करने के लिए भी अनुरोध किया है।

सिगरेट पर उत्पाद शुल्क

892. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिनी सिगरेटों पर वसूले जाने वाले उत्पाद शुल्क को 120 रु. प्रति हजार से घटाकर 60 रु. प्रति हजार कर देने पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या सिगरेट पर उत्पाद शुल्क में कमी कर देने के परिणामस्वरूप सिगरेट निर्माताओं ने मिनी सिगरेटों का उत्पादन 1993-94 में 100 करोड़ सिगरेटों की तुलना में 1994-95 से बढ़ाकर 600 करोड़ सिगरेट कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो बीड़ी उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि फिल्टर सिगरेटों को छोड़कर 60 एम.एम. से अनधिक लम्बाई की सिगरेटों पर वर्ष 1994-95 के बजट में उत्पाद शुल्क को 120 रु. प्रति हजार से कम करके 60 रु. प्रति हजार किए जाने से बीड़ी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ख) 60 एम.एम. से अनधिक लम्बाई वाली सिगरेटों सहित, सभी प्रकार की सिगरेटों का उत्पादन बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अतः उनके उत्पादन की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के लिए केवल एक कारक को ही जिम्मेवार ठहराना संभव नहीं है।

(ग) सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दरों को निर्धारित करते समय, सरकार बीड़ी उद्योग के हितों सहित सभी संगत बातों और हितों को ध्यान में रखती है।

रोमानिया को रूई का निर्यात-

893. श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रोमानिया को रूई के 18000 गठ्ठरों का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूई के गठ्ठरों का निर्यात करने के सरकार के इस निर्णय से रूई के घरेलू मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या कुल मिलाकर देश में हथकरघा तथा बिजलीकरघा उद्योग भी इससे प्रभावित होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). भारत सरकार ने रुपया अदायगी करार के अंतर्गत जून, 1995 में रोमानिया को कपास की 18,000 गांठों का निर्यात कोटा रिलीज किया है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कपास की उपलब्धता की पुष्टि हो जाने तथा घरेलू बाजार में कपास की कीमतों में गिरावट आने की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए यह कोटा रिलीज किया गया है।

रोमानिया के साथ द्विपक्षीय संलेख के अंतर्गत भारत पहले भी कपास का निर्यात करने की अनुमति देता रहा है तथा रोमानिया हमारी सप्लाई पर ही निर्भर कर रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही कपास का निर्यात कोटा रिलीज किया गया है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखे मेवे का निर्यात

894. श्री दत्ता मेघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सूखे मेवों (काजू, बादाम, पिस्ता इत्यादि) का देशवार कुल कितना निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) सरकार द्वारा इस वर्ष सूखे मेवे के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्यात किए गए मेवों की कुल मात्रा तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1992-93	63278	78900
1993-94	76350	111300
1994-95	83412	130844

स्रोत (डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता)

(ख) मेवों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) कच्चे काजू के आयात की मुक्त रूप से अनुमति प्रसंस्करण और निर्यात के लिए कच्चे काजू की घरेलू

उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दी जाती है। काजू की गिरी के निर्यातक अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत भी इसका आयात कर सकते हैं।

(ii) उन्नत पैकेजिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देना।

(iii) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूरत विमानपत्तन को अपने हाथ में लेना

895. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से सूरत विमानपत्तन को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसे कब तक अपने हाथ में लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय तंगी और अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण फिलहाल सूरत विमानपत्तन का जिम्मा लेने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड के अंतर्गत समितियां

896. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड को इसके विभिन्न हितों की पूर्ति करने हेतु विभिन्न समितियां गठित करने का अधिकार है;

(ख) क्या इन समितियों के माध्यम से तम्बाकू बोर्ड की भूमिका में विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बोर्ड को तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करने तथा अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए, जहां पर आवश्यक होता है, इस प्रकार की समितियां गठित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

लघु औद्योगिक क्षेत्र और बैंक

897. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऋणों के वितरण के संबंध में लघु औद्योगिक क्षेत्र और बैंकों के बीच पैदा हुए अनेक मतभेदों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को लघु उद्योग एककों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थपक्षता संबंधी निर्देशों का बैंकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और कभी-कभी बैंकों द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ़ एककों को भी ऋण नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र के एककों को बैंको द्वारा ऋण नहीं दिए जाने संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ रुग्ण लघु उद्योग एककों ने शिकायत की है कि उनके एककों के रुग्ण होने के कारणों में से एक कारण यह है कि बैंक उन्हें पर्याप्त/ समय पर ऋण नहीं देते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों से पूछताछ करने पर बैंकों ने सूचित किया है कि वे इन एककों को पर्याप्त/ समय पर ऋण देते रहे हैं और जहां कहीं कम ऋण दिया गया है, उसका कारण यह है कि बैंक एककों के कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं थे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि बैंकों में आंतरिक शिकायत तंत्र है तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालक शिकायतें सुनने/विचार करने के लिए शिकायतकर्ताओं से समय-समय पर मिलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को लघु उद्योग एककों से जैसे ही शिकायतें मिलती हैं, वह इन शिकायतों पर बैंकों के साथ विचार-विमर्श करता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, पक्षकारों को उपयुक्त सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र हेतु चिकित्सा सुविधाएं

898. श्री रामकृपाल यादव :
श्री हरिन पाठक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). बीड़ी कर्मकारों की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए बीड़ी कर्मकार

कल्याण निधि के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए एक चेस्ट क्लीनिक और 3 अस्पतालों सहित 154 औषधालय स्थापित किये गये हैं। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, और क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर तथा डोलोमाईट व माईका खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए 68 औषधालय और 9 अस्पताल भी हैं। इन कर्मकारों के लिए तैयार की गई विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बीड़ी कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की सूची

1. तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण।
2. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को उपचार की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।
3. मानसिक रोगों से पीड़ित कर्मकारों का उपचार और ऐसे कर्मकारों को निर्वाह भत्ते तथा अन्य लाभों की भी मंजूरी।
4. बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) को चश्मा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी।
5. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को उपचार हेतु आंतरिक उपचार प्रदान करने वाले निकायों/संगठनों को अनुदान सहायता और पात्र कर्मकारों को निर्वाह भत्ता प्रदान करने की योजना।
6. तपेदिक रोगियों को घर पर उपचार हेतु वित्तीय सहायता।
7. महिला बीड़ी कर्मकारों को प्रसूति लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता।
8. बीड़ी कर्मकारों को नसबंदी हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रतिपूर्ति के भुगतान की योजना।
9. हृदय रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रति-पूर्ति की योजना।
10. बीड़ी कर्मकारों को गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिए वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
11. सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों हेतु समूह बीमा योजना।

खान श्रमिकों संबंधी स्वास्थ्य योजनाओं की सूची

1. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण और टी.बी. से पीड़ित श्रमिकों को घर पर इलाज कराने के लिए वित्तीय सहायता।
2. कैंसर से पीड़ित खान श्रमिकों के इलाज को वास्तविक लागत का पुनर्भुगतान।
3. मानसिक बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता और ऐसे श्रमिकों को निर्वाह भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं को प्रदान किया जाना।
4. चश्में की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान श्रमिकों को आंतरिक उपचार प्रदान के लिए निकायों/संगठनों के लिए सहायता-अनुदान संबंधी योजना और अर्ह श्रमिकों को निर्वाह भत्ता भी दिया जाना।
6. टी.बी. रोगियों को घर पर इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
7. हृदय रोगों से पीड़ित खान श्रमिकों द्वारा किए गए व्यय का पुनर्भुगतान करने की योजना।
8. गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिए खान श्रमिकों द्वारा किये गए व्यय का पुनर्भुगतान करने की योजना।
9. खान श्रमिकों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।
10. खान श्रमिकों के लिए घातक और गम्भीर दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
11. एम्बुलेंस वैन की खरीद करने के लिए लौह अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबंधनों की सहायता अनुदान।
12. खान श्रमिकों के लिए खान प्रबंधनों द्वारा अपनी स्वयं के औषाधालय का रखरखाव करने के लिए सहायता अनुदान।

गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, मैसूर

899. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, मैसूर के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या सभी मशीनें प्राप्त कर ली गयी है और क्या कार्मिकों की नियुक्ति पूरी कर ली गयी है;

(ग) प्रस्तावित सिक्योरिटी प्रेस के निर्माण में अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या मैसूर के निवासियों को नियुक्ति में कोई वरीयता दी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) मैसूर में कोई सरकारी प्रतिभूति मुद्रणालय स्थापित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

ओजोन का क्षय करने वाले पदार्थों को आयात-निर्यात नीति की निषेधक सूची में शामिल करना

900. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ओजोन का क्षय करने वाले पदार्थों के आयात-निर्यात को आयात-निर्यात नीति का निषेधक सूची में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). निर्यात और आयात नीति, 1992–97 में ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में मान्ट्रियल प्रोटोकोल में शामिल मदों से संबंधित व्यापार के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन मदों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के प्रश्न को, प्रोटोकोल को लागू करने के बारे में हुई प्रगति के परिप्रेक्ष्य में, समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पंजाब नैशनल बैंक द्वारा बैलेंस शीट में कथित हेरा-फेरी

901. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब नैशनल बैंक द्वारा 1994-95 को बैलेंस शीट में कथित हेरा-फेरी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी एजेंसियों को बैंक ऋण

902. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान देश के विभिन्न बैंकों ने केन्द्र सरकार को ऋण की कितनी राशि दी तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कितनी ऋण राशि दी गई थी; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार के और अधिक ऋण लेने पर विवश होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). अप्रैल-सितम्बर, 1994 की अवधि में सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान निवल बैंक के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

	अप्रैल 1994	सितम्बर 1995
सरकार को दिया गया निवल बैंक ऋण (क+ख)	4687	13507
(क) सरकार को भा.रि.बैं. द्वारा दिया गया निवल (i+ii)	(-)1057	6718
(i) केन्द्रीय सरकार	(-)8341	8714
(ii) राज्य सरकार	(-)2230	(-)1995
(ख) सरकार को दिए गए अन्य बैंकों के ऋण	15258	6789

जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है "अन्य बैंकों" (वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों) द्वारा चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः महीने के दौरान दिए गए ऋण पिछले वित्त वर्ष के प्रथम छः महीने के दौरान दिए गए ऋण के आधे से भी कम है।

बीड़ी मजदूरों का कल्याण

903. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार बीड़ी पर लगे उपकर से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बीड़ी मजदूरों के कल्याणार्थ राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) बीड़ी मजदूर कल्याण कोष से चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने औषधालयों तथा यक्ष्मा अस्पतालों की स्थापना की जायेगी?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) जिला मुर्शिदाबाद के धुलियां में एक 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान निर्मित बीड़ियों पर राज्यवार एकत्र किए गए उपकर और बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

हजारों में

क्र.सं.	राज्य	निर्मित बीड़ियों पर लिया गया उपकर			बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर व्यय की गई राशि		
		1992–93	1993–94	1994–95	1992–93	1993–94	1994–95
1.	आन्ध्र प्रदेश	21,348	22,696	22,961	29,877	32,639	72,387
2.	असम	–	97	104	606	1,193	1,839
3.	बिहार	6,357	7,362	8,271	9,930	11,110	11,792
4.	गुजरात	146	174	140	2,767	3,626	3,623
5.	कर्नाटक	17,596	14,810	14,805	13,298	23,040	22,122
6.	केरल	4,792	4,477	4,389	5,386	5,387	8,919
7.	मध्य प्रदेश	16,369	17,981	16,716	14,840	15,980	14,239
8.	महाराष्ट्र	9,454	9,238	9,065	9,344	13,741	16,097
9.	उड़ीसा	1,487	1,704	1,743	6,607	8,316	10,543
10.	राजस्थान	1,119	1,172	1,200	4,143	5,436	5,429
11.	त्रिपुरा	–	–	–	548	934	1,274
12.	तमिलनाडु	17,747	17,917	18,051	6,512	9,371	15,234
13.	पश्चिम बंगाल	16,369	18,307	19,746	9,487	16,017	20,382
14.	उत्तर प्रदेश	7,606	6,513	5,929	7,799	10,309	8,475

बेरोजगारी

904. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 तथा मार्च, 1993 के अंत तक कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) ढांचागत सुधार संबंधी उपायों से रोजगार वृद्धि में किस हद तक सहायता मिली है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कितने रोजगार सृजित किए गए?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). मार्च, 1990 मार्च, 1993 के अंत तक खुली बेरोजगारी का बैकलांग क्रमशः 13.85 मिलियन एवं 17.10 मिलियन था।

सरकार ने अपनी आर्थिक सुधार नीतियों में रोजगारोन्मुखी वृद्धि के सतत संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके परिणामस्वरूप योजना आयोग द्वारा अर्थव्यवस्था में अनुमानित वृद्धि आर्थिक तंगी के वर्ष 1991–92 में केवल 3 मिलियन तुलना में वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 में प्रत्येक वर्ष संभवतः दुगनी अर्थात 6 मिलियन हो गई जिससे आर्थिक विकास में व्यापक वृद्धि हुई है तथा औसतन रोजगार में और अधिक वृद्धि होने की आशा है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार, 31 मार्च, 1993, 1994 एवं 1995 तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा संगठित क्षेत्र में रोजगार निम्नानुसार था :

रोजगार (हजार में)

	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1993	19326.1	7850.5	27176.6
1994	19444.9	7929.9	27374.8
1995	19294.2	8114.4	27408.6

*तुरंत अनुमानुसार

नोट : – 1. रोजगार के आकार एवं निजी क्षेत्र में लगे हुए 10 या इससे अधिक कामगारों वाले गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के आंकड़े।

2. रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (इ एम आई) में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली सम्मिलित नहीं है।

3. भारतीय मिशन/विदेशी दूतावास, रक्षा सेवा में रोजगार सम्मिलित नहीं है।

4. व्यावहारिक समस्याओं के कारण, ग्रेटर बम्बई एवं कलकत्ता जैसे महानगरों के निजी क्षेत्र में लगे 10–24 व्यक्ति वाले लघु प्रतिष्ठान सम्मिलित नहीं है।

कॉफी नीलामी केन्द्रों की स्थापना

905. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे कॉफी उत्पादकों को फोर्स बिक्री कोटा के अंतर्गत अपने समग्र उत्पादों का विपणन करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीलामी केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये नीलामी केन्द्र खोले जाएंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). भारत सरकर ने 10 हेक्टेयर से कम जोतधारी लघु उपजकर्त्ताओं को 100 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे की अनुमति दी है जिससे कि दिनांक 22 अप्रैल, 1995 से निर्यात एवं घरेलू बिक्रियों को सुगम बनाया जा सके। इसके तहत उपजकर्ता को यह विकल्प है कि वह अपना उत्पादन घरेलू बाजार में अथवा निर्यात बाजार में जहां चाहे बेच सकेगा। जहां तक नए नीलामी केन्द्रों की स्थापना का संबंध है, इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु, कॉफी बोर्ड ने अपने नीलामी केन्द्रों के अलावा, गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के तहत चार नीलामी केन्दों के लिए सिद्धान्त रूप में मान्यता दे दी है। इन चार नीलामी केन्द्रों के नाम निम्नानुसार :

(1) इण्डियन कॉफी ट्रेड एसोसिएशन, इनफैक्ट्री रोड़, बंगलौर

(2) कुर्ग कॉफी मार्कोटिंग सेन्टर, मेडिकरी

(3) आन्ध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, विशाखापटनम (विजयवाडा में स्थित)

(4) मैसूर कॉफी क्यूरिंग वर्क्स, चिकमंगलूर

ऋण बोझ

906. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक प्रति व्यक्ति ऋण बोझ क्या है; और

(ख) इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) प्रति व्यक्ति ऋण बोझ मार्च, 1996 के अन्त तक 6707 रुपये होने का अनुमान है।

(ख) जब कभी भी व्यय और ऋण-भिन्न प्राप्तियों में अन्तर होता है तो सरकार उधार लेने के लिए मजबूर हो जाती है। चालू वर्ष के दौरान सरकार प्राप्तियों को अधिकाधिक बढ़ाकर और व्यय को नियंत्रित करके वित्तीय घाटे को बजटीय स्तर तक बनाए रखने का प्रयास करेगी।

जूट उद्योग में इलैक्ट्रानिक अनुप्रयोग

907. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जूट उद्योग के लिए इलेक्ट्रानिक नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रणाली के अनुप्रयोग और विकास संबंधी कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). यू एन डी पी सहायित पटसन कार्यक्रम के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए इलेक्ट्रानिक नियंत्रण तथा साधन विनियोग प्रणाली का विकास तथा उपयोग करने की एक परियोजना का अनुमोदन किया गया है। इस परियोजना के लिए परिव्यय के रूप में भारत सरकार और यू एन डी पी के क्रमशः 2 करोड़ रु तथा 0.6 मिलियन अमरीकी डालर के अंशदान का अनुमोदन किया गया है।

सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

908. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों की कुछ सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र मिलों को ऋण की स्वीकृति, मिलों द्वारा प्रस्तुत की गई आधुनिकीकरण योजना की अर्थक्षमता तथा उनको पुनर्भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाती है जोकि उनके ऋण देने के सामान्य कार्य का ही भाग है।

भारतीय व्यापार प्रदर्शनी

909. श्री बलराज पासी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1995 के दौरान ताशकंद में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी लगाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी में किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 14-20 सितंबर, 1995 के दौरान ताशकंद में हुई अन्य भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में इंजीनियरी, औषधियां तथा भेषज, वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, कागज तथा गत्ते के उत्पाद और उपभोक्ता उत्पाद आदि से सम्बद्ध भारतीय सहभागी कंपनियों ने 3531.45 लाख रु. का व्यापार किया। इसमें से 1875 लाख रु. मूल्य के आर्डर बुक किए गए तथा 1640 लाख रु. के मूल्य के व्यापार पर बातचीत चल रही है। प्रदर्शनी के अंत में सहभागियों ने अपनी वस्तुओं को 16.45 लाख रु. मूल्य में बेचा।

परिधानों, साईकिल, डेनिम और भेषज आदि का विनिर्माण करने के लिए इसमें आठ संयुक्त क्षेत्र उद्यम तैयार हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण और कागज तथा डुप्लेक्स बोर्डों के विनिर्माण के लिए तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चार कंपनियों ने अपने स्थानीय एजेंट नियुक्त किए हैं।

महिला कर्मचारियों को प्रसुति अवकाश

910. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों के महिला कर्मचारियों को छः महीने हेतु प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसूति अवकाश का प्रयोजन बच्चे को जन्म के बाद उसकी माता को स्वास्थ्य लाभ करने के लिए समर्थ करना है। अतः 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश को पर्याप्त समझा गया है।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

911. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम ने निजी कम्पनियों के माध्यम से रिलायंस औद्योगिक समूह में कोई निवेश किया है और निवेश की गई धनराशि कितनी है;

(ख) निजी कम्पनियों के माध्यम से निवेश करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जीवन बीमा निगम ने उक्त अवधि के दौरान बाजार से किन-किन क्षेत्रों के शेयर खरीदे हैं और कितनी धनराशि के शेयर खरीदे गए हैं;

(घ) क्या खरीद के बाद शेयरों के मूल्य में गिरावट आई है; और

(ङ) ऐसे निवेश संबंधी निर्णय लेने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में इसमें गौण बाजार में प्राइवेट और पब्लिक दोनों की क्षेत्रों में, सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के सीमेंट, इंजिनियरिंग, लोहा, विद्युत, वस्त्र, रंग सामग्री, रसायन और औषध-भेषज, बिजली के सामान, व कागज तथा गत्ता उद्योगों/क्षेत्रों के लगभग 690.66 करोड़ रुपए की राशि तक के शेयर खरीदे थे।

(घ) जबकि कम्पनियों के शेयरों के अर्जन-मूल्यों तथा खाता-मूल्यों ने सामान्यतः सकारात्मक संकेत दर्शाये हैं लेकिन बाजार में मंदी की प्रवृत्तियों के कारण बाजार मूल्यों में गिरावट आई है।

(ङ) जीवन बीमा निगम पर यथा व्यवहार्य बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए और निगम द्वारा गठित निवेश समिति द्वारा निर्धारित किए गए पैरामीटरों के अनुसार कम्पनी के इक्विटी शेयरों में जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

912. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :
श्री पंकज चौधरी :
श्री शरत पटनायक :
श्री कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपास के व्यापार और वस्त्र के उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कोई एकमुश्त योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). देश में कपास का व्यापार तथा वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने कोई पृथक पैकेज तैयार नहीं किया है। तथापि, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरीके से विकास अवरूद्ध न हो, वस्त्र क्षेत्र की स्थिति का बराबर मानीटर करती है। आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा यह समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। सरकार नीतिपरक हस्तक्षेप करके उपयुक्त कदम उठाती है। इनमें से कुछ कदम निम्नलिखित है :

(1) ओजीएल के अंतर्गत वस्त्र मशीनों का आयात करने की अनुमति देना तथा ऐसे आयात के शुल्क में कटौती करना ताकि अत्याधुनिक मशीनों के आयात को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(2) विद्युतकरघा क्षेत्र में क्वालिटी के डिजाइनों के उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना करना।

(3) वस्त्र क्षेत्र की उत्पादन क्षमताओं में सुधार लाने के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना।

(4) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना तथा उद्योग में प्रचलित फैशन रूझान के बारे में सूचना देना।

(5) नए एककों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए लाइसेंस नीति को उदार बनाना।

(6) मशीनों के आयात करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार ने ईपीसीजी योजना तथा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना बनाई है।

बाल श्रमिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहायता

913. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रमिक प्रथा की समाप्ति के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, भारत 1992 से अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई पी ई सी) में भाग लेता रहा है। दो द्विवर्षों 1992-93 और 1993-95 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के लिए 3,65,1,148 यू एस डालर का आबंटन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस राशि का उपयोग भारत सरकार के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, बाल श्रम के प्रति नियोजकों और कर्मचारियों को जागरूक बनाने, तथा प्रत्यक्ष सहायता परियोजनाओं, जिनसे अब तक लगभग, 70,000 बाल श्रमिकों को लाभ मिला है, के लिए भी किया जा रहा है।

इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "बाल श्रम कार्रवाई और सहायता कार्यक्रम" (क्लैस्प) नामक परियोजना के माध्यम से बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों में भी मदद मिली है जिसके लिए वर्ष 1992-95 हेतु 8,330,392 अमरीकी डालर निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

जमशेदपुर विमानपत्तन का विस्तार

914. **श्री शैलेन्द्र महतो :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जमशेदपुर में विमानपत्तन के विस्तार संबंधी प्रस्ताव अब तक लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) विस्तार कार्य पूरा होने के बाद कब तक उक्त विमानपत्तन चालू हो जाएगा तथा विस्तार कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विस्तार कार्य पर कितनी राशि व्यय होगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). जमशेदपुर हवाई अड्डा टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की कोई योजना नहीं है।

अमरीका को स्कर्टों का निर्यात

915. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये भारतीय वस्त्रों विशेषतः स्कर्टों का अमरीका द्वारा आयात किये जाने के संबंध में अमरीकी सरकार के साथ उभरे मतभेद सुलझा लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य देश द्वारा सिले-सिलाये भारतीय वस्त्रों के आयात पर कोई आपत्ति प्रकट की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ). वर्ष 1995 के दौरान अमरीकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग,

जोकि एक सांविधिक निकाय है, ने 100 प्रतिशत शीयर रेयन शिफान से निर्मित तुरंत ज्वलनशील स्कर्टों के आयात की जांच करने के लिए पिछले वर्ष शुरू किए गए उपायों के अनुसरण में विभिन्न प्रकार की रेयन मदों का परीक्षण किया था। आयोग ने यह पाया कि भारत से निर्यात की जा रही रेयन स्कर्ट, ब्लाउज तथा ड्रेसें अमरीकी ज्वलनशीलता मानकों को पूरा करती है। तथापि, उन्होंने 100 प्रतिशत शीयर रेयन स्कर्टों में कमी पाई।

कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने भी हाल ही में भारत से आयातित कुछ 100 प्रतिशत रेयन मदों के ज्वलनशीलता संबंधी परीक्षण किए थे। कुछ ब्लाउजों और स्कर्टों को कनाडा के ज्वलनशीलता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।

ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद को अनुदेश दिए गए कि वह किसी भी अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा जारी ऐसे ज्वलनशीलता परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा को निर्यात की जा रही 100 प्रतिशत रेयन शिफान अप्रैल मदों के शिपिंग बिलों पर पृष्ठांकन करे जिसमें इस आशय का उल्लेख हो कि ये मदें आयातक देश के ज्वलनशीलता मानकों के अनुरूप हैं।

प्राकृतिक रबर का आयात

916. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान आज तक प्राकृतिक रबर तथा अन्य प्रकार की रबर की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान रबर के और अधिक आयात की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयात हेतु रबर की स्वीकृत पूरी मात्रा का आयातकों द्वारा आयात नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). वर्ष 1994-95 और 1995-96 (अगस्त-1995 तक) के दौरान आयात की गई रबड़ की कुल मात्रा तथा उस पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

	1994-95 (अप्रैल-मार्च)		1995-96 (अगस्त, 1995 तक)	
	मात्रा (मी.टन में)	खर्च हुई विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)	मात्रा (मी.टन)	खर्च हुई विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)
प्राकृतिक रबड़	7,305	4.85	33.443	183.52
सिंथेटिक रबड़ और रिक्लेक्ड रबड़	76,617	343.75	29.318	165.81

स्रोत रबड़ बोर्ड

सरकार ने मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए रबड़ के विनिर्माताओं को 1995 के कम उत्पादन के मौसम में 38,450 मी. टन प्राकृतिक रबड़ के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। तथापि, 31 अगस्त, 1995 की निर्धारित समयसीमा के भीतर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा कुल 33,443 मी.टन का आयात किया गया। इस मात्रा में विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले आयात शमिल है। क्योंकि कम उत्पादन का मौसम समाप्त हो गया है, इसलिए इस समय रबड़ का आयात करने का कोई विचार नहीं है।

खाड़ी देशों को निर्यात

917. श्री रामपाल सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत और खाड़ी देशों के बीच कुल कितने मूल्य का व्यापार किया गया; और

(ख) 1995-96 और 1996-97 के दौरान खाड़ी देशों के साथ व्यापार में विदेशी मुद्रा में और कितनी वृद्धि होगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत और खाड़ी देशों के बीच (यानी ईरान, ईराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यू.ए.ई और ओमान) किए गए व्यापार का कुल मूल्य वर्ष 1992-93 में 17623.97 करोड़ रु. तथा वर्ष 1993-94 में 21499.43 करोड़ रु. और 1994-95 में 25453.85 करोड़ रु. था।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1995-96 के प्रथम छह माह में भारत और उपर्युक्त देशों के बीच व्यापार का मूल्य 14043.83 करोड़ रु. या 446.31 मिलियन अमरीकी डालर है। यह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 1994-95 की इसी अवधि की तुलना में रुपये में 21.48 प्रतिशत और डालर में 20.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आशा है कि आगामी महीनों में ऐसी ही या थोड़ी अधिक वृद्धि का रूख बना। तथापि, यह सुझाव देना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1995-96 या 1996-97 में व्यापार का विशिष्ट मूल्य क्या होगा।

इन्दौर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

918. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इन्दौर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन्दौर हवाई अड्डे का आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकास कर रहा है और निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किये जा रहे हैं :

- धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार।
- तकनीकी ब्लाक एवम् नियंत्रण टावर का निर्माण कार्य।
- टर्मिनल भवन का विस्तार।
- उपस्कर अवतरण प्रणाली, दूरी मापक उपकरण और एक्स-रे-बैगेज प्रणाली का संस्थापन।

[हिन्दी]

आयकर छापे

919. श्री राम बदन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने हाल ही में विशेष रूप से बैंक अधिकारियों के आवासों पर कितने छापे मारे हैं;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में आयकर की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर विभाग ने 1.4.1995 से 31.10.1995 तक की अवधि के दौरान 1918 तलाशी वारंट जारी किए और 155.24 करोड़ रु. की परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ दो बैंक अधिकारियों के आवासों की तलाशी भी शामिल है।

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है।

(ग) सरकार काले धन के पैदा होने और उसकी वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दर को उत्तरोत्तर युक्तिपूर्ण बनाया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक प्रावधान निहित हैं जिनका उद्देश्य कर अपवंचन को रोकना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44तक और 44कख के अंतर्गत उचित मामलों में लेखों को अनिवार्य रूप से रखने और उनकी लेख परीक्षा, धारा 44ङ (3), 269 घघ और 269 न के अंतर्गत लेनदेनों पर प्रतिबंध *अध्याय ग के अंतर्गत संपत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद और कर* चुककर्ताओं को दंडित करने के लिए अर्थदण्ड और अभियोजन चलाने से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। यह अधिनियम कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, तलाशियों और दूसरे प्रकार की जांच करने की शक्तियां भी प्रदान करता है। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

920. प्रो. के.वी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को फिर से चालू करने के लिए बी आई एफ आर द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों ने बोनस तथा बेहतर वेतनमान दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें दीर्घावधि के वेतन समझौते लम्बित हैं; और

(घ) उक्त उपक्रमों में दीर्घावधि के वेतन समझौतों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को दिसम्बर, 1991 में रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) ने क्षेत्राधिकार में लाया गया था, जिसमें रुग्ण पीएसयू के लिए यह अनिवार्य है कि वे एस आई सी ए की धारा 15(1) के तहत औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास संदर्भ भेजें। प्राप्त हुए संदर्भों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत निपटाया जाता है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पुनरूद्धार योजना तैयार करता है जिसमें, जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां प्रशासनिक मंत्रालय या राज्य सरकार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारियों आदि द्वारा राहतें/रियायतें/कमियां, अतिरिक्त निधियों का प्रावधान आदि शामिल किया जाता है तथा सभी संबंधितों की सहमति से एसआईसीए के तहत पुररूद्धार योजना मंजूर करता है। मंजूरशुदा योजना में आधुनिकीकरण, पुनर्वास और संबंधित पीएसयू की दीर्घावधिक अथक्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निम्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिनांक 30.9.95 की स्थिति के अनुसार, उसके पास पीएसयू के 135 मामले दर्ज किए गए थे। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

	केन्द्रीय	राज्य	जोड़
	1	2	3
1 दर्ज किए गए संदर्भ	57	78	135
2 रखे जाने योग्य न मानकर रद्द किए गए	2	23	25

	1	2	3
3. जांच की जा रही है	25	25	50
4. अनुमोदित/मंजूरशुदा पुनर्वास योजनाएं	12*	13*	25
5. संबंधित उच्च न्यायालयों को मामले बन्द करने की सिफारिश की गई	5	6	11
6. बन्द करने के नोटिस जारी किए गए	4	6	10
7. मसौदा योजनाएं परिचालित की गई	9	5	14

* इनमें वे 2 पीएसयू (एक केन्द्रीय और एक राज्य) भी शामिल हैं जिनके बारे में घोषणा की गई है कि वे अब रुग्ण नहीं हैं।

(ख) से (घ). सरकार ने 19 जुलाई, 1995 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतन संशोधन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम, जिन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास संदर्भित किया गया है, बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत (नॉन-यूनियानाइज्ड) पर्यवेक्षकों को संशोधित वेतनमान का नाम तबतक नहीं दिया जायेगा जबतक कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का अभिनिर्णय उपलब्ध नहीं हो जाता है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किये जाने का संबंध है, समय-समय पर यथा संशोधित बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंध इस पर लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि वेतन के मामले में कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ दीर्घावधि समझौता करने के लिये सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्ण स्वायत्तता दे रखा है। वेतन और अतिरिक्त राशि (पर्क्स) से संबंधित समझौता-वार्ता आयोजित करने की जिम्मेवारी ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन की है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है जहां ऐसे समझौते हुए हैं।

किराए पर निजी इमारतें

921. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितनी निजी इमारतें किराए पर ली गई हैं,

(ख) इसके किराए के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) इस सम्बन्ध में पट्टे के करार के अवधि के समाप्त होने, आरम्भ में स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार किराया न बढ़ाने और सरकारी भवनों के बन जाने पर उन परिसरों को खाली न करने के सम्बन्ध में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे पत्रों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा कितने भवन निर्मित किए गए हैं और किराए की इमारतों को खाली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) पट्टे के करार की अवधि के पूरा होने पर किराए की इमारतों को खाली करने और जिन मामलों में किराया बढ़ाने के लिए कहा गया है, उनमें किराया बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत बीमा एवम् बैंकिंग क्षेत्र को खोला जाना

922. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा था कि भारत बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सम्बन्ध में विश्व व्यापार संगठन से किए गए वायदों का पालन करेगा और धीरे-धीरे कोटा प्रणाली को समाप्त कर देगा;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र को भी उपयुक्त समय में खोल दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). पेरिस में भारतीय और फ्रॉसीसी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हुए प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन के अधीन भारत द्वारा दायित्वों को पूरा करने, उपभोक्ता वस्तुओं के आयात और बीमा सेक्टर में सुधार के सम्बन्ध में हमारी नीति की स्थिति को स्पष्ट किया। आयात नीति पर उन्होंने बताया कि उपभोक्ता वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने की प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता अवस्थापना सेक्टरों के लिए आयातों को उदार बनाना है। बीमा के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने बताया कि यह वह मामला है कि जिस पर कुछ क्रमिकता जरूरी है।

प्रधान मंत्री का यह बयान सरकार द्वारा संसद में अपनाए गए रूख के पूर्णतया अनुकूल है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बाकीदार संस्थाएं

923. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप में मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत धनराशि जमा नहीं करने वाली कितनी संस्थाएं हैं;

(ख) ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है;

(ग) ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपरोक्त धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि बकायों की राशि 347.32 करोड़ रुपये और कर्मचारी राज्य बीमा बकायों की राशि 240.76 करोड़ रुपये थी। चूंकि चूककर्ताओं की संख्या काफी बड़ी है इसलिए अलग-अलग ब्यौरे प्रस्तुत करना कुछ हद तक मुश्किल है।

(ग) और (घ). बकाया राशियों को वसूलने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

विवरण

वर्ष	देश में कुल चूककर्ता		मध्य प्रदेश क्षेत्र में कुल चूककर्ता	
	क.भ.नि. चूककर्ता	क.रा.बी. चूककर्त्ता संबंधी मामले	क.भ.नि. चूककर्ता	क.भ.नि. चूककर्त्ता संबंधी मामले
1992-93	10742	1858	662	134
1993-94	11659	2701	693	218
1994-95	11836	2969	667	204

[अनुवाद]

बीड़ी मजदूरों के लिए जनगणना आयुक्त

924. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीड़ी मजदूरों हेतु पूर्णकालिक आधार पर जनगणना आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार लाखों बीड़ी मजदूरों के कल्याण की योजनाओं पर किस प्रकार से निगरानी रखती है;

(घ) क्या श्रम मंत्रालय बीड़ी मजदूरों के रोजगार तथा बेरोजगारी के स्तर के संबंध में नियमित रूप से निगरानी रखता है; और

(ङ) यदि हां, तो बीड़ी मजदूरों में रोजगार के स्तर का पता लगाने हेतु क्या तरीका अपनाया जाता है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) महानिदेशक (श्रम कल्याण), नौ क्षेत्रीय कल्याण आयुक्तों के माध्यम से देश में बीड़ी कर्मकारों के लिए किए जा रहे कल्याण उपायों का प्रबोधन करते हैं।

(घ) और (ङ). श्रम ब्यूरो, शिमला इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक अध्ययन/सर्वेक्षण करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टिप्पणियां

925. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबंध निदेशक श्री माइकल केमडेसस ने विगत में भारत सरकार को ऋण के जाल में फंस जाने के विरूद्ध चेतावनी दी थी;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह चेतावनी किस संदर्भ में उभरकर सामने आई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1995 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरिम समिति की वार्षिक बैठक से पूर्व अपने एक साधारण पत्रकार सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक भारत के विकास की सम्भावनाओं पर अपना मत प्रकट कर रहे थे। जिस संदर्भ में प्रबंध निदेशक ने उक्ति कही, वह यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कार्य कर रही है और भारत उच्च वृद्धि दर को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि यह दर पूर्वी एशिया के देशों में पहुंच चुकी है, बशर्ते की वह भविष्य में भी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करना जारी रखे। ऐसा ने होने

पर मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति पर बहुत अधिक बोझ पड़ जाएगा जिससे ऋण के भंवरजाल में फंसने का जोखिम हो सकता है।

(ग) सरकार को और अधिक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता की जानकारी है और वित्त मंत्री ने संसद में 1995-96 का केन्द्रीय सरकार बजट प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम कार्य के रूप में इसका उल्लेख भी किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक ने स्वयं भी कहा है कि इस समय भारत की स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और ऋण के भंवर जाल की संभावना से बचने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।

बीड़ी क्षेत्र में रोजगार

926. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह पता लगाने हेतु एक अध्ययन कराने का है कि बीड़ी तथा तम्बाकू के क्षेत्र में कितने रोजगार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियोजन पहलू सहित तम्बाकू प्रयोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है।

ओवरसीज वेंचर केपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए मार्ग निर्देश

927. **श्री राम कापसे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वेंचर केपिटल कम्पनीज (वी.सी.सी.) और वेंचर केपिटल फंड (वी.सी.एफ.) का पंजीकरण करने और विनियमित करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को शक्तियां प्रदत्त करते हुए ओवरसीज वेंचर केपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने भारत में समुद्रपारीय वेन्चर पूंजी निवेशों के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धान्त 20 सितम्बर, 1995 को घोषित किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, सरकार से एक बार अनुमोदन ले लेने के बाद, अपतटीय निवेशक अनुमोदित देशीय वेन्चर पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.)/वेन्चर पूंजी कंपनियों (वी.सी.सी.) की पूंजी का 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं जिनपर कतिपय शर्तें लागू होंगी। इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) ऐसे सभी निवेशों पर कम से कम तीन वर्ष की लॉक-इन-अवधि लागू होगी।

(ii) वी.सी.एफ. और वी.सी.सी. केवल सूचीबद्ध न की गई कंपनियों में निवेश करेंगे और उनका निवेश उस कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 40 प्रतिशत हिस्से तक सीमित होगा। यह सीमा उन संगत इक्विटी निवेश सीमाओं के अधीन होगी जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में समय-समय पर लागू की जाती हैं।

(iii) वी.सी.एफ./वी.सी.सी. द्वारा किसी एक कंपनी में किया गया निवेश देशीय वी.सी.एफ./वी.सी.सी. की प्रदत्त संचित निधि के 5 प्रतिशत हिस्से से अधिक नहीं होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को विशिष्ट विनियमों के माध्यम से वी.सी.एफ. और वी.सी.सी. को दर्ज करने और विनियमित करने की शक्तियां दी गई हैं।

एन टी सी मिलों को लाभ/हानि

928. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत कन्नौर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, कन्नौर तथा इसकी सहयोगी माहे स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल माहे ने कितना लाभ कमाया अथवा उसे कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इन मिलों को कच्चा माल न मिल पाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन टी सी द्वारा इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कन्नानौर स्पिनिंग तथा वीविंग मिल्स, कन्नानौर तथा माहे स्पिनिंग तथा वीविंग मिल्स, माहे को हुए लाभ घाटे निम्नानुसार हैं :

मिलों के नाम	लाभ घाटे (करोड़ रु. में)		
	92-93	93-94	94-95
1. कन्नानौर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कन्नानौर	-0.73	-0.56	0.07
2. कन्नानौर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, माहे	-0.35	0.88	0.32

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

जब्त की गयी भारतीय सागवान की लकड़ी

929. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग (आई.डी.आर. आई. कलकत्ता) ने मणिपुर/नागालैंड के राज्य वन विभाग द्वारा जारी मान्य पारगमन पास जारी करने के बावजूद भारतीय सागवान की लकड़ी जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बर्मा टीक के नाम पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा लकड़ी जब्त करने के कार्य को टालने हेतु सीमावर्ती राज्य में सागवान के पेड़ वाले क्षेत्रों का स्वतंत्र सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार सागवान के व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के परामर्श से प्रणाली को कारगर बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विमानपत्तनों का सुधार करना

930. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के विमानपत्तनों का सुधार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विमानपत्तनों के क्या नाम हैं; और

(ग) प्रत्येक विमानपत्तन पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). हवाई अड्डों और अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे चरणबद्ध रूप से प्रायोजित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) 351.87 करोड़ रुपए की लागत से बंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(2) 193.35 करोड़ रुपए की लागत पर हवाई अड्डा निगरानी राडारों और मोनोपल्स गौण निगरानी राडारों की प्राप्ति।

(3) 24.35 करोड़ रुपए की लागत पर उपकरण अवतरण प्रणाली की प्राप्ति।

(4) 336.63 करोड़ रुपए की लागत पर आदर्श हवाई अड्डों का विकास।

(5) 105.49 करोड़ रुपए की लागत पर बंबई हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल परिसर (चरण-3) का निर्माण।

(6) 126 करोड़ रुपए की लागत पर बंबई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल परिसर (चरण-2) का निर्माण।

भारत-अमरीका व्यापार सहयोग

931. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अमरीकी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने देश का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ विचार किए गए मुद्दों का ब्यौरा है तथा किन-किन क्षेत्रों में अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा रूचि दिखाई गई है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारत-अमरीका वाणिज्यिक संधि, संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य सचिव, श्री रोनाल्ड एच. ब्राउन तथा व्यापार प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा के दौरान 6 जनवरी, 1995 को की गई थी। इस संधि के तत्वावधान में जनवरी, 1995 के बाद कोई अमरीकी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत नहीं आया है। भारत-अमरीका वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए संधि में कृषि व्यापार, सूचना तकनालाजी, बिजली और परिवहन आधारभूत सुविधाओं को थ्रस्ट सेक्टरों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। गैर सरकार क्षेत्र के व्यापार संपर्क को बढ़ाने से द्विपक्षीय व्यापार में और वृद्धि होने की संभावना है।

राजनयिक स्तर वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पोस्ट

932. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मिशनों/पोस्टों की संख्या कितनी जहां राजनयिक स्तर के पूर्णकालिक वाणिज्यिक प्रतिनिधि है;

(ख) उन अन्य मिशनों/पोस्टों का नाम क्या है जहां विदेश मंत्रालय के बजट के अंतर्गत जहां मिशन का अन्य राजनयिक अधिकारी मिशन के आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य देखता है तथा संबंधित अधिकरी किस राजनयिक स्तर का होता है;

(ग) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पोस्टों के सृजन हेतु विचारार्थ प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय के अधीन अन्य स्वायत्त निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों के विदेशों के कार्यालय हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस समय विदेशों में वाणिज्य मंत्रालय के बजट से वित्तपोषित 66 वाणिज्यिक मिशन है जिनमें पूर्णकालिक प्रतिनिधि कार्यरत हैं। आमतौर पर, इन मिशनों/पदों पर सहचारी (अटैची) और उससे ऊपर के स्तर के सभी पदों को राजनयिक दर्जा मिलता है। इन मिशनों/पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) मई, 1995 की स्थिति के अनुसार विदेश मंत्रालय के बजट के तहत 119 मिशन तथा 29 पद है जो विभिन्न देशों में कार्यरत है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो मिशन/पद पूर्ण शक्तियां-प्राप्त वाणिज्यिक प्रतिनिधि हैं उन्हें छोड़कर शेष सभी मिशनों/पदों के आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल विदेश मंत्रालय के राजनयिक आधिकारियों द्वारा की जाती है। मिशनों/पदों की सूची संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत की गई है;

(ग) वाणिज्य मंत्रालय वाणिज्यिक पदों को समाप्त करने, पदोन्नयन तथा सृजन सहित वाणिज्यिक मिशनों के पुनर्गठन/पुनर्नियोजन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ पत्राचार कर रहा है।

(घ) और (ङ). वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन जिन कार्यालयों के विदेशों में कार्यालय स्थित हैं उनकी सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

विदेशों में स्थित वाणिज्यिक मिशनों की सूची

क्र.सं.	मिशन का नाम	देश
1	2	3
1.	भारतीय उच्चायोग, अकरा	घाना
2.	भारतीय दूतावास, अदिस अबाबा	इथोपिया
3.	कन्सुलेट जनरल ऑफ इण्डिया, जोहानसबर्ग	दक्षिण अफ्रीका
4.	भारतीय दूतावास, अल्जीयर्स	अल्जीरिया
5.	भारतीय दूतावास, अम्मान	जोर्डन
6.	भारतीय दूतावास, एथेंस	यूनान
7.	भारतीय दूतावास, बगदाद	इराक
8.	भारतीय दूतावास, बहरीन	बहरीन
9.	भारतीय दूतावास, बैंकाक	थाइलैंड
10.	भारतीय दूतावास, बेलग्रेड	यूगोस्लाविया
11.	भारतीय दूतावास, बुखारेस्ट	रुमानिया
12.	भारतीय दूतावास, बुडापेस्ट	हंगरी
13.	भारतीय दूतावास, बोन्न	जर्मनी
14.	भारतीय दूतावास, ब्रशेल्स	बेल्जियम
15.	भारतीय दूतावास, बर्न	स्विटजरलैंड
16.	भारतीय दूतावास, काहिरा	मिस्र
17.	भारतीय उच्चायोग, कोलम्बो	श्रीलंका
18.	भारतीय दूतावास, कोपनहेगन	डेनमार्क
19.	भारत का दूतावास, जकार्ता	इन्डोनेशिया
20.	भारत का दूतावास, डकार	सेनेगल
21.	भारत का दूतावास, दमास्कस	सीरिया
22.	भारत का उच्चायोग, दार-ए-स्लान	तंजानिया
23.	भारत का उच्चायोग, ढाका	बंगलादेश
24.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, फ्रैन्कफर्ट	जर्मनी
25.	भारत का दूतावास, दि हेग	नीदरलैंड
26.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, हैम्बर्ग	जर्मनी
27.	भारत का आयोग, हांग कांग	हांग कांग
28.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, जद्दाह	सऊदी अरब
29.	भारत का उच्चायोग, कम्पाला	उगांडा
30.	भारत का दूतावास, खारतूम	सूडान
31.	भारत का दूतावास, काठमांडू	नेपाल
32.	भारत का उच्चायोग, लागोस	नाइजीरिया
33.	भारत का उच्चायोग, लंदन	ब्रिटेन
34.	भारत का दूतावास, रोम	इटली
35.	भारत का दूतावास, रबात	मोरक्को
36.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, सैन फ्रांसिस्को	सं.रा. अमरीका
37.	भारत का उच्चायोग, लुसाका	जाम्बिया
38.	भारत का दूतावास, मनीला	फिलीपीन्स
39.	भारत का दूतावास, मास्को	रूस
40.	भारत का उच्चायोग, नैरोबी	केन्या
41.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, न्यूयार्क	यू एस ए
42.	भारत का दूतावास, पेरिस	फ्रांस
43.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, टोरन्टो	कनाडा
44.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट लुइस	मारीसश
45.	भारत का दूतावास, प्राग	चेक गणराज्य
46.	भारत का दूतावास, यांगून	म्यांमार
47.	भारत का दूतावास, रियाध	सऊदी अरब
48.	भारत का दूतावास, सिओल	कोरिया (दक्षिण)
49.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, सिडनी	आस्ट्रेलिया
50.	भारत का दूतावास, स्टाकहोम	स्वीडेन
51.	भारत का दूतावास, ट्यूनिस	ट्यूनीशिया

1	2	3
52.	भारत का दूतावास, टोक्यो	जापान
53.	भारत का दूतावास, तहरान	ईरान
54.	भारत का दूतावास, त्रिपोली	लीबिया
55.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, वैंकूवर	कनाडा
56.	भारत का दूतावास, वाशिंगटन	सं.रा. अमरीका
57.	भारत का दूतावास, आबूधाबी	संयुक्त अरब अमीरात
58.	भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा	स्विटजरलैंड
59	भारत का दूतावास का कार्यालय, बर्लिन	जर्मनी
60	भारत का दूतावास, सोफिया	बुल्गारिया
61	भारत का दूतावास, कुवैत	कुवैत
62.	भारत का दूतावास, मसकट	ओमान
63.	भारत का उच्चायोग, सिंगापुर	सिंगापुर
64.	भारत का उच्चायोग, इस्लामाबाद	पाकिस्तान
65.	भारत का दूतावास, साना	यमन
66.	भारत का दूतावास, वार्सा	पोलैण्ड

विवरण-II

मिशनों और मदों की सूची

भारत का दूतावास

1.	आबिदघाल	आइवरी
2.	आबू ढाबी	संयुक्त अरब अमीरात
3.	अदिस अबाबा	इथोपिया
4.	अल्जीयर्स	अल्जीरिया
5.	अल्माटा	कजाकिस्तान
6.	अम्मान	जोर्डन
7.	अंकारा	टर्की
8.	अन्टानानैरिवो	मेडागास्कर
9.	अहारावाबाद	तुर्कमेनिस्तान
10.	एथेंस	यूनान
11.	बगदाद	इराक
12.	बहरीन	बहरीन
13.	बैंकाक	थाइलैंड
14.	बीजिंग	चीन
15.	बेरुत	लेबनान
16.	बेलग्रेड	यूगोस्लाविया
17.	बर्न	स्विटरजलैंड
18.	बिसीक	किर्गिजस्तान
19.	बगोटा	कोलाम्बिया
20.	बौन	जर्मनी
21.	ब्रासलिया	ब्राजील
22.	ब्रशेल्स	बेल्जियम
23.	बुडापेस्ट	रोमानिया
24.	बुडापेस्ट	हंगरी
25.	ब्यूनआयर्स	अर्जेन्टीना
26.	काहिरा	मिस्र
27.	काराकस	बेनेजुएला
28.	कोपेनहेयन	डेनमार्क
29.	डकार	सेवेगल
30.	डेयरकस	सीरिया
31.	दोहा	कतर
32.	डब्लिन	आयरलैण्ड
33.	डशेनले	ताजिकिस्तान
34.	हनोई	वियतनाम
35.	हवाना	क्यूबा
36.	हेलसिंकी	फिनलैंड
37.	जकार्ता	इण्डोनेशिया
38.	काबुल	अफगानिस्तान
39.	काठमांडू	नेपाल
40.	खार्तूम	सूडान
41.	कीव	उक्रेन
42.	कुवैत	कुवैत
43.	लीमा	पेरू
44.	लिस्बन	पुर्तगाल
45.	लुआण्डा	अंगोला
46.	मेड्रिड	स्पेन
47.	मनीला	फिलीपीन
48.	मापुतो	मोजाम्बीक
49.	मेक्सिको सिटी	मेक्सिको
50.	मिंस्क	बेलारूस
51.	मास्को	रूस
52.	मस्कट	ओमान
53.	ओस्लो	नार्वे
54.	पनामा	पनामा
55.	पैरामैरिबो	सूरीनाम
56.	पेरिस	फ्रांस
57.	नोमन्ह	कम्बोडिया
58.	प्राग	चेक गणराज्य
59.	प्योंगायांग	कोरिया (उत्तरी)

60.	रबात	मोरक्को
61.	रियाध	सऊदी अरब
62.	रोम	इटली
63.	साना	यमन
64.	सेंटियागो	चिली
65.	सियोल	कोरिया (दक्षिण)
66.	सोफिया	बुल्गारिया
67.	स्टाकहोम	स्वीडेन
68.	ताशकंद	उजबेकिस्तान
69.	तेहरान	ईरान
70.	तेल अबीब	इजरायल
71.	दि हेग	नीदरलैण्ड
72.	थिम्पू	भूटान
73.	टोक्यो	जापान
74.	त्रिपोली	लीबिया
75.	ट्यूनिस	ट्यूनीशिया
76.	उलास बतोर	मंगोलिया
77.	वियना	आस्ट्रिया
78.	वियन्तिएन	लाओस
79.	वार्सा	पोलैण्ड
80.	वाशिंगटन	संयुक्त राज्य अमरीका
81.	यांगून	म्यांमार

भारत के उच्चायोग

1.	अकरा	घाना
2.	बन्दशेरी बेगावन	ब्रूनी
3.	कैनबरा	आस्ट्रेलिया
4.	कोलम्बो	श्रीलंका
5.	दार-ए-सलान	तंजानिया
6.	ढाका	बंगलादेश
7.	गैबारोव	बोत्स्वाना
8.	जार्जटाउन	गुयाना
9.	हरारे	जिम्बाब्वे
10.	इस्लामाबाद	पाकिस्तान
11.	कम्पाला	उगाण्डा
12.	किंग्स्टन	जमैका
13.	कुआलाम्पुर	मलेशिया
14.	लाओस	नाइजीरिया
15.	लंदन	ब्रिटेन
16.	लुसाका	जाम्बिया
17.	माहे	सेशल्स
18.	माली	मालदीव
19.	माल्टा	माल्टा
20.	नैरोबी	केन्या
21.	निकोसिया	साइप्रस
22.	ओटावा	कनाडा
23.	पोर्ट लुइस	मारीशस
24.	पोर्ट आफस्पेन	त्रिनिदाद शेर टोबैगो
25.	प्रिटोरिया	दक्षिण अफ्रीका
26.	सिंगापुर	सिंगापुर
27.	वैलिंगटन	न्यूजीलैंड
28.	विंडेहौक	नामीबिया

भारत का महावाणिज्य दूतावास

1.	बर्मिंकम	ब्रिटेन
2.	चियांगमाई	थाईलैंड
3.	शिकागो	सं.रा. अमरीका
4.	दुबई	सं.अ. अमीरात
5.	डर्बन	दक्षिण अफ्रीका
6.	फ्रेंकफर्ट	जर्मनी
7.	जेनेवा	स्विटजरलैण्ड
8.	हैम्बर्ग	जर्मनी
9.	हीचीमिन्ह सिटी	वियतनाम
10.	इस्ताबूल	टर्की
11.	जद्दाह	सऊदी अरब
12.	जोंहास बर्ग	दक्षिण अफ्रीका
13.	मेहन	इण्डोनेशिया
14.	मिलान	इटली
15.	न्यूयार्क	सं.रा.अमरीका
16.	ओडेन्सा	उक्रेन
17.	ओसाकाकोव	जापान
18.	पोर्ट सईद	मिस्र
19.	टियूनिपन द्वीप	फ्रांस
20.	सान फ्रांसिस्को	सं.रा. अमरीका
21.	शंघाई	चीन
22.	शिराज	ईरान
23.	सेंट पीटसबर्ग	रूस
24.	सिडनी	आस्ट्रेलिया
25.	टोरन्टो	कनाडा
26.	वैंकूवर	कनाडा
27.	व्लाडी वोस्टक	रूस
28.	जहीदान	ईरान
29.	जंजीवार	तंजानिया

भारत के सहायक उच्चायोग		
1.	चिट्टगांव	बंगलादेश
2.	कैन्डी	श्रीलंका
3.	राजशाही	बंगलादेश
	भारत के आयोग	
1.	हांग कांग	हांग कांग
2.	मोम्बासा	केन्या

भारत के विशेष मिशन		
1.	बर्लिन (आफ आफ ई आई)	जर्मनी
2.	जेनेवा (पी एम आई)	स्विटजरलैंड
3.	न्यूयार्क (पी एम आई)	सं.रा.अमरीका
4.	पेरिस, यूनैस्को (पी डी आई)	फ्रांस
5.	फुश्लिांग (एल ओ)	भूटान

विवरण-III

वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों के विदेश स्थित कार्यालय

संगठन का नाम	स्थान	पता
1. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस टी सी)	1. न्यूयार्क	445, पार्क एवेन्यू न्यूयार्क
	2. मास्को	भारत के दूतावास के भीतर ही स्थित (भारत का दूतावास, 6-8 अलित्सा ओबुखा, मास्को)
	3. सिंगापुर	9, पैनाग रोड, 08-09, पार्क माल, सिंगापुर-923
	4. फ्रैंकफर्ट	इण्डि[illegible]उस, मिटलबाग-49, डी-6000, फ्रैंकफर्ट एम मेन 1.
	5. दुबई	1706 [illegible] टॉवर पी.ओ. बाक्स न. 2, जमाल अब्दुल नासिर स्क्वायर, दीरा [illegible]
2. इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ)	1. न्यूयार्क	445, [illegible] एवेन्यू, न्यूयार्क
	2. टोक्यो	तोमोको एनेक्स, 5वीं मंजिल, 3-8-26, टैरेन्डमोम, मिनाटोकू, टोकियो-125
	3. दुबई	पी ओ बाक्स न. 2415 (यूएई)
3. टी बोर्ड	1. न्यूयार्क	445, पार्क एवेन्यू, न्यूयार्क
	2. मास्को	भारत के दूतावास के भीतर ही स्थित (भारत का दूतावास, 6-8 अलित्सा ओबुखा, मास्को)
	3. दुबई	पी.ओ. बाक्स न. 2415, दुबई
4. मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कापोरेशन (एमएमटीसी)	1. न्यूयार्क	1, पेन्नप्लाजा, श्यूट न. 1524 न्यूयार्क
	2. मास्को	होटल युशानाया, कमरा न. 171-174, 87 डेरिंस्की, प्रौस्पेक्ट, मास्को-117313
	3. सिंगापुर	20, सेसियल स्ट्रीट न. 14-03/04, दि एक्सचेंज, सिंगापुर-0104
	4. टोकियो	मित्सुमी बिल्डिंग, 6ठी मंजिल, 1-8-10, निहोम्बाशी होरीडोम-दो, चाऊ-कु-टोकियो-103
	5. बर्लिन	डसेलडर्फर स्टेस-40, 10707 बर्लिन
	6. दुबई	प्रस्तावित व्यापार शाखा कार्यालय स्थान "जैबल अली फ्री जोन, दुबई
	7. जोर्डन	पी.ओ. बाक्स 925067 शमी प्लाजा बिल्डिंग स्मसानी, अम्मान
5. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)	1. न्यूयार्क	17, बैटेरी प्लेस, कमरा न. 227, दूसरी मंजिल, न्यूयार्क
	2. टोकियो	दालिची मारूटाका बिल्डिंग, 6ठी मंजिल, जिन्ने-चोग चाऊ कु, टोकियो-124
6. प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन (पांडसी)	1. मास्को	भारत के दूतावास के भीतर स्थित (भारत का दूतावास, 6-8, अलित्सा ओबुखा मास्को)

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज दर

933. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 14 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न समाज कल्याण एवं रोजगार योजनाओं के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरों की तुलना में यह ब्याज दर कितनी है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज को ऊंची दरों के संबंध में शिकायतें अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं?

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने नए लघु उद्यमियों तथा बेरोजगार युवकों पर ब्याज की इस ऊंची दर से पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों पर लगाया जाने वाला ब्याज, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार होता है। उद्यमी को मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान करना होता है और 95 प्रतिशत बैंक द्वारा विद्यमान ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिया जाता है। विभेदी ब्याज दर (डी आर आई) योजना और स्कावेंजरों की मुक्ति एवं पुनरूद्धार योजना को छोड़कर, जहां भारतीय रिजर्व बैंक 4 प्रतिशत ब्याज दर प्रभारित कर रहा है अन्य समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत यही ब्याज दर प्रभारित की जा रही है।

(ग) से (च). योजना के कार्यान्वयन के कुछ पहलुओं के बारे में सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं और केवल कुछ शिकायतें ही इस योजना के अंतर्गत ऊंची ब्याज दरें प्रभारित किए जाने से संबंधित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर सामान्यतया इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निरूत्साहित करने वाली नहीं है।

निर्यात हेतु रत्नागिरी तथा रेडी बंदरगाह

934. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरी और रेडी बंदरगाहों में निर्यात की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिकरण के संदर्भ में इन बंदरगाहों को निर्यात बंदरगाह के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या इन बंदरगाहों से मछली, फल, सीमेंट, पाइप तथा अन्य वस्तुऐं निर्यात करने सम्बंधी कोई मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सरकार को इन वस्तुओं के लिए इन बंदरगाहों का निर्यात की संभावना से विकास करने हेतु किसी विशेष मांग की जानकारी नहीं है।

(घ) छोटे बंदरगाह होने के कारण, इन बंदरगाहों का विकास करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

खान दुर्घटनाएं

935. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खान दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के लिये कितने अधिकारी दोषी पाये गये; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 1992, 1993 और 1994 के दौरान खान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 261, 249 और 300 है।

(ख) 1992, 1993 और 1994 के दौरान इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों की संख्या क्रमशः 391, 370 और 350 थी।

(ग) खान प्रबंधन और खान सुरक्षा महा निदेशालय (खा.सु.नि.) दोनों ही द्वारा उन अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की थी जिन्हें इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी पाया गया था। प्रबंधन द्वारा की गयी कार्रवाई में चेतावनी, वेतन वृद्धियों पर रोक लगाना, स्थानान्तरण, जुर्माना, निलम्बन, नौकरी से निकाला जाना आदि शामिल है। खा.सु.म.नि. द्वारा की गयी कार्रवाई में चेतावनी, सांविधिक प्रमाणपत्र का निलम्बन/रद्द किया जाना, अभियोजन आदि शामिल है।

लघु उद्योग को आयात शुल्क से छूट

936. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु उद्योगों की कुछ मदों को आयात शुल्क से छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : *(क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।*

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी नौकरियों में कटौती

937. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने के संबंध में व्यवहारिक तरीकों को ढूंढ निकालने के लिए दसमें वित्त आयोग की सिफारिश प्राप्त हुई है तथा उस पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ही सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले और बाद में सचिवों और अपर सचिवों के कितने-कितने पद थे; और

(ग) रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में लाइसेंसों का नवीकरण

938. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1995 के "जनसत्ता" में "जगतजीत इण्डस्ट्रीज के लाइसेंस का चुपचाप नवीकरण-मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री पर करोड़ों की घूस लेने का आरोप-इधर लाइसेंस मिला, उधर शराब पकड़ी गई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 20.10.1995 को "जनसत्ता" में इस प्रकार का कोई समाचार शीर्ष प्रकाशित नहीं हुआ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

हेरोइन की तस्करी

939. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों को हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में विमानपत्तनों पर कुछ यूरोपीय पकड़े गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में स्वापक दवाओं की तस्करी के तरीकों में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए स्वापक दवाओं की तस्करी पर लगातार नियंत्रण रखने हेतु यूरोपीय तस्करों को पकड़ने के लिए प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वर्ष 1995 के दौरान यूरोपीय देशों को हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में विमानपत्तनों पर 7 यूरोपीय पकड़े गए।

(ख) भारत, स्वापक औषधों की समस्या के सभी पहलुओं का पता लगाने के क्रम में कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में शामिल हुआ है। स्वापक औषधों के अवैध व्यापार का सामना करने में लगी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अच्छा सहयोग बनाया गया है। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

940. श्री हाराधन राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री द्वारा बार-बार दिये गये आश्वासनों के अनुरूप रुग्ण/घाटे में चलने वाले तथा औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिए गए एककों सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से तथा समय पर किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उन एककों के नाम क्या हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और उनमें एककवार ऐसे कितने मजदूर हैं जिन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मजदूरों को जिन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है सभी बकायों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) यह मंत्रालय रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को आयोजना-भिन्न सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत रहा है जो बंद नहीं हो रही हैं बल्कि जिन्हें पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है, ताकि उनके कर्मचारियों को कठिनाई से बचाने के लिए उन्हें वेतन और मजदूरी का भुगतान

करने हेतु उनके संसाधनों में आई कमी को पूरा किया जा सके। इस पहलू से संबंधित प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं।

(ख) और (ग). अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का समय पर संवितरण मुख्यतया उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का दायित्व होता है, जिनका सरकार से बाहर अपना स्वयं का निगमित स्तर होता है। जब भी उनके द्वारा आबद्धकर देयों के भुगतान के लिए उनके संसाधनों में कमी आती है तो वे प्रथमतः अपने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संपर्क करते हैं। तत्क्रमेण संबंधित/मंत्रालय/विभाग अनुरोधों के गुणदोष तथा संबंधित अनुदान में इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत प्रावधान की उपलब्धता पर विचार करते हैं और तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। यदि अनुदान में निधियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो आवश्यक बजटीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किये जाते हैं। कंपनियों द्वारा अपने प्रस्ताव भेजने में तथा सरकार द्वारा अन्तिम रूप से बजटीय सहायता उपलब्ध कराने में समय लग सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रक्रियात्मक ब्यौरों से बाहर नहीं जाया जा सकता है। तथापि इन मामलों पर सरकार यथाशीघ्र कार्रवाई करती है।

बाढ़ के कारण क्षति

941. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में हाल ही में आई बाढ़ से फसलों को हुई भारी क्षति व सम्पत्तियों के नुकसान आदि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाढ़ पीड़ितों के बैंक ऋण को माफ कर देने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) सरकार को पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हाल की बाढ़ के कारण फसलों की हुए भारी नुकसान, सम्पत्ति की क्षति आदि की जानकारी है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 2 अगस्त, 1984 के अपने अनुदेशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए थे। ये मार्गनिर्देश इसलिए जारी किए गए हैं, ताकि बैंक विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित किसानों, लघु उद्योग एककों कारीगरों, लघु व्यवसाय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समान एवं ठोस कार्रवाई तुरंत कर सकें। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

(i) अल्पावधिक उत्पादन ऋणों का मध्यावधिक ऋणों में रूपान्तरण;

(ii) वर्तमान सावधि ऋण की किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगन;

(iii) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त ऋणों/कार्यशील पूंजी का प्रावधान;

(iv) प्रतिभूति एवं मार्जिन के मानदंडों में ढील।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों में बाढ़ के कारण ऋणों को माफ करने या बट्टे खाते डालने का प्रावधान नहीं है।

इलैक्ट्रानिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात

942. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीने सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत से इलैक्ट्रानिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में रिकार्ड वृद्धि हुई है;

(ख) उन देशों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है जहां उक्त वस्तुएं निर्यात की गई है तथा उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों सहित विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर के भारत के निर्यात में हुई वृद्धि और अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	निर्यात (यू.एस. मिलियन डालर)
1992-93	895.79
1993-94	800.32
1994-95	1228.39
अप्रैल-सितम्बर" 95 वी.एस.एन.एस. सेवाओं सहित	750.16

स्रोत : इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

जिन देशों/क्षेत्रों को इन मदों का निर्यात किया जाता है, उनमें शामिल है: उत्तरी अमरीका, लैटिन अमरीका, ई.सी. देश, ई.सी. भिन्न देश, रूस, सी आई एस देश, अफ्रीकी देश, पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया आदि।

(ग) इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं अनन्य भारतीय प्रदर्शनी/अन्तर्राष्ट्रीय

प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण कराना आदि। इनके अलावा निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है – इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क (ई.एच.टी.पी) स्कीम और सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क (एस.टी.पी.) स्कीम, मशीनों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और अन्य निविष्टियों, आदि पर टैरिफ में कमी करना।

मुद्रास्फीति की दरें

943. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुद्रास्फीति की दरों में उतार-चढ़ाव आया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले नौ महीनों के दौरान, प्रतिमाह थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति की दर क्या रही;

(घ) अक्तूबर, 1992 से जून 1993 की मुद्रास्फीति दर से इनकी क्या तुलना है; और

(ङ) मुद्रास्फीति की दर को स्थिर बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). कीमतों की वृद्धि में आई क्रमिक गिरावट ने मुद्रास्फीति की दर को 1994-95 के वित्तीय वर्ष के अंत में 10.4 प्रतिशत से कम करके नवम्बर, 1995 के दूसरे सप्ताह में 8.2 प्रतिशत कर दिया।

(ग) और (घ). पिछले नौ महीनों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर की स्थिति, अक्तूबर, 1992 से जून, 1993 तक के तुलनात्मक आंकड़ों सहित नीचे दर्शायी गई है:

महीना	वार्षिक मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत)		महीना	वार्षिक मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत)	
	थोक मूल्य सूचकांक (1981-82)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982)		थोक मूल्य सूचकांक (1981-82)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982)
फरवरी, 95	11.7	9.8	अक्तूबर, 92	10.6	9.4
मार्च, 95	12.2	9.7	नवम्बर, 92	9.1	8.4
अप्रैल, 95	10.0	9.7	दिसम्बर, 92	8.5	8.0
मई, 95	9.9	10.3	जनवरी, 93	7.6	5.7
जून, 95	9.1	10.5	फरवरी, 93	7.6	5.7
जुलाई, 95	8.4	11.4	मार्च, 93	7.1	6.1
अगस्त, 95	8.8	10.9	अप्रैल, 93	6.9	6.1
सितम्बर, 95	8.6	10.1	मई, 93	6.9	5.1
अक्तूबर, 95	8.3	जारी नहीं	जून, 93	7.0	5.9
नवम्बर, 95	8.2	जारी नहीं			

(ङ) मूल्यों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं :

1. बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार की बिक्री को जारी रखना। अक्तूबर, 1995 तक 10.30 लाख टन चावल और 17.39 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई।
2. 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर ओ.जी.एल. के तहत खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) के आयात की अनुमति देना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर 1.5 लाख टन पामोलिन का आयात करना।
4. चीनी के लिए ओ.जी.एल आयात नीति को जारी रखना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भंडारों को बढ़ाने के लिए 2 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति देना।
5. अगस्त, 1995 से प्रभावी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का परिवर्धित आवंटन।
6. 5 प्रतिशत तक शुल्क कम करके ओ.जी.एल. के अन्तर्गत दालों का आयात करना।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक उत्पादों की घरेलू कीमतें प्रतियोगी बनी रहें, चालू वर्ष के लिए बजट में व्यापार और टैरिफ नीतियों में समायोजन करना।
8. अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्कों में महत्वपूर्ण कमी आने से औद्योगिक पुनरूत्थान की गति में तेजी आने और औद्योगिक वृद्धि में बढ़ोतरी की संभावना है।
9. चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय प्रस्तावों में राजकोषीय घाटे को कम करके पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत तक करना।
10. तदर्थ सरकारी हुंडियों के निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा पुनरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और आवश्यक होने पर आपूर्ति को आयात के जरिए बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार को आयात का प्रबन्ध करने में सक्षम बनाएगा।

[हिन्दी]

काले धन के आंकलन करने संबंधी अध्ययन

944. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में काले धन का आंकलन करने संबंधी अध्ययन नए सिरे से शुरू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में काले धन पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). इस समय देश में काले धन के निर्धारण का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। फिर भी, सरकार का यह विचार है कि विद्यमान कानूनों को कठोरता से लागू करने के साथ-साथ एक उचित कर व्यवस्था से बेहतर कर की वसूली होनी चाहिए और इसीके साथ काले धन में कमी आनी चाहिए/काला धन समाप्त होना चाहिए।

रुपये की क्रय क्षमता

945. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से देश में रुपये की क्रय क्षमता निरन्तर कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जुलाई, 1995 में रुपये की क्रय क्षमता घटकर 31.95 पैसे रह गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रुपये की क्रय शक्ति को स्थिर बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्योन्य रूप में मापित रुपए की क्रय शक्ति में विभिन्नता नीचे दर्शायी गयी हैं :

	रुपए की क्रय शक्ति
1992-93	41.67 पैसे
1993-94	38.76 पैसे
1994-95	35.21 पैसे

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ रुपए की क्रय शक्ति मे गिरावट आती जाती है। कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार है :

1. बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार की बिक्री को जारी रखना। अक्तूबर, 1995 तक 10.30 लाख टन चावल और 17.39 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई।
2. 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर ओ.जी.एल. के तहत खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) के आयात की अनुमति देना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर 1.5 लाख टन पामोलिन का आयात करना।

4. चीनी के लिए ओ.जी.एल. आयात नीति को जारी रखना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भंडारों को बढ़ाने के लिए 2 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति देना।

5. अगस्त, 1995 से प्रभावी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का परिवर्धित आवंटन।

6. 5 प्रतिशत तक शुल्क कम करके ओ.जी.एल के अन्तर्गत दालों का आयात करना।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक उत्पादों की घरेलू कीमतें प्रतियोगी बनी रहें, चालू वर्ष के लिए बजट में व्यापार और टैरिफ नीतियों में समायोजन करना।

8. अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्कों में महत्वपूर्ण कमी आने से औद्योगिक पुनरूत्थान की गति में तेजी आने और औद्योगिक वृद्धि में बढ़ोतरी की संभावना है।

9. चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय प्रस्तावों में राजकोषीय घाटे को कम करके पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत तक करना।

10. तदर्थ सरकारी हुंडियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और आवश्यक होने पर आपूर्ति को आयात के जरिए बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार को आयात का प्रबन्ध करने में सक्षम बनाएगा।

[अनुवाद]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन

946. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री 24.3.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1631 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 28 और 30 (2) के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से विचार/टिप्पणी अब तक प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 30 की उपधारा (2) को संशोधित करने/हटाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त हो गई है। 25 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियों/विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से विचार/टिप्पणियों प्राप्त होते ही सरकार द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

बाल श्रमिक

947. श्री विजय कुमार यादव :
श्री एन. डेनिस :
श्री बृशिण पटेल :
श्री पवन दीवान :
श्री चुन्नी लाल :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री नवल किशोर राय :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार देश में 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) 1981 की जनगणना के साथ किस प्रकार इसकी तुलना की जाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों की समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास की और बाल श्रम के उन्मूलन की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). 1981 की जनगणना के अनुसार, देश में बाल श्रमिकों की जनसंख्या 13.65 मिलियन थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 43वें दौर, 1987 में इस 17.02 मिलियन बताया गया है। 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी जारी किए जाने हैं।

(ग) बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा की गयी महत्वपूर्ण कार्रवाइयां निम्नानुसार हैं :

(i) देश में बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों के कलक्टरों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन।

(ii) देश के 133 जिलों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 6.65 करोड़ रुपये की सहायता।

(iii) जोखिमकारी व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु 123 जिलों को सहायता।

(iv) बाल श्रम के उन्मूलन पर विचार-विमर्श के लिए 2 सितम्बर, 1994 को 17 राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ बैठक।

(v) 26 सितम्बर, 1994 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन।

(vi) सभी राज्यों को प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित "बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" संबंधी एक विस्तृत परिपत्र भेजा गया था।

(vii) बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रूपात्मकताओं के बारे में पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ परामर्श।

(viii) केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन।

(घ) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए तीन कार्य योजनाओं : (i) एक विधायी कार्य योजना (ii) जहां कहीं संभव हो, बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देने, और (iii) मजदूरी/अर्ध मजदूरी नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य योजना की परिकल्पना की गयी है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप कार्य से हटाए गए बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार, वजीफा आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया करवाने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत कामकाजी बालकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं प्रारम्भ करने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

इस समय, 11 राज्यों में 75 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें लगभग 1,36,000 बालकों को शामिल किया गया है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 34.40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है और राष्ट्री बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाली जिला सहकारी समितियों को सीधे निधियां प्रदान की जाती हैं।

कपड़ा मजदूरों को बोनस

948. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री बलराज पासी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कपड़ा मजदूरों [illegible] भुगतान करने का है जैसा कि दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के वस्त्र कामगारों को बोनस का भुगतान करने के लिए 35.28 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा निवेश और लाभ

949. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अपने प्रतिष्ठानों में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और ये प्रतिष्ठान इस समय कहां-कहां हैं;

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के कुल कितना लाभ हुआ है;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने उपर्युक्त राज्यों में अपनी इकाईयों के विकास हेतु नई परियोजनाएं तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कमाया गया निवल लाभ निम्नानुसार है :

वर्ष	निवल लाभ	
	कर से पहले	कर के बाद (रु. करोड़ों में)
1992-93	10.05	10.05
1993-94	24.02	12.21
1994-95	43.17	28.36

(ग) से (ङ). वर्ष 1995-96 के वार्षिक योजना प्रस्तावों में उपर्युक्त राज्यों में कोई नई विशिष्ट परियोजनाएं शामिल नहीं है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में नई परियोजनाओं/एककों का विकास बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है, ये है: केन्द्र की पर्यटन क्षमता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, राज्य सरकारों का सह[illegible], उचित कीमत पर उपयुक्त जगह की उपलब्धता, आर्थि[illegible] व्यवहार्यता, पारस्परिक प्राथमिकता, संसाधनों की उपलब्धता आदि।

विवरण

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किये गये एकक-वार योजना व्यय

				वर्ष		
क्र.सं.	राज्य		एकक/परियोजनाओं के नाम	92-93	93-94	94-95
1.	तमिलनाडु	1.	होटल मदुरै अशोक	6.86	5.82	4.10
		2.	शुल्क मुक्त दुकान, मद्रास	0.50	0.13	-
		3.	टेम्पल वे अशोक बीच रिजार्ट, माम्मलापुरम	-	3.56	34.15
		4.	परिवहन एकक, मद्रास	-	-	7.79
			जोड़	7.36	9.51	46.04
2.	महाराष्ट्र	1.	होटल औरंगाबाद, अशोक	2.10	11.45	24.98
		2.	शुल्क मुक्त दुकान, बम्बई	30.48	100.91	27.31
		3.	परिवहन एकक, बम्बई	-	-	12.05
		4.	परिवहन एकक, औरंगाबाद	-	-	1.69
			जोड़	32.58	112.36	66.03
3.	उड़ीसा	1.	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	11.98	5.10	0.58
4.	आन्ध्र प्रदेश	.	शून्य	-	-	-

कम दूरी की विमान सेवाओं का संचालन

950. श्री एन. डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम दूरी की विमान सेवाओं का संचालन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सरकार गैर-सरकारी विमान कम्पनी प्रचालकों की क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवाएं उपलब्ध करने की अनुमति दे रही है। फिलहाल, एक गैर-सरकारी अनुसूचित विमान कम्पनी प्रचालक तमिलनाडु में मद्रास और मदुरै के बीच विमान सेवा प्रचालित कर रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स की सम्बद्ध सेवायें

951. श्री श्रीकान्त जेना : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार संबद्ध सेवाओं के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक विमान कम्पनी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह नई कम्पनी कब से कार्य प्रारम्भ कर देगी; और

(घ) यह सहायक विमान कम्पनी वायुदूत से किस प्रकार भिन्न होगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1983 में एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड के नाम से पूर्व स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अपनी एक सहायक कम्पनी के रूप में शुरू की थी। इस कम्पनी की स्थापना 5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए की क्रमशः अधिकृत और चुकता पूंजी से की गई थी। वर्तमान में, यह एक शैल कम्पनी है।

(घ) वायुदूत स्वतंत्र रूप से प्रचालन कर रहा था जबकि एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड का प्रचालन में इंडियन एयरलाइन्स के साथ समन्वय होगा तथा कार्मिक, उपस्कर तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए यह लगभग पूर्णरूपेण इंडियन एयरलाइन्स पर निर्भर रहेगी।

अमरीका के साथ व्यापार में निर्यात संबंधी कम दर का बीजक और आयात संबंधी अधिक दर का बीजक

952. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री विजय एन. पाटील :
श्री लोकनाथ चौधरी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इण्डिया लॉसेस 54,793 मिलियन एक्सपोर्ट्स टू यू.एस. अंडर-प्राइस्ड, इम्पोर्ट ओवर-प्राइस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार निर्यात संबंधी कम दर के बीजक और आयात संबंधी दर के बीजक के आधार पर 1993 के दौरान अमरीका को भारत से 54.4 मिलियन की संभवतः आय हुई है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका और भारत के बीच व्यापार संबंधी अनियमितता के क्या कारण हैं; और

(ग) इन अनियमितताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आयात संबंधी अधिक मूल्य के बीजक और निर्यात संबंधी कम मूल्य के बीजक से पूंजी जा सकती है, लेकिन अन्य अनेक कारकों के आपसी क्रियाशीलता की वजह से कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है। संदर्भाधीन अध्ययन के परिणामों के विपरीत आयात संबंधी कम मूल्य के बीजक (सीमा शुल्क से बचने के लिए) और निर्यात संबंधी अधिक मूल्य के बीजक (निर्यात लाभ का दावा करने के लिए) के बारे में शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा, संदर्भाधीन किसी ऐसे अध्ययन के परिणाम पूंजी के प्रवाह का अनुमान तैयार करने मे प्रयुकत प्रणाली विज्ञान और कल्पनाओं पर काफी हद तक निर्भर करते हैं।

इंडियन एयरलाइन्स के पायलट

953. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों की स्वीकृत ग्रेड-वार संख्या कितनी है;

(ख) 1 अक्तूबर,1995 की स्थिति के अनुसार एयलाइन्स की निर्धारित सभी उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की ग्रेड-वार अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी है;

(ग) 1 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार निर्धारित उड़ानों के लिए ग्रेड-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) निर्धारित उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की पर्याप्त संख्या के न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एयरलाइन्स के प्रबंधकों और पायलटों के परिसंघ के बीच लम्बे समय से चल रहा विवाद पायलटों के पूरा न होने का एक कारण है; और

(च) विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं, इस संबंध में सरकार और परिसंघ द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या आपसी संतुष्टि के आधार पर मुद्दों का निपटारा किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1991 में आरंभ हुए पायलटों के पलायन के पश्चात पायलटों की मानक संख्या का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं रहा है।

(ख) विवरण निम्नवत है :

	कमान्डर	को-पायलट
ए-300	39	39
ए-320	117	117
बी-737	55	55
योग	211	211

(ग) विवरण निम्नवत है :

	कमान्डर	को-पायलट
ए-300	32	47
ए-320	84	179
बी-737	35	48
योग	151	274

(घ) वर्ष 1991 के बाद 164 पायलट जिनमें 103 कमाण्डर हैं, इंडियन एयरलाइन्स से त्यागपत्र देकर निजी हवाई टैक्सी प्रचालकों और अन्य विदेशी विमान कम्पनियों की सेवाओं में चले गए हैं। इससे उड़ानों के इष्टतम प्रचालन के लिए उचित संख्या में कमाण्डरों की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) पायलटों की मुख्य मांगें बेहतर वेतन और भत्तों, सेवा शर्तों तथा केबिन क्रू के सापेक्ष उनके वेतनमान हमेशा अधिक रखने के संबंध में हैं। प्रबन्धकवर्ग और विमानचालक संघ ने 15 अगस्त, 1995 के बाद कोई औपचारिक बातचीत आयोजित नहीं की है क्योंकि संघ ने अपने सभी दिशानिर्देश वापस नहीं लिए हैं जबकि यह समझौता होने से पहले की शर्त थी। तथापि, सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए पायलटों के साथ अनौपचारिक वार्त्ताएं चल रही हैं।

असम में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

954. श्री प्रवीण डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान असम में सभी बैंकों द्वारा एकत्र की गई जमा राशि दिये गये ऋणों से कहीं अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य में व्यापक क्षमता और उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता के बावजूद वाणिज्यिक बैंक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). मार्च, 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, असम में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां, ऋण और ऋण जमा अनुपात क्रमशः 392896 लाख रु. 149487 लाख रु. और 38.0 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि असम में कम ऋण-जमा अनुपात के मुख्य कारण ये हैं : [illegible] राज्य का अपेक्षाकृत कम औद्योगिकरण, वर्ष के अन्त के दौरान सरकारी खातों में निधियों की प्राप्ति के कारण जमाराशि के स्तर में अस्थायी वृद्धि, कानून और व्यवस्था की स्थिति इत्यादि। बैंकरों के सरकार से अपेक्षित मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का अनुरोध किया है जो राज्य में ऋण खपत क्षमता को बढ़ाने के लिये औद्योगिकरण और कृषि विकास दोनों को सुकर बनायेगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में बैंक के अभिनियोजन से संबंधित मामलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

विदेशी पर्यटक

955. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यटन संगठन की यह राय है कि भारतीय पर्यटन के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को विश्व पर्यटन संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों के बारे में कोई आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है।

आठवीं पचंवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विकासशील आधारभूत सुविधाओं के लिए 3583.91 लाख रुपए दिए गए थे। इसके अतिरिक्त पर्यटन आधारभूत संरचना में विदेशी/घरेलू निवेश को और अधिक आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अभियान चलाया है। भारत सरकार ने इस तरह के निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न छूटों/प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में 10.0 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। वर्ष 1995-96 में 20 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आगमन की योजना है। वर्ष 1996-97 में समाप्त होने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में औसतन 9 से 10 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्रति-व्यक्ति बैंक ऋण

956. श्री पवन दीवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत बैंक ऋण कितना था; और

(ग) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बैंक ऋण की सीमा में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं और सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). मार्च, 1992, 1993 तथा 1994 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति बैंक-ऋण तथा अखिल भारतीय औसत निम्नलिखित हैं :

(राशि रुपए में)

वर्ष	मध्य प्रदेश	सम्पूर्ण भारत
मार्च 1992	795	1639
मार्च 1993	848	1876
मार्च 1994	868	2000

उपर्युक्त आंकड़ों से वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में स्थानीय रूप से संग्रहित जमा राशियों का वास्तविक स्तर ऋण खपत क्षमता पर निर्भर करता है और

यह आधारभूत सुविधाओं जैसे कि सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क परिवहन बुनियादी एवं तकनीकी शिक्षा, उद्यम-वृत्ति एवं अपेक्षित निवेश की उपलब्धता तथा कृषि के लिए विपणन केन्द्र, औद्योगिक उत्पादन आदि के विकास जैसे कारकों द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित होती है। बैंक ऋण के अभिनियोजत से संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों के जरिए नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। बैंकों को कहा गया है कि वे अखिल भारतीय आधार पर अपने ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें।

[अनुवाद]

विदेशों में सीधे निवेश के लिए विशेष समिति

957. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में सीधे भारतीय निवेश संबंधी सभी आवेदनों पर विचार करने हेतु एक विशेष समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा कब से कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों मे 4 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक भारतीय प्रत्यक्ष निवेश वाले अथवा त्वरित स्वीकृति के लिए अनर्हक आवेदनों के प्रक्रियान्वयन के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की है। समिति की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव, भारत सरकार करेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के डिपटीगवर्नर इसके वैकल्पिक अध्यक्ष होंगे। समिति में वाणिज्य, वित्त, विदेश मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में होंगे। अगर आवश्यक हो तो समिति उन क्षेत्रों, जिनसे प्रस्ताव संबंधित है से अन्य सदस्य सहयोजित कर सकती है। समिति वर्तमान मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करेंगी और तदनुसार सिफारिशें करेगी। समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, इन मार्गनिर्देशों के अधीन सभी समुद्रपारीय निवेशों के लिए मानदंडों की समीक्षा और प्रगति का अनुवीक्षण भी करेगी तथा विचार-विमर्श और अनुमोदनों के लिए स्वयं अपनी कार्यविधियां तैयार करेगी।

समिति दिनांक 17 अगस्त, 1995 की वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम/पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए नए मार्गनिर्देशों के अनुसार गठित की गई है।

(ग) समिति ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

सीमा शुल्क अधिकारियों की गिरफ्तारी

958. **श्री राम नाईक :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री मोहन रावले :
श्री पी.सी. थामस :
श्री राम पाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो ने 17 अक्तूबर, 1995 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क अधिकारियों से जब्त की गई बिना हिसाब-किताब वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भ्रष्टाचार के आरोपी सीमा-शुल्क अधिकारियों के विरूद्ध सरकार ने क्या दण्डात्मक कार्यवाही की हैं;

(घ) क्या सीमा-शुल्क अधिकारी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापों को देखते हुए हड़ताल पर चले गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हड़ताल के कारण निर्यात और आयात को कुल कितनी क्षति हुई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/ किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा शुल्क अधिकारियों से 1,16,788 रु. 33 अमरीकी डालर तथा 100 सऊदी रियाल बरामद किए गए थे।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए 14 अधिकारियों (4 अधीक्षकों, 9 निरीक्षकों तथा 1) को उनके गिरफ्तार किए जाने की तारीख अर्थात् 17.10.95 को निलम्बित कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही आगे की और कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारे जाने के बाद नए सीमा शुल्क गृह दिल्ली के समूह "ख" तथा समूह "ग" के अधिकारियों ने 17 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 1995 तक काम रोक दिया था। तथापि, समूह "ख" तथा "ग" सहित अनेक सीमा शुल्क अधिकारियों ने नयी दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्य जारी रखा।

(ङ) निकासियों में कुछ विलम्ब हुआ था परन्तु न तो राजस्व को अथवा न ही आयातकों अथवा निर्यातकों को कोई हानि होने की सूचना है क्योंकि सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी के कुछेक परिवीक्षार्थियों सहित दिल्ली में तैनात सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समूह "क" के अधिकारियों को सेवा में लगा दिया गया था।

(घ) आयुक्त अपर आयुक्त और उपायुक्त जैसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों द्वारा निकासी संबंधी कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमा-शुल्क गृह के सतर्कता विंग के अधिकारी विभिन्न कार्य स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं जो कि दस्तावेजों, परेषणों आदि की जांच कर रहे हैं।

बाल श्रमिक

959. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिक प्रथा की समाप्ति के लिए कोई व्यावहारिक और एकीकृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ग) इस योजना को किस तरीके से कड़ाई से लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत शुरू किए गए एक प्रमुख कार्यकलाप का संबंध रोजगार से हटाए गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार आदि जैसी मूलभूत जरूरतें मुहैया कराने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना से है। स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत कामकाजी बच्चों के लिए कल्याण परियोजनाएं चलाने हेतु, 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में रखा जाता है जहां उन्हें तीन वर्षों की अवधि तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख पोषाहार और वृत्तिका प्रदान की जाती है।

इस समय देश में 11 राज्यों के 75 जिलों में बाल श्रम उन्मूलन परियोजनाएं चलायी जा रही है जिनमें लगभग 1.36 लाख बच्चे शामिल हैं।

यह योजना बाल श्रम परियोजना समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट होते हैं जो राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं। कई मामलों में, यह योजना गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से क्रियान्वित की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं सुचारू रूप से और इनके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार ही चलायी जाती है, भारत सरकार द्वारा समुचित जांच करने के पश्चात् राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए निधियां किस्तों में रिलीज की जाती हैं।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन का प्रबोधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

960. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्रीमती महेन्द कुमारी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री तारा सिंह :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1995 के दौरान बैंक कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल की;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बैंक कर्मचारियों के चार प्रमुख संघों ने भी 19 दिसम्बर, 1995 से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में बैंकिंग सेवा के ठप्प पड़ने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). बैंकिंग उद्योग के अधिकांश कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर, 1995 को कार्य रोक दिया था। वे अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय बैंक संघ और अधिकारी संघों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानो की पुनर्संरचना की मांग कर रहे थे।

(ग) और (घ). इस आशय की रिपोर्ट हैं कि दिनांक 27.11.95 को संबंधित पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप कर्मकार यूनियनों ने 19 दिसम्बर, 1995 को अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है।

रेशम का उत्पादन

961. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जैव-प्रौद्योगिकी के तरीकों का उपयोग करके रेशम के उत्पादन में वृद्धि लाने की व्यापक सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). क्वालिटी की रेशम का उत्पादन करने के लिए जरूरी शहतूत के पत्ते की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के तरीकों का पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा सुधार, जैव प्रौद्योगिकी विकास को अपना कर तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके, उत्पत्ति ग्रन्थि का अन्तरण करके तथा अवांछित तत्वों को समाप्त करके किया जा रहा है। इसी प्रकार रेशम का अधिक उत्पादन करने के लिए आनुवंशिकी अंतरण तथा आनुवंशिकी बहुजनन से रेशम कीट प्रजातियों में सुधार किया जा रहा है। भूमि को पौष्टिक तत्वों से अधिक उपजाऊ बनाने के लिए व्यापक उत्पादन से वांछित जीवाणु तथा फफूंदी तथा जैविक-उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बंगलौर में एक रेशम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की है। बोर्ड ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से 11 शहतूती। तसर अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित जैव-प्रौद्योगिकी का कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। इसके अलावा रेशम कीट और परपोषी पौधों की जैव प्रौद्योगिकी में नए क्षेत्रों तथा अन्तर के क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

बाल श्रमिक

962\. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री शिवशरण वर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में श्रमिक प्रथा की समाप्ति संबंधी नीति को अंतिम रूप देने हेतु नई दिल्ली में 13 तथा 14 सितम्बर, 1995 को राष्ट्रीय स्तर की कोई बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें लिए गए मुख्य निर्णय क्या हैं;

(ग) क्या इस बैठक में इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यशाला में की गई प्रमुख सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(i) बाल श्रम की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की समाभिरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता,

(ii) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 जैसे कानूनों का सुदृढ़ीकरण और बालकों की रक्षा करने वाले कानूनों का प्रभावकारी ढंग से प्रवर्तन करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित और साधन सम्पन्न करना।

(iii) कड़ाई से प्रबोधन और मूल्यांकन करके बाल श्रम परियोजनाओं में प्रभावोत्पादकता लाना।

(iv) कार्य से हटाए गए बालकों को शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रभावी शैक्षिक नीतियां अपनाना।

(v) बाल श्रम के विरूद्ध जनसामान्य में जागरूकता के लिए सतत् मीडिया/जागरूकता अभियान चलाया जाना।

(ग) और (घ). कार्यशाला के अंत में 40.50 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय वाली 63 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई जिससे बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों में 1.20 लाख बालकों को लाभान्वित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की परिधि में पहले ही लाए गए 16,000 बालकों के अतिरिक्त है। प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से केन्द्रीय स्तर पर एक व्यापक जागरूकता सृजन अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया में जागरूकता सृजन अभियान चलाने के लिए फिल्में और स्पाट भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, 133 जिलों में जिला स्तरीय जागरूकता सृजन क्रियाकलापों के लिए कुल 6.65 करोड़ रुपए का कुल अनुदान भी रिलीज किया गया है। कार्यशाला की सिफारिशों के अनुरूप, जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करवाने के लिए 123 जिलों को भी निधियां मंजूर की गई हैं। इस प्रयोजन के लिए रिलीज की गई कुल राशि 2.46 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि के बाकीदार

963\. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन शीर्ष पच्चीस औद्योगिक और व्यापारिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिन पर भविष्य निधि की राशि बकाया है; और

(ख) इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) बकाया राशियों को वसूलने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

विवरण

बिहार में चोटी के पच्चीस औद्योगिक और व्यापारिक घरानों के विवरण

क्र.सं.	प्रतिष्ठान का नाम
1.	मै. नसेरूद्दीन बीड़ी मर्चेन्ट (प्रा.) लि. बिहार शरीफ, नालंदा (वी आर/1265)
2.	मै. सईद फिरोजुद्दीन, बिहार शरीफ, नालंदा (वी आर/3241)
3.	मै. लॅगिया बीड़ी कं., बिहार शरीफ, नालंदा (वी आर/2846)
4.	मै. कछवार लाईन एण्ड स्टोन कं., बंजारी (वी आर/319)
5.	मै. हाई टेन्शन इन्सुलेशन फै. नानकान, रांची (वी आर/1295)
6.	मै. रिलायन्स फायर ब्रिक्स एण्ड पाटरी वर्क्स कं. लि. (वी आर/232)
7.	मै. कुमार धोबी इंन्जिनियरिंग वर्क्स जिसे अब मै. कुमार धोबी मेटल कास्टिंग एण्ड इंजीनियरिंग लि. के नाम से जाना जाता है (वी आर/06)
8.	मै. ईस्टर्न मेंगनीज एण्ड मिनरल जिसे अब वी.एस.एम.डी.डी. सी. अशोक नगर, रनाली के नाम से जाना जाता है (वी आर/446)
9.	मै. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्टरी, रनाली (वी आर/2225)
10.	मै. टेमेचन्घ माइका फैक्टरी, हजारीबाग (वी आर/445)
11.	मै. हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लि., सिंहभूमि (वी आर/4546)
12.	मै. हिन्द टूल्स एण्ड डाईज, जमशेदपुर (वी आर/1708)
13.	मै. गणेश चन्द्र साहा, चक्रधरपुर (वी आर/1241)
14.	मै. कटिहार जूट मिल्स, कटिहार
15.	मै. बिहार शुगर वर्क्स, सिवान (वी आर/194)
16.	मै. आर.आई.बी.एच.एम. जूट मिल्स, कटिहार (वी आर/03)
17.	मै. सरन इंजीनियरिंग कं., सरन (वी आर/18)
18.	मै. एच.एम.पी. शुगर मिल, बाघा
19.	मै. बेतल बीड़ी फैक्टरी प्रा.लि., साहिबगंज (वी आर/2987)
20.	मै. श्याम बीड़ी वर्क्स पाकर, साहिबगंज (वी आर/2987)
21.	मै. गया कॉटन एण्ड जूट मिल्स, गया (एम.टी.सी. की इकाई) (वी आर/21)
22.	मै. बिहार स्टेट बीवर्स एण्ड स्पीनिंग मिल्स, पटना (वी आर/1557) (एन.टी.सी. की इकाई)
23.	मै. समस्तीपुर अनुमंडलीय खादी, समस्तीपुर (वी आर/5671)
24.	मै. पुरवी चम्पारन जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, मोतिहारी (वी आर/5706)
25.	मै. वैशाली जिला खादी ग्रामोद्योग, गाजीपुर (वी आर/5509)

टिप्पणी : उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में ऐसे 11 प्रतिष्ठान है जिन पर 10 लाख रु. से अधिक की चूक की राशि बकाया है।

[अनुवाद]

घड़ी व्यापार में भारत-हांगकांग के बीच संयुक्त उद्यम

964. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग के 10 सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा घड़ी व्यापार में संयुक्त उद्यम लगाने हेतु गहरी दिलचस्पी दिखायी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). हांगकांग का घड़ी और दीवार घड़ियों के संबंध में 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आठ कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने 26 जून से 1 जुलाई 1995 के दौरान नई दिल्ली, बंगलौर व बम्बई का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य घड़ी एवं दीवार घड़ियों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम तथा व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाना था।

भारत सरकार इस क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भारत में संयुक्त उद्यम लगाने में हांगकांग के व्यापारियों की सहायता करेगी।

पर्यटन क्षेत्र का विकास

965. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाड़ी क्षेत्र को पर्यटक क्षमता वाला क्षेत्र मानते हुए, पर्यटकों के संबंध में उनके पसंदीदा स्थानों, खर्च करने के तरीकों और उनकी मौसम संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) क्या सरकार को अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अरब देशों द्वारा पूंजी निवेश के लिए कितने प्रस्ताव मंगाए गए हैं;

(घ) कितने अरब देशों ने भारत में पूंजी निवेश पर सहमति व्यक्त की है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब से लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यटन विभाग की, पर्यटक आंकड़े एकत्र करने की तथा पर्यटकों के प्रोफाईल के संबंध में प्राप्त सूचना का नियमित आधार पर विश्लेषण करने की एक पद्धति है। इस तरह उपलब्ध सूचना समय-समय पर पर्यटन विभाग के विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के साथ जोड़ी जाती है।

(ग) से (ङ). पर्यटन विभाग ने हाल ही में अरब देशों को शामिल करते हुए भिन्न-भिन्न देशों में स्थित निवेशकों से पर्यटन की आधारिक संरचना में पूंजी निवेश करने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

हस्तशिल्पों का विकास

966. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, विशेष रूप से गुजरात सरकार की ओर से उन राज्यों में हस्तशिल्पों का विकास करने हेतु अब तक भेजे गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) हस्तशिल्पों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य सहित राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में निर्दिष्ट अनुसार हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान हस्तशिल्प के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में निर्दिष्ट अनुसार हैं।

विवरण-I

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षण	विपणन विकास	डिजाइन विकास	शिल्प विकास	कल्याण योजनाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	3 (2)	—	—	—	3 (2)
2.	असम	2 (2)	5 (4)	—	—	—	7 (6)
3.	दिल्ली	—	1 (1)	—	—	—	1 (1)
4.	गुजरात	—	6 (5)	—	—	—	6 (5)
5.	गोवा	—	1 (1)	—	—	—	1 (1)
6.	हिमाचल प्रदेश	—	1 (1)	—	—	—	1 (1)
7.	हरियाणा	—	5 (2)	—	1	—	6 (2)
8.	जम्मू तथा कश्मीर	—	4 (2)	3	1	—	8 (2)
9.	कर्नाटक	—	4 (2)	—	—	—	4 (2)
10.	केरल	—	9 (6)	—	1 (1)	—	10 (7)
11.	मध्य प्रदेश	2 (1)	19 (9)	15 (15)	8 (4)	—	44 (29)
12.	महाराष्ट्र	—	2	—	—	—	2
13.	मणिपुर	—	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मिजोरम	—	1 (1)	—	—	—	1 (1)
15.	नागालैंड	—	2 (1)	—	—	—	2 (1)
16.	उड़ीसा	—	7 (6)	—	—	—	7 (6)
17.	पंजाब	—	2 (1)	—	—		2 (1)
18.	राजस्थान	—	11 (3)	—	2	—	13 (3)
19.	तमिलनाडु	—	3 (2)	—	—	—	3 (2)
20.	त्रिपुरा	—	1 (1)	—	—	—	1 (1)
21.	उत्तर प्रदेश	—	10 (6)	10 (5)	2	6	28 (11)
22.	पश्चिम बंगाल	1 (1)	3 (1)	—	—	—	4 (2)

कोष्टक के आंकड़े सरकार द्वारा अनुमोदित संख्या दर्शाते हैं।

विवरण-II

विकास के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता (1992-93 से 1994-95 तक)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	36.16	102.03	86.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.31	4.12	—
3.	असम	15.13	27.55	42.96
4.	बिहार	10.91	17.75	13.54
5.	गोवा	8.81	19.74	7.08
6.	गुजरात	18.36	29.77	53.14
7.	हरियाणा	28.22	62.59	45.95
8.	हिमाचल प्रदेश	10.78	16.79	39.91
9.	जम्मू और कश्मीर	43.41	37.94	49.95
10.	कर्नाटक	18.21	36.61	40.61
11.	केरल	83.35	68.20	46.77
12.	मध्य प्रदेश	35.08	85.76	100.51
13.	महाराष्ट्र	16.95	29.30	37.72
14.	मणिपुर	8.10	17.39	8.29
15.	मेघालय	1.01	2.28	2.09
16.	मिजोरम	0.49	1.99	3.00
17.	नागालैंड	9.71	10.33	3.09
18.	उड़ीसा	52.87	100.20	80.52
19.	पंजाब	16.40	47.52	15.33
20.	राजस्थान	31.38	36.31	30.76
21.	सिक्किम	2.50	1.86	0.97
22.	तमिलनाडु	52.29	63.66	69.84
23.	त्रिपुरा	9.67	4.46	8.06
24.	उत्तर प्रदेश	108.99	214.73	352.85
25.	पश्चिम बंगाल	36.84	59.59	57.27
26.	अण्डमान और निकोबार	1.11	0.62	1.43
27.	दिल्ली	60.44	117.77	106.79
28.	पाण्डिचेरी	5.11	7.77	4.07
	योग	725.59	1224.64	1308.51

आयकर दाताओं को स्थायी खाता संख्या का आवंटन

967. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी आयकर दाताओं को स्थायी खाता संख्या आवंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ख) यदि हां ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1.7.1995 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी कर योग्य आय हो या किसी पूर्व वर्ष में जिसकी व्यापारिक बिक्री/कारोबार या व्यावसायिक सकल प्राप्तियां 50,000/-रु. से अधिक हों या अधिक होने की संभावना हो या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4-क) के अधीन किसी न्यास/संस्था के लिए विवरणी दायर करना आवश्यक हो उन्हें स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए अपने कर-निर्धारण अधिकारी को आवेदन करना होता है।

(ख) फार्म संख्या 49-क में यह आवेदन करना होता है।

(ग) यह स्कीम पहले से ही विद्यमान है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

968. श्री कुन्जी लाल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 20 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस मजदूरी में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने कृषीय श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित किया है और ये दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। तथापि, जुलाई, 1991 में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि कृषीय श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर 20 रु. प्रतिदिन से कम की निर्धारित नहीं की जानी चाहिए जो कि 1990 में प्रचलित कीमतों के आधार पर है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि न्यूनतम मजदूरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध एक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का प्रावधान होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी में प्रत्येक दो वर्षों के अंतराल में संशोधन किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण

969. डा. वसंत पवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु "पावर आफ अटार्नी के अंतर्गत दिल्ली अथवा देश के अन्य स्थानों पर ऋण सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लाभभोगियों द्वारा क्या आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार या भारतीय बैंक संघ के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कपड़ा मजदूर

970. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 1995 तक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वस्त्र निगम, टाटा टेक्सटाइल कारपोरेशन और निजी क्षेत्र की अन्य कपड़ा मिलों में बेरोजगार हुए मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् वर्ष 1992, 1993, 1994 और जनवरी से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान) मध्य प्रदेश राज्य में एन टी सी और एस टी सी के प्रबंधन अधीन मिलों के बंद होने के कारण कोई श्रमिक प्रभावित नहीं हुआ। पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात्

1992, 1993, 1994 तथा जनवरी से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान) मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या निम्न अनुसार थी :—

अवधि	बंद पड़ी मिलों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1992	1	6746
1993	—	—
1994	—	—
1995 (जनवरी से अक्तूबर)	—	—

(ख) और (ग). जबकि वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की कोई योजना नहीं है, फिर भी सरकार ने वस्त्र मिलों के स्थाई आंशिक रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि की स्थापना की है। 31.10.1995 तक की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार वितरण निम्न अनुसार है :—

राज्य	करोड़ रु.
गुजरात	61.86
महाराष्ट्र	3.90
तमिलनाडु	2.64
दिल्ली	11.92
कुल	80.32

व्यापार घाटा

971. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल–अगस्त, 1995 के दौरान भारत का व्यापार घाटा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1995 के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई;

(ग) व्यापार घाटे में इस वृद्धि का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो घाटे को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख). अप्रैल–अगस्त, 1995 की अवधि तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान भारत का व्यापार घाटा निम्नानुसार रहा :—

अप्रैल–अगस्त	मिलियन अमरीकी डालर	करोड़ रु.
1995–96	1976.24	6213.01
1994–95	798.53	2505.09

(ग) से (च). वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि मूलरूप से अधिक औद्योगिक कार्यकलापों के फलस्वरूप आयात में वृद्धि, निर्यात से संबद्ध आयातों की अधिक मांग और घरेलू उत्पादन में आई कमी को पूरा करने तथा कीमत वृद्धि को रोके रखने के लिए खाद्य तेल जैसी आम खपत की मदों के आयात में वृद्धि की वजह से हुई है। व्यापार घाटा स्वभावतः इस बात को देखते हुए अवांछनीय नहीं है कि हमारे आयात के एक भाग में कच्चा माल, मध्यवर्ती सामान, निविष्टियां, उपभोक्ता वस्तुएं, अतिरिक्त पुरजे, पूंजीगत माल, आदि शामिल होता है। वर्तमान व्यापार घाटे का वर्तमान स्तर स्थायी प्रतीत होता है। निर्यात, आयात और व्यापार घाटे को निरन्तर मानीटर किया जा रहा है ताकि यथोचित कार्रवाई की जा सके।

निर्यात वरीयता संबंधी शुल्क रहित सामान्यीकृत योजना

972. **श्री हरिन पाठक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ के विकसित देशों को विकासशील देशों से निर्यात के आधार पर सरकार को निर्यात में वरीयता संबंधी शुल्क रहित सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत सुविधा 31 जनवरी, 1995 से समाप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस नीति से यूरोपीय संघ के देशों को हमारे द्वारा किया जा रहा निर्यात किस तरह से प्रभावित होगा; और

(घ) पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). 277 यूरोपियन यूनियन की पहले की एस पी योजना में शैन्य टैरिफ की व्यवस्था थी लेकिन कोटा एवं उच्चतम (सीमा) के द्वारा पहुंच को-सीमित किया गया। दिसम्बर, 1998 तक वैध नई योजना में कोई कोटा और उच्चतम (सीमा) नहीं है। विकासशील देशों के ग्राह्य उत्पादों को-"अत्यधिक संवेदनशील" (एम.एफ.एन. टैरिफ के 70 प्रतिशत) तथा "अर्ध संवेदनशील" (एम.एफ.एन. टैरिफ के 35 प्रतिशत) एवं "गैर-संवेदनशील" (शून्य टैरिफ) में वर्गीकृत किया गया है। तथापि सबसे कम विकसित देशों के सभी ग्राह्य उत्पादों का यूरोपियन यूनियन में शून्य टैरिफ पर प्रवेश जारी रहेगा।

2. ई.यू. की नई योजना का हमारे निर्यातों पर इस तथ्य से कम प्रभाव होगा कि हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी भी समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अलावा 6000 डालर से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले विकासशील देशों को 1 जनवरी, 1996 से जी एस पी लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे।

3. जी.एस.पी. एक गैर-संविदात्मक उपकरण है जिसके द्वारा औद्योगिकीकृत देश विकासशील देशों को एक पक्षीय रूप से टैरिफ रियायतें प्रदान करते हैं। जब ई. यू. की नवीनतम योजना बनाई जा रही थी, तब भारत सहित कई लाभकारी देशों ने अनेक सुझाव दिए थे। इस योजना को ई.यू. द्वारा सवतन्त्र रूप से नया रूप दिया गया है।

कपास खरीद योजना

973. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास खरीद योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार किसी भी प्रकार की कपास अधिप्राप्ति योजना नहीं चलाती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम कानूनों में संशोधन

974. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 1995 के "स्टेट्समेन" में "ऐज ओल्ड रिजिड लेबर लॉस स्टंटिंग इकोनोमिक ग्रोथ एक्सपर्ट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अधिक रोजगार सृजित करने तथा इसे बाजार उन्मुख बनाने हेतु श्रम तथा औद्योगिक संबंधी नियमों का नवीकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नए औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुज समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर, विभिन्न मंचों पर किए गए विचार-विमर्शों और औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया है जिन्हें उपयुक्त समय पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

करेंसी नोटों तथा सिक्कों की कमी

975. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में करेंसी नोटों तथा सिक्कों की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). नासिक और देवास की विद्यमान दो प्रेसों की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता वर्तमान मिश्रित उत्पादन सहित 5612 मिलियन अदद है, जबकि वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों के लिए वार्षिक आवश्यकता 14010 मिलियन अदद थी। इस प्रकार विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसें भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों के लिए मांग का केवल 40.05 प्रतिशत अंश पूरा करने में ही समर्थ हैं।

इसी प्रकार, वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की 4100 मिलियन अददों की तुलना में बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नौएडा (उत्तर प्रदेश) की चार भारतीय टकसालों की विद्यमान संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता केवल 1707 मिलियिन अदद है। इस प्रकार विद्यमान चार टकसालें सिक्कों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मांग का केवल 41 प्रतिशत अंश पूरा करने में ही समर्थ हैं।

(ग) करेंसी नोटों और सिक्कों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो नई नोट-प्रिंटिंग प्रेसें स्थापित की जा रही हैं-एक पश्चिमी बंगाल में सालबोनी में और दूसरी कर्नाटक में मैसूर में।

(ii) सरकार ने नासिक और देवास में विद्यमान नोट-प्रिंटिंग प्रेसों का और बंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद की तीन टकसालों का आधुनिकीकरण आरम्भ कर दिया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम संख्या में पुनः निर्गमनीय सड़े-गले नोटों को बचाकर उन्हें पुनः आवर्तित करते हुए फिर से परिचालित कर दिया है।

(iv) 1/-रुपए 2/- रुपए और 5/- रुपए को सिक्कों में ढाला गया है और इस प्रकार निर्मुक्त की गई क्षमता का उच्चतर मूल्यवर्गों के नोटों के उत्पादन की ओर विपथन किया गया है।

[अनुवाद]

बीड़ी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

976. डा. आर. मल्लू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005 के अन्त तक बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए बीड़ी क्षेत्र में रोजगार की क्या सम्भावनाएं होंगी;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने बीड़ी क्षेत्र में रोजगार की भावी सम्भावनाओं के आंकलन के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है।

हथकरघा बुनकरों हेतु योजनायें

977. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की चालू योजनाओं में हथकरघा बुनकरों को शामिल करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में लागू की गई ऐसी योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए निम्नलिखित चार योजनाएं दी गई हैं जिन्हें वर्ष 1993-94 से तीन वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है :—

1. आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत 3.27 लाख करघाहीन बुनकरों को शामिल करना जिसमें 523 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
2. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के करघाहीन बुनकरों को शामिल करना जिसका कुल परिव्यय 132 करोड़ रुपये है।
3. "ट्राइसम" के अंतर्गत एक लाख हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देना जिसमें कुल 9.85 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
4. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1000 सामान्य, सुविधा केन्द्रों की स्थापना।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य को दिए गए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ऐसा अनुमान है कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1035.78 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिए बैंक ऋणों की सीमा

978. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋणों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात कंपनियों को वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया को कुशल और त्वरित बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में उन बैंकों के विरूद्ध जो भारतीय रिजर्व बैंक को समय से अपने निर्यात खाते न भेज पायें, दण्डात्मक कार्यवाही करने और उन कंपनियों के विरूद्ध जो बैंकों से सुविधाएं लेती हैं उनके द्वारा भी निर्यात खाते समय से न भेजने पर भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या उपरोक्त उपायों से निर्यात को बढ़ाने और इससे विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता मिलने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). विदेशों में संयुक्त उद्यमों के वित्त पोषण के लिए बैंक ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से कोई विशेष मार्ग-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ). बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्येक बैंक के कुल बकाया निवल बैंक ऋण के बकाया निर्यात ऋण के 10 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज की प्रतियोगी दरों पर ऋण के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी आरम्भ किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—निर्यात ऋण के लिए नई/बढ़ी हुई सीमाओं तथा साथ ही सीमाओं के नवीकरण की स्वीकृति के लिए अधिकतम समय सीमाओं का निर्धारण, बैंकों को सीमाओं की सामयिक और उपयुक्त स्वीकृति देने के मामले में ऋणकर्ताओं विशेषरूप से निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करने की सलाह देना; विभिन्न कृत्यकारियों, विशेष रूप से बैंकों की विदेशी शाखाओं/कृत्यकारियों, को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(ङ) और (च). निर्यात प्राप्तियों के विलम्बित प्रत्यावर्तन से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तंत्र तैयार किया है जिसके अनुसार, निर्यात हुंडियों की आरंभिक अवधि के लिए ब्याज की रियायती दर उगाही वाली उगाही जाएगी और निर्धारित तारीख के बाद ब्याज की उच्चतर दर वसूली जाएगी।

(छ) और (ज). हालांकि किसी विशेष उपाय के विशिष्ट प्रभाव को मापना कठिन होगा तथापि, देश के निर्यातों में 1994-95 में 17.9 प्रतिशत की तुलना में 1995-96 की प्रथम छमाही में 26.37 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

पायलटों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

979. श्री महेश कनोडिया :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने निजी एयरलाइन्स के पायलटों को अपनी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे इंडियन एयरलाइन्स को अनुमानतः कितनी वार्षिक आय होने की सम्भावना है; और

(घ) इस समय निजी एयरलाइन्स के कितने पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स का केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अब स्वतंत्र लाभ अर्जक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और अन्य विमानकम्पनियों के भी विमान चालकों, फ्लाइट इंजीनियरों, फ्लाइट डिस्पेचरों, केबिन कर्मीदल और प्रचालन कर्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू करेगा। वार्षिक आय, निजी विमान कम्पनियों से प्रशिक्षण संबंधी मांग पर निर्भर करेगी।

(घ) केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में ए-320 और बी-737 सिमुलेटर निजी विमान कम्पनियों को ड्राई-लीज पर दिए जाते हैं और वे प्रशिक्षण के लिए अपने अनुदेशकों का उपयोग कर रहे हैं। 1 जनवरी 1995 से 29 नवम्बर तक निजी प्रचालकों द्वारा कुल 296 पायलट प्रशिक्षण घंटों का उपयोग किया गया है।

कृषि और निर्माण श्रमिकों के लिए विधान

980. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि और निर्माण श्रमिकों के लिये एक केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) दो अध्यादेश जिनके नाम हैं :

(i) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 1995; और

(ii) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995, इन्हें निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए 3.11.1995 को प्रख्यापित किया गया है।

जहां तक कृषीय कर्मकारों का संबंध है, इस संबंध में एक ऐसे केन्द्रीय विधान बनाए जाने की आवश्यकता पर आम सहमति हो गई है, जिसमें राज्य सरकारों के लिए पर्याप्त लचीलेपन की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस विधान का कार्यान्वयन कर सकें।

ऋण का भुगतान

981. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक दशक में कुल व्यय और चालू राजस्व के बीच बढ़त अन्तर के कारण अधिक ऋण लेने, कर्ज की राशि में बढ़ोतरी और ब्याज के भुगतान में वृद्धि का दुष्चक्र चल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दुष्चक्र को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जब कभी भी कुल व्यय और ऋण-भिन्न प्राप्तियों में अन्तर होता है तब सरकार उधार लेने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप 1985-86 से 1994-95 (संशोधित अनुमान) की अवधि के दौरान सरकार का अतिरिक्त उधार 384220 करोड़ रुपये बैठता है। ब्याज का भुगतान जो वर्ष 1984-95 में 7512 करोड़ रुपये था वह 1994-95 के संशोधित अनुमानों के अनुसार बढ़कर 44000 करोड़ रुपये हो गया है।

(ग) सरकार चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों को अधिकाधिक बढ़ाकर और व्यय को नियंत्रित करके वित्तीय घाटे को 57634 करोड़ रुपये के बजटीय स्तर तक बनाए रखने का प्रयास करेगी।

जापान से सहायता

982. श्री रमेश चेन्निताला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की ओर से प्राप्त कार्यालयीय विकास सहायता राशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सहायता राशि का समुचित रूप से उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जापान की ओर से प्राप्त सरकारी विकास सहायता राशि का समुचित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

(ग) जापानी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना की संख्या और नाम	राशि (मिलियन येन)	अन्त्य तिथि
1	2	3	4
ऋण			
1.	आई.डी.पी.—31 ईस्टर्न गंडक कनाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	1630	30.6.96
2.	आई.डी.पी.—40 तीस्ता कनाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	8025	31.10.96
3.	आई.डी.पी.—42 असम गैस टरबाइन पावर स्टेशन एंड ट्रंसमिशन सिस्टम कस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	30000	18.03.97
4.	आई.डी.पी.—43 श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन प्रोजेक्ट	26101	31.12.98
5.	आई.डी.पी.—46 असम गैस, टरबाइन पावर स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	13552	10.02.97
6.	आई.डी.पी.—47 तमिलनाडु स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट प्रोजेक्ट	3198	10.08.96
7.	आई.डी.पी.—52 रायचूर थर्मल पावर स्टेशन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट	23142	30.06.96
8.	आई.डी.पी.—53. घाटघर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट	11414	20.01.97
9.	आई.डी.पी.—54 टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	9244	20.01.97
10.	आई.डी.पी.—56 अप्पर कोलाब इरिगेशन प्रोजेक्ट	3769	20.07.98
11.	आई.डी.पी.—57 अप्पर इन्द्रावती इरिगेशन प्रोजेक्ट	3744	20.01.99
12.	आई.डी.पी.—59 मैसूर पेपर मिल्स माडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट	2381	31.01.99
13.	आई.डी.पी.—62 बेसिन ब्रिज गैस टरबाइन प्रोजेक्ट	11450	25.03.98
14.	आई.डी.पी.—63 गंधार गैस वेस्ड कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	13046	25.09.97
15.	आई.डी.पी.—65 अंपारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट	19318	30.07.96
16.	आई.डी.पी.—66 पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट एंड स्माल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	24379	05.02.97
17.	आई.डी.पी.—72 तीस्सा कनाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट-II	6222	05.02.96
18.	आई.डी.पी.—73 इंदिरा गांधी अफौरस्टेशन प्रोजेक्ट	7869	05.02.98
19.	आई.डी.पी.—74 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हैल्थ टैक्नोलोजिज प्रोजेक्ट	7964	05.02.99
20.	आई.डी.पी.—78 गंधार बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	42599	19.04.97
21.	आई.डी.पी.—79 अर्बन सिटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट	6788	30.03.98
22.	आई.डी.पी.—80 अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन अरावली हिल्स	8095	30.03.99
23.	आई.डी.पी.—81 नेशनल हाईवे-2, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	4855	30.03.98
24.	आई.डी.पी.—82 अंजता एलोरा कंजरवेशन एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	3745	30.03.99
25.	आई.डी.पी.—83 अंपारा थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट-4	13224	03.12.95

1	2	3	4
26.	आई.डी.पी.—84 यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट	17773	19.4.2000
27.	आई.डी.पी.—85 श्रीसेलम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट	3806	19.04.98
28.	आई.डी.पी.—86 गंधार गैस बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	19538	19.04.97
29.	आई.डी.पी.—87 उद्योगमंडल अमोनिया प्लांट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट	24482	19.04.99
30.	आई.डी.पी.—88 अंपारा थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट	17638	11.03.2001
31.	आई.डी.पी.—89 बक्रेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	27069	11.03.99
32.	आई.डी.पी.—90 फरीदाबाद गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट	23536	11.03.99
33.	आई.डी.पी.—91 ब्रिज अक्रास रिवर यमुना नीयर नैनी	10037	11.03.2001
34.	आई.डी.पी.—92 फोर लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे-5	11360	11.03.2001
35.	आई.डी.पी.—93 स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम-4	30000	09.02.96
36.	आई.डी.पी.—94 श्री सेलम लैफ्ट बैंक पावर स्टेशन प्रोजेक्ट-II	22567	12.4.2001
37.	आई.डी.पी.—95 श्रीसेलम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट-II	9546	12.4.2001
38.	आई.डी.पी.—96 असम गैस टरबाइन पावर स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट-III	15821	12.4.2000
39.	आई.डी.पी.—97 बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 3 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट	8659	12.4.2001
40.	आई.डी.पी.—98 पुरूलिया पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट	20520	12.4.2003
41.	आई.डी.पी.—99 कुथागुडम "ए" थर्मल पावर स्टेशन रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट	5092	12.4.2002
42.	आई.डी.पी.—100 नेशनल हाईवे-5 इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट-II	5836	12.4.2002
43.	आई.डी.पी.—101 नेशनल हाईवे-24 इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	4827	12.4.2002
44.	आई.डी.पी.—102 मद्रास वाटर एंड सीवरेज रीनोवेशन एण्ड फंक्शनल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	17098	12.4.2001
45.	आई.डी.पी.—103 लेक भोपाल कंजरवेशन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट	7055	12.4.2002
46.	आई.डी.पी.—104 राजस्थान फोरेस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	4219	12.4.2002
47.	आई.डी.पी.—105 इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम	1525	12.4.2001
48.	आई.डी.पी.—106 इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम	3000	2.10.2000
49.	आई.डी.सी.-7 हाइड्रो-कार्बन सेक्टर प्रोग्राम	33085	31.12.95
सहायता अनुदान			
1.	इम्प्रूवमेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (फेज-II)	679	31.3.96
2.	अपग्रेडिंग ऑफ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी हास्पिटल	1058	31.3.96
3.	कंस्ट्रक्शन ऑफ निजामुद्दीन ब्रिज		
	फेज-I	52	29.1.96
	फेज-II टर्म I	444	31.3.96
	टर्म-II	1662	31.3.97
	टर्म-III	672	31.3.98
4.	इम्प्रूवमेंट ऑफ मैडिकल इक्विपमेंट एट ओसमानिया जनरल हास्पिटल, हैदराबाद	757	15.3.96
5.	डेवलपमेंट ऑफ सीड रिसर्च प्रोडक्शन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज	662	31.3.96
6.	कल्चरल ग्रांट टू भारत भवन, भोपाल	46	31.3.96
7.	कल्चरल ग्रांट टू नेशनल आर्काइव्स आफ इंडिया	34	31.3.96

[हिन्दी]

राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का आना

983. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने विदेशी पर्यटक आये;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पर्यटकों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के लिए राजस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 के दौरान जिन विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का दौरा किया उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	%अन्तर
1992	5,47,802	—
1993	5,40,738	- 1.3
1994	4,36,801	- 19.2

(ख) राजस्थान में पर्यटकों के आने में हुई कमी मुख्यतः अक्तूबर तथा नवम्बर के दौरान भारत में कथित स्वास्थ्य संकट के प्रतिकूल प्रचार की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में आई समग्र कमी के कारण हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में बीड़ी मजदूर

984. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर गुजरात में बीड़ी मजदूरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उनके लिए अस्पताल खोला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अस्पतालों में उपलब्ध करायी जाने वाली अतिरिक्त विशिष्ट सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात में इस प्रकार के और भी अस्पताल खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) देश में लगभग 42.50 लाख बीड़ी कर्मकार हैं और गुजरात में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या लगभग 50,000 है।

(ख) और (ग). बीड़ी कर्मकारों के लिए खोले गये अस्पतालों/औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। औषधालयों में यद्यपि केवल बहिरंग उपचार प्रदान किया जाता है तथापि, अस्पतालों में बीड़ी कर्मकारों को बहिरंग और आंतरिक दोनों उपचार प्रदान किया जाता है। अस्पतालों में एक्स-रे और प्रयोगशाला सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(घ) इस समय, इन अस्पतालों में कोई अतिरिक्त विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च). धुलियाँ (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी कर्मकारों के लिए एक 50 बिस्तर वाला अस्पताल निर्माणाधीन है। यह भी प्रस्ताव है कि दो और ऐसे अस्पताल-एक सागर (म.प्र.) और दूसरा मुक्कुल (त.ना.) में खोले जायें। जहां तक गुजरात राज्य का संबंध में इस समय, उस राज्य में ऐसा कोई अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य	वे स्थान जहां बीड़ी कर्मकारों के लिए सचल और चिकित्सा औषधालय स्थित है
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
स्थिर-सह-सचल औषधालय	
	1. निजामाबाद जिला निजामाबाद
	2. कामारेड्डी जिला निजामाबाद
	3. अमरचिन्ता जिला महबूब नगर
	4. कोठाकोटा जिला महबूब नगर
	5. कोरातला जिला करोम नगर
	6. नेल्लोर जिला नैल्लोर
	7. सिद्दिपेट जिला मेडक
	8. श्रीकलाहस्ती जिला चित्तौड़
स्थिर-औषधालय	
	9. निर्मल जिला आदिलाबाद
	10. कमलपुरम जिला कुडप्पा

1	2
तमिलनाडु	
स्थिर-सह-सचल औषधालय	
	1. वेल्लोर, जिला-नार्थ आरकोट
	2. मेलावीश्रम, जिला-नार्थ आरकोट
	3. तेनकासी, जिला-तिरूनेलवल्ली
	4. मुकुडल, जिला-तिरूनेलवल्ली
	5. अलनगुलम, जिला-तिरूनेलवल्ली
	6. तिरूचिरापल्ली, जिला-तिरूचिरापल्ली
	7. ओल्डावाशरमैनपेट, जिला-मद्रास
स्थिर औषधालय	
	8. गुडियथ्थम, जिला-नार्थ आरकोट
	9. मेलापलयम, जिला-तिरूनेलवल्ली
सचल औषधालय	
	10. तिरूनेलवल्ली, जिला-तिरूनेलवल्ली
मध्य प्रदेश	
स्थिर-सह-सचल औषधालय	
	1. सिहोरे, जिला-जवलपुर
	2. जवलपुर, जिला-जवलपुर
	3. गरहाकोटा, जिला-सागर
	4. देवारी, जिला-सागर
	5. सागर, जिला-सागर
	6. दमोह, जिला-दमोह
	7. हत्ता, जिला-दमोह
	8. नोहटा, जिला-दमोह
	9. ग्वालियर, जिला-ग्वालियर
	10. बेगमगंज, जिला-रायसेन
	11. भोपाल, जिला-भोपाल
	12. सेनवाद, जिला-खड़गोन
	13. रीवा, जिला-रोवा
	14. धमतरी, जिला-रायपुर
	15. राजनन्द गांव, जिला-राजनन्द गांव
	16. उज्जैन, जिला-उज्जैन
स्थिर-औषधालय	
	17. इन्दौर जिला इन्दौर
	18. कतंगी जिला जबलपुर
	19. वर्सिओरी जिला बालाघाट
	20. गुना जिला गुना
	21. बुरहानपुर जिला खंडवा

1	2
सचल-औषधालय	
	22. सतना जिला सतना
कर्नाटक	
स्थिर-सह-सचल औषधालय	
	1. धुम्बे जिला मंगलौर
	2. मूडा बिदरी जिला मंगलौर
	3. कटिपल्ला जिला मंगलौर
	4. पुत्तुर जिला मंगलौर
	5. देरलाकट्टा जिला मंगलौर
	6. हरिहर जिला चित्रदुर्ग
	7. निपानो जिला बेलगांव
	8. बंगालौर जिला बंगलौर
	9. कोलार जिला कोलार
	10. तुमकुर जिला तुमकुर
स्थिर-औषधालय	
	11. काईकम्बा जिला मंगलौर
	12. यादगीर जिला गुलबर्गा
	13. चन्नापतना, रामानगरमताल्लुक जिला मंगलौर
	14. गुन्डलुपेट जिला मैसूर
	15. चामाराजानगर जिला मैसूर
	16. हुवली जिला धारवाड़
	17. सिराताल्लुक जिला टंतुमकुर
सचल-औषधालय	
	18. मैसूर (अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ)
	19. पाडिल जिला मंगलौर
केरल	
स्थिर-सह-सचल औषधालय	
	1. कन्नानौर जिला कन्नानौर
	2. टेल्लीचेरी जिला टेल्लीचेरी
	3. अलाथुर, जिला पलक्कड
	4. पेरमुन्ना जिला कोजिकोड़े
	5. निलेस्वर जिला कसरगौड
	6. कसरगौड जिला कसरगौड
स्थिर-औषधालय	
	7. कन्डोटी जिला मालापुरम
	8. चवक्कड जिला त्रिसुर

1	2
गुजरात	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. पाटन जिला पाटन
	2. बादनगर जिला मेहनसाना
	3. सरसा जिला खेडा
स्थिर–औषधालय	
	4. अहमदनगर जिला अहमदनगर
	5. बोरसाद जिला केरा
आयुर्वेदिक औषधालय	
	6. पालनपुर जिला मेहनसाना
राजस्थान	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. सुजानगढ़ जिला चुरू
स्थिर औषधालय	
	2. टोंक जिला टोंक
	3. अजमेर जिला अजमेर
	4. ब्यावर जिला अजमेर
	5. करौली जिला सवाईमाधोपुर
सचल औषधालय	
	6. कोटा जिला कोटा
आयुर्वेदिक औषधालय	
	7. सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर
	8. निसराबाद जिला अजमेर
	9. बारन जिला कोटा
	10. बूंदी जिला बूंदी
बिहार	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. चक्रधरपुर जिला सिंहभूम
	2. बिहारशरीफ जिला नालंदा
	3. झाझा जिला झाझा
	4. मधुबनी जिला मधुबनी
	5. पाकुर जिला दुमका
	6. दालसिंह सराय जिला समस्तीपुर
	7. गया जिला गया
	8. मोथिरी जिला पूर्वी चम्पारन
	9. सीमामंढ़ी जिला सीतामढ़ी

1	2
	10. बेगूसराय जिला बेगूसराय
	11. भगलपुर जिला भागलपुर
	12. मुंघेर जिला मुघेर
स्थिर–औषधालय	
	13. ढाका जिला पश्चिमी चम्पारन
	14. गोपालगंज जिला गोपालगंज
उत्तर प्रदेश	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. जौनपुर जिला जौनपुर
	2. इलाहाबाद जिला इलाहाबाद
	3. अमरोहा जिला मुरादाबाद
	4. झांसी जिला झांसी
	5. मिर्जापुर जिला मिर्जापुर
	6. रायबरेली जिला रायबरेली
	7. रामपुर जिला रामपुर
	8. गाजीपुर जिला गाजीपुर
	9. सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर
	10. वाराणसी जिला वाराणसी
सचल–औषधालय	
	11. गुरसहायगंज जिला फर्रूखाबाद
उड़ीसा	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. अंगुल, जिला धेनकल
	2. सालेपुर जिला कटक
	3. बेगेडिया जिला घेंकल
	4. दसरथपुर जिला कटक
	5. रेंगाली जिला सम्बलपुर
	6. परमनपुर जिला सम्बलपुर
स्थिर औषधालय	
	7. ब्रह्मवर्दा जिला कटक
	8. धोलपुर जिला कटक
	9. बेदेस्वर जिला कटक
	10. बलिझारी जिला कटक
	11. बालासोर जिला बालासोर
सचल औषधालय	
	12. सम्बलपुर जिला सम्बलपुर
	13. भुवनेश्वर जिला भुवनेश्वर
	14. गुजीदरदा जिला बालासोर

1	2
महाराष्ट्र	
सह–सचल औषधालय	
	1. तुमसर जिला भंडारा
	2. अमगांव जिला भंडारा
	3. तिरोरा जिला भंडारा
	4. लखानी, जिला भंडारा
	5. भंडारा जिला भंडारा
	6. गोंडिया जिला भंडारा
	7. सिन्नेर जिला नासिक
	8. अहमदनगर जिला अहमदनगर
	9. संगमनेर जिला अहमदनगर
	10. पुणे जिला पुणे
	11. सांगली, जिला सांगली
	12. खट जिला नागपुर
स्थिर औषधालय	
	13. कम्पटी जिला नागपुर
	14. शोलापुर जिला शोलापुर
	15. जालना जिला जालना
आयुर्वेदिक औषधालय	
	16. नानदेद जिला नानदेद
पश्चिम बंगाल	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. बांकुरा जिला बांकुरा
	2. कूच–बिहार जिला कूच बिहार
	3. मगरहट जिला चौबीस परगना (उत्तरी)
	4. बरासत जिला चौबीस परगना (उत्तरी)
	5. झालदा जिला पुरलिया
	6. कृष्णनगर जिला नादिया
	7. करीमपुर जिला नादिया
	8. खड़गपुर जिला मिदनापुर
	9. कालियाचाक जिला मालदा
सचल औषधालय	
	10. कलकत्ता जिला कलकत्ता
	11. नीमटीटा जिला मुर्शिदाबाद
चैस्ट क्लीनिक	
	(क) नीमटीटा जिला मुर्शिदाबाद
असम	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. गौरीपुर जिला दुबरी
त्रिपुरा	
स्थिर–सह–सचल औषधालय	
	1. अगरतल्ला जिला अगरतल्ला
बीड़ी कर्मकारों के लिए अस्पताल	
बिहार	कर्मा में पचास बिस्तरों का टी.बी. अस्पताल
कर्नाटक	मैसूर में पचास बिस्तरों का अस्पताल
उत्तर प्रदेश	गुरसहायगंज में दस बिस्तरों का अस्पताल

घरेलू नौकर

985. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू नौकरों के अमानवीय शोषण पर नियंत्रण के उपाय ढूढने तथा उन्हें श्रमिकों का दर्जा देने हेतु एक विधेयक तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए घरेलु नौकरों की समस्याओं पर चर्चा करने हेतु मजदूर संघों तथा महिला संगठनों का एक सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. वेंकट स्वामी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा गिरोह

986. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रवर्तन अधिकारियों ने हाल ही में राजधानी में विदेशी मुद्रा के एक बड़े गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले भी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा और सोना जब्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितना सोना और मुद्रा जब्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय शहर में हाल ही में विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के दो बड़े मामलों का पता लगाया है जिसमें 50,340 ड्यूश मार्ग, 700 स्विस फ्रैंक और 9450 अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। लगभग 14 लाख रु. की भातरीय मुद्रा और चार सोने के बिस्कुट भी जब्त किए गए।

(ग) और (घ). दिनांक 24.4.95 को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति से लगभग 3 लाख रु. की विदेशी मुद्रा बरामद की।

चालू वर्ष में निदेशालय ने 1.25 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा, 3.08 करोड़ रु. की भारतीय मुद्रा और 16 सोने के बिस्कुट बरामद किए।

विदेशी ऋण पर श्वेत पत्र

987. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा सीधे निवेश के परिणामस्वरूप विदेशी ऋण में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी ऋण के संबंध में श्वेत पत्र तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भुगतान संतुलन अनुमानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल विदेशी ऋण (निवल वापसियां घटाकर) में गिरावट आई है। विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों से, कुछ सीमा तक, निवल विदेशी ऋण में गिरावट आई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसमें अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश भी शामिल हैं, वर्ष 1992-93 में 341 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1993-94 में 620 मिलियन अमरीकी डॉलर और 1994-95 में 1314 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ग) और (घ). भारत के विदेशी ऋण पर श्वेत पत्र को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चावल का निर्यात

988. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीनों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने बंगलादेश को 50,000 टन चावल निर्यात करने का समझौता किया है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस समझौते को सम्पन्न कराने के लिए मध्यस्थता हेतु किसी गैर-सरकारी संगठन की सेवाएं ली थीं;

(ग) क्या उक्त एजेन्सी को सेवाएं प्रदान करने के बदले कमीशन दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य व्यापार निगम ने कितना लाभ अर्जित किया; और

(ङ) चावल के निर्यात में गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लिए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). यद्यपि एजेंसी कमीशन की राशि देय होती है किन्तु, अब तक कोई कमीशन वास्तव में दिया नहीं गया है क्योंकि संविदा अभी कार्यान्वयन में है। एजेंसी कमीशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर ही देय है। एसटीसी को अर्जित होने वाले लाभ का आंकलन करना अभी संभव नहीं है क्योंकि संविदाकृत मात्रा का पोत लदान किया जा रहा है। एजेन्ट-मैसर्स आईपी एण्ड एफ सी, ढाका को उनकी उपयोगिता के संबंध में बाजार जानकारी के आधार पर नियुक्त किया गया।

विकास केन्द्र

989. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ निर्यात विकास केन्द्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक केन्द्र पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ङ) क्या सरकार ने उनसे विशिष्ट निर्यात योजनायें प्रस्तुत करने के लिये कहा है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त किये गये ऐसे प्रस्तावों का केन्द्रवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन निर्यात केन्द्रों में किस सीमा तक सुविधायें प्रदान की गई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (छ). सरकार ने 23 केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया है जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के संदर्भ में निर्यात प्रधान क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया

है। इन केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनका उद्देश्य इन केन्द्रों में आधारभूत सुविधाएं, सुदृढ़ बनाना तथा निर्यात उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है। तदनुसार राज्य सरकारों को संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को लागू करेंगी। प्रत्येक केन्द्र में होने वाला व्यय उसके लिए प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर निर्भर करेगा। तमिलनाडु में तिरूपुर के संबंध में 589 करोड़ रु. के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। मुरादाबाद के संबंध में संभाव्यता रिपोर्ट में 46.21 करोड़ रु. के पूंजीनिवेश की परिकल्पना की गई है। अन्य केन्द्रों के संबंध में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अभी संभाव्यता अध्ययन किए जाने हैं।

विवरण

निर्यात प्रधान क्षेत्र योजना	अभिनिर्धारित केन्द्र	
केन्द्र का नाम	राज्य	वस्तु
त्रिपुर	तमिलनाडु	निटवियर ऐंड हौजरी
मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	पीतल के हस्तशिल्प
लुधियाना	पंजाब	भारी मशीनरी हौजरी
सूरत	गुजरात	हीरे आभूषण
पानीपत	हरियाणा	हथकरघा
अल्लेप्पी	केरल	कॉयर
जालंधर	पंजाब	खेल का सामान
रानीपेट/एम्बुर	तमिलनाडु	चमड़ा
नागपुर	महाराष्ट्र	हस्त औजार
विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	समुद्री उत्पाद
मेरठ	उत्तर प्रदेश	खेल का सामान
अलीगढ़	–वही–	पीतल के ताले
आगरा	–वही–	चमड़े के जूते
खुरजा	–वही–	मिट्टी के बर्तन
कांचीपुरम	तमिलनाडु	रेशम
सिवाकाशी	–वही–	माचिस
सलेम	–वही–	हस्त औजार
अम्बाला	हरियाणा	वैज्ञानिक उपकरण
जामनगर	गुजरात	पीतल के पुर्जे
राजकोट	–वही–	इंजन पंप
वाणी–अंकलेश्वर	–वही–	रसायन
जटाला	पंजाब	मशीनी औजार
भागलपुर	बिहार	बुनाई

अधिक मूल्य वाले नोटों का डिजाइन

990. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों ने भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक मूल्य वाले नोटों के डिजाइन के स्तर को कम किये जाने संबंधी उनके निर्णय के प्रति यह कहते आगाह किया है कि इससे बाजार में जाली नोट आ जाने का भय है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी का उत्पादन

991. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कॉफी का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान कॉफी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कॉफी की घरेलू और कॉफी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी का वर्षवार कुल उत्पादन इस प्रकार रहा :

सीजन	उत्पादन (मी.टन)
1992–93	169,395
1993–94	208,000
1994–95	180,100

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित काफी की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार रही :

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलि. अमरीकी डालर)
1992–93	113602	133.51
1993–94	136690	186.90
1994–95	137350	350.13

(ग) घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने काफी विपणन प्रणाली का उदारीकरण किया है। इस समय, 10 हेक्टे. और उससे कम जीव वाले लघु उपजकर्ताओं को यह विकल्प है कि वे अपने समूचे उत्पादन को घरेलू अथवा निर्यात बाजार को बेच सकते हैं जबकि दूसरे उपजकर्ता अपने उत्पादन के 70 प्रतिशत तक भाग की ऐसी बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर काफी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काफी बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) 2500 मी.टन कॉफी देशभर में कॉफी बोर्ड की संवर्धनात्मक दुकानों के जरिए बिक्री हेतु निर्धारित की गई है; और

(2) काफी बोर्ड ने बागान "ग" के लिए 125/– रु. प्रति किग्रा. और वाणिज्यिक मिश्रणों के लिए 130/– रु. प्रति किग्रा. की उचित कीमत पर शुद्ध क्वालिटी के काफी पाउडर मिश्रणों की बिक्री की एक योजना तैयार की है।

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड अपने निर्यात सवंर्धन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

(1) विदेशों में महत्वपूर्ण कॉफी मेलों में नियमित भागीदारी।

(2) भारतीय कॉफी पर टी.वी. फिल्मों के निर्माण के अलावा भारतीय कॉफी लोक प्रियता बढ़ाने के लिए प्रचार माध्यम प्रचार अभियान।

(3) नियमित बाजार सर्वेक्षण करना और विदेशी बाजारों को व्यापार वार्ता प्रतिनिधि मण्डल भेजना।

(4) भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में विदेशी बाजार–दल आमंत्रित करना। संयुक्त राज्य अमरीका का एक कॉफी विशेषज्ञ दल जनवरी, 1996 को भारत आएगा जो भारतीय कॉफी की विशेषता का अध्ययन करेगा।

(5) कॉफी बोर्ड, यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया (उपासी) के सहयोग से मई, 1996 में बंगलौर काफी पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944

992. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की खामियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के संचालन में विभाग को पेश आ रही बहुत सी समस्याओं का अब उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णयों से समाधान हो गया है जिसमें वापस मंगाये गये एम.आर.एफ. के मामले में उनके द्वारा दिया गया निर्णय भी शामिल है। अतः, इस समय उक्त धारा 4 को संशोधित करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

रॉबुस्टा कॉफी का निर्यात

993. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कॉफी उत्पादक देशों (ए.सी.पी.सी.) के संघ का एक सदस्य है;

(ख) क्या यह ए.सी.पी.सी. की "निर्यात प्रतिधारण योजना" को मानने के लिये बाध्य है;

(ग) क्या रॉबुस्टा श्रेणी की कॉफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को देखते हुए इसकी 20 प्रतिशत मात्रा को सदस्य देश द्वारा प्रतिधारित रखना होता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्यात की जाने वाली कुल काफी में रॉबुस्टा ग्रेड कॉफी का प्रतिशत क्या है;

(ङ) क्या निर्यात प्रतिधारण योजना के जारी रहने से चालू वर्ष के दौरान काफी के हमारे निर्यात लक्ष्य पर प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो रॉबुस्टा काफी के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, नहीं। भारत ए.सी.पी.सी. का सदस्य नहीं है और इसलिए यह ए.सी.पी.सी की निर्यात प्रतिधारण योजना के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है।

(घ) और (ङ). भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इण्डियन रॉबुस्टा कॉफी को अधिमूल्य प्रकार का माना जाता है और इसके लिए किसी विशेष सवंर्धन अभियान की जरूरत नहीं है। तथापि, कॉफी बोर्ड ने भारतीय रॉबुस्टा के बारे में प्रारम्भिक सूचना प्राप्त करने हेतु जनवरी, 1996 के महीने में भारत का दौरा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन से एक विशेष काफी दल भेजने का अनुरोध किया है जिसके कि विशेष कॉफी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके उपयोग को और बढ़ाया जा सके।

"दक्षेस" देशों के साथ व्यापार

994. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान "दक्षेस" देशों के साथ हुए भारत के व्यापार का मूल्य उसके कुल विदेशी व्यापार के मूल्य का कितना प्रतिशत है;

(ख) "दक्षेस" देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सभी "दक्षेस" देशों ने अन्य "दक्षेस" देशों के साथ अत्यधिक अच्छा व्यवहार किया है और क्या "सापता" का प्रचलन हुआ है;

(घ) क्या "दक्षेस" देशों द्वारा हाल ही में आयातों/निर्यातों की मात्रा और वस्तुओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है जिन्हें क्रमशः भारत अथवा "दक्षेस" देशों द्वारा निर्यातों/आयातों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या "दक्षेस देशों के बीच सड़क, रेल और जलमार्ग द्वारा व्यापार के लिए पर्याप्त यातायात सुविधाएं विद्यमान हैं;

(छ) यदि नहीं, तो क्या "दक्षेस" ने इस संबंध में किन्हीं कदमों को उठाने की सिफारिश की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अन्य "दक्षेस" देशों के साथ हुए भारत के व्यापार का मूल्य भारत के विदेश व्यापार के प्रतिशत के रूप में 1993-94 में 2.22 प्रतिशत, 1994-95 में 2.49 प्रतिशत तथा अप्रैल-सितम्बर 1995 के दौरान 2.91 प्रतिशत था।

(ख) सार्क देशों के बीच व्यापार संवर्धन के लिए सर्वाधित महत्वपूर्ण उपाय 11 अप्रैल, 1993 को सदस्य-देशों द्वारा सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) पर हस्ताक्षर करना है। इसके बाद उनके बीच उत्पाद-दर-उत्पाद आधार पर टैरिफ रियायतों के विनिमय संबंधी वार्ताओं का पहला दौर सम्पन्न हुआ और साप्टा करार की अभिपुष्टि हुई जो अब 7 दिसम्बर, 1995 में लागू होना है। आर्थिक सहयोग संबंधी सार्क समिति की नई दिल्ली में दिनांक 16-17 नवम्बर, 1995 को आयोजित हाल की बैठक में साप्टा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था में सामयिक व्यवस्था में सामयिक प्रगति करने के लिए अन्य उपाय करने पर भी एक करार हुआ।

इसके समानन्तर, सार्क देशों के बिजनेस समुदाय ने सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करने के उद्देश्य से गैर सरकारी फोरम के रूप में एक सार्क चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का गठन किया है ताकि उनके आपसी तथा सार्क सरकारों के साथ संपर्क बढ़ सके तथा उन्हें गहन बनाया जा सके।

अन्य व्यापार संवर्धन उपाय जिन पर सार्क देशों के बीच सहमति हुई है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है – सार्क व्यापार मेले, वाणिज्यिक दौरों के लिए वीजा छूट योजना, व्यापार के लिए परिवहन तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को सुलभ बनाने पर विचार, व्यापार-संवर्धन तथा अन्तः क्षेत्रीय निवेश और संयुक्त उद्यमों के लिए अध्ययन शुरू करना तथा सीमाशुल्क क्रियाविधियों एवं प्रणालियों में समन्वय।

(ग) (i) जी, नहीं। पाकिस्तान ने भारत के साथ परममित्र राष्ट्र का व्यवहार नहीं किया है।

(ii) साप्टा 7 दिसम्बर, 1995 से प्रचालन में आएगा।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई अध्ययन सरकार की जानकारी में नहीं आया है जिसमें सार्क देशों द्वारा व्यापार की मात्रा और वस्तुओं का निर्धारण किया गया हो जिसे भारत सहित अन्य सार्क देशों द्वारा क्रमशः पूरा किया जा सके।

(च) सार्क देशों के बीच व्यापार के लिए परिवहन सुविधाओं में और सुधार करने की जरूरत पर सामान्यतः सहमति है।

(छ) और (ज). इस संबंध में प्रारम्भिक अध्ययन शुरू करके सार्क देशों ने इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया है।

पंजीकृत बेरोजगार युवक

995. **श्री हराधन राय :**
श्री ललित उरांव :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पंजीकृत किये गये बेरोजगार युवकों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे युवकों की राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा श्रेणी-वार, संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विशेषरूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे युवकों की राज्य-वार, संघ तथा श्रेणी-वार, संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में प्रस्तुत है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत है।

(ग) से (ङ). संसाधनों की कमी के कारण सरकार किसी भी श्रेणी के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के पक्ष में नहीं है।

विवरण-I

कैलेंडर वर्ष 1991, 1992 और 1993 के अंत में रोजगार कार्यालय के वर्तमान रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991				1992				1993			
	कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आन्ध्र प्रदेश	3208.7	494.4	378.3	79.8	3330.9	527.4	406.6	81.8	2996.6	500.8	398.8	70.9
2. अरुणाचल प्रदेश	5.1	1.3	–	–	5.3	1.5	*	0.5	7.7	2.3	*	0.4
3. असम	1332.5	275.5	72.7	130.2	1365.1	284.7	74.9	143.5	1377.0	288.0	75.3	140.0
4. बिहार	3574.9	231.8	387.3	216.1	3486.8	27.0	381.2	203.6	3339.3	223.0	379.7	242.8
5. गोवा	101.9	31.2	1.1	*	108.2	33.5	1.1	*	116.3	36.9	1.4	*
6. गुजरात	982.3	125.3	165.7	87.2	1027.0	136.0	174.9	91.2	973.6	132.8	172.2	93.6
7. हरियाणा	667.3	104.7	111.0	*	653.7	104.4	107.4	*	676.3	108.8	110.3	*
8. हिमाचल प्रदेश	464.4	105.1	81.4	14.1	472.4	107.9	84.7	13.6	482.8	110.6	90.3	13.9
9. जम्मू और कश्मीर	136.5	20.7	7.1	0.1	130.7	20.4	8.0	0.3	137.8	23.7	8.6	0.5
10. कर्नाटक	1456.5	293.7	161.4	19.2	1501.8	311.9	173.5	24.1	1575.4	330.5	187.5	28.3
11. केरल	3722.5	1838.1	330.7	17.7	3826.1	1902.1	325.5	18.3	4171.0	2095.7	393.6	20.1
12. मध्य प्रदेश	1990.9	284.6	252.4	164.0	1982.5	277.7	258.2	176.1	1939.6	275.6	273.7	190.0
13. महाराष्ट्र	3159.3	484.1	494.0	103.0	3320.7	532.3	510.6	109.1	3349.4	559.3	536.4	118.9
14. मणिपुर	196.8	53.0	1.4	49.2	212.9	58.3	1.4	53.2	229.9	63.0	1.8	54.1
15. मेघालय	24.0	8.3	0.2	16.1	24.9	9.4	0.2	17.6	27.6	106	0.3	18.7
16. मिजोरम	37.0	8.9	–	37.0	36.3	8.7	–	36.3	39.9	9.9	–	38.8
17. नागालैण्ड	23.0	6.5	1.6	19.7	20.6	6.2	1.1	20.6	20.7	6.0	1.1	19.5
18. उड़ीसा	903.7	114.1	112.5	69.1	896.9	125.9	114.3	74.0	857.8	126.0	117.1	73.4
19. पंजाब	751.4	162.1	203.1	*	721.5	158.4	196.1	*	654.1	142.8	181.3	*
20. राजस्थान	892.6	83.2	128.7	59.3	864.7	84.8	121.5	54.0	828.7	84.7	127.3	57.6
21. सिक्किम												
22. तमिलनाडु	3456.1	1007.9	709.6	14.8	3736.7	1123.4	748.1	12.1	3860.0	1168.1	804.4	13.9
23. त्रिपुरा	166.4	54.7	10.3	11.5	179.7	59.5	10.8	12.3	189.2	64.0	12.0	13.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24. उत्तर प्रदेश	2767.9	212.1	512.0	10.0	2534.7	201.6	474.4	10.4	2379.6	192.2	454.0	9.8
25. पश्चिम बंगाल	5073.5	1049.5	423.4	82.4	5091.2	1075.5	437.2	79.2	4815.1	1028.1	456.1	86.8
संघ शासित प्रदेश												
26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17.5	5.0	–	0.7	17.0	5.2	–	0.7	18.8	6.1	–	0.7
27. चण्डीगढ़	160.1	32.3	41.7	0.1	161.9	33.1	42.3	0.1	161.6	33.2	41.9	0.1
28. दादरा एवं नगर हवेली	2.5	0.7	0.2	0.9	2.9	0.8	0.2	0.9	3.5	1.0	0.2	0.9
29. दिल्ली	890.9	179.7	122.7	13.3	905.5	193.9	129.8	16.6	908.0	197.0	138.7	18.6
30. दमन और दीव	2.1	0.5	0.1	0.2	2.5	0.5	0.2	0.3	3.0	0.7	0.2	0.3
31. लक्षद्वीप	6.3	1.3	–	5.7	6.9	1.5	–	6.4	7.9	1.9	–	6.4
32. पाण्डिचेरी	125.3	57.6	9.5	0.1	130.4	39.5	9.5	0.1	135.5	42.2	10.0	*
कुल	36299.7	7307.7	4702.1	1221.6	36758.4	7652.9	4801.9	1256.5	36275.5	7865.3	4974.0	1333.2

नोट : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।
2. यह आवश्यक नहीं है कि रोजगार कार्यालय के रोजगार रजिस्टर में दर्ज सभी रोजगार चाहने वाले बेरोजगार ही हों।
3. पूर्ण संख्या बनाने के लिए जोड़ में संख्याएँ में जोड़ी जाएं।
4. * 50 से कम के आंकड़े

विवरण-II

कैलेंडर वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान रोजगार कार्यालय के वर्तमान रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991				1992				1993			
	कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आन्ध्र प्रदेश	15.4	2.3	2.1	0.6	19.1	2.8	3.6	1.2	16.0	2.4	2.4	0.4
2. अरुणाचल प्रदेश	*	*	–	–	*	*	*	–	0.1	*	*	*
3. असम	4.0	0.3	0.3	0.4	2.7	0.3	0.1	0.2	2.8	0.3	0.2	0.3
4. बिहार	13.0	0.2	1.0	3.5	13.3	0.1	0.9	1.9	14.3	0.3	1.6	4.0
5. गोवा	0.8	0.2	*	–	1.0	0.3	–	–	0.6	0.1	*	–
6. गुजरात	16.2	1.4	1.9	2.5	24.9	2.5	2.3	4.3	28.1	2.7	2.1	4.4
7. हरियाणा	7.3	0.8	1.9	*	3.6	0.5	1.0	–	4.5	0.6	1.3	*
8. हिमाचल प्रदेश	3.8	0.9	0.6	0.2	5.3	0.9	0.9	0.1	4.3	1.0	0.9	0.2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू और कश्मीर	0.7	0.1	0.1	*	0.3	0.1	*	*	1.2	0.1	*	*
10.	कर्नाटक	14.1	4.3	2.7	0.6	10.5	2.4	1.7	0.6	15.6	2.9	2.6	0.7
11.	केरल	16.1	7.4	1.6	0.2	15.6	7.1	1.3	0.1	16.6	8.1	1.5	0.2
12.	मध्य प्रदेश	14.9	1.6	2.2	3.2	13.1	1.7	2.5	3.9	18.0	2.0	3.2	4.7
13.	महाराष्ट्र	29.6	5.4	5.5	2.2	26.9	5.4	6.3	2.1	25.6	5.4	4.7	1.4
14.	मणिपुर	0.1	*	*	*	0.1	*	*	*	0.3	0.1	*	0.1
15.	मेघालय	0.5	0.2	*	0.2	0.3	0.1	*	0.1	0.2	0.1	*	0.1
16.	मिजोरम	0.8	0.2	–	0.8	0.5	0.1	–	0.3	0.9	0.2	–	0.4
17.	नागालैण्ड	0.2	*	*	0.2	0.3	0.1	*	0.4	0.1	*	*	0.1
18.	उड़ीसा	7.6	1.4	1.5	1.3	7.1	1.1	1.1	1.3	4.8	0.6	0.7	0.9
19.	पंजाब	6.4	1.0	2.4	–	5.1	0.6	2.5	–	3.9	0.5	1.7	–
20.	राजस्थान	11.1	2.8	1.6	0.9	12.6	3.4	1.7	0.9	9.0	2.2	1.5	0.9
21.	सिक्किम												
22.	तमिलनाडु	38.6	14.6	7.6	0.2	30.2	8.8	5.1	0.1	24.0	6.5	5.2	0.2
23.	त्रिपुरा	0.4	0.1	–	–	0.9	0.3	*	0.1	2.5	0.8	*	*
24.	उत्तर प्रदेश	17.4	1.4	3.8	0.2	18.9	2.1	5.6	0.3	14.9	1.3	3.8	0.2
25.	पश्चिम बंगाल	9.7	1.0	1.2	0.2	4.4	1.0	1.0	0.2	6.5	0.8	0.9	0.2
संघ शासित प्रदेश													
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.2	–	–	0.6	0.2	–	–	0.2	0.1	–	–
27.	चण्डीगढ़	1.3	0.4	0.3	*	1.1	0.2	0.4	–	1.0	0.4	0.3	–
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.1	*	–	–	0.1	0.1	–	–	*	*	–	–
29.	दिल्ली	22.0	2.7	0.4	0.1	16.8	1.8	8.5	0.1	14.4	2.7	0.2	*
30.	दमन और दीव	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*	*	*
31.	लक्षद्वीप	0.1	*	–	–	0.1	*	–	–	0.2	*	–	–
32.	पाण्डिचेरी	0.3	*	*	–	0.3	0.1	–	–	0.5	0.1	*	–
	कुल	253.0	50.9	38.4	17.5	238.7	44.2	38.6	18.2	231.4	42.4	34.9	19.3

नोट : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।
2. *संख्या 50 से कम है।
3. पूर्ण संख्या बनाने के लिए संख्या न जोड़ी जाएं।

वायदा व्यापार

996. **श्री राम कापसे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा हाल ही में वायदा व्यापार हेतु अग्रेनीत सौदे के वित्तपोषण के रूप में "बदला" को सरकारी तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाजार के अधिकारियों से सुझाव मांग रहा है ताकि इस संबंध में पटेल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने में सहायता मिल सके;

(घ) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस संबंध में सरकार को कोई समीक्षा सिफारिश प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसने स्टाक एक्सचेंजों "बदला" प्रणाली को मान्यता नहीं दी है जैसी कि यह पूर्व में विद्यमान थी तथा इसने इसकी जगह अनेक विवेकपूर्ण शर्तों एवं पुर्वोपायों सहित एक संशोधित वायदा-कारोबार प्रणाली को अनुमोदित किया है नयी प्रणाली के तहत वायदा कारोबार लेन-देन का वित्तपोषण करने वाले वित्तपोषकों को किन्हीं भी परिस्थितियों में स्टाक मार्केट में अपनी स्थितियों को निपटाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उनके द्वारा धनराशियां प्राप्त नहीं हो जाती। इसके अलावा ऐसे वित्तपोषकों द्वारा अपने लेन देनों के प्रति प्राप्त शेयरों को जमा कराया जाना चाहिए और स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह अथवा इसके प्राधिकृत एंजेट की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए।

(ग) "सेबी" बोर्ड ने ऊपर उल्लिखित शेयरों में लेन-देन की संशोधित वायदा-कारोबार प्रणाली की अंतिम रूप देते समय एक्सचेंजों के सुझावों को ध्यान में रखा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ). के उत्तर के परिप्रेक्षय में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में चाय बागान के संबंध में सर्वेक्षण

997. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में चाय बागानों के विकास के बारे मे कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक कराया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चाय उगाने के लिए संभावित क्षेत्रों का तकनीकी सर्वेक्षण छठी एवं सातवीं योजना अवधि के दौरान पहले ही किया जा चुका है। तथापि, यह सर्वेक्षण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध नहीं था। इस सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं की पहाड़ियों, केरल में इडुकी और वायनाड कर्नाटक के कोडागु जिले, तमिलनाडु में कोडाईकलाल एवं अन्नामलई, असम की एन.सी. पहाड़ियों, तथा कारबी एंगलोंग स्वायतशासी जिले, हिमाचल प्रदेश के चम्बा और मंडी जिलों में चाय की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं।

सभी संभावित क्षेत्रों के अभी तक किए गए सर्वेक्षण के बाद इन राज्यों में नए सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय आयात-निर्यात बैंक का गठन किया जाना

998. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयात-निर्यात बैंक ने विश्व के विभिन्न हिस्सों से व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी में रूचि रखने वाली भारतीय कम्पनियों को शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु निर्यात सेवा समूह की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, हां। विश्व बैंक जैसी बहुपाशिर्वक एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में कारोबार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों की सहायता हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) सेवाओं का पैकेज देता रहा है। इन सेवाओं में वृद्धि की गई है और अब इन्हें निर्यात सेवा समूह के रूप में समेकित किया गया है जो उत्पादों के विदेशों में विपणन और प्रौद्योगिक के अंतरण के लिये भारतीय कम्पनियों के सार्वभौमिकरण हेतु विभिन्न आवश्यक शुल्क आधारित सेवाओं को एक करेगा। ये सेवाएं सूचना-प्राप्ति, निर्माण क्षमता, वित्तीय परामर्श, विदेशी वाणिज्यिक सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीयकृत सहयोग से संबंधित हैं।

एयर इंडिया की भागीदारी

999. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1985, 1990 और इस समय भारत से विदेशों को जाने वाली यात्रियों की संख्या में एयर इंडिया की अंश कितनी है;

(ख) क्या इसकी भागीदारी में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की कुल संख्या में एयर इंडिया के अंश में बढ़ोतरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). विशिष्ट वर्षों के लिए एयर इंडिया और भारतीय वाहकों (इंडियन एयरलाइंस सहित) की मार्किट हिस्सेदारी के ब्यौरे इस प्रकार है :

	मार्किट हिस्सेदारी का प्रतिशत	
	एयर इंडिया	भारतीय वाहक (इंडियन एयरलांइस सहित)
1980	32.1	41.2
1985	26.1	34.9
1990	24.5	30.5
1994	20.4	30.6

(ग) एयर इंडिया अपनी क्षमता नियोजन में बढ़ोतरी और अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य-निष्पादन में सुधार करके अपनी मार्किट हिस्सेदारी में वृद्धि करने के कदम उठा रहा है।

बीमा क्षेत्र के लिए नियामक निकाय

1000. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीमा क्षेत्र के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निकाय के निदेश पद क्या हैं तथा इसका दर्जा क्या होगा और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सरकार ने वित्त मंत्रालय के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया हैं, जिसका अध्यक्ष पदेन स्थिति में भारत सरकार में अपर सचिव सें कम स्तर का नहीं होगा और उसमें 7 सदस्य होंगे जिसमें से तीन से अधिक पूर्णकालिक आधार पर कार्य नहीं करेंगे। अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण "सेबी" की समान संकल्पना के आधार पर एक स्वायत्त बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक व्यापक विधान तैयार करेगा। अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 ख के प्रयोजनार्थ बीमा नियंत्रक के रूप में की जाएगी। स्वायत्त बीमा विनियामक प्राधिकरण के अस्तित्व में आते ही अन्ततोगत्वा अंतरिम निकाय को इसमें विलयित कर दिया जाएगा।

छोटे वायुयान का संचालन

1001. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने छोटे एवं बड़े वायुयानों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार उक्त अनुमति देने के मामले में बड़े वायुयानों को छोटे वायुयानों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दे रही है, जबकि भारत में अनेक छोटी हवाई पट्टियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में छोटी हवाई पट्टियों का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु छोटे वायुयानों के संचालन के लिये अनुमति देने के बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान निजी प्रचालकों द्वारा अर्जित/आयात किये जाने के लिए अनुमत्य विमानों की कुल संख्या निम्नवत है :

वर्ष	विमानों की संख्या
1993	23
1994	20
1995	32

आधारभूत संरचनात्मक प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए और संरक्षा, सुरक्षा तथा हवाई परिवहन सेवाओं की नियमित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार मौजूदा प्रचालकों को अपनी क्षमता में कुछ सीमित वृद्धि करने की तथा नए निजी एयरलाइन प्रचालकों को 50 सीटों वाले विमान के आयात की अनुमति दे रही है।

असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1002. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैंकों के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इनकी क्या उपलब्धियां रहीं हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंकों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) असम में कार्यरत 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम तथा उनके प्रधान कार्यालय के नाम निम्नलिखित हैं :

बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय
1. कछार ग्रामीण बैंक	सिलचर
2. लांग्पी देहांगी ग्रामीण बैंक	दीफू
3. सुबंशिरी गांवलिया बैंक	उत्तरी लखीमपुर
4. प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक	नलबाड़ी
5. लखीमी गांवलिया बैंक	गोलाघाट

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, ग्रामीण बचतों को जुटाने और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक क्रिया-कलापों में उसे लगाने, पुनर्वित्त के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ऋण के प्रवाह के लिये अनुपूरक चैनल बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने की लागत को कम करने के लिये बैंकिंग सेवा को खास उन क्षेत्रों में ग्रामीण जनता तक पहुंचाना हैं, जो बैंक रहित हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमाराशियों के रूप में मार्च, 1994 में 182.04 करोड़ रुपए और मार्च, 1995 में 273.18 करोड़ रुपए जुटाया गया था। इन बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, 118.11 करोड़ रु. (बकाया) और दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, 147.45 करोड़ रु. (बकाया) थी।

(ग) और (घ). दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 62.29 करोड़ रु. की संचित हानियों ने उनके संसाधन की स्थिति पर विपरित प्रभाव डाला है। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यापक पुनर्गठन के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पूंजी लगाना शामिल है। वर्ष 1994-95 में चुने गये 49 बैंकों में असम का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात प्रागज्योतिष गांवालिया बैंक है, जिसे भारत सरकार ने अतिरिक्त इक्विटी के रूप में 11.09 करोड़ रु. का अपना शेयर जारी किया है।

राजस्थान में पर्यटकों के आने में वृद्धि

1003. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 1993 के दौरान पर्यटकों के आने में हुई वृद्धि में 1994 के दौरान कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस राज्य में पर्यटकों के आने में वृद्धि करने के लिए 1995 के दौरान क्या प्रयास किए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पर्यटक आगमन निम्नानुसार थे :

		पर्यटक आगमन	
वर्ष	स्वदेशी	विदेशी	कुल
1992	5263121	547802	5810923
1993	5454321	540738	5995059
1994	4699886	436801	5136687

(ख) राजस्थान में पर्यटकों के आने में कमी मुख्यतया भारत में आरोपित स्वास्थ्य आपदाओं के प्रतिकूल प्रचार के कारण अक्तूबर और नवम्बर के दौरान देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में हुई समग्र कमी के कारण हुई थी।

(ग) किसी भी राज्य में पर्यटन का विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती हैं। तथापि, राजस्थान में पर्यटक स्थानों के संबंध में सूचना प्रकाशित की गई प्रचार सामग्रियों और पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए संवर्धनात्मक उपायों में शमिल हैं।

पूंजी बाजार

1004. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिसके द्वारा पूंजी बाजार में निवेशकर्ताओं का विश्वास बहाल किया जा सके;

(ख) वित्तीय स्थिरता तथा जमाकर्ताओं की साख को सुनिश्चित करने और व्यवस्था की प्रक्रियागत विफलता (टेक्नीकल सिस्टम फेल्योर) को रोकने के लिए क्या सुरक्षोपाय लागू किए गए हैं; और

(ग) भारतीय पूंजी बाजारों को आधुनिक बनाने हेतु प्रतिभूतियों के लेन-देन का शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जो पूंजी बाजार का नियामक है, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए काफी उपाय कर रहा है। सेबी द्वारा नियम और विनिमय बनाए गए हैं जो स्टाक दलालों, उप-दलालों, व्यापारी बैंकरों, डिबेंचर न्यासियों, पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) आदि जैसे विभिन्न बाजार मध्यस्थों के क्रियाकलापों का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक व्यापार, शत्रुतापूर्ण अधीनीकरण और अनुचित बाजार व्यवहारों से बचने के लिए विनियम भी बनाए गए हैं। निर्गमकर्ताओं के लिए प्रकटीकरण मानदंडों की भी

समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवेशक सुविस निर्णय ले सकें।

(ख) अमानतदार विधेयक, 1995 में यह प्रावधान है कि सेबी द्वारा प्रारम्भ प्रमाणपत्र केवल अमानतदार को ही प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि अमानतदार के पास अभिलेखों और लेन-देन की हेराफेरी से बचने की समुचित प्रणालियां और रक्षोपाय हों। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि अमानतदार की लापरवाही से लाभदायक धारक को यदि कोई हानि होती है तो अमानतदार लाभदायक धारक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। तकनीकी प्रणालियों की विफलता के विरूद्ध सुरक्षा के लिए अमानतदारों के पास विभिन्न स्थलों पर समुचित सहायक सुविधाएं उपलब्ध होगी।

(ग) सेबी ने स्टाक एक्सचेंज को सलाह दी है कि वे अपने निपटान चक्रों को कम करें और शीघ्र निपटान तथा व्यापार की निकासी के लिए निकासी गृहों की स्थापना करें। इसके परिणामस्वरूप स्टाक एक्सचेंजों ने सामान्यतया रोकड़ शेयरों में सात दिन के निपटान चक्रों का पालन शुरू कर दिया है। स्टाक एक्सचेंजों को अपने कार्य प्रचालन को स्वचालित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है ताकि दक्षता बढ़े, तथा उनकी प्रणालियों में पारदर्शिता आए।

नई वस्त्र नीति

1005. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग के लिए अगले पांच वर्षों हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के वास्ते एक संदर्शी योजना की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नई वस्त्र नीति तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पंचवर्षीय योजना बनाते समय वस्त्र क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सदृश योजना तैयार की जाती है। उसमें निर्धारित लक्ष्यों तथा नीतियों का नियमित आधार पर मानीटर किया जाता है। सरकार वस्त्र क्षेत्र में हो रहे विकास की बारीकी से निगरानी रखती है तथा जब कभी भी पुनरीक्षा तथा परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता होती है तब नीति परक हस्तक्षेप करके उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(ख) और (ग). 9वीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है तथा इसमें वस्त्र क्षेत्र को उचित रूप से शामिल किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में वस्त्र उद्योग की पूरी संभाव्यता का उपयोग किया जाए ताकि सामर्थ्य कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी का कपड़ा उपलब्ध कराने तथा साथ ही विश्व के वस्त्र व्यापार में देश के अंशदान को बढ़ाने के लिए वस्त्र निर्यात पर अधिक बल देने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

विश्व बैंक ऋण

1006. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने जुलाई, 1995 से भारत की नौ परियोजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किये गए हैं उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). विश्व बैंक बोर्ड ने जुलाई, 1995 से दो परियोजनाओं यथा 192 मि. अमरीकी डालर की राशि के लिए बम्बई मलजल निकासी परियोजना को और 142 मि. अमरीकी डालर की राशि के लिए जलविज्ञान परियोजना को अनुमोदित किया है।

वस्त्र उद्योग का विकास

1007. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग के सहायतार्थ उन पारिस्थितिकी मानकों के अनुसार कई कदम उठाए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट महत्व बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय ऊन उद्योग परिधान और कालीन तैयार करने के लिए अभी तक अधिकतर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊन पर आश्रित है; और

(ङ) यदि हां, तो वस्त्र उद्योग के सहायतार्थ पारिस्थितिकी मानकों के अनुसार कार्य योजना कब तक शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ङ). विश्व बाजार में पारिस्थितिकी मानकों के प्रति बढ़ रही चिन्ता को दूर करने में भारतीय वस्त्र उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने उद्योग को सुगमता से प्राप्त होने वाली परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए वस्त्र प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा विस्तार करने, जिनमें पारिस्थितिकी प्राचल भी शामिल है, अनेक विस्तार संबंधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करने आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य प्रमुख आयातक देशों की पारिस्थितिकी विनिर्देशन संबंधी अपेक्षाओं के प्रति तथा पारिस्थितिकी अनुकूल वस्त्रों आदि का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रंजकों के प्रति वस्त्र व्यापार तथा उद्योग की जागरूकता पैदा करना है।

(घ) चूंकि संगठित मिलों तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा अपेक्षित उत्कृष्ट किस्म की ऊन का घरेलू उत्पादन सीमित है, इस लिए भारतीय

ऊनी वस्त्र उद्योग को मुख्यतः अप्रैल का विनिर्माण करने के लिए आस्ट्रेलियाई ऊन पर तथा कालीनों का विनिर्माण करने के लिए घरेलू ऊन के साथ मिश्रित करने के लिए न्यूजीलैण्ड की ऊन पर निर्भर है।

होटल निर्माण के लिये वित्तीय सहायता

1008. श्री एन.जे.राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार प्रत्येक राज्य को होटलों, मोटलों और अतिथि गृहों के निर्माण के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार अलग-अलग प्रदान की गई वित्तीय सहायता से और उसके बिना निर्मित होटलों, मोटलों और अतिथि गृहों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पर्यटक कुटीरें, पर्यटक परिसर, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, यात्री निवास, कैफेटेरिया, तम्बुओं में आवास आदि का निर्माण करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने धन से निर्मित सुविधाओं के विवरण का रख-रखाव पर्यटन विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत तथा अवमुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

	राज्य	1992-93		1993-94		1994-95	
		स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.51	7.23	114.28	48.15	171.99	73.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.27	28.00	45.40	23.50	–	–
3.	असम	78.66	37.94	78.11	28.83	52.99	27.0
4.	बिहार	54.41	26.33	9.75	4.95	103.10	24.0
5.	गोवा	42.71	22.76	78.82	37.83	76.74	32.6
6.	गुजरात	20.90	8.00	65.76	35.48	14.50	7.5
7.	हरियाणा	104.97	49.50	226.76	44.70	173.98	45.0
8.	हिमाचल प्रदेश	111.94	44.36	369.25	125.92	297.90	100.0
9.	जम्मू और कश्मीर	152.73	73.69	236.19	88.38	143.47	61.2
10.	कर्नाटक	184.66	112.22	177.44	58.53	229.96	104.5
11.	केरल	150.08	46.43	97.40	26.50	287.05	113.7
12.	मध्य प्रदेश	39.07	13.70	30.42	7.00	–	–
13.	महाराष्ट्र	201.30	88.69	309.11	86.57	207.39	52.10
14.	मणिपुर	66.24	34.38	45.50	23.35	–	–
15.	मेघालय	9.77	5.00	1.85	1.85	–	–
16.	मिजोरम	47.70	30.45	88.18	12.50	56.49	28.50
17.	नागालैण्ड	7.17	6.50	16.66	8.00	23.08	11.0
18.	उड़ीसा	72.37	37.63	101.52	61.79	164.60	30.00
19.	पंजाब	135.38	42.50	111.21	49.86	113.93	45.50
20.	राजस्थान	153.31	68.60	285.70	136.44	94.86	38.30

1		2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	49.12	28.10	130.89	86.39	–	
22.	तमिलनाडु	107.42	46.10	402.45	196.80	132.45	46.50
23.	त्रिपुरा	80.28	36.70	9.31	4.69	46.61	11.72
24.	उत्तर प्रदेश	97.34	46.88	166.04	66.65	149.62	107.75
25.	पश्चिम बंगाल	94.10	39.00	158.38	67.00	164.87	42.00
संघ राज्य क्षेत्र							
26.	अण्डमान निकोबार	53.50	30.50	53.47	26.00	–	–
27.	चण्डीगढ़	13.70	14.25	18.66	18.64	21.38	8.11
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	23.62	4.00
29.	दमन और दीव	28.50	28.50	12.03	7.50	44.29	11.45
30.	दिल्ली	58.34	19.93	133.71	76.48	37.41	19.00
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	19.95	10.00
32.	पाण्डिचेरी	–	–	29.75	15.00	–	–
	कुल	2273.92	1063.87	3604.00	1465.37	2842.29	1054.67

बाल मजदूरी

1009. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुरनल जिले में जोखिमपूर्ण और खतरनाक व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु अपनी योजना के प्रथम भाग में 3.19 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस जिले में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन बाल श्रमिकों को पुनर्वास हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अब तक स्वीकृत की गई धनराशि का पूरा सदुपयोग कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 3.19 करोड़ रुपए की अनुमोदित सहायता के विपरीत, सरकार ने कुर्नूल जिले के जिलाधीश के लिए जोखिमकारी व्यवसायों से कार्य से हटाए गए 10,000 बालकों को शामिल करने हेतु परियोजना सोसाइटी और 200 विशेष स्कूल चलाने के लिए पहली किश्त के रूप में 31,96,000 रु. की धनराशि जारी की है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, कुर्नूल जिले में बाल श्रमिकों की संख्या 1,13,630 है।

(ग) और (घ). 1994 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में सरकार के इस संकल्प की घोषणा की कि जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम जो अनुमानतः 20 लाख हैं, का काल-बद्ध ढंग के एक साथ उन्मूलन कर दिया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" संबंधी एक परिपत्र अंगीकार किया है। इस परिपत्र को माननीय प्रधान मंत्री और केन्द्रीय श्रम मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों को पहले ही भिजवा दिया है। इस परिपत्र में विशेष रूप से जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए की जाने वाला कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की है कि जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम का उन्मूलन करने संबंधी प्रयासों को देश में बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों में प्रारम्भ किया जाना चाहिए। तदनुसार, देश में बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों के जिलाधीशों के लिए एक कार्यशाला 13 और 14 सितम्बर, 1995 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य बाल श्रम परियोजनाओं को जिला स्तर पर कार्यान्वित करने संबंधी रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देना तथा क्षेत्रीय स्तर की एजेंसियों से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना था ताकि देश में भावी बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की जा सके। कार्यशाला के परिणामस्वरूप 40.50 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय वाली 63 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी जिनसे बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों

के 1.20 लाख बालक लाभान्वित होंगे। यह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत पहले ही शामिल किए गए 16,000 बालकों के अतिरिक्त हैं।

(ङ) और (च). किसी वर्ग विशेष में संस्वीकृत निधियों का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष चलती रहती है।

गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां

1010. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकड़ों अवैध गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां बड़े पैमाने पर उभर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अवैध कम्पनियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) कम्पनी रजिस्ट्रार से (जहां कहीं आवश्यक हो) नियमीकरण का प्रमाण पत्र और कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही अपना परिचालन शुरू कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक से अलग से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक सम्बद्ध राज्यों के कम्पनी रजिस्ट्रार से एनबीएफसी के निगमीकरण के संबंध में सूचना प्राप्त करता है और अपनी डाक सूचियों में ऐसी कम्पनियों के नाम दर्ज करता है। आरबीआई की डाक सूची में एनबीएफसी की संख्या दिनांक 31.8.95 को 41,381 थी।

(ग) एनबीएफसी के क्रियाकलापों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

निर्यातकों को ऋण सुविधाएं

1011. डा. आर. मल्लू : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाण और दिल्ली (पी.एच.डी.) चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार से निर्यातकों के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यातकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। सरकार को समीक्षा के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार निर्यातकों के साथ लगातार बातचीत करती है निर्यात बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए ही नीतियों को अन्तिम रूप देती है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सुझाव

1012. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा दी गई चेतावनी की जानकारी है कि घरेलू पूंजी बाजार आकांक्षाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप संसाधन जुटाने में असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप हमें विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहना पड़ सकता है जिसके कारण एक बार फिर भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन केन्द्रों का विकास

1013. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने पर्यटन विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन द्वीपसमूहों में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने वर्ष 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 7

परियोजनाओं की पहचान की है। फिर भी, पर्यटन विभाग को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से विस्तृत प्रस्तात्र अभी मिलने बाकी हैं।

(ग) और (घ). पर्यटन का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है तथा पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री और उठाए गए सवंर्धनात्मक उपायों में इन द्वीपसमूहों के बारे में जानकारी दी गई है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण

1014. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों को ऋण स्वीकृत करने के संबंध में कोई छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए वर्तमान मानदण्डों का ब्यौरा क्या है, पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन कंपनियों को स्वीकृत ऋण की कुल मात्रा कितनी है और 1994-95 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत कुल ऋण की तुलना में इन कम्पनियों को स्वीकृत ऋण की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिये गये ऋणों की कड़ी निगरानी करने और केवल उनके पिछले कार्य निष्पादन की विस्तृत जांच करने के पश्चात ही ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त मार्गनिर्देशों का वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने संबंधी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण मिला है और यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे ऋण की समग्र सीमाओं को कम किया जाए। पहले की और नई सीमाएं निम्नलिखित हैं :

एबीएफसी की श्रेणी	पहले की समग्र सीमा	नई समग्र सीमा
वे उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद कंपनियां जिनकी पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, आस्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्कर पट्टे/किराया खरीद में लगा हो और जिनकी कुल आय का 75 प्रतिश्त इन दो प्रकार के कार्यकलापों से प्राप्त होता हो।	कम्पनी के निवल स्वामित्व वाली निधियों (एनओएफ) का चार गुना	कम्पनी के एनओएफ का तीन गुना
अन्य उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद कम्पनियां	कम्पनी के एनओएफ का तीन गुना	कम्पनी के एनओएफ का दोगुना
ऋण एवं निवेश कंपनियां तथा शेष गैर-बैंकिंग कंपनियां	कम्पनी के एनओएफ का दोगुना	कंपनी के एनओएफ के बराबर

जहां तक एनबीएफसी को बैंक ऋण दिए जाने का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). ऋण नियमावली के एक भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों से जोर देकर कहता रहा है कि वे ऋण कर्ताओं के पिछले कार्यनिष्पादन, लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों और भावी अनुमानों के आधार पर सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं की स्वीकृति से संबंधित सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करें।

(ङ) चूंकि बैंक सीधे या अपने अनुषंगो बैंकों के जरिए लीज फाइनैंस दे सकते हैं, अतः बैंकों द्वारा स्वयं दिए गये लीज-फाइनैन्स की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति

1015. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार वर्तमान वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या हाल में इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है :

बैंक का नाम	को समाप्त वर्ष 31.3.1993	को वित्तीय स्थिति 31.3.1994
1. इलाहाबाद बैंक	असंतोषजनक	असंतोषजनक
2. आन्ध्रा बैंक	असंतोषजनक	असंतोषजनक
3. बैंक आफ बड़ौदा	संतोषजनक नहीं	अच्छा
4. बैंक आफ इंडिया	असंतोषजनक	असंतोषजनक
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	संतोषजनक नहीं	असंतोषजनक
6. केनरा बैंक	संतोषजनक	संतोषजनक
7. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	संतोषजनक नहीं	असंतोषजनक
8. कारपोरेशन बैंक	संतोषजनक	संतोषजनक
9. देना बैंक	संतोषजनक नहीं	संतोषजनक नहीं
10. इंडियन बैंक	असंतोषजनक	संतोषजनक नहीं
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	असंतोषजनक	संतोषजनक नहीं
12. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	अच्छा	अच्छा
13. पंजाब नेशनल बैंक	संतोषजनक	अच्छा
14. पंजाब एंड सिंध बैंक	असंतोषजनक	असंतोषजनक
15. सिंडिकेट बैंक	असंतोषजनक	असंतोषजनक
16. यूनियन बैंक आफ इंडिया	संतोषजनक नहीं	संतोषजनक
17. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	असंतोषजनक	असंतोषजनक
18. यूको बैंक	असंतोषजनक	असंतोषजनक
19. विजया बैंक	असंतोषजनक	संतोषजनक नहीं
20. भारतीय स्टेट बैंक	अच्छा	अच्छा
21. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	संतोषजनक	संतोषजनक
22. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	अच्छा	अच्छा
23. स्टेट बैंक आफ इंदौर	संतोषजनक	संतोषजनक
24. स्टेट बैंक आफ पटियाला	अच्छा	अच्छा
25. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	असंतोषजनक	असंतोषजनक
26. स्टेट बैंक आफ त्रवन्कोर	अच्छा	संतोषजनक

(ख) और (ग). आय की पहचान के लिए सख्त मानदंड लागू करना और अनुपयोज्य अग्रिमों (एनपीए) के लिए पर्याप्त राशि का सृजन करना, अनुपयोज्य अग्रिमों पर पूर्व वर्षों में आय के रूप में पहचान किए गए ब्याज का प्रत्यावर्तन करना, कतिपय हानि वाली आस्तियों को बट्टे खाते डालना इनमें से कुछ बैंकों की इस प्रकार की वित्तीय स्थिति के कुछेक कारण हैं।

(घ) बैंकों की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से वार्षिक निरीक्षणों के निष्कर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंक के अध्यक्ष के साथ चर्चा की जाती है और बैंक के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए संबंधित बैंक से प्रभावकारी कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। स्थलेतर निगरानी, स्थल पर निरीक्षण और पूंजी के संवितरण के लिए पूर्व-शर्त के रूप में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए किए जा रहे कुछ अन्य उपाय हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल

1016. श्री महेश कनोडिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंको के निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्तमान नामित निदेशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन निदेशक मंडलों में सामान्य श्रमिक संगठनों से भी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों को नामित करती है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों से परामर्श कर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को इन निदेशक मंडलों में नामित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क), (ग) और (घ). बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में निर्धारित प्रक्रिया और मनदंड तथा उसके अन्तर्गत तैयार की गई स्कीमों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मकार और अधिकारी कर्मचारियों में से प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि सहित निदेशकों का नामांकन किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी निदेशकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रतिनिधियों के नाम

क्र.सं.	गैर सरकारी निदेशक का नाम	बैंक का नाम
1.	श्री मल्लू भट्टी विक्रमाका	आंध्रा बैंक
2.	श्री कृष्ण स्वरूप	बैंक आफ बड़ौदा
3.	सुश्री झांसी रानी नम्बूरी	देना बैंक
4.	श्री एम. वैंकटचलम	इंडियन ओवरसीज बैंक
5.	डा. सतवंत सिंह माही	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
6.	श्री तेज लाम भारती	पंजाब नैशनल बैंक
7.	श्री नोर्बू बरोंगपा	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	श्री आर.एल. चौधरी	–तदैव–
9.	श्री राजकुमार नागरथ	यूको बैंक
10.	श्री बहुरा एक्का	यूनियन बैंक आफ इंडिया
11.	श्री नरसिंह बैठा	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
12.	प्रो. डी.एन. सदाशिव	विजया बैंक

[हिन्दी]

जयपुर हवाई अड्डे का विस्तार

1017. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों को अनुदान

1018. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों, विशेषकर गुजरात को वार्षिक योजना 1994-95 और 1995-96 के लिये अब तक पूर्ण स्वीकृत धनराशि/अनुदान जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राज्यों की वार्षिक योजनाओं तथा योजनागत राजस्व घाटा अनुदानों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता किश्तों में जारी की जाती है। सामान्य केन्द्रीय सहायता योजना आयोग द्वारा स्वीकृत/संशोधित योजनागत व्यय पर आधारित होती है। किसी विनिर्दिष्ट/एम एन पी क्षेत्र के अन्तर्गत किसी कमी की स्थिति में या पूरी योजना के समूचे व्यय में आई किसी कमी की स्थिति में केन्द्रीय सहायता को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्च माह की सामान्य केन्द्रीय सहायता की अन्तिम किश्त, सम्बद्ध राज्य द्वारा सूचित की गयी प्रत्याशित व्यय के आधार पर राज्यों की पात्रता/हकदारी के अनुसार होता है। इस तरह प्रत्याशित बजट के आधार पर आंकलित राज्यों की हकदारी की पुनर्गणना सामान्यतः दूसरे वर्ष प्राप्त हुए योजनागत व्यय के विभागीय तथ्यों के आधार पर की जाती है। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पुनर्भुगतान आधार पर दी जाती है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी राज्यों में व्यय की प्रगति के आधार पर किश्तों में दी जाती है। राज्यों को उनके द्वारा लघु बचत के द्वारा एकत्र की गई शुद्ध राशि के 75 प्रतिशत के बराबर ऋण भी दिया जाता है। यह ऋण राज्यों की वार्षिक योजनाओं को धन मुहैया कराने के आशय से भी होता है। राज्यों को उनकी पात्रता के अनुसार वर्ष 1994-95 और 1995-96 की वार्षिक योजना हेतु स्वीकृत अनुदान/धनराशि दे दी गयी है।

(ख) राज्यों को वार्षिक योजना 1994-95 और 1995-96 के लिए अब तक नियत एवं जारी की गयी धनराशि को दिखाने वाला विवरण I और II संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता ऋण सहायता सहित		ई.ए.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		राजस्व घाटा अनुदान (योजना)		लघु बचत ऋण	
		आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1.	आन्ध्र प्रदेश	706.03	732.75	650.00	570.38	–	–	95.55	95.55	300.00	591.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	306.84	306.94	2.00	0.00	–	–	–	–	3.00	5.30
3.	असम	860.21	851.25	86.80	6.67	46.42	46.42	87.89	87.89	125.00	387.98
4.	बिहार	947.31	914.15	200.00	72.01	–	–	384.80	384.80	250.00	245.10
5.	गोवा	47.34	48.86	5.80	0.73	2.11	2.15	–	–	15.00	23.00
6.	गुजरात	260.50	245.51	223.87	141.05	7.93	7.93	–	–	550.00	626.27
7.	हरियाणा	187.02	171.59	178.12	74.92	–	–	–	–	175.00	237.67
8.	हिमाचल प्रदेश	290.42	293.94	80.00	38.20	–	–	–	–	109.40	266.04
9.	जम्मू और कश्मीर	935.55	1707.49*	15.00	11.10	17.50	17.50	3.72	3.72	50.00	93.21
10.	कर्नाटक	305.93	282.78	570.00	373.91	10.18	9.61	–	–	440.00	747.07
11.	केरल	383.23	378.14	199.65	126.82	8.58	8.51	115.51	115.51	250.00	393.23
12.	मध्य प्रदेश	553.53	542.60	184.46	94.31	–	–	293.39	293.39	200.00	267.55
13.	महाराष्ट्र	447.21	427.81	550.00	562.58	13.81	13.81	–	–	550.00	766.73
14.	मणिपुर	217.94	230.65	5.00	0.00	–	–	–	–	3.57	4.95
15.	मेघालय	211.85	211.94	37.00	0.00	4.23	4.23	–	–	14.00	11.34
16.	मिजोरम	196.37	199.67	10.00	0.00	3.25	3.25	–	–	3.50	3.84
17.	नागालैण्ड	195.44	226.60**	10.00	0.00	–	–	–	–	2.50	1.78
18.	उड़ीसा	376.99	381.42	270.00	201.72	–	–	206.72	206.72	150.00	211.51
19.	पंजाब	762.91	740.94**	209.12	99.39	7.89	7.89	15.09	15.09	275.00	411.06
20.	राजस्थान	428.76	422.05	270.00	197.77	80.44	80.44	306.73	306.73	300.00	450.31
21.	सिक्किम	134.96	132.40		0.00	0.00	0.00	–	–	0.35	2.74
22.	तमिलनाडु	650.45	644.97	764.87	671.69	25.01	25.01	12.26	12.26	375.00	569.9
23.	त्रिपुरा	247.58	258.61	35.00	0.00	9.81	9.81	–	–	22.50	16.1
24.	उत्तर प्रदेश	1289.88	1368.90	1037.54	497.80	197.06	197.06	878.69	878.69	1117.50	1644.17
25.	पश्चिम बंगाल	489.98	519.73	351.27	163.20	45.18	40.00	279.62	279.62	750.00	1351.43
	योग :	11324.21	12221.68	5945.20	3904.25	479.40	473.62	2679.97	2679.97	6031.32	9329.63

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

* 973.00 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता सहित।

** नागालैण्ड के लिए 18.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं 12.00 करोड़ रुपए की विशेष योजनागत ऋण तथा पंजाब के लिए 600.00 करोड़ रुपए की विशेष योजनागत ऋण सहित।

विवरण–II

(करोड़ रुपये में)

		सामान्य केन्द्रीय सहायता ऋण सहायता सहित		बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		लघु बचत ऋण	
	राज्य	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1.	आन्ध्र प्रदेश	777.50	515.20	770.00	409.55	0.00	0.00	717.50	439.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	361.30	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.56
3.	असम	946.36	708.91	80.00	2.19	50.16	6.37	150.00	88.47
4.	बिहार	1031.15	657.40	150.00	14.46	0.00	0.00	525.00	325.14
5.	गोवा	57.34	37.60	13.00	0.10	2.32	0.70	19.00	20.35
6.	गुजरात	331.08	194.87	133.88	81.11	7.99	4.00	630.00	728.00
7.	हरियाणा	206.37	138.96	190.00	66.97	0.00	0.00	203.00	206.21
8.	हिमाचल प्रदेश	395.46	263.20	55.39	28.74	0.00	0.00	110.00	115.27
9.	जम्मू और कश्मीर	1383.50**	928.85	10.00	4.06	19.25	9.63	85.00	28.90
10.	कर्नाटक	378.15	250.40	448.80	125.20	11.22	3.37	450.00	363.75
11.	केरल	414.00	275.60	200.00	30.62	9.46	2.94	355.00	263.48
12.	मध्य प्रदेश	665.80	409.70	120.00	67.53	0.00	0.00	250.00	212.77
13.	महाराष्ट्र	570.24	333.60	1210.00	362.89	15.17	4.55	700.00	990.11
14.	मणिपुर	272.00	157.97	5.00	–	0.00	0.0	4.00	1.44
15.	मघालय	227.34	149.15	0.00	–	3.68	1.84	16.00	2.28
16.	मिजोरम	226.37	147.32	15.00	–	2.54	1.27	4.00	1.54
17.	नागालैण्ड	230.44	152.40	15.00	–	0.00	0.00	1.50	0.45
18.	उड़ीसा	491.34***	290.82	260.00	65.15	0.00	0.00	250.00	129.26
19.	पंजाब	212.92	342.00*	155.00	64.00	7.95	3.98	425.00	415.85
20.	राजस्थान	481.54	299.20	350.00	153.01	83.86	41.93	450.00	288.85
21.	सिक्किम	157.46	104.30	0.00	–	0.00	0.00	1.50	–
22.	तमिलनाडु	667.35	444.00	950.00	247.84	27.53	8.26	400.00	291.40
23.	त्रिपुरा	284.72	183.60	0.00	–	10.20	5.10	20.00	2.29
24.	उत्तर प्रदेश	1492.80	958.30	1020.00	245.18	217.07	56.25	1420.00	993.82
25.	पश्चिम बंगाल	580.01	385.52	400.00	44.31	50.92	35.77	1150.00	1117.26
	योग :	12865.05	8555.18	6551.07	2012.92	519.32	185.86	8342.50	7025.94

* 200 करोड़ रुपए की विशेष योजनागत ऋण सहित।

** 44 करोड़ रुपए की विशेष योजनागत ऋण सहित।

*** 55 करोड़ रुपए की विशेष योजनागत ऋण सहित।

विदेशी निवेश के बारे में पेरिस में बैठक

1019. श्री एम.बी.वी.एस. मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में विकासशील देशों द्वारा सीधी विदेशी निवेश के संबंध में विशेष चर्चा हेतु बलाई गई बैठक में भारत ने हिस्सा लिया;

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या-क्या निर्णय लिये गए; और

(ग) देश में विदेशी निवेश पर इन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). देश की सहायता संबंधी आवश्यकताओं पर बातचीत करने के लिए 29 और 30 जून, 1995 को पेरिस में भारत विकास मंच की बैठक हुई। बैठक का दूसरा दिन संभावित निवेशकों के साथ इस वर्ष के विषय "आधारभूत संरचना में प्राइवेट क्षेत्र का निवेश-एक समर्थ वातावरण पर परस्पर बातचीत हेतु समर्पित था। इस बैठक में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र के प्रवेश को सुसाध्य बनाने के लिए हाल ही में प्रारंभ की गई पहलों के विस्तार हेतु सरकार के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस विचार-विमर्श में सरकार को आधारभूत संरचना के विकास में भाग लेने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार करने हेतु हाल ही में नीतियों में किए गए बदलाव कहां तक सफल हुए हैं, पर संभावित निवेशकों के सापेक्ष महत्व को जानने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान किया गया। कुल मिलाकर इस बैठक में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देश में उपलब्ध निवेश के अवसरों के संबंध में इच्छुक प्राइवेट निवेशकों के हितों की पुष्टि की है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों का वेतन

1020. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 से 15.11.95 के बीच सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ाई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी बार अंतरिम राहत दी गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी बार मूल्य सूचकांक बढ़ा तथा महंगाई भत्ता दिया गया तथा अंतरिम राहत मंजूर की गई तथा दी गई; और

(घ) बढ़ते मूल्य को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी (सिविलियन) कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक हुआ कुल व्यय इस प्रकार था :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
1991-92	11469.12
1992-93	12976.32
1993-94	141683.65
1994-95	15531.89

(ख) और (ग). 1991-95 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दो बार अंतरिम राहत मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.1.86 से प्रभावी मौजूदा वेतनमानों से संबद्ध 608 के आधार सूचकांक की तुलना में अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (आधार 1960-100) के 12 महीने की औसतन प्रतिशतता वृद्धि के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष में महंगाई भत्ते की दो किस्तें मंजूर की गई हैं। इस प्रकार वर्ष 1991-95 तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कुल 10 किस्तें मंजूर की गई है।

(घ) चालू वित्त वर्ष में मूल्यों की वृद्धि को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है :

(i) लोक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और आवश्यकता पड़ने पर आयात द्वारा सामग्री की पूर्ति करना।

(ii) आयतित अनिवार्य उत्पादों की स्टाक सीमा के बगैर काम चलाना।

(iii) चालू वर्ष के बजट में व्यापार और शुल्क नीतियों में समायोजन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वदेशी मूल्य प्रतियोगिता में बने रहें।

(iv) अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी।

(v) चालू वित्त वर्ष के बजट प्रस्तावों में वित्तीय घाटे में कमी।

(vi) तदर्थ खजाना बिलों को जारी करके भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार के उदारीकरण को नियंत्रित करना और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोकड़ आरक्षण अनुपात (सी.आर.आर.) और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री बढ़ाने सहित अनेक उपायों द्वारा मुद्रा बढ़ोतरी को अंतर्विष्ट करना।

[अनुवाद]

पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

1021. श्री हरिन पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में पत्रकारों को पेंशन देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले पत्रकारों सहित सभी कर्मचारी निधि अंशदाताओं के लिए पहले ही एक नई कर्मचारी पेंशन योजना शुरू कर दी है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता, मृत्यु आदि आकस्मिकताओं में मासिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। पेंशन का हकदार बनने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की अंशदायी सेवा आवश्यक है। पेंशन का हिसाब अंतिम 12 महीनों के औसत पेंशन-योग्य वेतन के आधार पर लगाया जाएगा। 33 वर्षों की अंशदायी सेवा के साथ सामान्य अधिवर्षिता पेंशन की राशि पेंशन योग्य वेतन का 50 प्रतिशत होगी। जो व्यक्ति 24 वर्षों तक परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य रहे हैं उनकी न्यूनतम पेंशन राशि 500/- रु. प्रतिमाह है। दो बच्चों वाली विधवा के लिए परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 680/- रु. प्रतिमाह है।

तम्बाकू बोर्ड का पुनर्गठन

1022. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तम्बाकू बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के नए सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्धारित मानदंड क्या है; और

(घ) तम्बाकू बोर्ड के लिए हाल ही में नामित प्रत्येक पब्लिक मेंम्बर की स्पांसरशिप क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। तम्बाकू बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 1 जून 1995 की अधिसूचना द्वारा किया गया था।

(ख) 1 जून 1995 को अधिसूचित बोर्ड के सदस्य निम्नांकित है :

1. श्री दत्तात्रेय बाडन्रू सदस्य, लोक सभा	लोक सभा द्वारा चुना गया सदस्य सभा
2. श्री के.वी.आर. चौधरी सदस्य, लोक सभा	लोक सभा द्वारा चुना गया सदस्य
3. संयुक्त निदेशक कृषि विशेष परियोजनाएं फसलें, उड़ीसा	सदस्य-उड़ीसा सरकार प्रतिनिधि
4. महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य-महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि
5. श्री वी. नागेश्वर, राव, जिला खम्माम (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू उपज कर्ताओं का प्रतिनिधि
6. श्री पी.वी. रामकृष्ण राव, जिला खम्माम (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू उपज कर्ताओं का प्रतिनिधि
7. श्री गादे वेंकटप्पा रेड्डी कोथारेड्डीयालेम, जिला गन्टूर (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू उपज कर्ताओं का प्रतिनिधि
8. श्री वेल्लम रेड्डी मस्तान रेड्डी, जिला प्रकासम (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधि
9. श्री बोन्डेला रेडैमा, जिला पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू उपज कर्ताओं का प्रतिनिधि
10. श्री रामराज अर्स, जिला मैसूर (कर्नाक)	सदस्य-तम्बाकू उपज कर्ताओं का प्रतिनिधि
11. श्री आर. गोपाल कृष्ण, गंटूर (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू निर्यातकों/संसाधकों का प्रतिनिधि
12. श्री भाद्री लक्ष्मैया, गंटूर (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-तम्बाकू निर्यातकों/संसाधकों का प्रतिनिधि
13. श्री एम. उमामहेश्वर राव, गंटूर (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-निर्यातकों/संसाधकों का प्रतिनिधि
14. श्री वाई.वी.राव, गंटूर (आंध्र प्रदेश)	सदस्य-निर्यातकों/संसाधकों का प्रतिनिधि

(ग) तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों का चयन तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के तहत बोर्ड की स्थापना तथा गठन के प्रावधानों तथा तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 3 और 4 में विहित रिक्तियां भरने की विधि एवं सदस्यों का कार्यकाल संबंधी नियमों के अनुसार किया गया था।

(घ) तम्बाकू बोर्ड में नामित करने की सिफारिशें विभिन्न राज्यों, कृषि मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय और तम्बाकू बोर्ड से प्राप्त हुई थी। अलग-अलग व्यक्तियों तथा अन्य इच्छुक निकायों से सीधे भी नामांकन प्राप्त हुए थे। प्राप्त नामांकनों की जांच तम्बाकू बोर्ड के साथ विचार विमर्श करके की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम/नियमों की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा दिया गया है तथा महत्वपूर्ण तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों व्यापार एवं उद्योग को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

वित्तीय संस्थान

1023. श्री एस.एम. लालजान बाशा :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक जैसा कार्य करने वाली अनेक वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता का अध्ययन करने हेतु एक आयोग का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु कल्याण योजना

1024. श्री कुन्जी लाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार 1994-95 के दौरान राज्य की सरकार द्वारा इन श्रमिकों के कल्याण हेतु शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों के लिए धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में लागू की गई योजनाओं और दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता अब तक प्रदान नहीं की गई है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर छूट के अन्तर्गत वस्तुओं का अधिक मूल्य का बीजक बनाना

1025. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवंबर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "गुडस ग्रोसली ओवर इनवीइसड अन्डर डयूटी एक्जेम्पशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) धोखाधड़ी के कुल कितने मामलों का पता चला है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा करोड़ो की इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) क्वार्टज एनालांग घड़ियों, कम्प्यूटरों, उदभासित फिल्मों और कूड़ा-कर्कट के थैलों के निर्यातकों के विरूद्ध हाल ही में दिल्ली सीमाशुल्क गृह के अधिकारियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल के परिणास्वरूप माल के संदेहास्पद अधिक बीजक बनाने का पता चला है। इन मामलों में की गई अनुवर्ती कार्रवाई से पता चला है कि अंतिम निर्यातकर्ता द्वारा डी.ई.ई.सी. पुस्तकों में शामिल बिना अस्तित्व वाली कम्पनियों/विनिर्माताओं से निर्यात माल खरीदा गया था। ये खेमें हांगकांग और दुबई जानी थी।

(ग) 1994-95 और 1995-96 (सितम्बर 1995 तक) के दौरान अधिक बीजक बनाने के 99 मामले बताए गए हैं। 940 लाख रुपये स्वीकृत/अनुमानित (लगभग) मूल्य के प्रति इन मामलों में माल का निर्यात घोषित मूल्य लगभग 3184 लाख रु. है।

(घ) निर्यात-आयात नीति के पैरा 49 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा निर्धारित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवर्तन एजेंसियों का निर्यात दस्तावेजों की गहन संवीक्षा करने के अलावा अधिक सतर्क रहने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

बाल मजदूरी

1026. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमों के अन्तर्गत बाल मजदूर और बंधुआ मजदूर रखने वाले कितने कारखानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और इन अधिनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये कारखानों और प्रतिष्ठानों के विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अब तक कितने बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई और इनमें से कितने मजदूरों का पुनर्वास किया गया है; और

(ग) शेष बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरों का कब तक पुनर्वास किया जाएगा?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए बाल श्रम के बारे में प्रवर्तन आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में बंधित-श्रम प्रणाली समाप्त कर दी गई है। उन प्रतिष्ठानों/कारखानों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं जहां व्यक्ति बंधित रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के एक भाग के रूप में, इस समय 11 राज्यों में 75 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन सी एल पी एस) पर कार्य चल रहा है जिसमें 1,36,000 बच्चों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत एक प्रमुख क्रियाकलाप नियोजन से हटाए गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार आदि जैसी मूलभूत जरूरतें मुहैया कराने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना से संबंधित है।

(ग) प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1994 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में किए गए आह्वान के अनुसरण में सन् 2000 ई. तक 20 लाख बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है।

विवरण

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

1992–93

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियानों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि.	कार. अधि.	बाल श्रम अधि.	कार. अधि.	बाल श्रम अधि.	कार. अधि.	बालश्रम अधि.	कार. अधि.
1.	हरियाणा	—	29	—	—	—	—	—	—
2.	हिमाचल प्रदेश	75	58	—	—	—	—	—	—
3.	केरल	—	4679	—	—	—	39	—	12
4.	मध्य प्रदेश	12038	10961	—	5	—	695	—	389
5.	महाराष्ट्र	—	11374	—	—	—	—	—	—
6.	मेघालय	369	76	—	—	—	—	—	—
7.	उड़ीसा	7	92	—	—	1	—	—	—
8.	पंजाब	740	37	—	17	—	704	—	446
9.	राजस्थान	174	—	1	—	1	—	—	—
10.	तमिलनाडु	—	12510	—	20	—	20	1	1
11.	त्रिपुरा	9	166	—	—	—	—	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	11534	533	1883	83	1867	135	162	26
13.	दिल्ली	—	323	—	—	—	—	—	—
14.	चंडीगढ़	74	209	—	—	—	—	—	—
	कुल	25020	41047	1884	125	1869	1593	163	874

1993–94

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियानों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
	बाल अधि.	कार. अधि.	बाल अधि.	कार. अधि.	बाल अधि.	कार. अधि.	बाल अधि.	कार. अधि.
गुजरात	2440	7885	—	—	—	—	—	—
बिहार	1321	—	4	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	72	61	—	—	14	15	10	17
हरियाणा	241	143	45	2	—	—	—	—
केरल	—	3820	—	—	—	3	—	—
मध्य प्रदेश	2588	1437	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	731	13415	29	37	21	37	—	—
मणिपुर	9	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	290	191	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	95	45	79	2	—	2	—	—
पंजाब	726	277	1	3	1	219	—	204
राजस्थान	181	836	—	—	1	—	—	—
तमिलनाडु	—	6612	—	75	—	37	1	5
त्रिपुरा	—	40	—	—	—	—	—	
उत्तर प्रदेश	7986	263	1646	29	1271	11	254	8
दमन और दीव	15	17	11	12	—	—	—	—
दिल्ली	187	286	—	—	—	—	—	—
कुल	16902	35,378	1,814	160	1,308	324	264	2341

भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेन्ट

1027. **श्री हाराधन राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेन्टों की सेवा संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनकी सुविधाओं और अधिकारों में कोई कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उनकी सेवा संबंध में शर्तों को बेहतर बनाने हेतु किसी नये प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि एजेंटों की सेवा शर्तें भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट विनियम) 1972 द्वारा विनियमित की जाती है।

(ख) जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि एजेंटों की सुविधाओं और अधिकारों में कोई कांट-छांट नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ, नागपुर ने 30 सितम्बर, 1995 को वित्त मंत्री को संबोधित अपने पत्र में जीवन बीमा निगम के साथ दो मामलों पर बातचीत करने को कहा था, यथा : (I) क्लब के सदस्य एजेंटों (ऐसे वरिष्ठ एजेंट जो चार वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं) को मेडिक्लेम की अदायगी, (II) जीवन बीमा निगम से एजेंटों को देय लम्बित एजेंसी कमीशन का जल्दी भुगतान करने हेतु शीघ्र कार्रवाई किया जाना। संघ की इच्छानुसार जीवन बीमा निगम के पास मामले को ले जाया गया है।

(च) हालांकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गयी है फिर भी, इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

भारत और डेनमार्क के बीच समझौता

1028. **श्री राम कापसे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेश संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत और डेनमार्क के बीच कोई समझौता हुआ है, जिसके अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार सहित सभी प्रकार की परिसंपत्ति जिसका निवेश उस देश के कानून के अनुसार किया गया हो, को संरक्षा प्रदान किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य किन-किन देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ करार के मुख्य प्रावधान हैं—एक देश से दूसरे देश में किए गए निवेशों का संरक्षण, निवेशकों और निवेशों के लिए सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का व्यवहार, निवेश विवादों के लिए निपटान-प्रक्रिया, स्वामित्वहरण/राष्ट्रीयकरण के मामले में क्षतिपूर्ति और आय के प्रत्यावर्तन की सुविधा।

(ग) यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस, मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड्स और इटली के साथ भी ऐसे करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

विमानों का आयात

1029. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजी एयरलाइनों के परिचालकों द्वारा किये जाने वाले विमानों के आयात संबंधी नियमों में कुछ छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वायु टैक्सी सेवा शुरू करने संबंधी प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। नये हवाई परिवहन सेवा प्रचालकों को अब पहले के 30 सीटों की क्षमता वाले विमान के मुकाबले 50 सीटों की क्षमता वाले विमान आयात करने की अनुमति दे दी गयी है।

(ग) और (घ). हवाई सेवा प्रारम्भ करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एक सतत् प्रक्रिया है। 28.11.95 की स्थिति के अनुसार 6 अनुसूचित तथा 17 गैर-अनुसूचित/हवाई टैक्सी प्रचालक निजी सेक्टर में प्रचालन कर रहे हैं। इसके अलावा, 29 आवेदकों को निजी हवाई परिवहन सेवा आरम्भ करने के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किये गए हैं।

पर्यटन का विकास

1030. **श्री प्रबीन डेका :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो मास्टर प्लान को लागू करने के लिए अनुमानतः कितनी राशि की आवश्यकता होगी तथा किन-किन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा; और

(ग) उक्त मास्टर प्लान को लागू करने हेतु सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). असम में पर्यटन के विकास के लिए एक पर्यटन मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर एक पेशेवर अभिकरण की नियुक्ति की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य सभी राज्य सरकारों से भी इस प्रकार की योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। चूंकि मास्टर प्लान अभी पूरी नहीं है, विकास के लिए प्रस्तावित स्थल और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों को पहले से कोई आवंटन नहीं करता है। तथापि, पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, उनके गुण दोष और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार

1031. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
डा. मुमताज अंसारी :

क्या **वस्त्र मंत्री** 11 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 1652 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन टी सी (राष्ट्रीय वस्त्र निगम) की मिलों की आधुनिकीकरण संबंधी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). एन टी सी के लिए आधुनिकीकरण योजना को बी आई एफ आर को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसने अभी उसका अनुमोदन करना है। बी आई एफ आर का अनुमोदन होने तथा योजना में की गई परिकल्पना अनुसार निधियों के जुट जाने से ऐसी आशा है कि योजना को दो वर्ष की अवधि के भीतर क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

भारत-चीन सीमा व्यापार की स्थिति

1032. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सीमा व्यापार के संबंध में जून, 1994 में बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत-चीन व्यापार की इस समय क्या स्थिति है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आर्थिक संबंध तथा व्यापार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त दल के नई दिल्ली में 13-15 जून, 1995 को हुए पांचवे सत्र के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ भारत-चीन सीमा व्यापार के पहलू पर चर्चा हुई।

(ख) इस समय चीन के साथ सीमा व्यापार उत्तर प्रदेश में लिपुलेख पास तथा हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास के जरिए किया जाता है। सीमा व्यापार के लिए और स्थान खोलने हेतु चीनी पक्ष के साथ बातचीत चल रही है। क्योंकि भारत-चीन सीमा पर अन्य स्थानों पर व्यापार के विस्तार के लिए भारत और चीन सिद्धान्त रूप से सहमत है।

वर्ष 1994-95 के दौरान भारत और चीन के बीच कुल 3167 करोड़ रु. का व्यापार हुआ।

राजकोषीय घाटा

1033. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत है, बढ़ने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने जून, के अंतिम दो सप्ताहों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आंतरिक राहत देने के अतिरिक्त सांसद क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ज.एरिया डेवलपमेंट स्कीम) के अन्तर्गत 790 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी;

(ग) इन उपायों से अनुमानित घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) वर्ष 1996-97 के बजट दस्तावेज के यह स्थिति प्रतिबिम्बित होगी।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 1995-96 के ही बजट अनुमानों में अनुमान संख्या "68-कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग" में (790 करोड़ रुपए) व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). सरकार की पश्च-बजट वचनबद्धताओं से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय के प्रभाव और इन्हें वित्तपोषित करने की विधि 1996-97 के बजट दस्तावेज में प्रतिबिम्बित की जाएगी।

लोक सेन चाय बागान के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

1034. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लोक सेन चाय बागान का प्रबंधन कर रहे भारतीय चाय बागान निगम के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन और दिहाड़ी नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). टी.टी.सी.आई. के पास कोषों के उपलब्ध न होने के कारण चाय बागान के कामगारों को वेतन एवं दैनिक मजूदरी के लिए वितरण में कुछ देरी हुई थी। तथापि, टी.टी.सी.आई.लि. से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार इस चाय बागान के कामगारों को राशन सहित सभी बकाया एवं वर्तमान मजदूरी तथा वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्धुदुर्ग में विमानपत्तन

1035. **श्री सुधीर सावन्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में सिन्धुदुर्ग में एक विमानपत्तन के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस एजेंसी का नाम क्या है जिसे इस संबंध में सर्वेक्षण संबंधी कार्य सौंपा गया है; और

(ग) सर्वेक्षण से संबंधित कार्य भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को न दिये जाते के क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

मादक द्रव्यों के कार्य में संलिप्त विदेशी नागरिक

1036. **श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक द्रव्यों के कार्य में संलिप्त कुछ विदेशी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मादक द्रव्यों में संलिप्त इन व्यक्तियों ने देश छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्वापक औषध तथा मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कुछ विदेशी नागरिक विभिन्न न्यायालयों द्वारा जमानत पर छोड़ दिए गए। उक्त अधिनियम की धारा 37 की शर्तों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, जिसकी अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक हो, जमानत पर अथवा स्वंय के बांड पर तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक :

(i) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन पत्र का विरोध किए जाने का एक मौका दिया गया हो, तथा

(ii) लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का विरोध किए जाने पर न्यायालय इससे सहमत है कि इसे स्वीकार करने का उचित आधार है, ऐसे अपराध के लिए वह दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।

जिन मामलों में विदेशी दोषी हैं लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध कर सकता है यदि वह यह महसूस करे कि जमानत देने के पश्चात् उनके द्वारा उसका उल्लंघन किए जाने की संभावना है। तथापि, कुछ मामलों में न्यायालय अधिनियम की धारा 37 में दी गई शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर सकता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर 318 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, 60 विदेशी नागरिक को जमानत प्रदान की गई तथा 58 विदेशी फरार हो गए।

दसवां वित्त आयोग

1037. **श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को नशाबंदी नीति को लागू करने के लिए अनुदान राशि जारी करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना-कितना अनुदान दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). वर्तमान में भारत सरकार के पास सम्बद्ध राज्य सरकारों को नसाबंदी नीति के कार्यान्वयन हेतु अनुदान मुहैया कराने की कोई योजना नहीं है। सरकार द्वारा इस संदर्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में मतभेद

1038. **श्री राजेश कुमार :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्ग विशेषकर खाड़ी क्षेत्र से संबद्ध मुद्दे के बारे में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधन के बीच कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा मुफ्त पास देना

1039. श्री केशरी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमानों में यात्रा करने के लिए मुफ्त पास जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मुफ्त पासों के जारी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये पास किन श्रेणी के व्यक्तियों को जारी किये गये हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान, एयर इंडिया पर यात्रा के 1000 निःशुल्क टिकट और इंडियन एयरलाइंस पर यात्रा के 800 निःशुल्क टिकट पर्यटन विभाग को आबंटित किए गए हैं ताकि वे उन्हें अतिथि-सत्कार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत आने वाले यात्रा-वृत्तांत लेखकों, फोटोग्राफरों, टुअर ऑपरेटरों तथा मत निर्माताओं को जारी कर सकें। 1.1.1995 से 9 निःशुल्क टिकट स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के साथ परामर्श करके ऐसे व्यक्तियों को जारी किए गए हैं जिन्हें विदेशों में डाक्टरी इलाज की आवश्यकता थी। नागर विमानन और पर्यटन मंत्री ने भी 1.1.95 से 30.11.95 की अवधि के दौरान अपने विवेकाधिकारियों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों को, जिनमें जनसाधारण भी शामिल हैं, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर एयर इंडिया सेवाओं पर यात्रा के 225 निःशुल्क टिकट और इंडियन एयरलाइंस सेवाओं पर यात्रा के 121 टिकट स्वीकृत किए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं को अनुमति

1040. श्री चेतन पी.एस. चौहान :
डा. रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अनिवासी भारतीयों, विदेशी निगमित निकायों और विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं को प्रत्यावर्तन आधार पर प्राथमिक ऋण बाजार में भाग लेने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा जुटाए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों को संबोधित दिनांक 19.5.95 के एक परिपत्र के माध्यम से कृषि/बागान गतिविधियों को छोड़कर किन्हीं गतिविधियों में रत/रत होने का प्रस्ताव रखने वाली विद्यमान अथवा नई भारतीय कम्पनियों (निजी तथा सरकारी लिमिटेड-दोनों प्रकार की कम्पनियों) को प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों, समुद्रपारीय निगमित निकायों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को इक्विटी शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि ऐसे अनिवासी निवेशकों को प्रत्यावर्तन लाभों के लिए अर्हक शेयरों/डिबेंचरों का कुल आवंटन नए निर्गमों के 24 प्रतिशत से अधिक न हो। तथापि विदेशी संस्थागत निवेशकों/सूचीबद्ध न की गई निजी मर्यादित कंपनियों में निवेश करने से रोका गया है चूंकि अपने पब्लिक इश्यूज के लिए उपर्युक्त सुविधा का फायदा उठाना एक निगमित निर्णय है, अतः परिणामी विदेशी मुद्रा अंतप्रवाह का परिमाणात्मक निर्धारण संभव नहीं होगा। इस सुविधा की घोषणा प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी चालू प्रयासों का भाग है।

[हिन्दी]

घरेलू विमान भाड़े में वृद्धि

1041. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1995 से घरेलू विमान भाड़े में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस वृद्धि से पर्यटन के प्रभावित होने की संभावना है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). विभिन्न आदानों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण इंडियन एयरलाइंस ने 01 अक्तूबर, 1995 से अपने अंतर्देशीय रुपया किराया में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की।

[अनुवाद]

खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का आयात

1042. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को अंतिमरूप से निपटाने या पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए ओ.ई.सी.डी. देशों से गैर ओ.ई.सी.डी. देशों के निर्यात पर 31 दिसम्बर, 1997 से प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगभग 100 से अधिक देशों ने पुनः प्रयोज्य बनाए जाने वाले पदार्थों सहित सभी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार का इस प्रतिबंध पर क्या दृष्टिकोण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। "खतरनाक अपशिष्ट मात्र के सीमापार आवागमन पर नियंत्रण और उनका निपटान" विलय पर मार्च, 1994 में जेनेवा में बेसल समझौत के पक्षों के सम्मेलन की दूसरी बैठक में पारित निर्णय 11/12 के अनुसार, ओ.ई.सी.डी. देशों से गैर-ओ.ई.सी.डी. देशों को अन्तिम निपटान के लिए नियत खतरनाक अपशिष्टों के प्रत्येक सीमापार आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध है। यह निर्णय लिया गया क्यों के लिए नियत खतरनाक अपशिष्टों का प्रत्येक सीमापार आवागमन दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 तक धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए। दिनांक 18 से 22 सितंबर, 1995 तक की अवधि के दौरान आयोजित पक्षों के सम्मेलन की तीसरी बैठक के दौरान यह निर्णय बेसल समझौते में संशोधन के रूप में पारित किया गया। इसमें इस बात पर बल देने के लिए उपबन्ध किया गया है कि यह केवल उन अपशिष्टों से संबंधित होगा जिन्हें उक्त समझौते के तहत खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। बेसल समझौते के अध्यधीन अपशिष्ट पदार्थों के खतरनाक लक्षण-चित्रण में कार्यरत बेसल समझौते का तकनीकी कार्य-समूह भी उन अपशिष्ट पदार्थों की सूची तैयार करेगा जो कि बेसल समझौते का विषय नहीं है। सरकार का निर्णय इस समूह द्वारा संस्तुत अन्तिम सूची पर निर्भर करेगा।

अनिवासी भारतीयों के निवेश पर छूट

1043. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेश करने हेतु उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ख) अनिवासी भारतीयों की देश में निवेश करने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ प्रोत्साहनों को वापस किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). इस समय अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को उपलब्ध कुछ निवेश योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(i) औद्योगिक नीति 1991 के अनुबंध-III में उल्लिखित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों, पुनरूत्थान के अन्तर्गत लाए गए रूग्ण एककों, आवास-निर्माण और भू-संपदा विकास कंपनियों आदि में 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश के साथ निवेश की गई पूंजी और उस पर प्रोद्भूत आय के प्रत्यावर्तन के संपूर्ण लाभ।

(ii) विनिर्माण कंपनियों में, उनके द्वारा जारी नए इश्युओं/अगले इश्युओं में प्रत्यावर्तन संबंधी लाभ सहित 40 प्रतिशत तक निवेश।

(iii) सभी अनिवासी भारतीयों के लिए 24 प्रतिशत तक की सामूहिक सीमा से युक्त पोर्टफोलियो निवेश योजना के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से निवेश।

अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिशें मई, 1995 में प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों में मौजूदा निवेश योजनाओं का उदारीकृत अर्थव्यवस्था में उनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में पुनः सुधार करना तथा अनुमोदन संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु उपाय शामिल हैं। सरकार ने प्रक्रियात्मक सरलीकरण से संबंधित अनेक सिफारिशों को स्वीकारने के संबंध में विचार किया है तथा अपनी सहमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित अनुवर्ती कार्रवाई, जो कि चरणबद्ध रूप में है, में निम्नलिखित शामिल है :

(क) पोर्टफोलियो निवेश योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त शेयरों की बिक्री के लिए ओ.सी.बी. को दी जाने वाली सामान्य अनुमति की अवधि को बढ़ाना।

(ख) अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.बी. द्वारा प्रत्यक्ष निवेश योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के आधार पर प्राप्त शेयरों की बिक्री के लिए सामान्य अनुमति बशर्ते कि यह बिक्री मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से की जाए;

(ग) अनिवासी भारतीयों को शेयर जारी करने/निर्यात करने के लिए अंतिम अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है; और

(घ) भारतीय कंपनियों के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों, जिनके अन्तर्गत इस समय औद्योगिक गतिविधियों में लगी कंपनियां हीं आती हैं, का पालन करने के लिए अनिवासी भारतीयों को दी जाने वाली सामान्य अनुमति अन्य अनुमेय गतिविधियों के संबंध में भी दी जा रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अधिवास

1044. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अधिवार की दर क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक होटल से इकट्ठी की गई धनराशि कितनी-कितनी है;

(ग) ऐसे प्रत्येक होटल में किया गया व्यय और प्राप्त की गई धनराशि का प्रतिशत क्या है; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अधिवास और कारोबार में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरों को किराए पर देने तथा तत्संबंधी व्यापार को बढ़ने की दृष्टि से कार्य-निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में उठाए गए कदमों में, प्रगतिशील विपणन प्रयास, होटल परिसम्पत्तियों का नवीनीकरण/उन्नयन, प्रचालन लागतों की जांच तथा नियंत्रण, उपभोक्ता संतुष्टिकरण योजना तथा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध योजना आदि को प्रारम्भ करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करके मानव संसाधन का विकास करना शामिल है।

विवरण

(रु. लाखों में)

एकक का नाम	1994-95				1993-94				1992-93			
	अधिभोग %	कारोबार	प्रचालन व्यय	कारोबार के प्रचालन व्यय का प्रतिशत	अधिभोग %	कारोबार	प्रचालन व्यय	कारोबार के प्रचालन व्यय का प्रतिशत	अधिभोग %	कारोबार	प्रचालन व्यय	कारोबार के प्रचालन व्यय का प्रतिशत
आगरा अशोक	34	134.51	154.78	115.07	44	177.60	136.28	76.73	49	171.43	133.40	77.92
एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	31	852.09	850.42	99.80	29	736.00	724.32	98.41	39	768.53	690.92	89.90
अशोक बंगलौर	47	1034.80	861.34	83.24	45	816.24	735.48	90.11	49	742.54	632.53	85.18
अशोक नई दिल्ली	72	4247.08	2461.14	57.95	60	2866.35	2118.30	73.90	63	2307.87	2002.71	86.78
अशोक यात्री निवास	43	521.43	523.38	100.37	42	459.67	479.22	104.25	42	448.47	430.87	96.08
औरंगाबाद अशोक	26	66.48	93.13	140.09	32	82.26	84.98	103.31	44	94.68	81.78	86.38
बोधगया अशोक	35	77.33	64.83	83.84	36	81.96	60.19	73.44	34	80.60	55.80	69.23
हसन अशोक	28	95.08	74.85	78.72	30	81.97	57.62	70.29	34	76.70	44.87	58.50
जयपुर अशोक	23	144.38	146.75	101.64	27	165.95	131.42	79.19	33	168.95	123.59	73.15
जम्मू अशोक	16	51.56	73.90	143.33	18	57.84	62.80	108.58	21	51.39	65.81	128.06
जनपथ नई दिल्ली	69	874.89	732.43	83.72	76	760.98	585.76	75.00	65	598.63	568.01	94.86
कलिंगा अशोक भुवनेश्वर	32	120.65	134.64	111.60	32	90.80	106.37	117.15	37	82.53	100.70	122.02
कनिष्का नई दिल्ली	67	1512.49	1173.28	77.57	80	1380.68	1038.55	75.22	69	1101.72	863.38	78.37
खजुराहो अशोक	17	29.18	55.39	189.82	35	59.47	57.89	97.34	32	53.47	46.50	86.96
कोवलम अशोक	61	719.37	519.41	72.20	69	551.88	402.93	73.01	63	425.16	349.75	82.26
एल.एम.पी.एच. मैसूर	48	315.26	188.25	59.71	51	301.13	167.78	55.72	52	247.50	155.18	62.70
एल.वी.पी.एच. उदयपुर	56	220.69	131.04	59.38	56	220.03	101.89	46.31	57	196.48	99.04	50.41
लोधी, नई दिल्ली	60	480.87	428.48	89.11	58	416.20	336.20	80.78	47	339.75	329.00	96.84
मदुरै अशोक	39	106.11	96.48	90.92	44	102.02	93.52	91.67	44	90.63	75.08	82.84
मनाली अशोक	33	47.11	41.18	87.41	41	42.32	33.39	78.90	10	23.13	30.53	131.99
पाटलिपुत्र अशोक पटना	46	103.44	119.06	115.10	54	118.38	114.78	96.96	40	104.72	117.82	112.51
कुतुब होटल नई दिल्ली	69	460.46	282.79	61.41	64	368.89	302.89	82.11	54	271.23	243.76	89.87
रणजीत होटल नई दिल्ली	45	232.97	278.12	119.38	41	185.01	240.38	129.93	35	150.98	249.93	165.54
सम्राट, नई दिल्ली	91	1227.22	954.71	77.79	89	1033.73	891.92	96.28	80	799.98	715.17	89.40
टेम्पल बे अशोक	54	106.60	83.27	78.11	52	73.02	75.24	103.04	57	54.55	59.74	109.51
वाराणसी अशोक	23	146.65	198.10	135.08	31	194.92	183.59	94.24	39	192.06	176.06	91.67
जोड़	54	13928.70	10721.15	76.97	54	11445.20	9323.69	81.46	53	9543.68	8441.93	87.54

नागर विमानन के विकास हेतु परियोजना

1045. **डा. खुशीराम दुगरोमल जेस्वाणी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन परियोजनाओं का कार्य आरंभ हो गया है उनका ब्यौरा क्या है और क्या प्रगति निर्धारित कार्यक्रमानुसार हो रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात में नागर विमानन के विकास के लिए अनुमोदित परियोजना का विवरण संलग्न है।

चूंकि सुविधाओं की व्यवस्था, उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग में बहुत एजेंसियां शामिल हैं, परियोजना अनुसूची का कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता। तथापि, कम से कम समय तथा लागत में प्रत्येक परियोजना की यथासम्भव पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म जांच की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	परियोजना/सुविधाएं	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	अहमदाबाद	डीएमई(एलपी) एएसआर/एमएसएसआर	संस्थापित किए गए मार्च, 1996
2.	भुज (सिविल एन्क्लेव)	टर्मिनल भवन का निर्माण	×राज्य सरकार से भूमि अर्जन के लिए अनुरोध किया गया है।
		डीवीओआर	जून, 1996
		डीएमई(एचपी)	जून, 1996
3.	भावनगर	धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार	योजना स्तर पर
		डीवीओआर	दिसम्बर, 1995
4.	जामनगर (सिविल एन्क्लेव)	डीवीओआर	जून, 1996
		डीएमई(एचपी)	जून, 1996
5.	पोरबन्दर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। काम सौंपे जाने के बाद इसे पूरा होने में 24 महीने लगेंगे।
6.	राजकोट	धावनपथ का पुनः सतहलेपन	प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। काम सौंपे जाने के बाद इसे पूरा होने में 1 साल लगेगा।
		आईएलएस, डीएमई (एलपी), डीवीओआर और डीएमई (एचपी)	संस्थापित किए गए।
7.	वदोदरा	धावनपथ का पुनः सतहलेपन	पूरा कर लिया गया है।
		नए टर्मिनल भवन का निर्माण	पूरा कर लिया गया है।
		तकनीकी ब्लॉक सह कंट्रोल टावर का निर्माण	प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। काम सौंपे जाने के बाद इसके पूरा होने में 18 महीने लगेंगे।
		एप्रन का विस्तार और अतिरिक्त टैक्सी पथ का निर्माण	प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं और काम सौंपे जाने के बाद इसके पूरा होनें में 12 महीने लगेंगे।
		आईएलएस, डीएमई (एलपी) और डीएमई (एचपी)	संस्थापित किए गए।

× चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि अभी तक नहीं सौंपी गई है, इसके पूरा होने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

शब्द संक्षेप

1.	डीएमई (एचपी)	दूरी मापक उपस्कर (उच्च शक्ति),
2.	डीएमई (एलपी)	दूरी मापक उपस्कर (कम शक्ति)
3.	एएसआर	हवाई अड्डा निगरानी रडार
4.	एमएसएसआर	मोनोपल्स गौण निगरानी रडार
5.	आईएलएस	उपस्कर अवतरण प्रणाली
6.	डीवीओआर	डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास

एयर इंडिया द्वारा मीडिया के लोगों को खुश करने के लिए पास उपलब्ध करना

1046. श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1995 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एयर इंडिया वूज मीडिया विथ पासेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को पास दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) विमान कम्पनियां जनसम्पर्क के उद्देश्य से सामान्य औद्योगिक व्यवहार के तौर पर पास जारी करती रहती है। एयर इंडिया विगत तीस या और अधिक वर्षों से ऐसे पास जारी करता आ रहा है तथा अभी हाल में कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। पिछले एक वर्ष के दौरान एयर इंडिया द्वारा जारी किए गए पासों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

इम्फाल में विमान सेवा

1047. श्री थाइमा सिंह युमनाम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली से इम्फाल एक दिन में पहुंचने के लिए विमान सेवा न होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर मणिपुर के लोगों द्वारा समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दिल्ली और इम्फाल के बीच सेवा पुनः आरंभ करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस फिलहाल दिल्ली और इम्फाल के बीच सीधी विमान सेवा देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सेवाएं प्रचालित करने के लिए गैर-सरकारी प्रचालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1048. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में एससीआईसीआई की वर्तमान भूमिका क्या है;

(ख) क्या एससीआईसीआई ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये ऋण की शर्तों को काफी कड़ा कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) एससीआईसीआई ने सूचित किया है कि यद्यपि उसके परिचालनों के मुख्य क्षेत्र नौवहन और मत्स्य होते हैं, लेकिन कंपनी ने अपनी उधार गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक विविधीकृत कर दिया है, ताकि उसके जोखिमों का विविधीकरण किया जा सके एक स्वस्थ पोर्टपोलियो निर्मित किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विमान इंजीनियरों द्वारा आंदोलन

1049. श्रीमती सरोज दूबे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एयर इंडिया के कितने विमान बेकार खड़े हैं और वे कब से बेकार खड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या गत कुछ महीनों से विमान रख-रखाव इंजीनियरों का एक अघोषित आंदोलन चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विमान की उपलब्धता में कमी समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एयर इंडिया के निम्नलिखित बोइंग एयरक्राफ्ट इस समय आवधिक रख-रखाव जांच के लिए ग्राउंड किए गए हैं :—

क्र.सं.	विमान	जिस तारीख से ग्राउंड किए गए
1.	बी 747-300 (वीटी-ईपीएक्स)	3.11.95
2.	बी 747-200 (वीटी-ईडीयू)	10.10.95
3.	बी 747-200 (वीटी-ईजीए)	18.5.95
4.	बी 747-200 (वीटी-ईजीबी)	18.6.95
5.	बी 747-200 (वीटी-ईएनक्यू)	15.8.95

(ख) और (ग). जी, हां। स्थिति से निपटने तथा प्रचालन के लिए पर्याप्त संख्या में विमान की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया ने 3 विमान प्रमुख रख-रखाव के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया है।

निर्यात हेतु रक्षा हवाई पट्टियों का उन्नयन

1050. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय का विचार कोलार स्थित रक्षा विमान पट्टी को अपने अधीन लाने और फल-फूलों और सब्जियों के निर्यात हेतु इसको कार्गो विमानपत्तन के रूप में उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा उक्त विमान पट्टी को अपने अधीन लाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श से सीमित कार्गो प्रचालन के लिए इस हवाई पट्टी के स्तरोन्नयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टी

1051. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक हवाई पट्टी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया तथा इसके लिये किसी स्थल का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नागर विमानन ब्यूरो द्वारा फोटो परिचय-पत्र जारी करना

1052. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में "गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मिसयूज्ड टू इवेड ड्यूटी एट आई.जी.आई. एयरपोर्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) फोटो परिचय पत्र ऐसे कर्मचारियों/व्यक्तियों को जो हवाई अड्डे में वैध और वास्तविक ड्यूटी/कार्य के लिए हैं, जारी किए जाते हैं जिससे धारक हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकता है। फोटो परिचय पत्र धारकों को किसी अन्य जांच की छूट नहीं है जो हवाई अड्डे पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है। समाचार पत्र में उद्धृत विशेष मामलों के संबंध में तथ्य संलग्न हैं।

(ग) फोटो परिचय पत्र के गलत उपयोग की जांच करने के लिए फोटो परिचय पत्र समिति हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रायः जांच करमी रहती है और जो इसका गलत उपयोग करते हुए पाए जाते हैं उन पर उपयुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(1) श्री डी.पी. शर्मा का मामला : श्री डी.पी. शर्मा जो राजस्थान सरकार के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रोटोकोल अधिकारी के रूप में तैनात है, की एक ग्रीन पी.आइ.सी. जारी किया गया है ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रोटोकोल अधिकारी के रूप में अपना ड्यूटी सुविधापूर्वक कर सके।

(2) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पुत्र को कार्ड दिया जानाः श्री इन्द्रजीत सिंह सियाल सुपुत्र श्री विक्रम जीत सिंह सियाल निदेशक मैसर्स ए.वी. सुकब को उचित जांच करने के बाद राज्य व्यापार निगम की सिफारिश पर एक ग्रीन पी.आई.सी. की मंजूरी दी गई है।

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के पुत्र को कार्ड जारी करना : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा. ए.सी. कक्कड़ को एक रैड पी.आई.सी. जारी किया गया है जो दिल्ली हवाई अड्डे के लिए वैध है ताकि वो यात्रियों के कानों पर विमान यात्रा के प्रभाव पर अनुसंधान की व्यवस्था कर सके।

विमान की खरीद

1053. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 40/50 सीटों वाले विमान की खरीद का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों का किस क्षेत्र में उपयोग किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं देश के अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायिक और पर्यटन केन्द्रों को प्रचालन हेतु 50 सीटों वाले विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव इंडियन एयरलाइंस के विचाराधीन है।

तिरूवनन्तपुरम विमानपत्तन

1054. श्री रमेश चेन्नितला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिरूवनन्तपुरम विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के समतुल्य सभी सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उपरोक्त विमानपत्तन पर सभी बुनियादी सुविधायें कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के समान आधारभूत संरचना/सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था की गई है। मुख्य धावनपथ का विस्तार, अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का विस्तार, धावनपथ प्रकाश व्यवस्था आदि कुछ प्रमुख निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और आशा की जाती है कि वे सभी कार्य जून, 1997 तक पूरे हो जाएंगे।

"इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम" की स्थापना

1055. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित किये जाने के लिये प्राप्त "इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम" उपकरण को किसी और हवाई अड्डे पर स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उपकरण को स्थापित करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपस्कर अवतरण प्रणाली के संघटक लगाए जा रहे हैं तथा इस सुविधा के जनवरी, 1996 तक प्रचालानात्मक हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मै. रिलाइन्स इंडस्ट्रियल ग्रुप के ऋण पर ब्याज का बकाया

1056. श्री सुकदेव पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै. रिलाइन्स इंडस्ट्रियल ग्रुप द्वारा वित्तीय संस्थाओं से किये गये घरेलू ऋणों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किये गये ब्याज की राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष समय पर भुगतान न दिये गये ब्याज की बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का ऐसे ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान की जा रही राशि को कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार, किसी ग्राहक से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) किसी कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर कंपनी द्वारा देय ब्याज की राशि संबंधित वित्तीय सहायता की मंजूरी की शर्तों द्वारा नियंत्रित होती है।

[अनुवाद]

किराये का ढांचा

1057. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 1 अक्तूबर, 1995 से किराये के ढांचे में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारत में कार्यरत अन्य एयरलाइनों के किराये ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स की कार्य-कुशलता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइन्स ने पिछले किराया संशोधन के बाद आदानों की लागतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्तूबर, 1995 से अपने अंतर्देशीय रुपया किराया में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।

(घ) अपने वाणिज्यिक हितों के अनुसार गैर सरकारी प्रचालक कुछ भी किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) दक्षता में सुधार करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. विमान क्षमता को कम उपार्जन वाले मार्गों से हटाकर अधिक लाभकारी मार्गों पर लगाना।
2. कम लागत और अधिक उपार्जन वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि करना।

3. भर्ती बन्द करना, गैर प्रचालनात्मक क्षेत्रों में समयोपरि में कमी करना।
4. जहां प्रचालन हेतु अनिवार्य हो उसके अलावा पूंजी व्यय में कमी करना।
5. संयुक्त उपक्रमों और एयर इंडिया के साथ गठबंधन के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करना।
6. जैट इंजन शॉप, सैण्ट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और ग्राउण्ड सपोर्ट को लाभ अर्जक केन्द्रों में परिवर्तित करना।

मंगलौर विमानपत्तन

1058. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर में टर्मिनल बिल्डिंग की मरम्मत करने और विमानपत्तन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने बंगलौर और मंगलौर के बीच विमान सेवा बन्द कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). बी–737 विमान के कमांडरों की उपलब्धता कम हो जाने के कारण 7 मई, 1995 से बंगलौर और मंगलौर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली बी–737 विमान की सेवा बन्द कर दी गई थी।

चाय का उत्पादन

1059. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अंत तक 1000 मिलियन कि.ग्रा. चाय के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ग) चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये चाय बोर्ड को कितना वित्त आवंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने टी बोर्डस प्रमोशन फंड स्कीम और साफिस्टिकेटेड टी पैकिंग अरेंजमेंट स्कीम की प्रगति का भी अनुमान लगाया है?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चाय बोर्ड ने सन् 2000 तक चाय के उत्पादन के 1000 मिलियन कि. ग्रा. तक बढ़ाने के लिए 1991 में एक सापेक्ष महत्व की योजना तैयार की थी।

(ख) वर्ष 1993 में 758 मिलियन कि.ग्रा. का उच्चतम उत्पादन स्तर प्राप्त किया गया। वर्ष 1994 के दौरान 743.78 मिलियन कि.ग्रा. का उत्पादन हुआ है। कुछ चाय उत्पादन क्षेत्रों में विपरीत कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण 1994 में उत्पादन में थोड़ी सी गिरावट आई।

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान विदेश में भारतीय चाय के संवर्धन के लिए 590.00 लाख रु. आवंटित किए गए हैं। भारत में चाय के संवर्धन के लिए 34.00 लाख रु. के आवंटन की मंजूरी भी दी गई है।

(घ) तथा (ङ). जी, हां। चाय बोर्ड की ब्राण्ड संवर्धन कोष योजना वर्ष 1986–87 में, शुरू की गई। इस योजना को अप्रैल 1992 से दिसम्बर 1993 तक आस्थगित रखा गया तथा जनवरी 1994 में पुनर्जिवित किया गया। इसकी शुरूआत के समय से, इस योजना के अंतर्गत, चाय बोर्ड द्वारा वितरित की गई राशि 118.32 लाख रु. है।

वर्ष 1986–87 में परिष्कृत चाय पैकेजिंग मशीनरी योजना भी शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 16.99 लाख रु. की राशि वितरित की गई है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया को घाटा

1060. श्री मोहन सिंह (देवरिया) **: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एयर इंडिया घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने क्या निदानात्मक कदम उठाए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान एयर इंडिया ने लाभ कमाया है। तथापि, अप्रैल से सितम्बर, 1995 की अवधि के दौरान नए विमानों पर मूल्य ह्रास तथा ब्याज के कारण व्यय में वृद्धि और प्रचालनों आदि की लागत में वृद्धि के कारण कुल प्राप्ति में कमी से कम्पनी को हानि हुई है।

(ग) एयर इंडिया अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य–निष्पादन में सुधार लाकर तथा नए आन–लाइन प्वाइंट शुरू करके अपनी मार्किट हिस्सेदारी के समेकन के जरिए लागतों को नियंत्रित करने तथा आय में सुधार लाने के कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1061. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिये राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

1062. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राज्य सरकारों द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक उत्पाद शुल्क वसूल करने पर राज्यवार कितना अतिरिक्त कोष प्राप्त हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : वांछित ब्यौरे देने वाला विवरण नीचे दिया गया है :—

विवरण

जिसमें 1 अप्रैल, 1995 से 28 नवम्बर, 1995 के दौरान राज्य सरकारों को भुगतान किए गए बिक्री कर के बदले में मूल संघीय उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में राज्यों का अंश दर्शाया गया है

(करोड़ रुपए)

		मूल संघीय उत्पाद शुल्क	बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
		1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	883.12	132.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.64	1.75
3.	असम	360.99	41.93
4.	बिहार	1158.01	134.26
5.	गोवा	29.82	3.92
6.	गुजरात	333.06	101.29
7.	हरियाणा	101.92	39.97
8.	हिमाचल प्रदेश	194.04	10.01
9.	जम्मू और कश्मीर	296.59	14.49
10.	कर्नाटक	439.53	97.02
11.	केरल	318.99	63.21
12.	मध्य प्रदेश	682.43	122.29
13.	महाराष्ट्र	504.28	203.21
14.	मणिपुर	83.86	3.36
15.	मेघालय	78.68	3.15
16.	मिजोरम	69.02	1.33
17.	नागालैंड	104.72	2.31
18.	उड़ीसा	444.36	56.49
19.	पंजाब	120.26	57.82
20.	राजस्थान	469.84	82.32
21.	सिक्कम	28.91	0.91
22.	तमिलनाडु	546.35	129.57
23.	त्रिपुरा	115.50	4.83
24.	उत्तर प्रदेश	1729.56	246.26
25.	पश्चिम बंगाल	615.02	135.80
		9775.50	1689.66

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आज की कार्य सूची में मूल्य स्थिति के बारे में जिस वक्तव्य देने का वायदा किया था, उसका कोई उल्लेख नहीं है। परसों एक वायदा किया गया था कि इस संबंध में एक वक्तव्य दिया जाएगा। चर्चा उठाने के लिए एक असाधारण व्यवस्था की गई थी। वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। किंतु कार्य-सूची के अनुसार हमें यह नहीं बताया गया कि इस संबंध में एक वक्तव्य दिया जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि अब क्या स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यहां वचन दिया था कि डे आफ्टर टुमॉरो एक्स क्लूसिवली मंहगाई पर बयान होगा। यह बात इस फ्लोर पर कही गई। फाइनेंस मिनिस्टर यहां है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं मंहगाई पर आपका बयान कब आने वाला है?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वक्तव्य कब दिया जा रहा है? ...(व्यवधान)

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :उपाध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय सभा को करना है। जब भी आप चाहें हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक वायदा किया गया था... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इसके बारे में दो दिन में स्टेटमैंट आनी चाहिए। चर्चा करेंगे या नहीं वह सवाल हां नहीं है। सवाल यह है कि अध्यक्ष जी ने यहां जो कहा था, वह स्टेटमेंट इसमें क्यों नहीं दिखाई गई।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम चाहते हैं कि इसके लिए वे क्षमा याचना करें...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : चर्चा का प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आज सरकार एक वक्तव्य देगी यह अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया साफ और स्पष्ट निदेश था ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस बात को सही ढंग से स्पष्ट करता हूं, प्रश्न यह था कि जिस दिन ऐडजर्नमैंट मोशन के बारे में चर्चा हुई थी, इस तरफ से प्राइस सिचुऐशन के बारे में सवाल उठाया गया था तो स्पीकर साहब ने निर्मल बाबू को उसे उठाने की इजाजत दी थी। जब हाउस में बार-बार मांग हुई तो स्पीकर साहब ने दो फैसले किए-एक तो यह था कि स्पैसीफिक्ली प्राइस सिचुएशन के बारे में सरकार बयान देगी और दूसरा, इकोनौमिक सिचुएशन के बारे में इन टोटैलिटी बाद में हाउस में बहस होगी। मैं समझ नहीं रहा हूं कि यहां सरकार की तरफ से जो वचन दिया गया था, जो शुक्ला जी ने कहा था कि वह देंगे, उसे आज भूल गए हैं। करोड़ों लोगों को जो इनफ्लेशन प्राइस राइस परेशान करता है, उसके बारे में सरकार चुप है। मेरा कहना है कि मनमोहन सिंह जी को वादा करना चाहिए कि वे आज चार बजे से पहले प्राइस सिचुएशन के बारे में बयान देंगे और उसके बाद उस पर बहस होगी...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक कर बोलें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस पर आगे बोलूंगा। उस दिन यह सुझाव दिया गया था कि सरकार उसी दिन वक्तव्य देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें निदेश दिया था कि उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। उस चर्चा के बाद आज तीसरा दिन है फिर भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : जो वित्त मंत्री ने बयान दिया, जो आश्वासन था...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी सभा के बीचों-बीच में नहीं आ रहे हैं अतः ऐसा न समझें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : वित्त मंत्री के अब के बयान में और तीन दिन पहले जो यहां हमें आश्वासन दिया गया था, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। जबकि यहां साफ कहा गया था कि मंहगाई के ऊपर जो यहां कहा गया है, सरकार उस पर बयान देगी। वित्त मंत्री जो जवाब दे रहे हैं उससे लगता है बयान कब आयेगा, आयेगा भी या नहीं आयेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं 29 नवम्बर की कार्यवाही से उद्धृत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ने जो कहा था मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं

अध्यक्ष महोदय ने कहा : —

> "आचार्य जी, यह क्या है? मंत्री जी को यह कहने का अधिकार है कि जब आर्थिक नीति पर पूरा वाद-विवाद होगा तो उसी समय इस वाद-विवाद का भी व्यापक उत्तर दिया जाएगा। किंतु मेरे निर्णय के अनुसार मैंने सोचा कि इस बात का स्पष्ट उत्तर दिया जाना था तथा इसीलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया और सरकार आगे आ रही है। मुझे आशा है कि सरकार कल या परसों तक वक्तव्य दे देगी ।"

महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मंहगाई पर यह कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह तो सदन का अपमान है। हम लोग इस तरह का बयान सदन में सुनने के आदी नहीं हैं। इनको सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वचन से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि इस वक्तव्य को आज दिया जाना है। मैं वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं किंतु वक्तव्य तैयार करने और इसका अनुवाद करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह नोट करें कि हम इस वक्तव्य को सोमवार को दे सकते हैं। भाषण तैयार हो जाएगा... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सोमवार को वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। हमें इस मुद्दे पर कुछ उदार होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसका मतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए... **(व्यवधान)** वे असफल रहे...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने उस दिन क्या कहा था...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी आपने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था :—

"हम वक्तव्य निश्चित रूप से कल देंगे"

यह क्या दर्शाता है? उन्होंने कहा था कि "हम वक्तव्य निश्चित रूप से कल देंगे" यहां उन्होंने बीते हुए कल के लिए कल कहा था ...**(व्यवधान)** संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था। उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इससे मुकर नहीं रही है। वे सोमवार को वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को इतने हलके रूप में नहीं लिया जाना चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को हलके रूप में नहीं लिया जाता है। मंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। वे सोमवार को वक्तव्य देना चाहते हैं।...

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को हलके रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आप संसदीय कार्य मंत्री को बुलायें...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या कठिनाई है, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं...**(व्यवधान)** माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं...**(व्यवधान)** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वित्त मंत्री जी ने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो सभा में कहा उसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री की निंदा की जानी चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : शुक्ला जी को आना चाहिए तथा सभा से क्षमा याचना करनी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हम सभी इसके बारे में चिंतित हैं...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आपने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है। उन्होंने वायदा किया था। उन्हें यहां आकर क्षमा याचना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मंत्रीजी को कहने दें कि वे वक्तव्य क्यो नहीं दे सकते...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके अपने विषय हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप मंत्रीजी को बोलने का अवसर नहीं देंगे तब तक वह अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पायेंगे। माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर जायें और माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : परसों जब इन माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया था तब माननीय अध्यक्ष ने कतिपय टिप्पणीयां की थी। आप कृपया उन टिप्पणियों पर ध्यान दें...**(व्यवधान)** पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कहा था "हम उस पर ध्यान देंगे"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने दें। यदि आप उनके वक्तव्य से सहमत नहीं होते हैं तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो न तो आपको और न ही मंत्रीजी को सुना जा सकेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, मैंने उनसे चर्चा की थी। हमे इस पर आज ही निर्णय लेना है तथा आज हम बैठक करके यह फैसला करेंगे कि किस तरीके से तथा किस रूप में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप इतने उत्तेजित क्यों होते हैं? मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनें...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बातों को सुनिए। कृपया माननीय मंत्रीजी के बातों को सुनें।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने पहले ही यह निर्णय लिया है कि आर्थिक स्थिति...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल, जब तक आप उनकी बातों को सुनेंगे नहीं तब तक आप उसका विरोध कैसे करेंगे? यदि यह भ्रामक है तो आपको भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : कीमत वृद्धि सहित आर्थिक स्थिति पर चर्चा या तो हमारे द्वारा अथवा विपक्ष द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर की जा सकती है। ऐसा निर्णय किया गया है। तत्पश्चात्, यदि और कुछ आवश्यक हुआ तो अध्यक्षजी ने कहा है कि वह मुझसे इस पर बातचीत करेंगे तब निदेश देंगे। अध्यक्ष ने जो भी निदेश दिया है हमें उसका अनुसरण करना है। लेकिन अध्यक्ष का हमें अभी तक कोई निदेश नहीं मिला है। इसलिए, जब तक अध्यक्ष से निदेश नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आर्थिक नीति पर चर्चा करनी है। यह निर्णय लिया जा चुका है। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अब तिथि निर्धारित की जानी है और ज्योंही निर्धारित होगी हम इस पर चर्चा करेंगे...(व्यवधान) हम आपके टिप्पणियों के अधीन हैं। आप जो भी निदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे....(व्यवधान)

12.16 म.प.

इस समय श्री सैयद मसूदल हुसैन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आपने कार्यवाही वृत्तांत पढ़ा है। आपने कार्यवाही वृत्तांत नहीं पढ़ा है। वह सदन को भ्रमित कर रहे हैं. ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्रीजी ने कुछ कहा है लेकिन आप उससे सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी निवेदन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : शुक्ला जी ने कहा है, हम निश्चय ही इसे करेंगे? मैं शुक्ला जी से पूछता हूं कि जब उन्होंने यह वक्तव्य दिया था 'शायद कल, हम माननीय अध्यक्ष से मिलकर निर्धारित करेंगे... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध यह है। एक काम कीजिए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका आरोप कीमत वृद्धि से संबंधित है। क्या आपने राज्य सभा में कोई वक्तव्य दिया है?

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : राज्य सभा में मैने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। अंतिम निर्णय माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ही होगा... (व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार की ओर से वित्त मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने जो भी निदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे। हम अध्यक्ष महोदय के हर निदेश का निश्चय ही पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए सभी निदेशों की हमें जानकारी है तथा हम उनका ही पालन कर रहे हैं। हम उन सभी निदेशों का पालन कर रहे हैं...(व्यवधान) मेरे ऊपर न चिल्लायें...(व्यवधान)

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : श्री शुक्लाजी को इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। आज जानबूझ कर सदन को भ्रमित कर रहे हैं. ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्री ने कीमत वृद्धि से संबंधित कोई वक्तव्य राज्य सभा में नहीं दिया है। अतः, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। अब, माननीय वित्त मंत्री ने सोमवार को इस पर वक्तव्य देने के लिए सहमत हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह समायोजन का विषय है। उन्हें कुछ समय दीजिए। वे सोमवार को वक्तव्य देने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है कि गोलीबारी, विद्युत की कमी आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अन्य समस्यायें भी हैं। आप भी इन मामलों पर उत्तेजित हैं तथा अपनी भावना व्यक्त कर चुके हैं। सरकार को यह बात ज्ञात है। सरकार भी सोमवार को वक्तव्य देने को तैयार है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें पुनः सुनना चाहेंगे। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह एक बार पुनः वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम : उन्हें आज दोपहर बाद 2.30 बजे वक्तव्य देना चाहिए। यह उनका वादा था।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह कह रहे हैं कि उन्होंने राज्य सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। वे सोमवार को वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उस मुद्दे पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनका कोई मंत्री वक्तव्य देने की कोशिश करें।...**(व्यवधान)** संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था, "शायद कल"

श्री विद्याचरण शुक्ल : हां, मैंने कहा था, 'शायद'...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : 'शायद' नहीं। यह सही नहीं है। वे गलत उद्धृत कर रहे हैं। यह लाखों लोगों की चिन्ता है। यही कारण था कि हम वक्तव्य चाहते थे। आप उस समय अध्यक्ष के चैम्बर में थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आचार्य जी सभा के शब्दशः कार्यवाही वृत्तांत से पढ़कर सुना रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार वक्तव्य दे सकती है...**(व्यवधान)** उन्हें अपनी सीट पर जाने दीजिये और वहीं से पढ़कर सुनाने दीजिये। मैं उनकी बात का जवाब दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, यह ठीक है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब वे अध्यक्षपीठ के सामने जाकर बोल रहे हैं तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं जहां खड़ा हूं वहीं से पढ़कर सुनाऊंगा। यह अध्यक्ष का विनिर्णय है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप अपनी सीट से पढ़कर सुनाइये।. ..**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर वापस जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कार्यवाही वृत्तांत से पढ़कर सुना रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ अब कहा गया है उसको कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब सभा में हंगामा मचा हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

12.24 म.प.

(इस समय श्री सैयद मसूदल हुसैन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपनी सीटों पर लौट आये)

श्री श्रीकांत जैना (कटक) : यह स्पष्ट है कि परसों ही पीठासीन अधिकारी ने ये स्पष्ट निदेश दे दिये थे कि सरकार को या तो कल अथवा परसों मूल्य स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य जरूर देना चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था, "हम इस सम्बन्ध में अवश्य वक्तव्य देंगे"। यह पीठासीन अधिकारी का निदेश है। अब यह निर्णय करना आपका काम है कि पीठासीन अधिकारी का कोई निदेश था अथवा नहीं। इन निदेशों को पुनः पढ़कर सुनाना मेरा अथवा बसुदेव आचार्य का काम नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : इससे आपका क्या तात्पर्य है कि 'हम अवश्य ही'...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : शून्यकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। कोई प्रक्रिया नहीं होती है और इसके लिए हम किसी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं...**(व्यवधान)** अध्यक्ष ने जो टिप्पणियां की हैं मैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, माननीय मंत्री सभा का कार्यवाही वृत्तांत पढ़कर सुनाना चाहते हैं। कार्यवाही वृत्तांत श्री निर्मल कांति चटर्जी के हाथ में भी है।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (थाणे) : शुक्ल जी असली मुद्दा यह है कि आपने इसके बारे में वित्त मंत्री को सूचित नहीं किया है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : आप इसके लिए क्षमा मांगिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कुछ मेरे पास यहां है मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा। जरा एक मिनट प्रतीक्षा करें।...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की :

> "यह कहना मंत्री के अधिकारों के अंतर्गत आता है कि जब आर्थिक नीति पर पूर्ण वाद-विवाद होता, हम उनका विस्तृत उत्तर देंगे। लेकिन विवेचना करने पर मैं यही समझता हूं कि इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया गया है और इसी लिए मैंने सरकार से निवेदन किया था और सरकार आगे आ रही है। मुझे आशा है कि सरकार वक्तव्य देगी, हो सकता है वह कल अथवा परसों दे और वापिस आ जाये।"

ठीक यही हम करने जा रहे हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैंने इस मामले पर माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की थी। तय होने के बाद जो कुछ वह चाहते हैं हम वही करेंगे। यदि वह चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री वक्तव्य दें अथवा वह इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं तो हम वही करेंगे, और तब मैं माननीय वित्त मंत्री को सूचित कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष के निर्णय के बिना मै माननीय वित्त मंत्री से जो करवाना चाहता हूं वह उन्हें नहीं बता सकता जो माननीय अध्यक्ष को यह बताना है कि क्या वक्तव्य की जरूरत है अथवा पूर्ण वाद-विवाद होने तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि पूर्ण वाद-विवाद किया जाना तय हो जाता है तो तिथि का निर्णय हमें ही करना है। तिथि निर्धारित की जा सकती है और पूर्ण चर्चा की जा सकती है। यदि माननीय अध्यक्ष यह कहते हैं कि वाद-विवाद करने से पहले वक्तव्य जरूरी है तो मैं माननीय वित्त मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष को बताना है और वह अध्यक्ष द्वारा तय किया जायेगा। जैसे ही मैं माननीय अध्यक्ष से मिलूंगा निर्णय कर लिया जायेगा और वक्तव्य दिया जाये अथवा चर्चा की जाये, वे जो भी निर्णय देंगे मैं उसे माननीय वित्त मंत्री को बता दूंगा। उससे पहले मैंने माननीय वित्त मंत्री को कुछ सूचित नहीं किया है। क्योंकि अभी तक मुझे माननीय अध्यक्ष का निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे अभी इस पर उनके साथ चर्चा करनी है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आइये हम श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सारे सदन को गुमराह किया है। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने उनको इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। परम्परा के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री को वित्त मंत्री को सूचना देनी चाहिये थी। सूचना न देकर उन्होंने घोर आपत्तिजनक कार्य किया है। इनके क्षमा मांगे बिना हाउस शान्त नहीं हो सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह सुनते नहीं है। अगर सुनते हैं तो समझते नहीं हैं। मैंने यही कहा है कि मैंने वित्त मंत्री जी को कुछ नहीं बोला है क्योंकि जब तक मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हो जाती...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकारा है। सभी अन्य सांसदों से निवेदन है कि वे अपनी सीटों पर बैठ जायें।. ..**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, क्या आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है?...**(व्यवधान)** महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैंने आपको अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं हर वक्त चिल्लाने वालों में से नहीं हूं। क्या आप मुझे कुछ कहने की अनुमति देंगे?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब सदस्य चिल्लाते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। गुप्ताजी आप आगे बोलिये।...

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये सभी मामले जिनका उल्लेख किया जा रहा है कल नहीं बल्कि परसों सदन के समक्ष आये थे। परसों अध्यक्ष महोदय ने कुछ टिप्पणियां की थी जिन्हें यहां पढ़ा गया है। उन्हें यहां बार-बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यहां पढ़ा गया है, हमने उन्हें सुना है तथा हम समझते हैं कि वे क्या हैं। मुझे पता नहीं है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें पहले पढ़ने का कष्ट किया था या नहीं, वे इसे अब पढ़ रहे हैं और स्थिति से बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे अध्यक्ष से परामर्श नहीं करते और अध्यक्ष उन्हें कुछ निदेश नहीं देते वे वित्त मंत्री को इसकी सूचना नहीं दे सकते हैं। परसों यह मामला उठाया गया था तथा अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की थी, जिसमें यह स्पष्ट था कि कल या परसों एक विशिष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिये दो दिन बीत जाने के बाद आज माननीय मंत्री क्यों कह रहे हैं कि उन्हें अभी अध्यक्ष महोदय से परामर्श करना है? उन्होंने अध्यक्ष महोदय से पहले ही परामर्श क्यों नहीं किया। अब तो दो दिन बीत गए हैं...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने कहा था कि मैंने उनसे बात की थी, वे आज निदेश देंगे। कल हमने इस बारे में बातचीत की थी। जैसे ही वे निदेश देंगे मैं उसका अनुपालन करूंगा। हमें वक्तव्य देने या चर्चा करने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि वे कहते हैं कि वक्तव्य दिया जाना है तो हम वक्तव्य देंगे और यदि वे चाहते हैं कि चर्चा की जाय तो हम चर्चा करवायेंगे किंतु जब तक अध्यक्ष महोदय से कोई विशिष्ट निदेश प्राप्त नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

12.30 म.प.

(इस समय श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए... **(व्यवधान)** वे क्षमा याचना क्यों नहीं कर सकते...**(व्यवधान)** उन्होंने सभा की बेइज्जती की है...**(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : सरकार को मूल्य वृद्धि के बारे में चिंता नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) :- अध्यक्ष महोदय ने पहले ही निदेश दे दिया है।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : उन्होंने पहले ही निदेश दे दिया है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। वे कुछ नए प्रस्ताव रख सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दुर्भाग्यवश कल सभा स्थगित हो गई थी। अध्यक्ष महोदय ने 29 ता. को निदेश दिया, कल सभा में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी। सभा स्थगित होने के बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से इस पर चर्चा की...**(व्यवधान)** तब उन्होंने कहा कि वे आज अन्तिम रूप से अपना निर्णय देंगे...**(व्यवधान)** कल उन्होंने कहा कि चर्चा की जानी चाहिए...**(व्यवधान)** सभा स्थगित होने के बाद मैंने उनसे चर्चा की थी। अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा की जानकारी उन्हें नहीं है। यही बात है...**(व्यवधान)**

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : क्या आगे चर्चा की आवश्यकता है?...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय ने सुस्पष्ट निदेश दिया था कि एक वक्तव्य दिया जाएगा। किंतु मंत्री उसका पालन नहीं कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.33 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

2.04 म.प.

लोक सभा 2.04 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए)

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : क्या मंत्री जी क्षमा मांगेंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदय, वे क्षमा पालना करेंगे या नहीं?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, सुबह मंहगाई के सवाल पर जो प्रकरण हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि स्पीकर साहब का साफ इनटैन्शन था और इच्छा थी कि मंहगाई के सवाल पर सैपरेट स्टेटमेंट दिया जाए। और शुक्ल जी ने भी कैटेगौरीकली कहा था कि डे आफ्टर टुमौरो या एक-दो दिन में यह काम कर देंगे लेकिन इन सारी चीजों के चलते, जब फाईनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं है, वह समझ में आने वाली बात नहीं है क्योंकि सरकार की सदन में कलैक्टिव रैस्पौसिबिलिटी है, शुक्ल जी भी सरकार की तरफ से बोलते हैं और इतने बड़े सवाल पर, जिसके चलते करोड़ों लोगों को कष्ट हो रहा है, जिस तरह से कैजुअल वे में बात को खत्म कर दिया जाये, यह अफसोसनाक था। इसी पर हमारे मैम्बरों को ऐतराज था जिसकी वजह से सुबह का घटनाचक्र हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसे मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, सरकार को इस विषय पर ठीक से रेस्पौंड करना चाहिये, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार का बयान कब आयेगा, मंत्री जी सदन में साफ तौर से इस बारे में बतायें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मंत्रीजी को मानना चाहिए कि संसदीय कार्यवाही के बारे में वचन दिया गया था, वस्तुतः एक वचन दिया गया था तथा उसे पूरा नहीं किया गया, यह सभा के मानदण्डों की अवमानना के बराबर है।

महोदय, हम क्या चाहते हैं? वित्त मंत्री ने जो कहा वह हम समझते हैं। वित्त मंत्री इस तरह बिना तैयारी के वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। यह सरकार की विफलता है। वे सभा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हुए हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : इस सभा के प्रति ही नहीं अपितु राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी निभाने में विफल हुए हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मंत्री जो भी वक्तव्य दे उसमें उन्हें इस बात को मानना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, सवाल यहां स्टेटमैंट होने या न होने का नहीं है लेकिन सरकार में आपस में जिस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिये, वह कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है, उसी का यह एक उदाहरण है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आगे चलकर, जो बात यहां बोली जाती है, उसके बारे में सभी मंत्रियों को बताया जाये क्योंकि जिस तरह से सदन का समय नष्ट हुआ, उससे लोगों को कष्ट होना स्वाभाविक है। अब सोमवार को स्टेटमैंट होगा, ऐसा मैं मानता हूं लेकिन इसमें हमारी जो आपत्ति है, वह सभी विरोधी पार्टियों की आपत्ति है और उसे कहने के लिए ही मैं जान-बूझकर खड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि कम से कम आगे ऐसा न हो। आप क्षमा-याचना करेंगे या रिग्रेट व्यक्त करेंगे, वह कौन सी भाषा में करेंगे या कैसे करेंगे लेकिन आगे चलकर इस प्रकार की बातें नहीं होंगी, ऐसा विश्वास भी उनकी ओर से दिया जाना चाहिये, ऐसा मुझे लगता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय , अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उनके द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मामले को परसों सभा में उठाया गया था, मूल्य वृद्धि का यह मामला हमारे देश के लाखों लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों से संबंधित मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसीलिए हम चाहते थे कि जब यह मामला उठाया गया था, तो सरकार को मूल्य वृद्धि के बारे में उसी दिन वक्तव्य देना चाहिए था। किंतु जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट और साफ निदेश दिया है तथा आपने इस निदेश को कार्यवाही के रिकार्ड में देखा है तथा हमने इसे 29 नवम्बर, 1995 की सभा की कार्यवाही से उद्धृत भी किया है कि सरकार को बढ़ती हुई मूल्य स्थिति पर वक्तव्य देना चाहिए और उस दिन हम माननीय अध्यक्ष महोदय के सुझाव से सहमत थे, वह बहुत ही स्पष्ट और साफ निदेश था, किंतु आज की कार्यसूची में वित्त मंत्री द्वारा मूल्य स्थिति तथा उस दिन उठाए गए मुद्दों पर दिए जाने वाले वक्तव्य का कोई भी उल्लेख न पाकर हमने इस मामले को उठाया है। हम चाहते थे और हमें आशा भी थी कि सरकार स्वयं वक्तव्य देने के लिए आगे आएगी किंतु वित्त मंत्री जी के वक्तव्य से पता चला कि उन्हें ऐसे निदेश के बारे में जानकारी ही नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वित्त मंत्री को उस निदेश की सूचना नहीं दी गई थी।

सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने भी वही कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : निदेश दिया गया था और वे उसका खंडन कैसे कर सकते हैं। इस बात को सभा की कार्यवाही में भी दर्ज किया गया है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, वास्तव में यह निदेश नहीं था यह एक टिप्पणी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : उससे आपका क्या तात्पर्य है? यदि यह माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी है तो क्या आप उसका पालन नहीं करेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन : इन दोनों में अन्तर है।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय ने इस बात को कम से कम चार-पांच बार कहा कि सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : यह सत्य है किंतु टिप्पणी और निदेश में अन्तर है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सेना का निदेश नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मुझे आशा है कि संसदीय कार्य मंत्री क्षमा याचना करेंगे। सभा की ऐसे-उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उसी की वजह से सदस्यगण इतने उत्तेजित थे। इसके प्रति लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, इसी विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई विरोध पक्ष का मामला नहीं है। मंहगाई बढ़ रही है और यह शासक दल के लिए भी है और उनके मतदाताओं के लिए भी है। इसलिए यह समस्त सदन की बात है। यह बात अलग है कि मंहगाई रोकी जाने पर जो नीतियां हैं उन पर मतभेद हो सकता है। ऐसे सवाल पर जब बहस चली तो अध्यक्ष जी ने वित्तीय मामलों और मंहगाई वृद्धि इन दोनों मामलों को अलग-अलग करके लिया। यह बात भी सामने आई कि इस पर दिन भी जल्दी ही कल या परसों के लिए तय हो। ऐसी स्थिति में यह विफलता हुई है। कल अचानक एक घटना हुई और एक मंत्रीजी का निधन हो गया। इस पर यह आना चाहिए था कि इस कारण से यह विफलता हुई। यह अपने आप ही सरकार की तरफ से आना चाहिए था। लेकिन वित्त मंत्रीजी ने कहा कि उनको पता नहीं है। ऐसी स्थिति में तो यह सरकार एक है, यह समझने में ही दिक्कत हो जाती है। इसलिए यह स्पष्टीकरण स्वाभाविक है और यह आना चाहिए। यह बहस भी अलग-अलग होनी चाहिए। दोनों को एक साथ करने से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं इस बात पर विवाद या प्रश्न नहीं करूंगा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा टिप्पणी की गई थी या निदेश दिया गया था। मेरे विचार से कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को वक्तव्य दिया जाएगा। मेरी विनती है कि उन्हें सोमवार को प्रश्नकाल के तुरंत बाद वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए जिससे वे राज्य सभा में जा सकें, क्योंकि उन्हें वहां भी वक्तव्य देना है। वित्त मंत्री के वक्तव्य के बाद सभा शून्य काल, सभा पटल पर पत्र रखने तथा अन्य विषयक कार्यवाहियों को जारी रख सकती है।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक अलग मामला उठा रहा हूं। परसों इस सदन में बातें हुई थीं और मैंने मंत्रीजी के बोलने के बाद कहा था कि अगर सरकार का यही रुख रहेगा तो मैं 30 तारीख

से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आज वही हुआ। कल चूंकि शोक के कारण सदन का काम नहीं चला इसलिए उस समय मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसको उठाऊं। इसलिए मैं बजाब्ता कह रहा हूं कि कल से मैं अनशन पर हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत से मित्रों को यह भ्रम हुआ कि मंत्रीजी ने कुछ अश्वासन दिया है। मंत्रीजी ने अपनी कही हुई बात, रेल मंत्रालय की कही हुई बात, सदन में कही हुई बात को नकारा है। 15 नवम्बर को बाजाब्ता अखबारों के जरिये कहा गया था कि समस्तीपुर-दरभंगा लाइन पर छोटी लाइन की गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि बड़ी लाइन की गाड़ी उस पर चलेगी। उसको अचानक स्थगित किया गया। इससे वहां के लोगों में भंयकर असंतोष है। इससे उनका सरकार में अविश्वास पैदा हुआ है। इसके क्या कारण रहे हैं उन पर मैं नहीं जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को हरेक स्टेशन पर यह सूचना चिपका दी गई कि 15 जनवरी को फ्लैग-ऑफ करके गाड़ी चलायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र साहब, कृपया अपनी बात जल्दी पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मुझे इन्होंने क्या कहा, यह मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद उन सब बातों को इन्होंने परसो नकार दिया। अब कहते हैं कि 31 जनवरी तक पूरा करेंगे ओर फ्लैग-ऑफ शायद कभी बाद में होगा।

हमें जानकारी है कि लोक सभा के चुनाव तक ये उस काम को टालना चाहते हैं जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। जनता ने पटना मुजफ्फरपुर भी रेल से जाना छोड़ दिया है। एक भी आदमी आज रेल से पटना और मुजफ्फरपुर नहीं जाता। इस हालत में मैं अनशन पर हूं। इसके सिवाय मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। जब तक सरकार छोटी पटरी को बड़ी पटरी में बदलने की तारीख तय नहीं करेगी, दूसरी बात एप्रोन कंट्रोल वहां स्थापित नहीं करेगी और तीसरी बात फ्लैग ऑफ की तारीख तय नहीं करेगी, तब तक मैं कल से अनशन पर रहूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश कलमाडी जी से आज प्रातः 10.00 बजे हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मिले थे। उन्होंने 30 दिसम्बर तक के समय में समस्तीपुर बड़ी रेलवे लाइन का काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप स्पष्ट रूप से हमें इस लाइन के उद्घाटन की तिथि बताएं और उसकी घोषणा करें, तो उन्होंने कहा कि इसी सत्र में, चालू सत्र में इसके उद्घाटन की घोषणा कर दी जाएगी।

मंत्री जी के इस आश्वासन को देखते हुए मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अनशन पर न जाएं।... (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री जी ने आश्वासन नहीं दिया है। वे दो बार मिले हैं, लेकिन मुझे उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है।..(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आज सुबह 10 बजे ही हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मिले हैं। श्री पासवान.जी भी हमारे साथ थे। उन्होंने स्पष्टरूप से आश्वासन दिया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अनशन पर जाने के विचार को त्याग दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

2.17 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : मैं कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अन्तर्गत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 जो 16 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(ङ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8278/95]

राजस्थान ब्लाक आर जे-ओ एन-90/1 इत्यादि के संबंध में भारत सरकार और तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा शैल इंडिया प्रोडक्शन डवलपमेंट बी.वी. के बीच उत्पादन हिस्सा वितरण संविदा।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री सतीश कुमार शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 के संबंध में भारत सरकार और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा शैल इंडिया प्रोडक्शन डवलपमेंट बी.वी. के बीच उत्पादन हिस्सा वितरण संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-8279/95]

(2) गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 क लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8280/95]

एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों इत्यादि को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

(1) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8281/95]

(3) (एक) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8282/95]

(4) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8283/95]

(5) (एक) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8284/95]

(6) (एक) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8285/95]

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8286/95]

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8287/95]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेंन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेंन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8288/95]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 भारतीय आयात-निर्यात बैंक, मुम्बई और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ का वर्ष 1994-95 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1995, जो 11 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.

629 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8289/95]

(2) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 उपधारा (5) तथा धारा 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8290/95]

(3) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8291/95]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 610(अ), जो 31 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित आइसोबूटाइल बेनेजीन पर दस हजार छह सौ चौंतीस रुपये प्रति टन की दर से एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 616(अ), जो 5 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित पोटेशियम परमेंगनेट पर पांच हजार नौ सौ बयानवे रुपये प्रति टन की दर से एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 690(अ), जो 20 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित 3,4,5, ट्राइमीथोक्सी बेन्जालडीहाइड पर दो सौ सैंतीस रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 691(अ), जो 20 अक्टूबर 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित थियोफाइलीन पर 108 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से और कैफीन पर 101 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8292/95]

(पांच) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 1995 जो 27 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 745(अ), जो 14 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान से निर्यातित एक्राइलोनिट्राइल-बूटाडीन रबर (लेटेक्स से भिन्न) पर उन्नीस हजार तीन सौ छह रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8293/95]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 635(अ), जो 14 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें वर्णित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8294/95]

(6) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में सांख्यिकीय विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8295/95]

हिन्दी के प्रसार तथा विकास के कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वयन में तेजी लानेऔर संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग के बारे में वर्ष 1993-94 का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : श्री राम लाल राही की ओर से, मैं हिन्दी के प्रसार तथा विकास के कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग के बारे में वर्ष 1993-94 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8296/95]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मानना होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे शून्य काल में परिवर्तित मत कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह 10 बजे हम रेल राज्य मंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मैं चाहता हूं कि वे सदन में उपस्थित हैं, तो यहां सदन में इस बात की स्पष्ट घोषणा की जाए और वे बताएं कि कब तक उसका उद्घाटन कर देंगे।...**(व्यवधान)**

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, यहां उपस्थित हैं, सदन में इस बात की स्पष्ट घोषणा की जाए कि कब तक उस लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार से ये लोग आपस में आपकी बिना अनुमति के बोलते रहेंगे और इसी प्रकार यदि गड़बड़ करते रहेंगे, तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। हमारे माननीय सदस्य जसवन्त सिंह जी खड़े हुए हैं और वे इनके व्यवधान के कारण अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं।...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इन मित्रों ने आज सुबह से ही सदन की कार्यवाही को शून्यकाल की तरह से बनाया हुआ है और अन्य सदस्यों को बोलने में इनके कारण बहुत व्यवधान हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को नियमानुसार चलने दें।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं काम में दखल नहीं देना चाहता हूं। माननीय भोगेन्द्र झा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इनके स्वास्थ्य और अन्य सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय विद्याचरण शुक्ल जी से सादर और आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि कोई सांसद अनशन तक पर बैठने के लिए अपने आपको विवश पाते हैं, तो सरकार व्यवस्था करे ताकि उनके स्वास्थ्य और उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए, उनके लिए ऐसी विवशता पैदा न हो और वह कोई लम्बा-चौड़ा मामला नहीं है। रेलवे लाइन का बनना पहले से तय हो चुका है और 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण भी हो चुका है। थोड़ा सा कार्य रह गया है। यदि सरकार की ओर से घोषणा हो जाएगी, तो इनको अपनी अनशन समाप्त करने में सुविधा होगी।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जसवन्त सिंह जी ने जो निवेदन माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा जी से किया है, वह बिलकुल सही निवेदन है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सरकार की तरफ से श्री सुरेश कलमाड़ी जी, रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य कल दिया था और उसमें समय की पाबन्दी भी निर्धारित की है। उसके बाद भी श्री भोगेन्द्र झा को संतोष नहीं हुआ।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, एक मिनट। आप कृपया मेरी बात सुनिए, माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, पहले मुझे यह काम समाप्त करने दीजिये। दो मिनट के बाद, माननीय मंत्री...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, इसे समाप्त किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कतिपय नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे समाप्त करना चाहता था।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा प्रश्न यह है, पत्र में यह उल्लेख किया गया है : "दिनांक 27.11.1995 को दिये गये वक्तव्य के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।" रेल मंत्री मेरे अच्छे मित्र हैं। वे यहां उपस्थित हैं। श्री झा उपवास पर बैठे हुए हैं। मेरे विचार से यह सम्भव है यदि रेल मंत्री कहते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, क्या आप एक मिनट के लिए मुझे सुनेंगे? श्री झा उपवास पर बैठे हैं। श्री जसवंत सिंह ने भी उनके

मामले का समर्थन किया है। अब, माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। हमारा कार्य जल्दी ही समाप्त हो जायेगा। दो मिनट में वे निश्चितरूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं नहीं समझता कि रेल मंत्री के आश्वासन दिये जाने के बाद इस मामले की यहां चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि उन्होंने एक निश्चित तारीख दी है कि कब तक यह काम पूरा हो जायेगा। मैंने रेल मंत्री को आज 4 बजे यहां आने के लिए अनुरोध किया था। मैंने श्री भोगेन्द्र झा को भी यहां आने के लिए निमंत्रित किया था और मामले पर चर्चा करने के लिए कहा था ताकि यदि समझ की कोई कमी हो या काम पूरा होने की सीमा निश्चित करने में कोई कठिनाई हो तो इसका समाधान किया जा सकता है। दोनों ओर से व्यावहारिक कठिनाईयां हो सकती हैं। यह हम 4 बजे तक कर लेना चाहते हैं। तब तक हम सभा का नियमित कार्य लेंगे और इसे आगे जारी रखेंगे।

2.23 म.प.

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 4 दिसम्बर, 1995 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

   (क) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अध्यादेश, 1995

   (ख) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995
3. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1995 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार और पारित करना।
4. वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।
5. भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं वर्षगांठ मनाने, इस्लामिक सम्मेलन संगठन में लिये गये निर्णय तथा गुट निरपेक्ष देशों की शिखर बैठक के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करें।

(2) अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के मद्देनजर भारत के धार्मिक, भाषायी तथा जातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा करें।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करें :

(1) मध्य प्रदेश में बिजली संकट की विकट स्थिति के कारण कृषि-सिंचाई, उद्योग-रोजगार, व्यवसाय-व्यापार अत्यंत ही विषम स्थिति में है। अतएव केन्द्र सरकार विद्युत ऊर्जा आपूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करें।

(2) मध्य प्रदेश में विदेशी अवैध हथियारों की बरामदी एवं संघातक-घातक पदार्थों की आवाजाही को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :

1. पटसन कामगारों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल।
2. हवाला कांड तथा उच्च पदों पर नियुक्त लोगों के उसमें शामिल होने से संबंधित विषय।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय भी सम्मिलित किए जाएं :—

1. हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गडरियों और गुजरों को जनजाति की सूची में और लकड़ी का काम करने वाले तखानों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार व्यापक बिल इसी सत्र में पारित करवाएं।
2. भू.पू. सैनिकों को दी गई एक समय की पेंशन वृद्धि में रह गई विसंगतियों को दूर करने के लिए पग उठाएं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

1. नैशनल रिन्युल फंड की राशि से राज्य स्तर के भी बीमार उद्योगों के उपकरणों का नवीनीकरण कराया जाए।

2. कोयले की रायल्टी को भारत सरकार ने वजन के आधार पर तय कर रखा है जिससे बिहार राज्य को उचित हक नहीं मिल पाता है। उसे बदलकर कोयले की कीमत के आधार पर रायल्टी को सुनिश्चित किया जाए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़े जाएं :—

1. सरकार से मांग है कि फिरोजाबाद में एक एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव की आवश्यकता।

2. सरकार से मांग है कि फिरोजाबाद में जीर्णशीर्ण अवस्था में रेलवे पुलिया के निर्माण की आवश्यकता।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर लें :—

1. इंजिनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 1996 में भा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. गाजियाबाद–मुरादाबाद (उत्तर रेल) रेल मार्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर दोहरीकरण किया जाए।

2.27 म.प.

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा 4(घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.30 म.प.

[अनुवाद]

(एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) विधेयक*

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खण्ड 2 दिनांक 1.12.95 में प्रकाशित।

शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अध्युपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अध्युपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.30 1/2 म.प.

(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक*

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा विनियम) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और सग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और सग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 1.12.95 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

2.31 म.प.

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश के बारे में विवरण–सभा पटल पर रखा गया

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.32 म.प.

निक्षेपागार अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और निक्षेपागार और विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 15 तथा 16 पर एक साथ विचार करेंगे। श्री राम नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को प्रख्यापित निक्षेपागार अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्षजी, डिपाजिट्री आर्डिनेंस का विरोध करने के लिए तथा साथ ही साथ डिपाजिट्री बिल के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे डिपजिट्री की कल्पना भारत के लिए नई कल्पना है। इस कल्पना का स्वागत करना भी कल्पना जैसा है। लेकिन मेरा मंत्री महोदय से पहला प्रश्न यह है कि क्या अध्यादेश निकालना जरूरी था? अध्यादेश निकालने के लिए कौन सी ऐसी स्थिति बन गई थी, कौन सी बात आई कि संविधान ने जो अधिकार दिया है अध्यादेश निकालने का, उस व्यवस्था का आपको उपयोग करना पड़ा? मेरी नजर में तो अचानक कोई बात नहीं निकली। लगता है कि संविधान की व्यवस्था का दुरूपयोग करने की सरकार को आदत हो गई है और वित्त मंत्रालय को अधिक ही हो गई है। यह बहुत आपत्तिजनक और गम्भीर बात है। इसलिए मैं अध्यादेश का विरोध करना चाहता हूं।

अब अध्यादेश क्यों निकला, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में वित्त मंत्री की ओर से दिया गया स्टेटमेंट इस सदन के

पटल पर रखा है। ऐसी अपेक्षा होती है कि आपने अध्यादेश क्यों निकाला, इसके बारे में जो कारण होंगे, वे आपको देने चाहिए। वह स्टेटमेंट मेरे पास है। उसके चौथे पैरा में जो कारण दिया गया है मैं वह पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

> "चूंकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट थे कि ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें उसके लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था, निक्षेपागार अध्यादेश 20 सितम्बर को प्रख्यापित किया गया।"

मतलब कौन से कारण से यह निकला, उसमें कुछ दिया ही नहीं है। जब सत्र नहीं होता है उस समय अध्यादेश निकाला जाता है, यह आपको भी, हमें भी और सभी को मालूम है।

आपने कारण के बारे में कहा है कि प्रैजीडेंट वाज सैटिजफाइड। लेकिन प्रैजीडेंट को आपने सैटिजफाइड कौन से कारणों से किया, कौन से तर्क दिए, क्या कारण थे, उनका उल्लेख आपने इसमें नहीं किया है। आर्डिनेंस निकालने का जो अधिकार है, उसका आपने दरूपयोग किया है। इतना ही नहीं, आर्डिनेंस आपने क्यों निकाला, इसके बारे में तो आपको सदन को बताना चाहिए था, लेकिन वह भी आपने बताया नहीं इस बारे में सरकार पर मेरा ऐसा गम्भीर आरोप है।

यह आर्डिनेंस 20 सितम्बर को निकाला गया और अब इसे दो महीने पूरे हो गए हैं। इस दो महीने की कालावधि में आपने इस आर्डिनेंस के तहत जो अधिकार पाया है, उस अधिकार का उपयोग आपने किस प्रकार से किया, उसकी जानकारी भी मंत्री महोदय को सदन में देनी चाहिए थी। यदि आप उसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो आर्डिनेंस निकले या नहीं निकले, उसमें कोई अधिक अन्तर नहीं आता है–ऐसा मुझे लगता है। इस बारे में एक गम्भीर आरोप मेरा यह भी है कि इस प्रकार से आर्डिनेंस निकालना व्यावहारिक नहीं है। यह तो एक काम्प्रिहैंसिव बिल है और इस काम्प्रिहैंसिव बिल के लिए आपने यह आर्डिनेंस निकाला है, तो बात गम्भीर बन जाती है। दूसरी तरफ गए दो साल से हमने अपने यहां एक नई पद्धति बनाई है कि कोई भी नया विधेयक यदि संसद में आता है, काम्प्रिहैंसिव बिल आता है, तो उसे हम स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजते हैं और स्टैंडिंग कमेटी इस पर गम्भीरता से अध्ययन करके, अलग-अलग संस्तुतियां, जो विचार होते हैं, गम्भीरता से उसकी चर्चा होने के बाद, जो भी कमियां होती हैं, वह विधेयक में पूरी करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, यह जो एक अच्छी संसदीय परम्परा शुरू की गई थी, विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता था, उस रास्ते को भी क्यों रोक दिया गया? इसलिए मेरी मांग है, महोदय, कि यह सदन 22 दिसम्बर तक चलने वाला है, इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए और इस विधेयक के द्वारा जो संसद ने आपको अधिकार दिए हैं, उसके अनुसार विधेयक पर अधिक विचार करने के लिए विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए था। मंत्री महोदय को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने के लिए अध्यक्ष जी से प्रार्थना क्यों नहीं की और इस बात का भी उल्लेख उनको इस में करना चाहिए था।

महोदय, डिपॉजीटर की कल्पना अच्छी है। मैं प्रतिभूति घोटाला जांच समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी सकैम, का सदस्य था। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप ही इस विधेयक का जवाब देंगे और संयोग से वित्त राज्य मंत्री, डा. देवी प्रसाद पाल, आप भी उस समिति के सदस्य थे इस समिति में काम करते हुए हमने देखा है कि किस प्रकार से घोटाले अलग-अलग शेयर ब्रोकर्स ने म्युचुअल फन्ड्स के नाम पर किए हैं। शेयर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ट्रांसफर्स होते रहे हैं।

इसलिए जे पी सी की जो अलग-अलग रिकमैंडेशन्स हैं और जो गलत बातें होती थीं, उन पर नियन्त्रण लाने के लिए डिपाजीटर की सिफारिश की गई थी। दो साल बाद ही सही, लेकिन आप उस कल्पना को इस विधेयक के रूप में सदन में लाए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं इस कल्पना का स्वागत करता हूं और साथ ही इस की भूमिका में मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

आजादी के बाद देश में यह सिक्योरिटी स्कैम की सबसे बड़ी धोखाधड़ी रही और जिस प्रकार से लाखों लोग, विशेषतः मध्यम वर्गीय लोग, जिन्होंने अपनी इन्वैस्टमेंट्स बैंक और शेयर्स में लगाकर व्यापार की जो श्रेणियां हैं, उसमें योगदान करते थे। ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बीआर यानि बिल रिसीट, एक ऐसा शब्द बन गया था, जहां पर भी इसकी कोई बात निकले तो बीआर का मतलब कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ के कारण कई लोगों का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

इस पर नियंत्रण लाने की दृष्टि से यह जरूर अच्छी बात है, हमने उस समय अनुभव किया था, सिक्यूरिटी प्रेजेंट नहीं थी, शेयर्स सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे थे, बेड डिलीवरीज बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए इस तरह का सुझाव दिया गया था। 2 साल के बाद इसके बारे में विधेयक लेकर आप आए हैं, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए और ठीक प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

आज 15-20 दिन से स्टाक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी आपको होगी। शेयर्स में किस प्रकार की गिरावट आ रही है। अभी आप नई इकनामिक पलिसीज ले रहे हैं, फाइनांशियल बातें कर रहे हैं, विदेशों से कर्जा ले रहे हैं, जिसकी वजह से देश की स्थिति में सुधार हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं और दिखाई भी दिया था कि शेयर्स की कीमतें कुछ ऊपर जा रही हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, स्टाक एक्सचेंज में एक के बाद एक शेयर्स

धड़ाधड़ नीचे क्यों आ रहे हैं। इसकी वजह से फिर आम आदमी के दिल में, इनवेस्टर जो कम पैसा लेकर मध्यम वर्ग से आता है, मेहनत का पैसा लेकर आता है, उसके मन में आशंका हो रही है, इस आशंका को दूर करने के लिए आपने क्या किया है। आर्डीनेंस निकालने के बाद आपने इसका कुछ उपयोग किया होगा, लेकिन स्टाक एक्सचेंज में आज खतरे की घंटी बज रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या आंकलन है, क्या विश्लेषण है, क्या असेसमेंट है, इसका क्या इलाज आप कर रहे हैं। यह सारी जानकारी मंत्री महोदय अपने उत्तर में दें। अखबार के जरिए पता लग रहा है कि रिलायंस, सेबी और स्टाक एक्सचेंज में जो कुछ चलता है, एक प्रकार संघर्ष पैदा हो गया है, यह संघर्ष क्यों है, इसको सरकार किस प्रकार सुलझाने का प्रयत्न कर रही है, मंत्री जी को इसका उत्तर भी देना चाहिए। क्योंकि आज सारा देश शेयर मार्केट की ओर देख रहा है, स्टाक एक्सचेंज में क्या हो रहा है कहीं कोई दूसरा हर्षद दलाल या कोई वैसी बात तो नहीं हो रही है, यह बात वित्त मंत्री जी को आज संसद में स्पष्ट करनी चाहिए।

डेपाजिटरीज की बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, यह बताने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटा इनवेस्टर सुरक्षा चाहता है जो अपनी मेहनत की कमाई इनवेस्ट करता है वह इनवेस्ट करे और देश के उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिले इसके आधार पर कैपिटल मार्केट नए सिरे से बन सकती हैं। कैपिटल मार्केट अच्छे नियोजित ढंग से बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, यह स्पष्ट करना होगा। इस भूमिका में आप जो विधेयक लाए हैं, इसके संबंध में मैं 6 प्रमुख सूचनाएं चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि उत्तर देते समय मंत्री महोदय इनके बारे में बताएं।

डेपाजिटरीज खोलने का अधिकार कौन देगा और किन लोगों को यह खोलने के लिए दी जाएगी, इसकी परमीशन कौन देगा, कौनसी बॉडी होगी, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि सेबी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के अधिकारी तथा इस व्यवसाय के ऐसे लोग जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई संदेह न हो, ऐसे दो प्रोफेशनल्स की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो तय करे कि डेपाजिटरीज बनाने का अधिकार किसको दिया जाए, किसको परमीशन दी जाए। यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि यह निक्षेपागार खोलने के लिए किसको दी जाए। कौन देगा, यह मैंने बताया। लेकिन किसको दी जाए और जिसको दी जा रही है उसकी आर्थिक क्षमता क्या है, उसके बारे में भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि यदि सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को देना है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पूंजी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मेरा सुझाव यह है कि जिनको आप निक्षेपागार के लिए परमिशन देंगे उनका पूंजी बेस कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए। यदि 100 करोड़ का कैपिटल बेस उनका होता है तो उसी के आधार पर यह माना जा सकता है कि इस प्रकार की शेयर सिक्योरिटी जो दी जाएगी उसके बारे में एक निश्चित विश्वास के आधार पर वे काम कर सकते है। इसलिए उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा जिनकी है, पारदर्शिता है और कंपनी की पूंजी बेस इतना बड़ा है उनको दी जानी चाहिए।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि जो भी निक्षेपागार काम करेंगी, उनका ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट न होने के कारण ही म्यूचुअल फंड से या नेशनलाइज बैंकों मे गड़बड़ी चलती रही। उसका मुख्य कारण यह भी था कि इनका कोई ऑडिट नहीं होता था। इसलिए यह जो निक्षेपागार बनेंगी, उनका ऑडिट करने का काम निश्चित तौर पर सी.ए.जी को देना चाहिए और सी.ए.जी. की एक विशेष शाखा इसके लिए खोलनी चाहिए, जिसके आधार पर सी.ए.जी. इस प्रकार का ऑडिट करे और उस ऑडिट की एक नियमितता रहे। मैं तो चाहूंगा कि सारे सिस्टम में ऑडिट संवर्ती रहे तो एक विश्वास पैदा हो सकता है। इसलिए ऑडिट नियमितता के साथ, नियमित रूप से संवर्ती होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

चौथा, मेरा सुझाव यह है कि निक्षेपागार के काम में अगर गड़बड़ी, घोटाला या हानि हो गया, तो वह हानि कौन सहन करेगा। जो डिपाजिट करने के लिए देता है वह करेगा या जो कंपनियां है वे उसके लिए जिम्मेदार होगी। इसकी भी स्पष्टता नियमों में साफ ढंग से करने की आवश्यकता है। नहीं तो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की जो स्वाभाविक आदत होती है उसके कारण तकलीफ होगी और यह जो काम है वह निक्षेपागार किस रेट के आधार पर करेंगी? उसके लिए क्या मापदंड तय करेंगे कि कितनी सर्विस और कौनसी सर्विस कौन करेगा और उस सर्विस के लिए कितने चार्जिज होंगे। इसके लिए भी जो रेट-शेड्यूल बनेगा वह ठीक प्रकार से बनना चाहिए। अगर इसमें भी काम्पिटिशन हो जाए तो मुझे लगता है कि इसमें भी धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए रेट में स्तरीकरण की आवश्यकता है। ऐसा काम करने के लिए यदि हम तैयार होते हैं तो मेरा छठवां और अंतिम सुझाव इसके बारे में यह है कि इन निक्षेपागार का काम वास्तविक रूप में पारदर्शी होना चाहिए। जब कम्प्यूटर के जरिये काम किया जाएगा तो उसकी जानकारी, उसका रिजल्ट उसको तुरंत मिल सकता है। यदि ऐसा काम होना है तो यह काम करने के लिए सेबी के साथ, रिजर्व बैंक के साथ और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, जो प्रोफेशनलस हैं और जिनकी प्रति ईमानदारी के बारे में कोई अविश्वास किसी के मन में नहीं हो, ऐसे लोगों को यह काम देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी मेरी बात का उत्तर दें तो हर बात के लिए सिलसिलेवार उनके पास क्या उत्तर है यह भी बताएं। साथ ही साथ यह भी बताएं कि उन्होंने यह आर्डिनेंस क्यों निकाला? यह जो बिल है उसे वह स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने के लिए तैयार हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रतिभूतियों में निक्षेपागारों का विनियमन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस समय, पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के निपटान तथा अन्तरण के लिए प्रमाणपत्रों के भौतिक चलन की आवश्यकता होती है जिसके कारण अन्तरण प्रक्रिया के दौरान अन्तरण तथा निपटान में विलम्ब, गुम होना धोखाधड़ी तथा रोपर सर्टिफिकेट के फटने से निवेशकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान प्रणाली की इन असुविधाओं को समाप्त करने के लिए निक्षेपागार विधेयक के माध्यम से, निक्षेपागारों की स्थापना के लिए एम विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि रिकार्ड और पुस्तक प्रविष्ठि फार्म के माध्यम से प्रतिभूतियों के स्वामित्व का अन्तरण हो सके।

प्रतिभूति लेन देन का केवल तभी कारगर ढंग से प्रबन्ध किया जाता है जब ऐसे लेन देन के लिए ट्रेडिंग, निपटान तथा अदायगी समय को न्यूनतम किया जाता है। इसके लिए प्रतिभूतियों का स्वामित्व रिकार्ड करने की कागज आधारित प्रणाली को पूर्णतया या काफी समाप्त करने की आवश्यकता है। निक्षेपागारों की स्थापना करने से लेन देन चक्र को पूरा करने में लगा समय कम होगा तथा कागज आधारित ट्रेडिंग प्रणाली के कई बाधाएं समाप्त होंगी। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखत है :

यह एक अथवा अधिक निक्षेपागारों की स्थापना के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। निक्षेपागार प्रतिभूतियों के स्वामित्व रिकार्ड रखेगी और (पुस्तक प्रविष्ठि के द्वारा) प्रतिभूति स्वामित्व में परिवर्तन करेगी। जो निवेशक निक्षेपागार प्रणाली में शामिल होना चाहेंगे उन्हें सहभागियों के पास पंजीकृत होना पड़ेगा जो निक्षेपागारों के लिए एजेंट होंगे। सहभागी परिरक्षक, वित्तीय संस्थाएं, ब्रोकरेज फर्म आदि हो सकते हैं।

निक्षेपागारों को निवेशकों की और से जो निक्षेपागार रीति को चुनते हैं, कम्पनी की बहियों में पंजीकृत स्वामियों के रूप में रिकार्ड किया जायेगा। निक्षेपागार, अपनी ओर से, निवेशक का नाम अपने अभिलेखों में हिताधिकारी स्वामी की हैसियत में प्रविष्ट करेगा। हिताधिकारी स्वामी के पास सभी आर्थिक और मत देने के अधिकार होंगे। निक्षेपागार रीति में प्रतिभूतियों का अभौतिकरण होगा। तथापि, निवेशक को इस बात का विकल्प होगा कि वह वर्तमान की तरह प्रतिभूतियों का धारण करे या किसी निक्षेपागार के पास अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारण करने का चयन करे। प्रतिभूतियों का निर्गमकर्ता निवेशकों को या तो प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या निक्षेपागार के पास प्रतिभूतियों रखने का विकल्प देगा। निवेशक को निक्षेपागार में किसी भी समय शामिल होने या बाहर जाने का विकल्प होगा। निक्षेपागार रीति में प्रतिभूतियां थिर योग्य बन जायेंगी, से अभिप्रेत यह है कि उन्हें अभौतिक किया जायेगा। हालांकि विधेयक में प्रतिभूतियों के युक्त अंतरण का प्रावधान है तथापि कम्पनी के पास यह अधिकार है कि वह अन्तरण के विरूद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के उपबंधों या इसके विनिमयों या रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष अपील कर सकती है। निक्षेपागार रीति में स्वामित्व का परिवर्तन स्वतः ही परिदान बनाम संदाय के आधार पर हो जायेगा। निक्षेपागार द्वारा सम्बन्धित कम्पनियों को स्वामित्व के ब्यौरों के बारे में सूचना नियमित और अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

विधेयक में कम्पनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, स्टैम्प अधिनियम आदि में अनुवर्ती संशोधन करने का प्रस्ताव है। विशेषकर स्टैम्प अधिनियम के सम्बन्ध में परिवर्तन करने का उद्देश्य निक्षेपागार के पास सभी संव्यवहारों को स्टैम्प शुल्क से मुक्त करना है।

निक्षेपागारों का संचालन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा विस्तृत विनिमय बनाये जायेंगे। निक्षेपागारों को 'सेबी' के पास पंजीकृत करना होगा जो कारबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। निक्षेपागारों को 'सेबी' के अनुमोदन से उपविधियां बनाने की शक्ति होगी ताकि सहभागियों और हिताधिकारी स्वामियों एवं उत्पादकों के अधिकारों और बाध्यताओं में पारदर्शिता लाई जा सके और निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के पर्याप्त रक्षोपाय सुनिश्चित किया जा सकें।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि निक्षेपागार व्यवस्था चरणों में लागू की जायेगी ताकि विद्यमान प्रणाली से व्यवस्थित और सुधारू परिवर्तन हो सके। यह महसूस किया जाता है कि नई प्रणाली से अल्प व्यापार और बंदोबस्त चक्रों के जरिए पूंजी बाजार की कुशलता में काफी वृद्धि होगी। निक्षेपागार से पूंजी बाजार में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता थी जिसका विधेयक में उपबंध किया गया है:

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को प्रस्थापित निक्षेपागार, अध्योदश, 1995 (1995 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

"कि प्रतिभूतियों में निक्षेपागारों के विनियमन और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, यह विधेयक स्पष्टतः अहानिकारक और लाभकारी है, उन लोगों को इससे लाभ होगा जो शेयरों का लेन-देन करते हैं या कम्पनियों के शेयरों या डिबेंचरों में निवेश करते हैं। लेकिन वस्तुतः, यदि आप गूढ़ार्थ

निकालते हैं तो आप पायेंगे कि कई कमियां रह गई हैं जिन्हें दूर करने के लिए यह विधेयक अधिनियमित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत अधिक चोरी, नुकसान, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि हो रही है। मुझे मालूम नहीं कि इस प्रणाली से चोरो, नुकसानों और धोखाधड़ी से किस तरह निबटा जायेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब निक्षेपागार एक शेयरधारक के नाम से दूसरे शेयरधारक के नाम में कोई अंतरण करते हैं तो वह ऐसा निश्चित रूप से मूल स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित कुछ सूचना के आधार पर ही करेंगे। अब इस विधेयक में सूचना से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या प्रावधान रखा गया है? निक्षेपागार इसे कैसे रोकने जा रहा है? इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मेरे विचार से सभी प्रकार की बातें कही गई हैं और हर प्रणाली में हर प्रकार की चीजें विद्यमान रहती हैं। लेकिन यह प्रणाली पहले की प्रणाली में सुधार किस तरह से बनने जा रही है? इसका उल्लेख नहीं है। कोई कम्पनी जिसके शेयरों या डिबेंचरों का लेन-देन हो रहा है, उसकी जांच करने के बावजूद यदि धोखाधड़ी की घटना हो सकती है तो जालसाजी की घटनाएं क्या केवल इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि यह निक्षेपागार की अभिरक्षा में है। यह एक बड़ा नाम है। लेकिन ये निक्षेपागर हैं कौन? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मेरे विद्वान मित्र ने पहले ही यह बता दिया है कि किसी श्रेणी के व्यक्ति निक्षेपागार बन सकते हैं, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। केवल यही बताया गया है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड से निक्षेपागार को अनुमति लेनी होगी। केवल यही बताया गया है। सेबी को क्या मार्गनिर्देश दिये गये हैं? इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

एक दूसरी श्रेणी हैं। एक बात है जिसके बारे में माननीय मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे, यदि वे बता सकते हैं तो, कि धोखाधड़ी को कैसे रोका जायेगा, मेरे विचार से कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सकता है और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है कि यदि नुकसान के कारण या निपेक्षागार की लापरवाही से निवेशक को कोई नुकसान होता है तो केवल इतना ही कहा गया है कि वह क्षतिपूर्ति करेगा। लेकिन यदि नुकसान निक्षेपागार की लापरवाही से नहीं होता बल्कि सहभागी की गलती से होता है तो क्या होगा? दूसरी बातें, दूसरे संस्थानों की श्रेणी को इसमें घसीटा गया है। मैं नहीं समझता कि क्यों ऐसा किया गया है।

3.00 म.प.

कोई कम्पनी है। अब इस कम्पनी के शेयर नाममात्र को रजिस्टर में धारित किया जा रहा है जहां तक कतिपय व्यक्तियों, कतिपय इसके निवेशकों का जो ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं उनका निक्षेपागार के रजिस्टर में धारित किया जाता है। कम्पनी के पास शेयरों के हिताधिकारी स्वामी का नाम भी नहीं होता है। वस्तुतः, निक्षेपागार का नाम ही कम्पनी के पास पंजीकृत किया जायेगा और निक्षेपागार हिताधिकारी शेयरधारक के साथ सीधे कोई लेन-देन भी नहीं करता, वह दूसरे बिचौलिये के जरिए कार्य करता है जिसे 'सहभागी' कहा गया है। सहभागी की क्या आवश्यकता है? मेरे विचार से इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, सर्वप्रथम, शेयरधारक और कम्पनी के बीच एक बिचौलिया रखा जाता है जिसके शेयर उसके पास रहते हैं। उसे 'निक्षेपागार' कहा जाता है। कम्पनी निक्षेपागार के साथ कार्य करती है और शेयरधारक सहभागी के साथ कार्य करता है और सहभागी शेयरधारक की ओर से निक्षेपागार के साथ कार्य करता है। यह क्या प्रणाली है? मैं नहीं जानता कि ऐसी प्रणाली किसी अन्य देश में प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति कम्पनी के साथ सीधे कार्य करता है तब इसमें चोरी, धोखाधड़ी और इन सब चीजों के ज्यादा अवसर होते हैं।

तीन परिवर्तन किये गये हैं। शेयरधारक सहभागी के साथ कार्य करता है, सहभागी निक्षेपागार के साथ कार्य करता है और निक्षेपागार कम्पनी के साथ कार्य करता है। ये सभी अशक्त परिवर्तन हैं। वे अशक्त हैं क्योंकि कागज पर सिद्धान्त रूप में आज जो भी रक्षोपाय करते हैं, उन्हें अन्ततोगत्वा इंसानों द्वारा ही व्यवहार में लाना है। यदि वे सतर्क नहीं हैं, यदि वे चीजों को सावधानी से नहीं लेते हैं, यदि वे बेईमान हैं, यदि वे सत्यनिष्ठ नहीं हैं, तो कई चीजें हो सकती हैं। प्रत्येक चीज जिससे बचने के लिए प्रावधान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है वह अच्छी प्रणाली के अभाव में सम्भव नहीं है। प्रणाली कार्य नहीं कर पाई क्योंकि वे लोग जिन्हें इसका संचालन करने के लिए कहा गया था वे लापरवाह, असावधान और बेईमान थे। यही बात यहां पर भी लागू होती है कदाचित ये सब चीजें यहां ज्यादा हो सकती हैं। इस प्रकार के नुकसान का परिणाम चौंका देने वाला होगा जैसाकि प्रणाली के असफल हो जाने से हुआ था। एक बार फिर प्रणाली का संचालन करने वाले व्यक्तियों कि उदासीनता जैसा कि हर्षद मेहता और उसके साथियों द्वारा किए गए घोटाले में हुई थी, के कारण ही ऐसा होता है।

इस प्रकार क्या कतिपय कंपनियों को निक्षेपागार के रूप में मान्यता या लाइसेंस देने के लिए कोई ऋण शोधक्षम का मानदंड है? विधेयक में ऋणशोधक्षम के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं। जैसा कि सभा को पारित करने के लिए कहा गया है, यह गम्भीर खामी है। इस बात का उल्लेख होना चाहिए था कि ऋण क्षमता का मानदंड क्या होना चाहिए। कम्पनी के पास इक्विटी के रूप में 100 करोड़ रुपये भी हो सकते है, इतना रिजर्व में हो सकता है और इक्विटी का अन्यय निवेश किया जायेगा। लेकिन फिर भी कम्पनी किस सीमा तक शेयरों का लेन-देन कर सकती है और किस सीमा तक यह जमाकर्ताओं के शेयरों को ले सकती है? यह ऐसा नहीं कर सकती। बैंकों में पर्याप्तता के मानक हैं। निक्षेपागारों के लिए भी पर्याप्तता का मानक होना चाहिए, क्योंकि, अन्ततः वे भी अन्य व्यक्तियों की सम्पति का लेन-देन कर रहे हैं। इस तरह, विधेयक में पर्याप्तता का कोई मानक नहीं क्योंकि मेरी समझ से जिन व्यक्तियों ने इसको तैयार किया है उनकी ध्यान में यह बात नहीं आयी, बैंक भी एक तरह से ऐसा ही कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा था सहभागी निक्षेपागार और वास्तविक निवेशक के बीच एक बिचौलिया है जिसे 'हिताधिकारी स्वामी' कहा गया है। यह कहा गया है कि हिताधिकारी शेयरधारक के पास अपने निवेश का लाभांश प्राप्त करने और मतदान का अधिकार अभी भी होगा। यह कैसे सम्भव है? उसके निवेश के लाभांश की बात तो समझ में आती है क्योंकि रुपया, लाभांश या ब्याज सर्वप्रथम निक्षेपागार को जाता है और वहां से यह या तो सहभागी के जरिए या सीधे हिताधिकारी स्वामी के पास आता है। मैं नही जानता कि क्या निक्षेपागार को इस प्रयोजन हेतु वास्तव में किसी भी प्रकार से हिताधिकारी स्वामी के साथ सीधे जोड़ा जायेगा।

यहां इसका उल्लेख नहीं है।

तत्पश्चात मतदान का सवाल आता है। कम्पनी वार्षिक आम बैठक के लिये शेयरधारकों को नोटिस जारी करती है, परंतु अधिकांश शेयरधारक बैठक में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कम्पनी के पास लाभकारी स्वामियों का नाम नहीं होता है। नाम निक्षेपागारों के पास होता है। निक्षेपागारों को मालूम है कि वह लोग मतदान में रूचि नहीं रखते हैं। वह उनका प्रतिनिधित्व पत्र या जो कुछ भी है एकत्रित कर लेता है और कम्पनी की वार्षिक आम बैठक में अधिकाधिक मतदान करने के अधिकार को प्रयोग करता है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके विरूद्ध क्या संरक्षात्मक उपाय हैं? आमतौर पर निक्षेपागार यह स्वयं के नाम में नहीं करेगा। वह किसी को नामनिर्दिष्ट कर देगा जो कि अधिकार का प्रयोग करेगा जैसे कि उसके पास ही प्रतिनिधित्व करने के पत्र हैं। कम्पनी के रजिस्टर में लाभकारी स्वामी का नाम नहीं होता है। मैं सोचता हूं कि निक्षेपागार ही प्रतिनिधित्व पत्र पर हस्ताक्षर करता है। अन्य कोई नहीं करता है क्योंकि उसे मालूम है कि लाभकारी स्वामी स्वयं मतदान करने में रूचि नहीं रखते हैं। इसलिये, वह कई व्यक्तियों को भेज देता है। निक्षेपागार को मालूम है कि विशेष शेयरों में किस प्रकार का धन्धा हो रहा है। उसके पास शेयरों को एकत्रित करने और उनका दुरूपयोग करने का भरपूर अवसर होता है। इसको कौन रोक सकता है? इसको रोकने के लिये देश में वर्तमान कानून किस प्रकार का है? अगर हम इस कानून को पारित भी कर देते हैं तो इसको लागू करने के लिये कौनसी एजेन्सी है और कौन सी अदालत है? हमारी दंड संहिता बहुत अच्छी है। परन्तु, इसको लागू करने और दोषियों को सजा दिलाने में 16 से 20 वर्ष का समय लग सकता है क्योंकि अपील न्यायालय पूरे मामलों को निपटा नहीं पाते हैं। इसलिये, हमारे पास तंत्र नहीं है। अगर हम सभी कड़े कानूनों को भी पारित कर दें तो भी हम कानूनों को लागू करके कुछ ठोस नहीं कर पायेंगे ताकि दोषियों को सजा मिल पाए और नुकसान की भरपाई की जा सके। यहां पर वैसा तंत्र नहीं है। न्यायिक प्रणाली धराशाई हो चुकी है सिर्फ उन थोड़े से मामलों को छोड़कर जिनको किसी ने किसी कारण से प्राथमिकता मिल जाती है।

महोदय, मेरे विचार में इन सभी मामलों पर विचार किया जाना चाहिये और श्री नाईक द्वारा दिया गया सुझाव कि इसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाए, एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। इस विधेयक को पारित किये जाने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति, की सिफारिश है तो यह बहुत पुरानी बात हो गई है। अगर वह इतने लम्बे अर्से तक इन्तजार कर सकते हैं तो पहले इसको अध्यादेश जारी करके इस छोटे से सत्र के दौरान पारित कराने की क्या आवश्यकता है? यह कहना पर्याप्त नहीं है कि स्थायी समिति को सौंपने से काफी समय लग जायेगा। कितना लम्बा समय लगेगा? आपने अब तक दो वर्ष का समय बर्बाद कर दिया है और अब आप कह रहे हैं कि काफी समय लग जायेगा, इसलिये स्थायी समिति को अध्ययन करने, जांच करने और अनुशंसा करने के लिये एक या दो महीने का समय नहीं दिया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी प्रयोजनार्थ स्थायी समितियों का गठन किया गया था? यह नहीं बताया गया है कि इसकी क्या आवश्यकता है, जबकि श्री नाइक ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि उद्देश्यों के खण्ड में यह नहीं दर्शाया गया है कि अध्यादेश को जारी करने के क्या कारण थे? इतने लम्बे अंतराल के बाद जल्द बाजी क्यों थी कि संसद के सभा वसान की अवधि के दौरान इस कानून को अध्यादेश जारी करके लागू किया गया । कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। परन्तु कुछ भी नहीं कहा गया है। कोई जल्दी नहीं थी और इसलिये इसे पारित करके तत्काल सांविधि पुस्तिका में शामिल कर दिए जाने के कारण नहीं बताये।

महोदय, निस्संदेह कुछ दण्डात्मक खण्डों का प्रावधान किया गया है। परन्तु, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि नुकसान कौन उठायेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और भागीदारों तथा निक्षेपागारों द्वारा किस प्रकार बीमे का लाभ उठाया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में भी कोई प्रावधान नहीं है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि क्षतिपूर्ति कर दी जायेगी, वे कहते हैं : "यह हमारी गल्ती नहीं है। आपने हमको यह सूचना दी थी, आपने यह किया और आपने वह किया।" सारा मामला न्यायालय में जायेगा। कोई बीमा नहीं हैं। उनके लिये अपनी अकुशलता, लापरवाही, बेईमानी अथवा सत्यनिष्ठा में कमी के कारण हुये नुकसान की बीमा द्वारा भरपाई करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये, इसमें काफी खामियां हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंप देना चाहिये और एक महीने अथवा अपेक्षित अवधि के लिये इन्तजार करना चाहिये तथा इसको जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे विचार में अगर इस प्रणाली के लागू होने के पश्चात नुकसान हो जाता है तो इसके लिये सरकार पर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिये। वे जल्दबाजी में हैं और इसके पीछे प्रयोजन हैं। यह कदम उन लोगों की सहायतार्थ उठाया जा रहा है, जिनको नुकसान हुआ है। इसलिये उनको प्रारम्भ में ही इसके विफल होने से उत्पन्न होने वाले राजनीतिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिये। वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं यह अत्यन्त दुखद स्थिति है जब सरकार अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में भी नहीं सोच सकती है और हमको स्मरण कराना

पढ़ रहा है। महोदय, इसलिये, मेरे विचार में सभा को इसे पारित नहीं करना चाहिये और अस्वीकार कर देना चाहिये।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व जिन दोनों वक्ताओं ने बात कही है उसी से संबंधित बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई घोटाले हो जाने के बाद और दो वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद फिर लोक सभा के सामने यह पूरा बिल लाया गया है। मान्यवर, पहले से कोई बिल हो या राज्य सभा में बिल पास हो गया हो और उसके बाद आया हो तो बात समझ में आती है। इसमें कोई संशोधन करना हो और तब लाते तो ठीक था लेकिन पूरा बिल लेकर आए हैं। मेरा निवेदन करना यही है कि या तो माननीय राम नाईक जी व अन्य पूर्व वक्ताओं ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को मान ले या फिर इस बिल को निश्चित रूप से स्टेण्डिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए।

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि सौदों के निपटान व सुपुर्दगी में बहुत देर होती है। उस देरी को दूर करने के लिए रेकार्ड रखा जाता है। उस रेकार्ड को रखने के लिए कानूनी ढांचे में परिवर्तन किया गया है, यह बात इन्होंने यहां पर कही है। फिर कहा है कि शेयरों के ट्रांसफर करने में, प्रमाण-पत्रों के पंजीकरण में भी देरी होती हैं। इस सारी प्रक्रिया में जालसाजी भी हो जाती है। शेयर भी कटे-फटे होते है। इसको दूर करने हेतु यह बिल लाए हैं। मेरा मननीय मंत्रीजी से फिर से निवेदन है कि इसको स्टेण्डिंग कमेटी को भेज दें। यह सत्र 22 तारीख तक चलेगा स्टेण्डिंग कमेटी में सब पार्टी के लोग हैं और सब गंभीरता से विचार करने के बाद इस बिल को यहां पर लायेंगे तो लाभ होगा। नहीं तो पता नहीं इस सत्र के बाद आपको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च में चुनाव हो जायेंगे और ऐसी स्थिति में यह त्रुटिपूर्ण बिल रह जाएगा। इसलिए मैं आपके फायदे के दृष्टिकोण से ही कह रहा हूं कि आप बिल को स्टेण्डिंग कमेटी को भेज दें।

मेरा पूछना यह है कि डिपोजिटरी की कल्पना क्या है? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आप आर्डिनेंस क्यों लाये? मेरे सामने इस बिल की कॉपी मौजूद है। इसमें नहीं बताया गया कि किस कारण से महामहिम राष्ट्रपति को कष्ट दिया और कष्ट देकर इस अध्यादेश को निकाला। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपतिजी को भी आपने अंधकार में रखा है। इसका कोई कारण नहीं बताया है। वे कारण सदन को भी नहीं बताए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब लोगों को किस प्रकार से सुविधा मिलेगी, यह बात भी इसमें नहीं हैं। यह बात सही है कि पिछले जो घोटाले हुए हैं, बैंकों के जो गबन हुए हैं, उन सब में मध्यम वर्ग के लोगों का नुकसान हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए इन सब के बारे में जो सुझाव आपको दिए गए हैं, जो डिपाजिट्री खुलेंगे, वे आप किसको देंगे, उनका यदि नुकसान हो गया, तो पूर्ति कौन करेगा, ऑडिट होगा या नहीं, किस प्रकार से ऑडिट किया जाएगा, आदि के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस विधेयक को आप निश्चित रूप से जल्दी लाने का प्रयास न करे वरना इसमें जो कमियां है, डिपाजिट्स की, ऑडिट की और नुकसान कौन भुगतेगा और यह पारदर्शी हो, इस सम्बन्ध में भी आप विचार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना यह है कि यह विधेयक बहुत विस्तृत है, इसको इतनी जल्दी पास नहीं किया जा सकता है। इसमें क्लाज बाई क्लाज विचार किया जाना और बहस किया जाना आवश्यक है। इसलिए जल्दबाजी में इस विधेयक को पास न करें। जो संशोधन हमने दिए हैं। उनको स्वीकार करें और उसके बाद उन संशोधनों सहित इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दें और अभी तो 22 दिसम्बर बहुत दूर है। स्टैंडिंग कमेटी विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उसके प्रकाश में यह विस्तृत विधेयक पुनः सदन के समान प्रस्तुत किया जाना ठीक रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी श्री राम नाईक जी ने कहा, मैं भी इस बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जल्दी न लाया जाए। इस बात को कहते हुए मैं इस बिल को स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, निक्षेपागार एक निक्षेपागार ही होता है और निक्षेपागार सुविधाजनक तंत्र होते हैं। यह सच नहीं है कि यह अनूठा है। एक मिलती जुलती चीज है। हमारे देश में भी मिलती जुलती व्यवस्थाएं हैं। उदाहरणार्थ भारतीय रिजर्व बैंक का एक निक्षेपागार है और उसका नाम सब्सिडियरी जनरल लेजर है। प्रतिभूति घोटाले से जुड़े सभी व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं। 'सब्सिडियरी जनरल लेजर' मे ही एक बैंक से दूसरे बैंक को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को दर्शाया जाता है और वास्तविकता में हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि अवशिष्ट न हों। यह भी मिलता जुलता ही है। यह अन्य सभी प्रकार के शेयरों के लिये निक्षेपागार है। बैंकों के लिये की गई व्यवस्था के समान ही व्यवस्था की गई है और इसके लिये दलाल हैं। दलाल ही भागीदार हैं और निक्षेपागार के रूप में पंजीकृत हैं। यह लोग निजी व्यक्तियों और निक्षेपागारों के बीच में बिचोलिये का कार्य करते हैं।

जैसा कि मैंने कहा एक निक्षेपागार एक निक्षेपागार ही होता है। यह एक सुविधा है और लोगों को इन सौदों को नहीं करना पड़ता है। भौतिक रूप में यह अभौतिकीकरण है। यह वही शब्द है जिसका प्रयोग भी हुआ है। निस्संदेह यह एक सुविधा है इसीलिये, इस निक्षेपागार को गठित किये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, इससे एक समस्या उत्पन्न होती है। एक सुविधा को असुविधा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और एक असुविधा को दुरुपयोग के रूप

में प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एस.जी. एल.आर. ने ऐसा ही कार्य किया है। यहां पर भी इसी तरह की शंकाएं व्यक्त की गई है। यह लोग कौन हैं?

सम्भवतः इसके पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह पूछा गया है कि अध्यादेश की क्या जरूरत है? इसका सीधा उत्तर है। यह उत्तर जानकारी को छुपाने वाला है, उत्तर यह है 20 सितम्बर- के दिन को देखिये, इस महीने में जो कुछ भी भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हो रहा था बिल्कुल स्पष्ट है। इस अवधि में हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार कम होता जा रहा था और हमारे देश में जो विदेशी संस्थागत पूंजी निवेशक डालर ला रहे हैं उन्होंने यह शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि यह बहुत जटिल हैं। कागज पर सौदे आदि होने चाहिये। उन्होंने इस प्रकार का एक तर्क दिया। विदेशी पूंजी निवेशकों के न आने के कारण बिल्कुल अलग हैं। अमरीका की अर्थव्यवस्था और विश्व में शेयर बाजार के 'रिजर्व' भिन्न-भिन्न तरीके से व्यवहार कर रहे थे। इसीलिये, पूंजी आने के बजाए दूर भाग रही थी। इन मुश्किलों को ध्यान में रखते हुये और इस अवधि में विदेशी मुद्रा के भण्डारों में निरंतर गिरावट के कारण यह अति जरूरी समझा गया कि एक अध्यादेश लाया जाए, इसलिये, इस पूर्व उदाहरण का यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता है। लिखित विवरण और अन्य वक्तव्यों में भी अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

परन्तु, मैं निक्षेपागारों के बारे में जिक्र कर रहा हूं। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि इसके कारण कुछ भी हों लेकिन यह एक सुविधा है। इस सुविधा में कठिनाई क्या है? कौन निक्षेपागार का गठन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। इसको शेयर बाजार के साथ जुड़ा होना चाहिये। रिलायंस जैसी अन्य जाली कम्पनियां कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं। वह निक्षेपागार गठित कर सकती है। हमारे साथी श्री अमल दत्त ने भी इसका उल्लेख किया है और श्री राम नाईक ने इंकित किया कि यह भ्रष्टाचार का जाल भी हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में एस.जी.एल.एस. की देखरेख करने वाले विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गलत दस्तावेज तैयार किये जाते हैं और गलत प्रविष्टियां की जाती हैं। हमने देखा है कि यह पर्याप्त नहीं है। यहां इसका उल्लेख भी किया गया है। यह बहुत आश्चर्यजनक है। अन्य कार्यों में भी इसको सावधानीपूर्वक इंकित किया गया है कि यह इलैक्ट्रानिक हो सकता है। कितना अच्छा है। अत्यंत त्वरित है। हम जानते हैं और संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदनों में भी उल्लिखित है कि इलैक्ट्रानिक उपकरण खतरनाक उपकरण हो सकते हैं इस उपकरण से आप किसी भी प्रविष्टि को मिटा सकते हैं। वहां पर बैठे लोग कम्प्यूटर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं।

इसलिये, कुछ मामलों में प्रावधान किया गया है कि इसके *साथ-साथ लिखित पृष्ठ निशानों आदि के साथ तैयार किये जाने चाहिये। यह प्रावधान नहीं है। तत्पश्चात, अगर अदायगी स्थगन है तो* इसके लिये संबद्ध बोर्ड 'सेबी' है। यह अच्छा है। परन्तु, हमने कहा है कि बैंकों की तरह लेखापरीक्षण हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिये। अलग-अलग लेखापरीक्षक नहीं होने चाहिये क्योंकि किसी एक बैंक के लेखापरीक्षक को मालूम ही नहीं होता है कि दूसरे बैंकों में क्या हो रहा है। अगर लेखापरीक्षण ईमानदारीपूर्वक किया जाए तो लेखापरीक्षण हेतु सभी निक्षेपागारों का लेखापरीक्षण करने के लिये एक केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिये ताकि बैंकों के बीच में कड़ी, निक्षेपागारों के बीच में कड़ी, निक्षेपागारों और खरीददारों के बीच में कड़ी और शेयर जारी करने वाली कम्पनी के बीच में कड़ी का पता चल सके। परन्तु, इसमें इस प्रकार की दिक्कत है। इसी कारण से उन्होंने लेखापरीक्षा का संदर्भ दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें एक और दिक्कत है। यह बड़े निवेशकों के लिये बहुत सुविधाजनक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट कहेगा कि 10 करोड़ शेयर बेच दीजिये। परन्तु, क्यों? यह एक प्रमाणपत्र हो सकता है, परन्तु इसको भी सिर्फ 'लेजर' प्रविष्टि में बदला जा सकता है। यह सच काफी नहीं है। परन्तु, इसमें एक दिक्कत है छोटे निवेशकों के साथ क्या होता है? जब बड़े निवेशकों और निक्षेपागारों के बीच सांठ-गांठ होती है तो क्या होता है?

कोई कहता है कि इसको स्थायी समिति के सुपर्द कर दीजिये, निक्षेपागार के सिद्धांत पर आपत्ति नहीं है क्योंकि यह एक सुविधा है। परन्तु पूरा मुद्दा यह है कि इसको सावधानीपूर्वक किया जाना है और इसके लिये स्थायी समिति ही एकमात्र तंत्र है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ खण्ड वार व्यापक विचार विमर्श किया जा सकता है। ऐसा करने की अपेक्षा उन्होंने विदेशी पूंजी निवेशकों के दबाव में आकर जल्दबाजी की है और आज वह निःसहाय महसूस करते हैं क्योंकि अध्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिये इस सत्र में इसको पारित करना आवश्यक है, इस कारण से इसको स्थायी समिति को भेजा नहीं जा सकता है।

महोदय, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निर्धारित 3.30 घंटे की सीमा पर पहुंचने वाले हैं।

समस्या यही है। इस विधेयक के हरेक खंड पर आपत्तियां हो सकती है, सिवाय इस बात के कि निक्षेपागार विधेयक का होना ही चाहिये। इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड में समुचित रूप से संशोधन किया जा सकता है। वे भी इस बात से सहमत होंगे। बीते समय में हमने स्थायी समिति की बैठकों में यह देखा है कि विचार-विमर्श के द्वारा सुरक्षा उपाय लागू किये जा सकते हैं। ऐसे कोई सुरक्षा उपाय इस विधेयक में शामिल नहीं किये गये हैं। प्रतिभूति बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। हमें यह स्मरण करना चाहिये कि इस बोर्ड के सामने ही डुपलीकेट शेयर जारी किये जाते हैं और इससे अनेक कठिनाइयां पेश *आती हैं। इस बोर्ड पर काम का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। निक्षेपागारों के सम्बन्ध में क्या अतिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं? इस*

सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। आपका कहना है कि इसे विनियम में शामिल कर लिया जाएगा। मेरी अत्यन्त साधारण सी धारणा यही है कि इस सम्बन्ध में जो अनेक विधेयक बनाए गए हैं आपने उन्हीं में ही अनेक ऐसी बातें शामिल की है तथा इन्हें विनियमों पर नहीं छोड़ा है। अगर आपने इस विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजा होता, तो यह किया जा सकता था। यही वह समस्या है जो हमें यह कहने पर विवश करती है कि यद्यपि हम यह मानते हैं कि ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि निक्षेपागार विधेयक कोई बुरा प्रावधान नहीं है, लेकिन यह विधेयक मूल रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वास्तव में, यह बात सरकार के हाथ में नहीं है। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष महोदय ही इस विधेयक को स्थाई समिति के पास भेज सकते हैं। अतः अनुरोध सरकार से नहीं है। हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि इस नये प्रतिष्ठान–जोकि अत्यंत सुविधाजनक सिद्ध हो सकता है– के महत्व के कारण, आप इस विधेयक को स्थाई समिति के पास राय जानने के लिए भेज सकते हैं। मैं शेयर बाजार में विश्वास नहीं रखता। वित्त मंत्री महोदय ने एक बार यह कहा था कि किसी को यह कभी भी विदित नहीं होता कि शेयर बाजार में कीमतें बढ़ती अथवा घटती क्यों है। यह बात संकल्पनाओं पर आधारित है। हरेक व्यक्ति यह जानता है कि चूंकि शेयर होते हैं, अतः इन शेयरों के क्रय एवं विक्रय के लिए शेयर बाजार स्थापित किये जाने की जरूरत है, शेयर बाजार विश्वव्यापी संकल्पनाओं के लिए प्रतिष्ठान के सिवाय और कुछ नहीं हैं। अतः इस संबंध में सुरक्षा–उपाय लागू करने होंगे। मैं यह बता दूं कि निक्षेपागार के लिए भी ऐसी ही स्थिति है। अतः, यह हमारा अनुरोध है कि जैसे उन्हें विदेशी प्रतिष्ठानों ने विधेयक लाने पर मजबूर किया था उस प्रकार हमें इस रूप में यह विधेयक पारित करने के लिए मजबूर न करें। मेरा यह अनुरोध है कि आज हम चर्चा कर लेते हैं तथा अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस विधेयक को स्थाई समिति के पास उसकी राय जानने हेतु भिजवा देते है क्योंकि इस विधेयक को इसी रूप में पारित नहीं किया जा सकता तथा कम से कम पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो घटित हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को इस रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं आगे और कुछ अब नहीं कहना चाहता तथा इस विषय पर सोमवार को पुनः अपने विचार रखूंगा। यदि आप चाहे तो मैं ऐसा कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास दो मिनट का समय और शेष बचा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हरेक निक्षेपागार जारीकर्ता को इन अन्तरालों के बाद जिस लाभार्थी के नाम पर प्रतिभूतियों का अन्तरण किया जाना है, के बारे में जानकारी देनी होगी। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे जा सकते हैं। ऐसा करना पूर्णतः सम्भव है। शेयर प्रमाण पत्र किसके नाम पर जारी किए जाएंगे यह जानकारी निक्षेपागारों से एकत्रित की जा सकती है ऐसा करना भी पूर्णतः सम्भव है। खाते किसी विशिष्ट तिथि को बन्द किए जाते है; उस तिथि को...... के पास उपलब्ध खाता–बही में जो भी रिकार्ड हों उन्हें कम्पनी विशेष को अन्तरित कर दिया जाएगा मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई हेरा–फेरी हो जाती है तो आप इसका कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए किसी कम्पनी की हंगामी आम वार्षिक बैठक होगी तथा रिकार्ड में कोई हेरा–फेरी होती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो व्यक्ति इन निक्षेपागारों की निगरानी करते हैं उन्होंने सही सूची भेजी गई? वैयक्तिक रूप से छोटे निवेशक इन निक्षेपागारों को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा कौन करेगा? यह एक और समस्या है जिसका की कोई जवाब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसका एक लाइन में यह जवाब होगा कि विनियमों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मेरा यह सुस्पष्ट कहना है कि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता।

आप दीवार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। अब मैं अपनी बात इस उम्मीद से समाप्त कर रहा हूं कि सोमवार को मुझे पुनः बोलने के लिए अवसर दिया जायेगा। मैं अपना भाषण अगली बार जारी रखूंगा। अब में यही पर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं सोमवार को पुनः अपना भाषण जारी रखूंगा।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, क्या हमें प्रन्द्रह मिनट का समय और मिल सकता है? गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, निक्षेपागार विधेयक को मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। यदि हम पांच मिनट का समय और लें तथा तत्पश्चात् पांच मिनट का समय और आबंटित कर दें (व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सदस्यों के अधिकार छीने नहीं जा सकते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम देर तक बैठ सकते हैं। हम छह बजे के बाद बैठ सकते हैं। हम साढ़े छह बजे तक भी बैठ सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम निक्षेपागारों के विरूद्ध नहीं है लेकिन इसमें पर्याप्त सुधार करना होगा। इसे स्थायी समिति को भेजना होगा। इसे स्थायी समिति को भेजने के लिए हम वास्तव में अध्यक्ष महोदय से बात करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसे आज रोक दे और हम इसे सोमवार को ले सकते हैं। इस दौरान हम अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं। इसमें पर्याप्त सुधार करना होगा। इस पर आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आप हमें इसका विरोध करने के लिए मजबूर करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री चटर्जी जी कम से कम आप को तो मेरे से अधिक जानकारी है और आप सहमत होंगे कि मैं वास्तव में चाहता हूं कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए जहां हम दोनों एक साथ बैठ कर इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : वह विधेयक का भाग नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक गारन्टर के रूप में इसे नितान्त रूप से विधेयक में ही शामिल करना होगा या आपको इस बात के लिए सहमत होना होगा कि इस प्रस्ताव को यहां पर गिरने दिया जाए, जो कि संभव नहीं हैं। उदाहरण के लिए दोनों रूपों में रिकार्ड रखने का उपबंध इस अधिनियम का भाग बनेगा या नहीं?.....(व्यवधान) मैंने उनसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं, चाहता हूं कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए।...(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आप क्या चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि इसे अभी पारित किया जाए?...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाको : इसमें कोई नुकसान नहीं है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें गैर सरकार सदस्यों के विधाई कार्य को लेना चाहिए। श्री अमर पाल सिंह।

3.32 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

छयालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 नवम्बर, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 नवम्बर, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.33 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पुरःस्थापित किए जाए। श्री के. राममूर्ति उपस्थित नहीं, श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति-उपस्थित नहीं। श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी जी।

3.33 1/2 म.प.

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, उपस्थित नहीं। श्री बसुदेव आचार्य जी।

3.34 म.प.

(दो) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) (निरोधात्मक) विधेयक*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) को फैलने से रोकने तथा नियंत्रित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) को फैलने से रोकने तथा नियंत्रित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म.प.

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 345 इत्यादि में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 1.1.2.95 को प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

3.36 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेदों 330 क तथा 330 ख आदि का अन्तः स्थापन) जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य की मद संख्या.11 श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे की चर्चा करेगी।

श्री याइमा सिंह युमनाम अब बोल सकते है।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रेड्डय्या यादव द्वारा पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों संबंधी विधेयक का समर्थन करता हूं। उक्त संशोधन में अनुच्छेद 330 के अधीन जोकि भाग 16 का अंग है, कतिपय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान में कतिपय अनुच्छेदों का अन्तःस्थापन का प्रस्ताव है। इस अनुच्छेद के तहत विधान सभाओं और लोक सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माताओं तथा नेताओं, जिन्होंने भारत के संविधान को अपनाने के लिए संविधान सभा में बहस की थी, ने बड़े सोच-विचार के बाद संविधान में इस अनुच्छेद का अन्तःस्थापन किया था और इस के परिमणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग, कुछ हद तक ऊंची जाति के लोगों की बराबरी कर सके हैं। इस अनुच्छेद के तहत दी गई सुविधाओं के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कई लोग विधान सभा एवं संसद के सदस्य बन सके हैं। यदि संविधान में यह अनुच्छेद नहीं होता और कतिपय आरक्षण नहीं किये जाते तो कई सदस्यों को जोकि अब विधान सभाओं एवं संसद के सदस्य हैं, यह अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने की न तो शक्ति होती और न ही विशेषाधिकार अतः यह अनुच्छेद कतिपय रियायतों का प्रावधान करता है। यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अवसर प्रदान करता है। पूर्व के अनुभव को देखते हुए अब हमारे पास अन्य पिछड़ा वर्गों के लागों को आरक्षण उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। अतः मैं देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। देश के कुछ भागों में शान्ति नहीं थी। विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच संघर्ष होता रहा था और काननू और व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा था। यह सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं। समाज में सामाजिक न्याय बनाये रखने के लिए सभी नागरिकों को बराबरी पर लाना होगा। अतः संविधान के अनुच्छेद 330 में संशोधन की मांग उचित है। सभा ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के हितों के प्रसार के लिए विशेष मामले के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मंडलीकरण से हमारे देश के लोगों, विशेषकर पिछड़ा वर्ग के लोगों में, एक जागृति आई। एक समय ऐसा था जब इस वर्ग के लोगों का कई प्रकार से शोषण होता था।

3.42 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)।

उन्होंने सोचा कि शोषित होना उनके भाग्य में लिखा है। मंडलीकरण से इस वर्ग के लोगों में जागृति आई। अब उनमें अपना हक मांगने की हिम्मत पैदा हुई है मुझे विश्वास है कि सभा इस पर सर्वसम्मति से सहमत होगी।

इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। मणिपुर में 60 सदस्यों की विधान सभा है। जिसमें 19 सीटें अनुसूचित जन जाति के लिए तथा एक सीट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित है। अतः उस सभा में एक अनुसूचित जाति और 19 अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार वे लोग सदस्य बनकर अपनी जाति के लोगों की सेवा कर सकते हैं। इस सभा में भी हमारे यहां दो निर्वाचन क्षेत्र हैं, एक है आन्तरिक मणिपुर और दूसरा है बाह्य मणिपुर। बाह्य मणिपुर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और वहां अनुसूचित जनजाति के सदस्य का प्रतिनिधित्व है। यहां तक कि उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया। आरक्षण के तहत यह सुविधा है।

मैं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हूं। हालांकि मैं इस सभा में ऊंची जाति के लोगों के साथ सामान्य सीट पर चुनाव लड़कर आया हूं पर ऊंची जाति के लोगों के साथ चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। यदि कोई सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी तो हम चुनाव लड़कर यहां आ सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा तथा इससे हमारा देश सभी वर्गों के लोगों का एक ऐसा देश बन जायेगा जहां सभी को समानता मिल सकेगी।

मैं इस सभा का और समय नहीं लूंगा।

मैं केवल इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं और संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण की सुविधा सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य मजदूर वर्गों को अवसर प्रदान करती है। इस सुविधा ने इनको अपनी जीविका एवं

सामाजिक दर्जा बढ़ाने के अवसर प्रदान किये हैं। इस प्रकार आरक्षण से बहुत हद तक देश का विकास होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए सीटें आरक्षित रखने हेतु प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह किसी अन्य वर्ग के लोगों के लिए चुनौती हैं। चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऐसे अवसर पहले ही दिये जा चुके हैं अतः इसे अच्छी भावना से लिया जाना चाहिए।

तमिलनाडु पंचायती राज संस्थानों के चुनाव जैसे कतिपय मामलों में हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ी परिषदें एवं पिछड़े गांव बनाए हुए हैं। परन्तु, अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मैं एक संसद सदस्य की हैसियत से इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। मुझे अपने बचपन की याद आती है जब कि मैं 12 वर्ष का था। मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर गया था और हमें उस मंदिर में जाने से रोका गया था क्योंकि मैं एक विशिष्ट जाति का था। उस दिन से, मैं पेरियर-अन्ना के दल में था। अब मैं पुरतची थलैवी जय ललिता जी के नेतृत्व के अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक दल में हूं।

भारतीय समाज में समान अवसर तथा सामाजिक न्याय दिलाना हमारा एक लक्ष्य है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक केवल कुछ ही भागों में नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी हर देखते हैं कि कई साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इसलिए लोगों के मन में अच्छी भावना एवं भाई चारा उत्पन्न करो और समान अवसर उपलब्ध करो। उन दिनों पंडित नेहरू जी मुख्य रूप से ऐसा कहते थे। केन्द्रीय सरकार और इस माननीय सभा को यह बात समझनी चाहिए।

2000 ई. तक क्या स्थिति रहेगी? मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में प्रजातंत्र रहेगा अथवा नहीं। आज तक, पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए, संविधान में यह संशोधन किये जाने की आवश्यकता महसूस का गई है। केवल तब ही लोगों में सामांजस्यता की भावना जो कि अभी नहीं है बनी रहेगी। अतः मैं श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विधान सभाओं एवं संसद में सीट आरक्षित रखने हेतु संविधान में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, जिस विषय पर चर्चा चल रही है वह निश्चित ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन परिस्थितियों में हम विचार कर रहे हैं, यदि यह सामाजिक समता को प्राप्त हुआ तो इस प्रकार के आरक्षण की समाज को आवश्यकता नहीं होती। किन्तु जिस तरह से वर्ग भेद का यह सिलसिला चला हुआ है और हमने यह मान लिया है कि जन्म से जो काम करता आया है, वह काम उसी का है, उसी आधार पर उससे व्यवहार किया जाना चाहिये। ऐसे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम तो काम होता है, सेवा सेवा होती है। सेवा करने वाले को कभी छोटा नहीं माना गया है लेकिन परम्परा और रूढ़िवादिता के आधार पर यह मान लिया गया है कि सेवा करने वाले व्यक्ति की समाज में स्थिति निम्न स्तर की हैं। उसके कारण यह रूढ़ि हो गयी। समाज ने उसे हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और परिस्थितियां ऐसी बन गयी कि अनुसूचित जाति के लोग जो सेवा करते बाकी के लोग जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे और जो समाज का सारा काम करके उसका उत्थान किया करते थे तथा सभी प्रकार के लोगों में भ्रान्ति रूढ़ हो गया और उसके कारण जब हमारा संविधान बना तो विचार किया गया। जिस प्रकार से भारत के संविधान का उद्देश्य था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागारिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करेंगे जिससे सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक रूप से समता आयेगी। इस समाज के अंदर, इसलिये इस प्रयास के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया किन्तु इसमें एक वर्ग छूट गया जो कि सेवा करने वाला वर्ग था। यह वर्ग समाज के समस्त काम करने में आता था। ये शिल्पी, कुंभकार, लुहार, बढ़ई इत्यादि थे जिनका समाज की सरंचना में महत्वपूर्ण योगदान होता था। ऐसे वर्ग के उत्थान के लिये संविधान में यह संशोधन लाया गया है जिनके बारे में एक बार भी समुचित रूप से विचार नहीं हुआ था। इस संशोधन के पीछे यह भावना रही है कि उन लोगों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिये जहां बाकी की जगहों पर आरक्षण हो रहा है, संविधान में यह प्रावधान किया जाये कि पार्लियामेंट, विधानसभा में उन लोगों की भी भागीदारी हो सके, इसलिये संशोधन किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, जब एक पार्लियामेंट का मैम्बर चुनकर आता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति हर वर्ग की बात करे। परन्तु जिस प्रकार से जिसने जीवन जीया है, उसकी कठिनाई, दर्द, काम करने के बारे में वह व्यक्ति ही उचित अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिये भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति शिक्षा, योग्यता के आधार पर विधानसभा या पार्लियामेंट का मैम्बर बनने के लिये किसी योग्यता के आधार पर आयेगा। इसलिये जो व्यक्ति, चाहे पढ़ा-लिखा हो या नहीं, उसकी समझ जैसी भी हो लेकिन जिस क्षेत्र से आ रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर और जिन लोगों के बीच में रहता है उसका ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सके, यह मान्यता रहे। इसी आधार पर संसद में तथा बाकी क्षेत्रों में इस प्रकार के लोगों को आरक्षण देने के लिये मांग की जा रही है। यदि यह मांग है तो जो परम्परा चली आ रही-है, उस परम्परा का निर्वहन करने के

उपाय करने होंगे। लेकिन धारणा यह बन गयी है कि इनकी बातों को समझने के लिये कोई अवसर नहीं है। इसीलिये ये सारे प्रावधान किये जा रहे हैं। संविधान की धारा 330 क के बाद 330 ख में ऐसा प्रावधान करना चाहिये जिससे यह आरक्षण की अपेक्षा ओबीसी के बारे में की गयी है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वास्तव में जहां उत्थान करने की बात हम करते हैं, उसका प्रावधान करना होगा।

मानव-मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म प्रधान है,
सामाजिक समता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है।

यह जन्म से अधिकार उसको मिला हुआ है। भारत में पैदा हुये प्रत्येक नागरिक को सामाजिक समता मिलनी चाहिये। और हमने प्रस्तावना में कहा है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता, बन्धुता सब पर समानता का अधिकार, इससे कम में समझौता कैसी, स्वर्ग मोक्ष से इंकार। यदि हमारा यह संकल्प हो जाये, इस बात पर रूढ़ हो जायें तो निश्चित रूप से ये सारी बातें भी आ सकती है।

किन्तु जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हो गई है, निश्चित रूप से यह अपेक्षा की जा रही है और की जानी चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को आरक्षण की सुविधा मिले और यह अपना प्रतिनिधित्व कर सकें। शिक्षण के क्षेत्र में भी ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए। इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के क्षेत्र में कुछ लोगों की धारणा हो गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रवेश के अवसर पर जो सुविधा मिली है उसके कारण काम की गुणवत्ता अच्छे किस्म की नहीं होगी, पर निश्चित रूपसे यह समझ लेना चाहिए कि यह प्रवेश के लिए है। प्रवेश के लिए उसमें आरक्षण कर लिया पर बाकी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती है, उनमें उसका पास होना जरूरी है और जब तक वह उसमें पास नहीं होता है तब तक उसको उपाधि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता कि उसने इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षा पास की है। प्रवेश के वक्त उसको यदि यह सुविधा दी जाती है तो जिन परिस्थितियों में पढ़ कर वह व्यक्ति आता है, समाज के जिस निचले स्तर से वह आता है, उसको कुछ राहत मिलेगी। हमारे यहां शिक्षा का स्तर इस प्रकार का है कि जो गांव में है, उसको शिक्षा उस प्रकार की मिलेगी, जो शहर में है, उसको उस प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जो कॉनवेण्ट में पढ़ता है उसकी शिक्षा अलग प्रकार की होगा। कुल मिलाकर शिक्षा में भी समानता नहीं है। जिस परिवेश में वह रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, उस प्रकार की शिक्षा उसको मिलती है। मुझे याद है कि मैं चिमनी के प्रकाश में पढ़ता था। उस समय के जो सभी लोग पढ़ते थे। उस समय किसी को बिजली की सुविधा थी, किसी को लालटेन की सुविधा थी। इस प्रकार की असमानता उस समय भी थी। किसी को घर के कामों में सहयोग करना पड़ता है, किसी को परिवार के जीविकोपार्जन के लिए भी सहयोग करना पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों में, जिस परिवेश में, जिस संदर्भ में, जिन कठिन और विपरीत परिस्थितियों में वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से उसको मदद मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि दोड़ खेल में जो ऑर्बिट बनता है, उसमें अगर लंबी दौड़ हो तो 440 मीटर के ट्रैक में जो प्लेसिंग होती है, इनर ऑर्बिट में जो व्यक्ति होता वह सबसे पीछे खड़ा होता है जिससे समान रूप से उसको दूरी पार करने का अवसर होता है। जिसको सुविधा मिली है, जिसको ऐसा संस्कार मिला है, ऐसा व्यक्ति यदि इनर ऑर्बिट में रहता है और उसको पीछे रहना पड़ता है परंतु चूंकि उसको चक्कर उतना ही लगाना है इसलिए वह अपनी दूरी पूरी कर लेता है। जो बाहरी आर्बिट पर है यदि हमने उसको अनुपात में आगे बढ़ाकर खड़ा नहीं किया और यदि उसको उसी पंक्ति में खड़ा कर दिया तो निश्चित रूप से वह पीछे रहने वाला है। इसलिए समाज में समरसता आ जाए, एकात्मता आ जाए, इसलिए यह आवश्यक है कि उसको कहीं पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रोत्साहन स्वरूप में जहां मेडिकल या इंजीनियरिंग में आरक्षण है, पिछड़े वर्ग के लिए भी इस प्रकार प्रवेश में आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अपेक्षा प्रबल हो रही है इसके बारे में सरकार ध्यान दे। पिछड़े वर्ग के बारे में इस प्रकार से किया जाना है। पंचायतों के चुनावों में भी आरक्षण किया है। पंचायत में महिलाओं के लिए भी आरक्षण होता है। इस दृष्टि से जब सबके बारे में विचार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से संसद के बारे में, विधान सभा के बारे में इस प्रकार का विचार करना औचित्यपूर्ण होगा। इतना ही आज के इस अवसर पर कहते हुए मेरा निवेदन है कि समाज को ठीक प्रकार की दिशा देने की दृष्टि से, समाज की संरचना को सुगठित करने के लिए, समाज की एकात्मता को बनाए रखने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि इस प्रकार संविधान में संशोधन की अपेक्षा की जाए और उसको पूरा करने के लिए हम प्रोत्साहन दें इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि जहां तक विभिन्न विधान सभाओं परिषदों, लोक सभा और राज्य सभा युक्त संसद में अल्प संख्यकों समुदायों के लिए आरक्षण का संबंध हे, उनको इन सभी निकायों में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि विभिन्न विधान सभाओं, परिषदों और संसद आदि में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

महोदय, जब कि हम इस माननीय सभा में पंचायती राज विधेयक को मूर्तरूप देने हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देने पर हम सहमत हो गये हैं। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

4.00 म.प.

इसी प्रकार समाज के पिछड़े समुदायों और अन्य कमजोर वर्गों को भी आरक्षण दिया गया था। अतः मैं श्री रेड्डय्या यादव द्वारा कतिपय

संवैधानिक संशोधन लाने और ऐसे सभी संशोधनों को समाविष्ट करने हेतु प्रस्तुत इस प्रस्ताव व कथन का पुरजोर समर्थन करता हूं। जहां तक विधान सभाओं, परिषदों एवं लोक सभा व राज्य सभा का संबंध है, हमारा प्रतिनिधित्व तेजी से घटता जा रहा है। इससे पहले 1967 अथवा 1968 में, इस माननीय सदन में हम बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए थे। आज लोक सभा में हमारी संख्या 27 अथवा 28 मात्र है। राज्य सभा में भी ऐसी ही स्थिति है। इस समुदाय को जो प्रतिनिधित्व दिया जाना था वह नहीं दिया जा रहा है।

जहां तक भर्ती का संबंध है, सम्पूर्ण देश में इस मुस्लिम समुदाय के सर्वांगीण विकास व प्रगति के लिए किसी भी स्तर का कोई आरक्षण नहीं है। महोदय, सभी स्तरों पर इस समुदाय की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। हमें विभिन्न स्तरों पर जो सहभागिता और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। अतः मेरा इस माननीय सभा से यह अनुरोध है कि भर्ती एवं पदोन्नति के मामले में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाये यह वह प्रस्ताव है जिसके बारे में माननीय मंत्री ने यह घोषणा की थी कि अल्पसंख्यक समुदायों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। अब तक यह मात्र एक नारा व घोषणा बन कर रह गया है। माननीय मंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता को नहीं निभाया है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि किस स्तर पर इसकी चर्चा की जा रही है। परन्तु जब यह घोषणा कर दी गई है कि इस अल्पसंख्यक समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तो इस वादे को पूरा कर देना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने सभा में जो वचन दिया है, उसको निभाना चाहिए।

जहां तक भर्ती का संबंध है, जहां तक इस देश में विभिन्न स्तरों/पदों पर नियुक्त लोगों की संख्या का संबंध है, मैं समझता हूं कि देश के विभाजन से पहले इसकी संख्या 37 अथवा 35 थी परन्तु आज जब हम कुशल अथवा अकुशल अथवा मजदूर वर्ग अथवा अन्य स्तरों पर लोगों की नियुक्ति पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संख्या 1.5 प्रतिशत घट गयी है। इस प्रकार की असंगति और विभिन्न स्तरों पर लोगों की संख्या मे इस प्रकार की कमी, इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।

जहां तक संसद, लोक सभा व राज्य सभा का और विधान सभाओं की स्थिति का संबंध है, हम देखते है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तेजी से घट रहा है। अतः मेरा प्रस्ताव यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व कायम किया जाए। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व लोगों की इच्छाओं को पूरा करेगा। यदि जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का प्रतिशत कुछ भी हो, जाति और समुदाय कुछ भी हो, और किसी भी वर्ग के लोग हो आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो इस देश में निवास कर रहे किसी भी समुदाय से, किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं होगी और न ही कोई विद्वेष की भावना व्यक्त की जाएगी। इस देश के हर कोने में पूर्ण शान्ति रहेगी।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मण्डल आयोग के द्वारा पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण दिया गया है उससे इन लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि हर वर्ग के लोगों को उचित स्थान मिलेगा, उसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ फायदा मिला है। मगर अभी भी बहुत सी जगहों पर आरक्षण नहीं मिला है जैसे हमारे पूर्व साथियों ने चर्चा की कि मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेजों में, खास करके जो प्राइवेट तौर से जो चलते हैं उसमें इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं दिया गया है।

मेरे क्षेत्र में एक बी.आई.टी. मेसरा है, जिसे बिरला इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलाजी के नाम से जानते हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो मैडिकल कालेज हो, जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनमें पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिये आरक्षण की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ, उनके हितों के प्रश्नों को सही स्तर पर पहुंचाने के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों को ऐसे स्थानों पर आज तक नहीं बैठाया गया है ताकि उन्हें उचित समाधान मिल सके। जिस तरह हमारे हरिजन आदिवासी परिवारों के लोगों को एम.पी. के लिये, एम. एल.ए. के लिये और एम.एल.सी. के लिये आरक्षण मिला है, मैं चाहता हूं कि उनकी जनसंख्या को देखते हुये, पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये हर जगह रिजर्वेशन की व्यवस्था हो, लोक सभा, विधान सभाओं के अतिरिक्त सभी शिक्षण संस्थानों में और सभी स्तर पर उन्हें आरक्षण मिले, तभी इन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इनके विकास के लिये हरसम्भव कार्यवाही हो क्योंकि समाज में अभी तक ये लोग आगे नहीं बढ़ पाये हैं, आज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते, अच्छे विद्यालयों में, महा-विद्यालयों में, इंजीनियरिंग और चिकित्सा महा-विद्यालयों में उन्हें अवसर नहीं मिल पाते हैं, अच्छे पदों पर वे जा नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि सदन में प्रस्तुत विधेयक की मंशा को ध्यान में रखते हुये, राष्ट्र और समाज के हित में, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और इस दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को सभी स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ, श्री के. पी. रेड्डय्या यादव द्वारा जो बिल सदन में लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप पहले इस विधेयक पर बहस में भाग ले चुके हैं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मैं एक नया पाइंट मेंशन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया समझा करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इस विषय पर बहस तीन दिन से चल रही है। कई सदस्य यह भूल भी गये होंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बहस मे पहले ही भाग ले चुके है। कृपया, ऐसा मत करें। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा कि इस विधेयक को स्थगित कर दिया जाये क्योंकि प्रस्तावकर्ता श्री के.पी. रेड्डय्या यादव यहां उपस्थित नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री के.पी. रेड्डय्या यादव के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 (नये अनुच्छेद 330क और 330ख का अंतःस्थापन,) पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री के.पी. रेड्डय्या यादव के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 (नये अनुच्छेद 330क और 330ख का अंतः स्थापन) पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अच्छा, अब हम मद संख्या 12 पर विचार करेंगे, श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 13, श्री के.पी. उन्नीकृष्णन उपस्थित नहीं अब मद संख्या 14, श्री सैयद शहाबुद्दीन।

4.09 म.प.

समाज के आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण (उच्च शिक्षा तथा सरकारी नियोजन) विधेयक

सभापति महोदय : अब, हम मद संख्या 14 पर विचार करेंगे। श्री सैयद शहाबुद्दीन, कृपया प्रस्ताव पेश करें :

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को सरकारी नियोजन में पदों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को सरकारी नियोजन में पदों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है।

सभापति महोदय, हम सब संविधान में विद्यमान उपबंधों से परिचित हैं। अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के अधीन अभिनिर्धारणीय पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समूहों जिन्हें सामूहिक रूप से (अन्य पिछड़ा वर्ग) कहा जाता है, के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसा आप यह भी जानते हैं, सूची में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है और अब हमारे पास केन्द्रीय सूची और विभिन्न राज्यों में राज्य सूचियां भी हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक समूहों को दर्शाया गया है जो कि आरक्षण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है :

"इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

सिद्धान्त रूप में यह इस अनुच्छेद की प्रथम उपधारा से अलग है, जिसमें कहा गया है :

"राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा।"

महोदय इसी प्रकार, अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है

"राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।"

अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है :

"राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।"

अब इस के विपरीत अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है :

"इन अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा।"

जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकारी नियोजन में आरक्षण का सिद्धान्त और राज्य द्वारा अन्य सेवाओं में भी इसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान स्वीकार किया गया है सबसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था, इसलिए मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद को आने वाली बातों का पूर्वानुमान हो गया था और वस्तुतः उन्होंने इस आंधी को देश में उठने से पहले रोकने की कोशिश की थी। अतः मैं इस अवसर पर उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें इसकी पूर्व जानकारी थी और जिन्होंने समाज में समानता लाने के लिए उपाय किये थे। उन्होंने महसूस किया था कि मतदान के अधिकार और व्यस्क मताधिकार के रूप में सैद्धान्तिक समानता पर्याप्त नहीं थी। भारत एक अनेक धर्मवृत्तियों वाला समाज है और ऐसे समाज में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए, उन्हें इस की भी जानकारी थी कि आत्मसात्करण की धारणा जो शताब्दी के मध्य में प्रचलित थी, से काम नहीं चल पायेगा, और जल्दी ही ऐसा युग आयेगा जबकि प्रत्येक अभिनिर्धारणीय समूह अपनी पहचान के लिए जागरूक होगा और प्रशासन, सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य की सभी सेवाओं में अपनी भागीदारी चाहेगा और हमारी आंखों के सामने पूरे विश्व मे यही सब हो रहा है।

सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि आज विश्व नास्तिकता की दहलीज पर खड़ा है महोदय, नास्तिकता एक ऐसा शब्द है जिसे वस्तुतः न तो अन्तर्विष्ट और न ही विशिष्ट अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। इसे बहुत व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाना है क्योंकि विभिन्न मानदंड जिससे कोई समूह अपनी पहचान कराता है, वे स्थान-स्थान पर अलग अलग होते हैं। हमारे देश में सदियों से जाति आदर और पहचान का एक प्रमुख कारक रहा है। हम जाति को कोस सकते हैं लेकिन यह जीवन की सच्चाई के रूप में साथ-साथ रहती है। इसलिए, चाहे यह जाति है, चाहे धर्म है, चाहे भाषा है, समूह के पास पहचान की भावना होती है, सामाजिक समूह होने की चेतना है जिसके भीतर वह परस्पर आदान-प्रदान करता है, जिसके साथ उसके सामाजिक संबंध होते हैं। वस्तुतः, वह शेष समाज के साथ भी आदान-प्रदान करता है लेकिन फिर भी किसी समूह की कतिपय विशिष्ट विशेषताएं होती है, उदाहरण के लिए शादी के रूप में, त्यौहारों में सहभागिता के रूप में, एक ही भाषा बोलने के रूप में, एक ही प्रकार के सांस्कृतिक अनुसरण के रूप में उनका कतिपय अपना व्यक्तित्व होता है और हमारे लिए यह स्पष्ट रूप से कहने का समय आ गया है कि ऐसे व्यक्तित्व की परिभाषा राष्ट्रीय व्यक्तित्व की प्रतिपक्षी नहीं है। किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान उसकी अपनी पहचान के अन्य पहलुओं के साथ-साथ रहती है।

वस्तुतः सभापति महोदय, मेरी राय में मानव व्यक्तित्व बहुआयामी, बहुपक्षीय होता है और प्रत्येक स्थिति में उसके व्यक्तित्व का कोई खास पहलू प्रकट हो जाता है और कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए, किसी व्यक्ति का कोई विशेष धर्म हो सकता है, वह कोई विशेष भाषा बोल सकता है, देश के किसी विशेष भाग का निवासी हो सकता है, किसी विशेष जाति से सम्बन्धित हो सकता है, फिर भी सभी मिलकर राष्ट्रीय समाज का निर्माण करते है जिसे हम राष्ट्रीय राज्य कहते हैं, अतः दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

एक समय था जब यह कहा जाता था 'नहीं, सभी पहचानों को लुप्त हो जाना चाहिए, सभी पहचानों को द्रावण पात्र में डाल देना चाहिए और फिर उसमें से किसी नयी चीज का अविर्भाव होगा। लेकिन अमेरीका वासियों ने 200 वर्षों तक इसका परीक्षण किया और उन्होंने यह पाया है कि यह कार्य नहीं करती है। आत्मसात के सिद्धान्त, कुठाली के सिद्धान्त के स्थान पर पच्चीकारी का सिद्धान्त नहीं अपनाया गया है। और मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा अपने जीवन में अंतिम दिनों में दिया गया एक बहुत प्रसिद्ध भाषण याद है जब उन्होंने भारत को पच्चीकारी बताया था, कुठाली नहीं। महोदय, अन्तर बहुत सरल है। एक कुठाली में, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक घटक अपनी पहचान खो देता है जबकि एक कुठाली में उनमें से प्रत्येक अपनी पहचान बनाये रखता है और साथ ही वह समग्र को चमक और वैभव प्रदान करता है। वहीं पच्चीकारी की सुन्दरता है। और किसी भी मामले में, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी अपना धर्म अथवा भाषा अथवा उसकी अन्य कोई पहचान को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। वह जो कुछ है वह होना चाहता है और वह राज्य का एक वफादार नागरिक बनना चाहता है और साथ ही उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है जो राज्य के नागरिक के रूप में उसे उपलब्ध हैं और, इसलिए हमें स्वीकार करना है और इसे स्वीकार करने के पश्चात, हम यह कह सकते हैं कि किसी समाज में विभिन्न ग्रुपों का आर्थिक विकास विभिन्न स्तरो पर है, उनकी सामाजिक स्थिति अलग-अलग है, उनकी शैक्षिक उपलब्धियां अलग-अलग है, और इसलिए उनका समाज में सम्मान का स्तर अलग-अलग है। लेकिन हम प्रजातंत्र के युग में रह रहे हैं और हम राज्य को, समाज को इस ढंग से चलाना चाहते हैं कि कुछ अवधि के पश्चात समानता की ओर स्वैच्छिक गति हो। और सामाजिक न्याय का यहीं अर्थ है। सामाजिक न्याय असमानों को समान बनाने का आन्दोलन है, उनको एक सामान्य स्तर पर लाना है ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र के समान रूप से भाग ले सके। उनका प्रत्येक गतिविधि में बराबर का प्रतिनिधित्व हो। चाहे आप न्यायपालिका को ले, या कार्यपालिका को ले या विश्वविद्यालय को ले, शैक्षिक क्षेत्र को ले अथवा विधानपालिका को ले और यदि सब कुछ समान हो और सभी ग्रुप समान हो, तो आप पायेंगे कि इन सब में शेष राष्ट्रीय समाज की तरह वहीं जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व होगा। वहीं वास्तविक परीक्षण है। आज हम स्वतन्त्रता के 50 वर्षों के पश्चात क्या पाते है? हम पाते हैं कि हमारे समाज के विभिन्न ग्रुपों में असमानताएं तथा विसंगतियां है। 50 वर्षों के पश्चात भी, जब हम सब के पास मतदान का अधिकार है और मतदान के समय समान है, यदि आप विधायिका की संरचना को देखते है, तो

आप पायेंगे कि उनमें अब भी किसी वर्ग की किसी ग्रुप का दबदबा है। शैक्षिक क्षेत्र को लें आप देखेंगे कि उसमें भी किसी ग्रुप का दबदबा है। हां, विभिन्न राज्यों में यह अलग–अलग हे। उदाहरण के लिए, मुझे यह बताया गया है कि हमारे देश के एक सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य, पश्चिम बंगाल में, जहां 17–18 वर्षों से एक साम्यवादी दल सत्ता में है वहां सभी सरकारी सेवाओं में, शैक्षिक न्यायपालिका, आर्थिक संरचना तीन सामाजिक ग्रुपों का दबदबा है जो जनसंख्या का केवल तीन प्रतिशत है– मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ये जनसंख्या का केवल सात प्रतिशत है। उस अर्थ में, शायद, केरल कहीं अधिक लोकतांत्रिक है। शायद, समग्र रूप से दक्षिण भारत अधिक लोकतांत्रिक है।

मैं उस सभ्य ढंग की प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसमें केरल ने सरकारी रोजगार तथा प्रतिनिधित्व को पुनः वितरित करने का प्रयास किया है ताकि प्रत्येक ग्रुप सन्तुष्ट महसूस करे और प्रत्येक ग्रुप प्रशासन के दर्पण में सरकार के दर्पण में अपना चेहरा देखें। वे निरूत्साहित नहीं है। वे कुंठित नहीं है। वे वंचित नहीं है। उनमें भागीदारी की भावना है, उनमें सहभागिता की भावना होती है और इससे उनमें सब की आम सम्पन्नता, सब की आम भलाई के लिए प्रयास की इच्छा आती है। कोई भी निराश नहीं है। सब की शक्तियां एक सामान्य प्रयोजन में लगती है। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा और जहां तक हम अपने समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त करेंगे उतनी ही विकास के क्षेत्र में और राष्ट्रीय पुनर्संरचना के क्षेत्र में हमारे प्रयास में तेजी आयेगी। अन्यथा आप अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देंगे जो निराश होंगे और यह कहेंगे कि वे स्वयं में पिछड़े समझते हैं, वे जन्म से ही पिछड़े हैं, यह कि वे प्रयास नहीं कर सकते, कि उनमें शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। नहीं, उनमें है, लेकिन समाज में अब तक ऐसी व्यवस्था की गई है मैं यह नहीं कहता कि यह एक षडयंत्र है लेकिन एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जिसमें एक विशेष श्रेणी के लोग, जिनका जन्म नीच श्रेणी में हुआ है, और वे नीच श्रेणी में रहते है। इसे हमें एक स्वैच्छिक प्रयास से बदलना है। और यह विश्वभर में किया जा रहा है।

मैं आपको अमेरीका संयुक्त राज्य अमरीका का एक उदाहरण देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरीका को एक सर्वाधिक समान समाज बताया जाता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति संपन्न है। वास्तव में, अमेरीका में गरीबी की परिभाषा पर मुझे कभी कभी हंसी आती है। क्योंकि वहां के तथाकथित गरीबों का खपत स्तर शायद भारत के उच्च मध्यम वर्गों के खपत स्तर से भी अधिक है। लेकिन मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं। हाल ही में कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गये थे और उनमें बताया गया है कि अमेरीका में गरीबी रेखा के नीचे कौन लोग रह रहे हैं? उनमें अमरिका वासियों को पांच अथवा छः श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें बताया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत अलग–अलग ग्रुपों में अलग–अलग हैं। गोरे लोगों के मामले में, यह केवल 9 प्रतिशत था। एशियाई लोगों में यह 14 प्रतिशत है। एशियायी लोगों में भारतीय भी शामिल हैं। हिस्पनों अमेरिका वासियों के मामले में, यह लगभग 22 प्रतिशत थी। नीग्रों अमेरिका वासियों के मामले में, जिन्हें वे काले अमेरिका वासी कहते हैं, अफ्रीका–अमेरिकावासियों में यह 27 प्रतिशत थी। और मूल अमेरिका निवासियों के मामले में, जो गोरे लोगों के आने से सदियों पहले वहां रह रहे थे, यह 29 प्रतिशत था। अतः यह 9 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के बीच भिन्न भिन्न थी। उस सीमा तक, अमेरिका अब भी एक असमान समाज है ओर इसे अभी भी सामाजिक न्याय के लक्ष्य की ओर जाना है।

मैं समाज में कतिपय संख्या में गरीबों को बुरा नहीं मानता। लेकिन फिर गरीबी प्रत्येक ग्रुप के लिए एक समान क्यों नही हो सकती? प्रत्येक ग्रुप का उतना ही प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे क्यों न हो? आज भारत में हम क्या देखते हैं? महोदय यह एक सर्वविदित तथ्य है। हम आंकड़ों में हेरा–फेरी कर सकते हैं। लेकिन यह कमोबेश स्वीकार किया गया है कि भारत में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और हमारी गरीबी वास्तविक गरीबी है। इसका अर्थ है आप को जीवित रहने के लिए ही पर्याप्त भोजन मिलता है, 2400 कलोरी प्रतिदिन। इसमें आदमी की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया गया है, उसकी शिक्षा उसकी चिकित्सा, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व उसमें आवास, इन सबको शामिल नहीं किया गया है, यदि आपको जीवित रहने के लिए ही पर्याप्त भोजन मिलता है, तो आप गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ठीक है। यह सारे देश में 40 प्रतिशत हैं। लेकिन क्या यह सारे समाज में एक समान 40 प्रतिशत है? नहीं, महोदय। क्या यह भारत के समस्त भूगोल में 40 प्रतिशत है? नहीं महोदय, यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न–भिन्न है, एक ही राज्य में यह एक जिले से दूसरे जिले में अलग–अलग है, उसी जिले में, यह खण्ड–खण्ड में भिन्न है, एक ही खण्ड में, पंचायत–पंचायत में यह भिन्न–भिन्न है। यदि आप सामाजिक अर्थों में इसे देखें, तो आप पायेंगे कि एक ग्रुप में बहुत कम गरीबी है, हां समता है पांच प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों। और दूसरी ओर जनजातीय लोगों में लगभग 75 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारे अनुसूचित जातियों, दलित भाईओं में से कम से कम 60–65 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि आप एक सर्वेक्षण करे तो पायेंगे कि देश के विभिन्न भागों में धार्मिक अल्पसंख्यकों में शायद 50–55 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैंने देश के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ए.एम. खुसरो को यह कहते सुना है कि शायद मुस्लिम समुदाय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भी 10 प्रतिशत अधिक गरीब है। मैं मुस्लिम समुदाय के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यह असमानता एक लोक तांत्रिक समानतावादी समाज को शोभा नहीं देती, यह हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। हम सामाजिक न्याय के लक्ष्य दर नहीं पहुंचे है और इसलिए, वह लक्ष्य अभी प्राप्त करना है। यदि अमेरिका को इस दिशा में प्रयास करना है, तो मुझे विश्वास है कि हमें उस दिशा में और अधिक प्रयास

करना है। मैं यह कहूंगा कि सभी देशों में जो तरीके अपनाये गये हैं वह आरक्षण का है। आप इसे भेदभाव को उलटना कह सकते हैं, आप इसे सकारात्मक स्वीकारोक्ति, जो भी आप चाहे कह सकते हैं। विचार यह है कि जो ग्रुप पिछड़ा है, उसे विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अधिक तेजी से आगे बढ़ सके, ताकि समाज के समान्य स्तर पर पहुंच सके।

महोदय, एक परिवार में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि मेरे एक से अधिक बच्चे हैं और मुझे पता चलता है कि कमजोर बच्चे को थोड़े से अधिक खाने, कुछ अधिक दवाइयों और बेहतर देखभाल की आवश्यकता है, तो यह भेदभाव होगा, लेकिन यह सकारात्मक भेदभाव होगा। यह समानता, चिंता और देखभाल की, जो किसी माता-पिता को अपने सभी बच्चों के लिए समान रूप से करनी चाहिए, की पुष्टि है। ठीक इसी प्रकार से, समाज को अपने उत्तराधिकारियों, पिछड़ों, अपाहिजों तथा उन लोगों को इस तरह से लेना चाहिये जो काफी पिछड़ गये हैं, कि वे सामान्य राष्ट्रीय स्तर के बराबर आ सकें। और इसीलिए मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि समाज में समानता लाने के लिए आजकल आरक्षण को सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

दूसरे, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख करता है। निःसंदेह, अब हम हिन्दू समाज की बात करते हैं, शूद्रों के अधिकारों की बात करते हैं, जिनके लिए शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी, 'शूद्रों का युगोदय होने वाला है'। उन्होंने हमें पहले से ही चेता दिया था।

समाज को केवल तीन अपर जातियों के द्वारा ही नहीं चलाया जा सकता है। इसीलिए, हम पहले, निम्नतम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ध्यान रखते हैं। उसके पश्चात्, हम अगले अर्थात् शूद्रों पर आते हैं और उन सभी का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 'यह शताब्दियों से किये गये पापों का प्रायश्चित स्वरूप है' अर्थात् यह एक अस्थायी दृष्टिकोण है, एक अस्थायी उपाय है, और इसे अवश्य समाप्त किया जाना चाहिये। जी नहीं महोदय, मैं इससे असहमत हूं। मैंने कहा है कि आरक्षण को एक सार्वभौमिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक उसी प्रकार से मैं यह कहूंगा कि एक बहुवादी समाज में, एक वर्गों में बंटे हुए समाज में, जिसमें बहुत से समूह हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है, जो अपने बारे में, अपनी जातीय भावना, अपने समानता के अधिकार के बारे में सचेत हैं, आरक्षण इसका एक स्थायी लक्षण होना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब कोई भी इस बात की परवाह नहीं करेगा क्योंकि सभी कुछ बहुतायात में होगा। लेकिन जब तक किसी भी चीज की कमी है, चाहे वह कल्याण सेवा हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, सत्ता में स्थान की बात हो या फिर विधायिका में स्थान की बात हो। वह दिन अभी बहुत दूर है, जब समानता अपने आप आ जायेगी। अतः, क्या ऐसी स्थिति आने तक हमें इंतजार करते रहना चाहिये। निःसंदेह उस समय, जब बांध के दोनों ओर पानी का स्तर बराबर हो जाये तो आप बांध को हटा सकते हैं और उसके बाद भी पानी का स्तर तो वही रहेगा। लेकिन जब तक दोनों ओर पानी का स्तर अलग-अलग रहेगा, आपको पानी के प्रवाह को नियमित करना होगा।

अतः, पूर्वाभासित भविष्य में हम शताब्दियों से उपेक्षित तथा दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए सिर्फ प्रायश्चित करने के बारे में ही नहीं सोच सकते। इसे एक स्थायी लक्षण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये कि एक वर्ग विभाजित समाज में, एक बहुवादी समाज में जहां विभिन्न जातियों की पहचान का विलय नहीं हो सकता, जहां उनकी पहचान की पुष्टि होना निश्चित है, वहां हम इसे राष्ट्रीय नीति के विषय के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये कि यह एक स्थायी लक्षण है। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक सामाजिक परिदृष्य परिवर्तित नहीं होगा।

महोदय, मैं कुछ इतिहास की बात करना चाहता हूं। जब इस विषय पर संविधान सभा में चर्चा की जा रही थी, तब, मौलिक अधिकारों के प्रश्न पर एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। मेरे पास रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं अगर मुझे सही प्रकार से याद है, तो मैं यह कह सकता हूं कि उस समिति ने विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। जब वे दिसम्बर, 1949 में संविधान पूरा करने की स्थिति में पहुंचे तो इस मामले पर पुनः विचार किया गया था। इस पर कैसे और क्यों विचार किया गया था? मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मसौदा संविधान में आपको अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए यह एक आश्चर्यजनक भाग है—विधायिका और सार्वजनिक सेवाओं, दोनों में ही आरक्षण प्रदान करने वाला उपलब्ध मिलेगा। तत्पश्चात्, आखिरी क्षण में, कुछ लोगों की चतुराई से, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, संविधान के अंतिम प्रारूप में अल्पसंख्यकों को हटा दिया गया, सार्वजनिक सेवा के प्रश्न को अलग रूप में दे दिया गया और अपना कार्य सिद्ध कर लिया गया। अतः, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वे लोग जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया, जिन्होंने हममें से किसी से भी अच्छी तरह देश को समझा, जिन्हें इस राष्ट्र की धड़कन को समझा था, जिन्होंने यह समझा कि समाज किस प्रकार से काम करता है और भारतीय समाज शांति व्यवस्था और सौहार्दता के वातावरण में काम कर सकता है, और उन्नति कर सकता है, उन्होंने आरक्षण के इस स्थायी सिद्धान्त के बारे में सोचा। उन्होंने संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिये। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली एक विभाजक यंत्र था। इसे तो समाप्त किया ही जाना था लेकिन सरकार तथा प्रशासन में प्रत्येक का प्रतिनिधित्व

होना चाहिये। इसे संविधान-निर्माताओं ने स्वीकार किया था और संविधान बनाते समय आखिर में आकर इसमें परिवर्तन कर दिया गया। वास्तव में, अगर मुझे ठीक से याद है तो, डा. अम्बेडकर ने शुरू में ही प्रक्रियात्मक आधार पर उसी चरण में इस संशोधन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि समिति की रिपोर्ट पहले से सांविधानिक सभा के पास है। समिति अपना काम समाप्त कर चुकी थी। समिति को अपनी ही सिफारिश में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन पहले की बात जाने दीजिये। मैं तो सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं। अब हम अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) की बात करते हैं, जिन्हें आंशिक रूप से ही सही मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए श्री वी.पी. सिंह की सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय ही कहूंगा और इस प्रकार, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की परिधि में लाया गया। अब हम मौजूदा स्थिति पर विचार करेंगे।

(श्री पीटर जी. मरबनियांग पीठासीन हुए)

4.30 म.प.

मुझे खेद है कि उसमें कुछ अंतर्निहित विरोधाभास हैं, जो प्रत्येक कदम पर हमारे लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस समय मैं वह बताना चाहता हूं, जो मुझे स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम ने कहा था। वह मुझे भली प्रकार जानते थे और मैं उनके स्नेह का कायल हूं। उन्होंने मुझे बताया: "शहाबुद्दीन, यह आश्चर्यजनक बात है कि मेरी बेटी को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आरक्षित कोटे के अंतर्गत नौकरी मिल सकती है लेकिन मेरे रसोइये के बेटे को नहीं। उनका रसोइया एक ब्राह्मण था। आप जानते हैं कि बिहार में जो मैथिली ब्राह्मण होते हैं, वे बहुत अच्छे रसोइये होते हैं। अतः, उनके पास एक मैथिली ब्राह्मण था। और उनका यह वाक्य मेरे मस्तिष्क में घर कर गया। यह एक विरोधाभास है कि हमारे देश में प्रत्येक सामाजिक समूह ने अपने नाम के पीछे पिछड़ी जाति दर्ज करा लिया है। ये समूह बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, इनका प्रतिशत अधिक हो सकता है और कम भी लेकिन हमारे देश में प्रत्येक सामाजिक समूह में, चाहे उसकी संपूर्ण सामाजिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो, एक पिछड़ेपन का तत्व है, एक पिछड़ा वर्ग है।

और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और दूसरी ओर, हमें क्या पता चलता है? सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रसिद्ध 'संपन्न वर्ग' के अस्तित्व का उल्लेख किया है। सभी प्रकार का आरक्षण, जिसकी व्यवस्था की जा रही है, का लाभ उन्हीं लोगों की सन्तानों को मिल रहा है, जो स्वयं इसका पहले लाभ उठा चुके हैं। महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि चाहे वह आदिवासी समाज हो अथवा अनुसूचित जाति, जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद, उनकी भी यही स्थिति होगी।

इस प्रकार, यह समानता होती जायेगी। इसका विस्तार होने के बजाय, यह कम हो रही है। जब तक आप समाज के प्रत्येक समूह के प्रत्येक पिछड़े वर्ग तक नहीं पहुंचते, तब तक समानता के उस स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते जिसकी हमें चाहत है। अगर सेवाएं, स्थान, सुविधाओं और रियायतों में कमी होने जा रही हैं तो फिर उस पर कुछेक लोगों का एकाधिकार हो जायेगा। फिर ब्राह्मण समाज में क्या बुराई है? ब्राह्मणवाद में क्या बुराई है? मुझे ब्राह्मणवाद के स्थान पर किसी और वाद को लाकर उन लोगों, के कल्याण से, समाज के उस संपन्न वर्ग की भलाई करने में कोई तर्क नजर नहीं आता। हमें निम्नतम स्तर तक जाने का प्रयास अवश्य करना चाहिये। हमें तह तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करना चाहिये। हमें तह तक, जहां तक पहुंचकर उन परिवारों का पता लगाना चाहिये जिन्होंने घृणित कार्यों के अलावा कोई और कार्य किया ही नहीं है और जो पसीना बहा रहे हैं, समाज का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हैं और उसके बाद भी उन्हें सभी प्रकार के पारितोषकों से, जो समाज उन्हें दे सकता है, से वंचित रखा गया है और उनके वंशज भी उन्हीं विशेष प्रकार के धंधों में समाप्त हो गये, जिनमें उनमें से अधिकांश संख्या में वे अभी लगे हुए हैं।

मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। पुनः एक बात मेरे मस्तिष्क में आई है। एक बार मैं राजनीति में राजघराने के सिद्धान्त के विरूद्ध तर्क दे रहा था। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं बल्कि आम बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

हमारे देश के प्रख्यात पत्रकार श्री एम.जे. अकबर ने मुझसे कहा कि "श्री शहाबुद्दीन जी, हमारे देश में वंश परम्परा सिद्धांत में बुराई क्या है?

[हिन्दी]

कुम्हार का बेटा कुम्हार होता है, बुनकर का बेटा बुनकर होता है, डोम का बेटा डोम होता है, तो राजा का बेटा राजा नहीं होगा तो क्या होगा?

[अनुवाद]

एक व्यक्ति को, भले ही वह मोची का बेटा हो अथवा सम्पन्न व्यक्ति अथवा राजनीतिक का बेटा हो, उसे समान अवसर देना होगा और आज हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। इसी को देखते हुए मैं यह विधेयक लाया हूं ताकि हम अनुच्छेद 15(4) और 16(4) से ऊपर की बात सोच सकें अथवा इसमें एक नया अर्थ, नई विशिष्टता खोज सकें और इन पर नये सिरे से जोर दे सकें। चलो, हम एक व्यापक रास्ते पर अग्रसर हो ताकि हमारे देश के सभी लोग हमारे साथ-साथ चल सकें। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि सत्राधिकार में, कानून में, सेवाओं में, प्रशासन में प्रतिनिधित्व पाने वाले प्रत्येक अभिज्ञेय समूह के सहज एवं वैध महत्वाकांक्षा का न केवल सम्मान करना होगा बल्कि उसका अनुभव भी करना होगा ताकि उससे लोगों में सहभागिता एवं साझेदारी की भावना उत्पन्न हो सके और तब ही सही माने में हमारे समाज में समानता होगी।

कई बार न्यायाधीशों ने कहा है कि अमरीका में भारत में, हर जगह असमानों के बीच समानता नहीं हो सकती। हमें दो अलग-अलग देह-विन्यास वाले व्यक्तियों को एक अखाड़े में खड़ा करके यह नहीं कह सकते हैं कि आप दोनों समान हैं, आप कुश्ती लड़िये। हम पहले से ही जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इसे समानता नहीं कहते हैं। इसके लिए आपको लोगों को तैयार करना पड़ता है और समाज में यह तैयारी कहां से शुरू होती है? मेरी सोच के अनुसार परिवार से समाज बनता है। इसके लिए हमको उन परिवारों का चयन करना पड़ता है। जो एक कतिपय स्तर के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और इसके लिए मैंने एक सूत्र का सुझाव दिया है। इसे बदला जा सकता है लेकिन मुद्दा इसमें शामिल सिद्धांत का है। इसके लिए हमें समाज में एक ऐसा औसत स्तर निर्धारित करना पड़ेगा और उसके बाद यह कह सकते हैं कि उस रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। अतः परिवार एक इकाई है और इसका लाभग्राही एक व्यक्ति है। परन्तु इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इन सुविधाओं/रियायतों का लाभ उठाने से पहले ऐसे परिवार का अंग बनकर रहना होगा ताकि यह लाभ व्यापक रूप से सभी को मिल सके ओर जहां तक संभव हो गरीबी रेखा अथवा औसत रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अधिकाधिक परिवारों को यह लाभ मिल सके।

तथापि इस समय मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में इस एक वाक्यांश का बहुत कुछ अर्थ निकाला गया।

मैं संविधान के अनुच्छेद 15(4) को पढ़ता हूं। इसमें सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की प्रगति का उल्लेख है। अब "सामाजिक रूप से" शब्द को बहुत सीमित रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार केवल वे लोग जिन्हें अछूत समझा जाता था वे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं क्योंकि वे एक सामाजिक अक्षमता/अवरोध का सामना कर रहे थे। निस्सन्देह, इस खण्ड को आगे देखिए। इसमें उन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है जिनको उनके व्यवसाय तथा एक विशेष कुल में जन्म लेने के कारण हीन दृष्टि से देखा गया था।

सभापति महोदय, हमारे देश में अभी भी ऐसे भाग हैं जहां पर कुछ समुदायों अथवा वर्गों के लोगों को एक ही कप में चाय नहीं दिया जाता है, एक ही कुंए से पानी पीने नहीं दिया जाता है और गलियों में आजादी से चलने नहीं दिया जाता है। अभी भी कई स्थानों पर ऐसा होता है। अतः यह असमानता अभी भी मौजूद है। हमारे समाज में, इस विकासशील समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक स्थिति को आंका जाता है। हमने ऐसा होते देखा है और मुझे याद है उस दिन एक सार्वजनिक सभा में श्री केसरी जी ने भाषण देते हुए एक बात कही थीं कि सरकारी सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव में ब्राह्मण, महन्त, पुरोहित, पुजारी का समाज में बहुत ऊंचा स्थान होता है। वर्तमान व्यवस्था में दरोगा भिन्न जातियों का हो सकता है। वह अनुसूचित जाति का हो सकता है? यहां सामाजिक स्थिति कैसे बदलेगी? प्रतिदिन यह ब्राह्मण पुजारी उस दरोगा को जो कि अनुसूचित जाति का है, उसके पद/प्रतिष्ठा को देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति और सरकार में उसकी हैसियत देखते हुए नमस्कार करता है। इसलिए, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 'सामाजिक पिछड़ापन' जैसे शब्द की सीमित व्याख्या करके क्षितिजों को और भी संकुचित नहीं किया जाये।

आज आर्थिक पिछड़ापन में सामाजिक पिछड़ापन भी निहित है। यदि आप निर्धन हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति भी निम्नस्तर समझी जाएगी। यदि आप धनवान हो तो आपकी सामाजिक स्थिति उच्चस्तर की समझी जाएगी। भले ही आप चपरासी हो पर यदि आप सरकारी सेवा में हों तो मोहल्ले में आपका एक अलग स्थान होगा। अतः इन बातों को समझना चाहिए। समाज बदल रहा है। सामाजिक स्थिति के बारे में हमारी संकल्पना बदलती रहती है। आज जबकि हम इस विकासशील समाज में कतिपय आर्थिक पैरामीटरों में बंधे हुए हैं ऐसे समय यह आर्थिक पैरामीटरों का हिस्सा बन जाता है और इसलिए मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की परिभाषा में कतिपय पैरामीटरों को शामिल करने का निर्णय करके कुछ गलत नहीं किया।

आज समय आ चुका है जबकि इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। तदनन्तर, बहुत सारे आयोग बने और मैं विशेष रूप से कर्नाटक में गठित किये गये आयोग का उल्लेख करना चाहता हूं। इस आयोग ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पिछड़ेपन को परिभाषित करने की कोशिश की। उदाहरणतः, यदि मुझे ठीक याद है, तो उसने कर्नाटक में प्रति हजार आबादी पर स्नातकों की संख्या, सरकारी कर्मचारियों की संख्या, सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या, प्रति-व्यक्ति आय आदि जैसे 24 पैरामीटरों को चुना। आयोग ने यह कैसे किया? उसने इन समान पैरामीटरों के आधार पर हरेक समुदाय को परखा। इसके पास एक राज्य स्तर औसत था और यदि कोई भी समुदाय राज्य औसत से नीचे था, तो यह उसके लिए एक नकारात्मक बात थी और यदि राज्य औसत से ऊपर था तो इसके लिए यह एक सकारात्मक बात थी। एक समुदाय, समूह के रूप में यदि सकारात्मक बिन्दु नकारात्मक बिन्दु से अधिक थे तो उसे उच्च जाति माना गया और यदि नकारात्मक बिन्दुओं की संख्या सकारात्मक बिन्दुओं से अधिक थीं तो उसे पिछड़ी वर्ग माना गया। ऐसे ही कुछ प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जाति के आंकड़ों, जो वास्तव में समूह आंकड़े हैं, को एकत्र या प्रकाशित करने से इन्कार करती हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि, अब हमने पंचायत स्तर तक पिछड़े वर्गों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दे दी है। इसलिए वो समय आ गया कि हम जनगणना आंकड़े जो कि पहले से ही उपलब्ध है, को एकत्र और प्रकाशित करें।

महोदय, कुछ पैरामीटर बनाने होंगे। ये पैरामीटर समान, व्यापक और राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होने चाहिए ताकि अलग-अलग राज्यों में पिछड़ेपन की परिभाषा भिन्न-भिन्न न हो। उसके बाद आप हर एक

अभिज्ञेय समूह की जांच करें जो कि आरक्षण की मांग करता है। तब उनसे कहा जाना चाहिए कि ""ठीक है, आप आरक्षण की मांग करिए। पर आपके आंकड़े कहां हैं? यदि उन्हें इस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाया जाता है तो वे वास्तव में पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं और उसके बाद पिछड़ेपन की सीमा निर्धारित की जा सकती है।" कुछ लोग 10 प्रतिशत कुछ 20 प्रतिशत कुछ 30 प्रतिशत और कुछ 80 प्रतिशत पिछड़े होंगे। पिछड़ेपन की सीमा निर्धारित की जा सकती है। आप एक सूचकांक भी संलग्न कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत पिछड़ा मानिए। फिर एक विशेष समूह को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दर्जा कैसे दिया गया? क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की तुलना में केवल 80 प्रतिशत पिछड़े व्यक्ति को 80 प्रतिशत का सूचकांक मिलता है। जबकि अन्य कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। उदाहरणतः बिहार में एक सामाजिक समूह को कायस्थ कहा जाता है। यह एक बहुत छोटा समूह है। यह समूह आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अग्रणी है और उनकी प्रशंसा करता हूं। बिहार में पढ़ाई छोड़ने की औसत दर 60% होगी। कायस्थ बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर दसवीं कक्षा तक शून्य होगी। यह उनकी अपनी उपलब्धि है सरकार के किसी उपकार की बदौलत नहीं। मेरा यह कहना है कि उनमें भी 10 प्रतिशत पिछड़े लोग हो सकते हैं।

अतः मैं इस विधेयक के माध्यम से यह मांग कर रहा हूं कि आरक्षण प्रणाली एक समान होनी चाहिए। हरेक सामाजिक समूह जिसकी अपनी आबादी के कारण पहचान है, उसकी पिछड़ेपन की सीमा को देखते हुए उसे आरक्षण का कोटा देना चाहिए। चूंकि हरेक मामले में यह शत-प्रतिशत नहीं है फिर भी आपके पास एक सामान्य पूल रह जाएगा जिससे आप तथाकथित गुण-दोष के सिद्धांत का ध्यान रख सके। वह सामान्य पुल सबके लिए होगा। यह विशिष्ट छोटे पुल और बहुत छोटे पुल, हरेक समुदाय, हरेक सामाजिक समूह को उसकी आबादी और उसके पिछड़ेपन के आधार पर उपलब्ध होंगे।

यह कोई भी नहीं कह सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि, कुछ रोजगार के अवसर केन्द्रीय स्तर पर हैं, कुछ रोजगार के अवसर राज्य स्तर पर हैं और कुछ रोजगार के अवसर जिला स्तर पर हैं जिनके लिये भर्ती जिला स्तर पर ही होती है। प्रत्येक स्तर पर आपको उपयुक्त जनसांख्यिकी पर विचार करना पड़ेगा। पूरे देश के लिये सामान्य चीज प्रत्येक राज्य में स्वतः ही अथवा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू नहीं की जा सकती है। भर्ती के प्रत्येक विशेष स्तर पर सामाजिक जनसांख्यिकी का ध्यान रखना चाहिये उक्त अधिशोधन के पश्चात् समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, मांगों और दावों की संतुष्टि की जा सकती है। समस्या कहां है? मैं स्वयं एक प्रशासक रह चुका हूं।

राज्य में एक प्रतिशत से कम की जनसंख्या वाले विभिन्न बहुत छोटे और छोटे समूह होंगे। कहीं-कहीं पर आपको सुविधा के रूप में, अपितु सिद्धांत के रूप में नहीं, परीक्षण करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि बहुत छोटे समूहों के संबंध में जिनका कुल जनसंख्या में प्रतिशत लक्षित सीमा से कम है—अर्थात् 5 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत है—तो उनके पास दो विकल्प ही होंगे। इन बहुत छोटे समूहों को या तो साथ जुड़ जाना चाहिये अथवा अपने आपको किसी भी बड़े समूह, जिसके साथ कुछ बंधुता हो, अपने आपको जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक को संतुष्ट किया जा सकता है।

महोदय, इसलिये, मैं समाप्त करने के पूर्व कुछ अन्य मुद्दे भी उठाना चाहता हूं। वैसे तो पूरे समूह को लाभ मिलता है अपितु अंततः समूह का प्रत्येक सदस्य लाभान्वित होता है। इसलिये, समूह के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये आरक्षण का कोटा मिलना चाहिये। अपितु, जैसा कि मैंने कहा है लाभभोगी उस परिवार से होना चाहिये जो पिछड़ेपन की विशेष कसौटी को पूरा करता हो और जो गरीब व्यक्ति हो न कि धनी व्यक्ति। लाभभोगी गरीब परिवार से होना चाहिये न कि धनी परिवार से हो। इसलिये, समूह के गरीब व्यक्ति को आप ऊपर उठाकर वास्तव में सम्पूर्ण समूह को राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य के सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। इस विशिष्टता को बनाये रखना चाहिये।आरक्षण का कोटा समूह की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होना चाहिये अपितु प्रत्येक लाभभोगी को, जहां तक परिवार का संबंध है और जहां तक उद्‌गम का संबंध है, पिछड़ेपन की कसौटी को पूरा करना चाहिये।

इसलिये, मैंने अपने विधेयक में एक प्रभाजन की योजना का उल्लेख किया है। मैं सारयुक्त विशेष बदलाव लाने के सुझावों का स्वागत करूंगा। मैं सिर्फ एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, मैं रिकार्ड के लिये कहना चाहता हूं और मैंने विधेयक में भी उल्लिखित किया है कि नौकरियों के लिये न्यूनतम योग्यताओं को कम नहीं करना चाहिये। ये होनी ही चाहिये। उदाहरण के लिये अगर चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गए हैं, तो मैं उस सर्जन से शल्य चिकित्सा नहीं करवाना चाहूंगा जिसे न्यूनतम अंक नहीं मिले हैं।

आरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यताओं को कम कर दिया जाए। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर किसी समूह के पास उस क्षेत्र के लिये पर्याप्त संख्या में न्यूनतम योग्यता वाले योग्य उम्मीदवार नहीं है तो उसका अनप्रयुक्त कोटा बेकार हो जाए। अनप्रयुक्त कोटे को सामान्य पूल में नहीं दिया जाना चाहिये। इसको पिछड़े वर्गों में ही उपलब्ध उम्मीदवारों के अनुपात में पुनः विभाजित कर देना चाहिये ताकि पिछड़ों का कोटा पिछड़ों के हाथ में ही रहे। उदाहरण के लिये अगर यादवों के लिये निर्धारित कोटा यादवों द्वारा भरा नहीं जाता है, तो यह अनप्रयुक्त कोटा स्वतः ही उच्च जातियों को नहीं दिया जाना चाहिये। यह अन्य पिछड़ी जातियों में ही विभाजित किया जाना चाहिये जो कि यादवों के समान स्तर की ही है। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना ही है। इसलिये मैं इस बहुत ही रूचिकर मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ भी यहां मैंने कहा है उससे मेरे कुछ साथी सहमत नहीं होंगे। मैंने कहा है कि एक लाभभोगी व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही एक रियायत अथवा सुविधा मिलनी चाहिये। आप लोगों को जीवन भर रियायत नहीं दे सकते हैं। समाज का दायित्व है कि वह लोगों को प्रारम्भिक स्तर तक उठाये और फिर उनसे कहे कि ठीक है अब खुद आगे बढ़ो। गोल्फ के खेल की तरह आप प्रत्येक स्तर पर उनको लाभ नहीं दे सकते हैं। उनको लाभ मिलना चाहिये। उनको सुविधा मिलनी चाहिये। उनको आरक्षण की योजना के माध्यम से ऊपर उठाना चाहिये। परन्तु, एक स्तर पर पहुंचने के पश्चात् उनको अपनी योग्यता साबित करनी चाहिये। उदाहरण के लिये चिकित्सक बन जाने के पश्चात् सभी चिकित्सकों को बराबर समझना चाहिये। समाज में उचित दर्जा प्राप्त करने के लिये उसके अपने आपको अच्छा चिकित्सक साबित करना चाहिये। दूसरे, जैसा कि मैंने कहा अगर कोई आरक्षण का लाभ उठाकर समूह 'क' अथवा समूह 'ख की सेवाओं में आ जाता है, जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित हैं, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये क्योंकि वे उत्तम विद्यालयों में पढ़ते हैं, वे निजी शिक्षा भी पाते हैं तथा उनके घर का शैक्षिक माहौल भी बढ़िया होता है और उनको जीवन की श्रेष्ठतम वस्तुऐं भी मिलती हैं। यह आरक्षण असुविधापूर्ण स्थिति वालों के लिये है। उनके लिये नहीं है जिनको लाभ मिल चुका है। इसलिये, यह श्रेणी बिल्कुल स्पष्ट होनी चहिये। मैं देख रहा हूं कि 'क्रीमी लेयर' के मामले में विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। यह सिद्धांत मान लिया गया है। परन्तु, विभिन्न राज्यों के बीच एकमतता नहीं है। मैंने कल्याण मंत्री जी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केरल के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों को ध्यान में रखते हुये 'क्रीमी लेयर' के बारे में और उच्च श्रेणी के बच्चों, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिये के बारे में एकमतता पर पहुंचने के लिये सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए। हांलाकि, मेरी परिभाषा बहुत कड़ी है। मैं परिवारों को परिभाषित करने के लिये गरीबी रेखा के ऊपर के व्यक्तियों के बारे में बोल रहा हूं।

राष्ट्रीय एकमतता कुछ भी हो लेकिन इस पर पहुंचना चाहिये। अन्यथा बहुत ही विसंगत स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हो सकता है कोई व्यक्ति राज्य सरकार के कोटे में आ जायेगा अपितु केन्द्र सरकार के कोटे में नहीं आयेगा और इसके विपरीत भी हो सकता है। इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न नहीं होना चाहिये।

महोदय, मैं आखिरी दो बातों पर आ रहा हूं। पहली बात परिसीमा की है।

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : आपने डेढ़ घन्टे से अधिक का समय ले लिया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं लगभग 45 मिनट से बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : बुरा मत मानिये। आप अपना भाषण जारी रखिये। आप अच्छी प्रकार से अपनी बात कह रहे हैं।

श्री पी.सी. चाको (त्रिचुर) : यह बहुत रूचिकर है। हम आपसे सहयोग कर रहे हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 50 प्रतिशत की परिसीमा के बारे में बोल रहा हूं। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु न्यायालयों ने उल्लेख किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे इसकी आवश्यकता समझ नही आती है क्योंकि देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पिछड़ेपन का संपात भिन्न-भिन्न है।

यह एक क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक समूहों तथा पिछड़ेपन पर निर्भर करता है। इसलिये, आप 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह परिसीमा नहीं होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि सामान्य पूल होना चाहिये। यह मैंने पहले ही कह दिया है। मैंने कहा है कि सार्वभौमिक आरक्षण होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक समूह को 100 प्रतिशत का लाभ नहीं मिलना चाहिये। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनके लिये 100 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है, की तुलना में उनके पिछड़ेपन के आधार पर किया जाना चाहिये। मेरे विचार में इसको स्वेच्छाचार से निर्धारित करना पूर्णतः तर्क संगत नहीं है। इसको 50 के बजाये 60 अथवा 65 अथवा 70 अथवा 80 अथवा 96 पर निर्धारित करना भी गलत है। यह परिसीमा विशिष्ट जिले अथवा राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के बाकी बचे हुये लोगों, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, तथा पिछड़ेपम के संपात के अनुसार भिन्न भिन्न होनी चाहिये। राष्ट्रीय स्तर पर भी योजनानुसार भिन्न-भिन्न होनी चाहिये। मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि मेरे द्वारा पेश किया गया फार्मूला ह्रासमान प्रतिफल का है क्योंकि हमारा मानना है कि पिछड़ेपन में कमी आयेगी और आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर जनगणना में कोई समूह पाये कि उसका स्तर बढ़ गया है। पिछड़ेपन के सूचकांक में कमी के साथ उसका कोटा भी कम हो जाना चाहिये। इसलिये, प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात प्रत्येक सामाजिक समूह के लिये जिला स्तर पर अथवा राज्य अथवा पूरे देश में कोटा निर्धारित करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाना चाहिये। इससे, प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् कोटा बदल जायेगा। यह कोटा एक ही समय पर एक ही वर्ष में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होगा परन्तु तर्कसंगत भी होगा। यह पिछड़ेपन के तर्क पर आधारित होगा। यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के तर्क पर आधारित होगा। यह बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिये ताकि 50 प्रतिशत के बजाये यह 60 प्रतिशत हो जाए। मेरे विचार में यह सभी अंक स्वेच्छाचार पर आधारित हैं और इसलिये विधान में शामिल नहीं किये जाने चाहिये। कतिपय कसौटी के आधार पर विधान में सीमा निर्धारित की जानी चाहिये और इसको प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात संशोधित किया जाना चाहिये ताकि एक दिन सभी व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक श्रेष्ठता के समान स्तर पर पहुंच जाएं।

प्रत्येक समूह जनसंख्या के आधार पर एक ही अनुपात में स्नातक पैदा करेगा और उसका प्रतिनिधित्व भी समान ही होगा। अपितु, यह विधान मण्डलों अथवा सरकारी सेवाओं में निश्चित रूप से एक समान नहीं होगा। जिस दिन भी ऐसा होगा वह सामाजिक न्याय की जीत का दिन होगा। यह वह दिन होगा जब भारत वास्तव में लोकतांत्रिक जनतंत्र बन जायेगा।

मेरे पास कहने के लिये शेष कुछ नहीं है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से विधेयक में उल्लिखित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा, और मेरे विचार में सरकारी धन पर आधारित गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार सहित सार्वजनिक रोजगार की परिभाषा की ओर दिलाना चाहता हूं। उदाहरण के लिये निजी क्षेत्र की कई गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण तथा लोगों के धन पर निर्भर करती हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरीका में उचित व्यापार प्रथा अधिनियम हैं जो कि स्थानीय आयोग को स्थानीय फैक्टरी की भर्ती पद्धति की जांच करने के लिये अधिकृत करता है कि उस फैक्टरी की भर्ती पद्धति जनसंख्या वितरण पद्धति के अनुरूप है या नहीं है? उदाहरण के लिये अगर 40 प्रतिशत काले उस क्षेत्र में है तो क्या 40 प्रतिशत वाले फैक्टरी में भी कार्यरत हैं? यदि ऐसा नहीं है तो प्रबंधन से पूछ-ताछ करने पर वह यह कह दे कि हमने जो कोई भी सामने आया उस पर विचार किया था। यह प्रमाण पर आधारित होता है। तत्पश्चात्, आयोग मूल दस्तावेजों को, यह जानने के लिये कि क्या अमरीका के सभी नागरिकों के साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा समान व्यवहार किया गया है, मंगा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अमरीका की तुलना में निजी क्षेत्र भर्ती के मामले में अधिक स्वेच्छाचार रखता है। इसलिये इनको धोखेबाज कहा जा सकता है। हम इसको न्याय करने के लिये बाध्य कर सकते हैं क्योंकि निजी क्षेत्र सार्वजनिक धन के अभाव में कार्य नहीं कर सकता है लाभ अर्जित नहीं कर सकता, तरक्की नही कर सकता और न ही अपना कारोबार चला सकता है। इसलिये,

5.00 म.प.

सार्वजनिक क्षेत्र की तरह आरक्षण के सिद्धांत का पालन करिये। हमको यह करना चाहिये।

इसलिये, मैंने यहां कहा है कि सार्वजनिक नौकरियों का अर्थ सिर्फ सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियां नहीं है। इसमें वे निजी क्षेत्र की कम्पनियां भी आनी चाहिये जो अपनी 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूंजी सार्वजनिक स्रोतों से एकत्रित करती हैं।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 1991 में हम... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : आबादी के बारे में जैसा आपने कहा है बैंकवर्डो का आरक्षण आबादी पर 50 परसेन्ट हो, वह समूह पर क्यों नहीं होगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने आपसे कहा है कि यह मेरा 1993 का ड्राफ्ट किया हुआ प्राइवेट बिल है।

श्री सूर्य नारायण यादव : सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप ठीक कह रहे हैं। इसके लिये मैं संशोधन भी पेश करने के लिये तैयार हूं। परन्तु, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। यह सच है कि यह विधेयक 1993 में पेश किया गया था। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विचाराधारा स्थिर नहीं रहती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचाराधारा प्रगतिशील होती है। हम अपनी विचाराधारा को व्यापक बना रहे हैं। हम पूरे विश्व को देख रहे हैं और किसी निरूपण को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आखिरी शब्द नहीं है। मैं किसी भी संशोधन का स्वागत करूंगा और अगर मुझे अनुमति मिली तो यहां पर प्रस्तुत सुझावों को मद्देनजर स्वयं संशोधन पेश करना चाहूंगा। मूलतः सिद्धांत यह है कि प्रत्येक समुदाय के लिये आरक्षण कोटा जनसंख्या पर निर्भर करता है और एक समान पैरामीटर के आधार पर प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गए आयोग द्वारा पिछड़ेपन की तुलनात्मक मात्रा पर निर्भर करता है। अगर यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो योग्यता के सिद्धांत पर एक पूल बना रहेगा जिसमें सभी समुदायों के लोग, चाहे वह आई.ए.एस. अथवा आई.पी.एस. अधिकारियों के बच्चे हों, समानता के आधार पर स्पर्धा करें।

महोदय, 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसको स्वीकार करने और लागू करने में दस वर्ष बीत गए। मेरे विचार में यह सोचने का समय आ गया है कि हम सार्वजनिक सेवा से हटकर शिक्षा पर जायें क्योंकि कई समूह महसूस करते हैं कि यथेष्ट संख्या में प्रतियोगी नहीं मिलेंगे इस वजह से कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर इनका पंजीकरण पर्याप्त नहीं है और शिक्षा बीच में से छोड़ने की दर काफी अधिक है। इसलिये सरकारी सेवाओं के लिये काफी कम स्नातक हो पाते हैं और व्यावसायिक नौकरियों और भी कम व्यावसायिक शिक्षा पा पाते हैं। हमारी आरक्षण की योजना अपूर्ण है। इसको शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करके कम से कम ऊंची शिक्षा-पूर्ण बनाया जा सकता है। पूरे देश में धीरे-धीरे सरकार ही मैट्रिक स्तर तक शिक्षा उपलब्ध करा रही है। इसमें एक समानता नहीं है क्योंकि खामियां बची हुई हैं। राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में दस वर्ष की अवधि का प्रावधान था पर मेरा मानना है कि हम पचास वर्ष में इस लक्ष्य को पा लेंगे। एक बार मैट्रिक के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात् हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्येक समुदाय के लिये जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। विभिन्न समुदायों के लिये सामान्य कोटा और पृथक कोटा रहेगा। जब हम इन दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो देश के दलित लोगों को पूरा कर पायेंगे। सभापति महोदय, मैं किसी सामाजिक समूह विशेष

की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक समुदाय में दलित, शोषित, उदासीन और असंबद्ध वर्ग हैं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक स्वीकार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, एक नया विषय, जो सबके मन कहीं रहा होगा, आज इस विधेयक के माध्यम से यहां आया है किन्तु इंसान कितना खुदगर्ज है कि केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचने का उसके पास समय नहीं। वह अपने बारे में एक प्रकार के विचार तथा दूसरों के बारे में अन्य प्रकार के विचार रखता है। यही कारण है कि उस जमाने में जब संत रैदास हुए थे तो उन्हें कहना पड़ा–

जन्म जाति को छोड़कर, करनी जान प्रधान,
इहै वेद को धर्म है, कहे रैदास बखान।

उस जमाने में भी रैदास को सब कुछ सहना पड़ा और जो मान–सम्मान एक संत को मिलना चाहिये था, जन्म और जाति के कारण वह सम्मान समाज ने उन्हें नहीं दिया, यही उनका दर्द था और वह दर्द आज भी है। एक बात जरूर है कि आज हम भारतवर्ष में आजाद हैं, स्वतंत्र हैं परन्तु स्वतंत्रता आ जाने मात्र से सारी की सारी परिस्थितियां बदल गयी हों, सभी सुख–सुविधा सम्पन्न हो गये हों, किसी व्यक्ति को कोई कमी न रह गयी हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसा लगता है जैसे–

बंदी जीवन के केवल बंधन बदले, करागार वही है,
बदली मन की आशा लेकिन जीवन का विश्वास नहीं बदला।
क्या बदला जब में मानवता की पीड़ा, इतिहास नहीं बदला,
बदल गया है कुछ लोगों का जीवन लेकिन
आंसू पीने वालों का परिवार वही है,
केवल बंधन बदले हैं, कारागार वही है।

आज परिस्थितियों को बदलने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं लेकिन जितनी तेजी से परिस्थितियां बदलनी चाहिये उतनी तेजी से परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। हम चाहते हैं कि दस कदम आगे बढ़ें लेकिन कोई ताकत हमें 20 कदम पीछे खींचने का उपक्रम प्रयास कर रही है। इन परिस्थितियों में कोई बात बनती नहीं है।

कोरे आश्वासनों से पेट नहीं भरा करते,
वायदों से देश नहीं चला करते,
जब तक इंसान को इंसानियत का फर्ज नहीं होता,
अपने को अपनेपन का दर्द नहीं होता,
जब तक जन से तंत्र नहीं जुड़ता
जब तक तंत्र से जन नहीं जुड़ता,
जनतंत्र सार्थक नहीं हुआ करते।

इसलिये तंत्र को जन से, व्यक्ति और व्यवस्था को जब तक हम एकीकार नहीं करते, तब तक हमारा सपना साकार होने वाला नहीं है।

इसलिये जो विषय हमारे सामने आया है, जब यह विचार सामने आया है कि आरक्षण होना चाहिये, क्यों आरक्षण होना चाहिये क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसमें हर वर्ग अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है और उस असुरक्षा की स्थिति में आरक्षण की अपेक्षा की जाती है। आजादी से पहले, बस एक ही प्रकार की बातें होती थीं, देश की आजादी की बात होती थी। देश को आजाद करने की बातें होती थीं तो हर व्यक्ति का यह संकल्प हुआ करता था कि सबसे पहले मुझे देश को स्वतंत्र करना है ताकि आजाद देश में रहते हुये सभी लोगों को अपने सपने साकार करने का अवसर मिल सके, लाभ मिल सके।

मुझे याद है, आजादी की जंग में शहीदे वतन अशफाक उल्लाह हुआ करते थे जिन्होंने अपनी वसीयत में कहा था–

उस रोज कामयाबी पर जब कभी आजाद हिन्दुस्तां होगा,
तो इस देश में बहुत खुशहाली हो जाएगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : 'आजाद हिन्दुस्तान पर जब सूरज चमकेगा' ऐसा कहा था।

डा. सत्यनारायण जटिया : उस रोज जब कभी आजाद हिन्दुस्तां होगा,

यह बागवां हमारा मुस्कराता हुआ होगा,
इस बागवां का हर फूल खिला हुआ होगा।

लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फूल खिलने से पहले ही क्यों मुरझा रहे हैं। उनके सपनों को साकार करने का फर्ज हमारा अपना है। उन्हें साकार करने के लिये हमें आकार देना पड़ेगा, सुरक्षा देनी पड़ेगी। उस सुरक्षा के लिये ही तरह–तरह से आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। अशफाक उल्लाह ने जो बात कही–

उस रोज जब कभी कामयाबी पर हिन्दुस्तां होगा,
रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा,
चखायेंगे मजा बरबादिये गुलशन का गलची को,
बहार आ जाएगी, उस दिन जब अपना बागवां होगा।

कुल मिलाकर यदि देखें तो हम अपने आशियां को किस तरह सरसब्ज कर सकें, साकार कर सकें, यह हमारा फर्ज है।

हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को यह अहसास न होने दें कि आदमी–आदमी में अंतर हो गया है। सबको समानता का अधिकार मिल जाये यह हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन समानता का अधिकार मिल जाए यह प्रावधान कहता है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था, सुविधा, सब प्रकार की बातों को उत्पन्न करना सरल बात नहीं है। हजारों वर्षों से देश में जो विषमता है उस विषमता को, दूरी के अंतर को पाटने का काम कैसे होगा? लोगों के दिलों को जोड़ने

की बात है, यह इतनी सरल बात नहीं है आज तो हम सब बिखरे हुए विचारों के लोग हैं और जोड़ना होगा तो प्यार से जोड़ना होगा। लेकिन प्यार जितना काम करेगा उतना ही तो काम करेगा।

"गाये हैं स्नेह गीत, गीतों से जले दीप।
जो दीप से दीप जलाये,
अंतर से अंतर का,
दिल से दिल की दूरी का,
अंतर से अंतर का अंतर नहीं कुछ अंतर रह जाये।
वह अंतर दिल का दूर हो जाये।"

हम मन से एक बार विचार कर लें कि हम निश्चित रूप से परिवर्तन लाना चाहते हैं, सामाजिक समता लाना चाहते हैं। लेकिन यह मन विचार करता कुछ और है और होता कुछ और है। यह मन ही ऊंच-नीच का भाव पैदा करता है। एक बड़ा है, एक छोटा है; एक विपन्न है, एक संपन्न है; एक अमीर है, एक गरीब है। यह अंतर मनुष्य विचारों से पैदा करता है। वही विचार उसके व्यवहार में साकार होते हैं। यह आर्थिक विपन्नता बहुत बड़ी चीज है। इस आर्थिक विपन्नता के बारे में यदि कहा जाय कि आर्थिक विपन्नता किसी को छोड़ती नहीं है। उसकी कोई जाति नहीं होती है। भूख यदि लगी है और निश्चित रूप से भूख सबको लगती है तथा भूख के लिए जो भोजन चाहिए वह सबको चाहिए। यदि कुछ लोग इकट्ठा होकर एक साथ किसी बस में जा रहे हों, यात्रा कर रहे हैं और बस का कहीं जाकर एक्सीडेंट हो जाती है या उसमें खराबी आ जाती है तो सब लोग जो उस बस में बैठे हुए हैं उन सबको ही समय बीतते भूख लगने वाली है। उसमें जो गरीब है तो उसको भी भूख लगने वाली है, कोई अमीर है तो उसको भी भूख लगने वाली है। इसलिए भोजन सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अमीर को भोजन अलग प्रकार का चाहिये, गरीब का भोजन अलग प्रकार का होता है, यही मानकर बैठे रहें तो जो अमीर व्यक्ति है वे भूखे व्याकुल हो जायेंगे जबकि गरीब को जैसा भोजन मिलेगा वह गुजारा कर लेगा।

भूख की कोई परिभाषा नहीं होती है। भूख सबको लगती है। भूख सर्वव्यापी है, इसलिए भूख को मिटाना चाहिए। जब मनुष्य की भूख मिट जाएगी तब जाकर विचार काम करना शुरू करेगा। भूखे पेट में इसके सिवाय कोई दूसरा विचार नहीं आता कि उसको भोजन चाहिए। आप उसको अच्छा गाना सुनाइये, संगीत सुनाइये, कुछ अच्छे दृश्य दिखाइये, हरियाली बताइये, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यदि उसको भूख लगी है तो भोजन देना ही होगा, यह प्राथमिक आवश्यकता है। विपन्नता की पहली आवश्यकता भूख है। इसलिए भूखे को भोजन मिलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भूखे को जो भोजन मिलना चाहिए उसके लिए इस प्रकार के उपाय जरूर करना चाहिए कि वह अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से इतना उत्पादन कर सके, इतना पारिश्रमिक उत्पन्न कर सके, इतनी आजीविका पैदा कर सके कि उसका गुजारा हो जाये। यह पहली आवश्यकता है।

हमारे यहां कंसेप्ट बन गई कि गरीबी की रेखा है। अब इस गरीबी की रेखा को किसने देखा? जिसने देखा उसने देखा। गरीबी की रेखा को जिसने देखा है उसमें से कितने लोगों ने समझा? यदि सबने नहीं समझा है तो गरीबी की रेखा चलती रहती है। गरीबी की रेखा ऊपर उठती जाएगी लोग उसमें समाते जायेंगे। यह ऐसा ही ग्राफ बनता है।

एक समय ऐसा था कि जब किसी को 5 रुपए मिल जाते थे तो उसमें ही उसका गुजारा हो जाता था। किन्तु अब 50 रुपए मिल जाते थे तो गुजारा नहीं होता, 500 रुपए मिल जाते तो गुजारा नहीं होता, 5 हजार मिल जाते तो गुजारा नहीं होता। क्योंकि उसकी खरीद करने की क्षमता कम होती गयी, अवमूल्यन होता गया। यानी परिश्रम का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं हुआ। इसलिए यह जो गरीबी है यह भूख से आती है और भूख मिटाने का सर्वप्रथम उपाय करना चाहिए। इसलिए रोजगार में, पढ़ने में आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे सारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनके पास आजीविका कमाने का अवसर नहीं है। ऐसे लोगों को आरक्षण मिलने से समाज के स्तर में कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी होने वाली है।

जैसे अभी साइफन की एक बात कही थी। यदि हम यू-ट्यूब के एक सिरे को ऊपर और एक सिरे को नीचे लेंगे तो निश्चित रूप से वह पानी अपने एटमोसफैरिक प्रेशर से बाहर आ जाएगा। किन्तु समान रूप से जब हम कर लेंगे तो उसमें स्थिर रह जाएगा। इसलिए समाज में समानता पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सब वर्गों को हर क्षेत्र में समान रूप से विकास करने का अवसर मिलना चाहिए।

ठण्ड, गर्मी, बरसात इनका असर सब पर होता है। ठंड सब पर असर करती है। किन्तु किसी के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं तो यह उसकी मजबूरी है। यदि उसकी मजबूरी है तो ठंड का असर होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति 10 डिग्री में पर्याप्त कपड़ों के बिना रहता है तो वह अपनी मजबूरी के कारण रहता है।

सभापति महोदय, उससे नीचे जब टैम्परेचर जाएगा, तो सिहरन शुरू होने वाली है। चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब हो, दोनों को वह सिहरन तो बराबर से महसूस होगी। अब चूंकि अमीर को सुविधा मिली हुई है, वह साधन-सम्पन्न है, इसलिए उसे कम महसूस हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कपड़ों के बिना बल्कि उसे तो ज्यादा महसूस होती है। वह कपड़ों से अपना बचाव कर लेगा, लेकिन गरीब चूंकि साधन-सम्पन्न नहीं है, इसलिए उसे स्वाभाविक तौर पर सिहरन अधिक होगी, किन्तु ठंड का प्रभाव तो दोनों पर जरूर पड़ने वाला है। ठंड यह नहीं देखती है कि यह गरीब है इसलिए उसको ज्यादा प्रभावित करूं और यह अमीर है उसको कम करूं। इसमें ठंड, गर्मी और बरसात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठंड दोनों को लगने वाली है, बुखार दोनों को आने वाला है, तबियत दोनों की खराब होने वाली है। मौसम तो सबको एक ही प्रकार से व्यापते हैं। कुदरत ने सबको समान रूप से अहसास कराने की सम्वेदन शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की है।

अब आवास का नंबर आता है। सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। आवास का मतलब है कि इन सारी बातों से, सरदी, गरमी और बरसात से बचने बचाने का उपाय करना। अब इससे बचाने के लिए क्या करना है। हम कुटीर बनाते हैं। हम दस प्रकार के उपाय करते हैं। केन्द्र सरकार भी योजना बनाती है। जब वह योजना बनकर जाती है, और जब योजना के साकार होने का अवसर आता है, कार्यान्वित होने का अवसर आता है, तो ठीक प्रकार से योजना कार्यान्वित नहीं होती। गरीबों के लिए जो मकान बनाए जाएंगे, वे कमजोर ही बनेंगे, बरसात आने से वे गिर जाएंगे। आंधी आने से उड़ जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर गरीबों के लिए जो मकान बनेंगे वे कम कीमत में, कम लागत में बनेंगे और ऐसे बनेंगे जिनमें सारे के सारे मौसम बरदाश्त करने का माद्दा न हो। ऐसे मकान बनाने के बारे में क्यों सोचते हैं? एक तरफ तो हम लोग बंगले बनाने की बात करते हैं। उनमें बगीचे लगाने की बात करते हैं। उनमें तितलियां उड़ाने की बात करते हैं। सुन्दरता और खूबसूरती बढ़ाने की बात सोचते हैं। क्यों? पहली जो आवश्यकता है वह मकान है और ऐसा मकान है जो कि गरमी, सरदी और बरसात के प्रकोप को सहन कर सके। उसे बरदाश्त करने में सक्षम और समर्थ हो। परन्तु एक को झोंपड़ा नहीं है, उसका खुला खोपड़ा है। उस पर सारी गर्मी, सरदी और बरसात का असर होता है। दूसरी ओर एक को आलीशान बंगला है। ऐसा क्यों है?

हम भारत के लोग समान रूप से आजाद हुए, नागरिकता सबको सामानरूप से मिली हुई है। जब नागरिकता एक प्रकार से मिली हुई है, तो निश्चित रूप से भूख में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए, मकान में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। जब भूख और मकान में समानता हो, तो कपड़ा भी समानरूप से उपलब्ध होना चाहिए। यह तो तय होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कितने कपड़े की आवश्यकता है। एक व्यक्ति एक सौ मीटर कपड़े उपयोग कर रहा है और दूसरी तरफ किसी को दो मीटर कपड़ा नहीं मिलता है। उसको कफन के लिए कपड़ा उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा क्यों है? एक व्यक्ति परदों और गद्दों में कपड़े का उपयोग कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को कफन के लिए कपड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है। इतना अन्तर दोनों के नसीबों में क्यों है? एक तरफ कफन के लिए कपड़ा नहीं और दूसरी तरफ उसको सजाने के लिए कपड़े के अम्बार लगे हुए हैं। यह क्यों हो रहा है? हम अपने कंसैप्ट को स्वतंत्र कहते हैं, तो यह कैसी स्वतंत्रता है? निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता नहीं है। यह तो स्वार्थपरता है। अपने-अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ जुटाने की, अधिक से अधिक जुटाने की चाहत है। मनुष्य की जो यह मानसिकता है इसमें बदलाव करने की जरूरत है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कोई तंत्र आ जाए, कोई व्यवस्था आ जाए, कोई प्रणाली आ जाए, उसमें कोई फर्क और अन्तर पड़ने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य की मानसिकता जब तक समानता की नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

हमारे वेदों की ऋचाओं में सब कुछ लिखा है। अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन उन पर अमल कौन करता है? उनमें लिखा है-

"विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आ सुव।"

संसार के सभी लोगों का दुख मिटा कर समाज को हम सुखी, समृद्ध और सम्पन्न करना चाहते हैं। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की हम बात करते हैं। सारा संसार हमारा है, तो फिर क्यों एक व्यक्ति सम्पन्न और दूसरा विपन्न है? क्यों हमारे मन में दर्द नहीं होता? सम्वेदना नहीं होती? हमारे मन में दर्द नहीं होता, सम्वेदना नहीं होती, केवल बातें कहकर, मुंह से बोलकर, भाषण करके, नारा लगाकर और इसी प्रकार की बातों से हम लोगों को भरमाना चाहते हैं। लोगों को एक प्रकार से बहलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बहलाने से, कोई सारी बातें बन जाती होंगी, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है यहां जो भूख है, जो ठंड है, गरमी है, बरसात है और आवास है, इनमें कहीं कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

अब बात आती है शिक्षा की। तो गांवों में तो आज भी स्कूल भवन नहीं हैं। अब स्कूल के भवन ही नहीं है, तो वहां चौपाल हैं। जो बाल-गोपाल हैं वे कहां जाएंगे? एक ने कहा कि हम तो भैंस की पीठ को ही ब्लैक बोर्ड बनाकर उस पर लिखकर बच्चों को पढ़ाएंगे। बनाओ, सिखाओ, कुछ भी करो। साक्षरता के लिए तो आप अनेक प्रकार से उपाय करने वाले हैं। करते क्यों नहीं? कुल मिलाकर के परिणाम नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे तोप से गोले को हम प्रोजैक्ट करना चाहते हैं, तो जितनी दूर वह चलता जाता है वह जाता है और एक मैक्सीमम हाइट अटेन करने के बाद रेत में जैसे जाकर धंस जाता है। ऐसा हो रहा है।

हमारी सारी व्यवस्था का मामला भी ऐसा है। हम बहुत जोर से आवाज लगाते हैं और असर बेअसर हो जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या बात है कि आज भी कान्वेंट स्कूल की शिक्षा जारी है? एक को तो अच्छी सुविधा प्राप्त है, उसे अच्छी यूनीफार्म पहनाकर, अच्छी तरह से सजा धजा कर, नाश्ता साथ देकर स्कूल भेजने की सुविधा है। उसके लिए सारी सुविधायें हैं, बस की सुविधा है या और दूसरी सुविधायें हैं। इसमें किसी प्रकार से मन में कोई विद्वेष होगा, ऐसी बात नहीं है परन्तु कुल मिलाकर एक को इस प्रकार की सुविधा मिली हुई है जबकि दूसरे के पास पहनने तक के कपड़े नहीं हैं, पढ़ने के लिए पट्टी नहीं है, लिखने के लिए कलम नहीं है यह स्कूल में टाट-पट्टी तक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। आज भी अनेक स्थानों पर ऐसा है, तो ऐसा अंतर क्यों है? एक को तो पढ़ने लिखने के लिए कलम और पट्टी नहीं मिल रही है, ब्लैकबोर्ड नहीं मिल रहा है जबकि दूसरे को एक अच्छी कुर्सी पर आराम से बैठकर पढ़ने की सुविधा है। जब एक अच्छी तरह आराम से बैठकर पढ़ रहा है तो उसका विकास भी होगा। तुलना हम ऐसे कर रहे हैं यानी एक कमजोर व्यक्ति को जिसको भोजन नहीं मिल रहा

है, उसको पहलवान से लड़ा रहे हैं। जब एक कमजोर व्यक्ति को पहलवान से लड़ा रहे हैं तो कमजोर व्यक्ति तो लड़ ही नहीं पायेगा। पहलवान को अपने आप ही वॉक ओवर मिल जायेगा, वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा तो गरीब आदमी का क्या होने वाला है?

स्वतंत्र भारत में यह सारी बातें हमें सोचनी चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। यदि यह इसी प्रकार से चलता रहा, हम अपने आप में ही मशगूल रहे तो निश्चित रूप से यह प्रजातंत्र भी सफल नहीं होने वाला है। प्रजातंत्र में जो इस प्रकार का अंतर आता जा रहा है, उससे लोगों में इसके प्रति विद्वेष पैदा होगा और निश्चित रूप से एक नई क्रांति को जन्म मिलने वाला है। इसलिए मेरा कहना है कि यदि हमें प्रजातंत्र को सार्थक करना है तो इस पर ईमानदारी से काम करना होगा। "एक ओर प्रजा, दूसरी ओर तंत्र व तीसरी ओर इंसाफ का लगा रखा है यंत्र", तो यह कैसे होगा? प्रजा, तंत्र और इंसाफ, इन तीनों में कोई तारम्य नहीं है, इसमें कोई एकरूपता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि प्रजा में, तंत्र में और इंसाफ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, तंत्र सबके लिए समान होना चाहिए। प्रजा के लिए जनतंत्र का जो भाव है, वह सबके लिए समान ही होना चाहिए और भारत के प्रीऐम्बल में जो लिखा गया है, वह बहुत सोच समझकर लिखा गया है परन्तु इसको साकार करने का प्रयास कोई नहीं करता। इसमें यदि लिखा है कि हम भारत के व्यक्ति ही इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्वासंपन्न बनायेंगे, परन्तु वह कब बनेगा? जबकि उसको कुल मिलाकर कोई सुविधा मिलने वाली नही है, जबकि उसको इस प्रकार से सामर्थ्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षा के बारे में हमको चिंता करनी चाहिए। सबको समान रूप से शिक्षा मिल सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा मिलने के कारण उसको जो ज्ञान मिलने वाला है, उससे उसका लाभ ही होने वाला है।

आजकल शिक्षा का मामला भी कुछ ऐसे ही चलने लगा है। आज केवल पढ़ने के लिए ही पढ़ाया जाता है, डिग्री के लिए ही पढ़ाया जाता है, उसको कहीं भी रोजगार से नहीं जोड़ा जाता। अभी पिछड़े वर्ग की बात हो रही थी। मेरा पिछड़े वर्ग से मतलब लुहार है, बढ़ई है, या इस प्रकार से और दूसरे रोजगार करने वाले लोग हैं। गांव में तो ये सारे रोजगार होते ही रहते हैं। ये सारे कारोबार चलते रहे हैं। ये सारे के सारे कारोबार दिन प्रति दिन समाप्त होते चले जा रहे हैं। गांव के अंदर रोजगार के कोई अवसर नहीं है। जब वहां रोजगार के अवसर ही नहीं हैं तो फिर वहां पर विपन्नता बढ़ने वाली है। वहां पर पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी अवसर नहीं हैं। गरीब आदमी को काम करने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं हैं तो वह गरीब कहां जायेगा? जब खेती में काम नहीं है तो उस गरीब आदमी का क्या होगा? खेती का बंटवारा होते-होते उसका रकबा इतना कम हो गया है कि जो खेती करता है, वह अपने परिवार का ही पोषण नहीं कर पाता है फिर खेती में कैसे मजदूरी मिलने वाली है? इसलिए मेरा कहना है कि विपन्नता का जो कन्सेप्ट है, यह विपन्नता का विचार सर्वांगीण सर्वशुद्ध रूप से सबको समर्थ समान बनाने वाला होना चाहिए।

स्वास्थ्य के बारे में हम विचार करें। यदि कोई बीमार होता है तो हम प्रति व्यक्ति उस पर कितना खर्च करते हैं? यदि किसी को बुखार आता है तो बुखार आने पर क्या होता है? बुखार आने पर सबको ताप की पीड़ा होती है। मैं जो बात कह रहा हूं वह मैं अपने मन से कह रहा हूं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुनिये। न सुने तो आपकी मर्जी है परन्तु मैं कह रहा हूं क्योंकि यह दर्द है। यदि स्वास्थ्य के बारे में हमारा चिंतन ठीक नहीं है तो कैसे बुखार ठीक होगा। अगर गांव में एक गरीब को बुखार आया है तो उसको पैरासीटामोल तक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है व वह पैसे भी नहीं खर्च कर सकता। एक पैरासीटामोल जो कि 25 पैसे या 50 पैसे में आती है, उसको नहीं मिलेगी तो उसका ताप दूर नहीं होने वाला है, उसका कष्ट बढ़ने वाला है। एक को पैरासीटामोल नहीं मिल रही है जबकि एक ऐसा है जिसको यदि बुखार आया है तो उसको डाक्टर की सुविधा मिलने वाली है, दवा मिलने वाली है। उसके लिए आराम की सुविधा होने वाली है और यदि वह नौकरी करता है तो उसके लिए छुट्टी मिलने वाली है और यदि वह अमीर आदमी है तो उसके लिए कई प्रकार के उपाय होने वाले हैं। एक व्यक्ति को केवल 50 पैसे का उपचार नहीं मिल रहा है जबकि एक दूसरा व्यक्ति उसी बुखार पर 500 रुपये खर्च कर रहा है।

कुल मिलाकर स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता करने के लिए कहीं न कहीं उसका अर्थशोध ठीक प्रकार से होना चाहिए, यह भी मेरा विचार है। यदि पीने के पानी का प्रबन्ध देखेंगे तो आज भी अच्छा नहीं है। वही गन्दा पानी मिलता है, जैसा है नदी का पानी है। नदी में प्रवाह नहीं है, पानी इकट्ठा हो रखा है, उसी में जानवर स्नान करते हैं और उसी में मनुष्य स्नान करते हैं। हैंडपम्प में पानी नहीं आता, इसलिए वह मजबूरी में गन्दा पानी पीता है। उसे पता नहीं होता कि पानी को गर्म करना चाहिए, उसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया गया है, यदि ज्ञान दिया गया है तो सुविधाएं नहीं हैं। इस प्रकार की सारी विषमता के चलते हम कैसे यह अपेक्षा करेंगे कि सबके स्वास्थ्य के बारे में समान रूप से चिन्ता करें।

रोजगार का मामला है। सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है। रोजगार करने से व्यक्ति की गुजारे लायक व्यवस्था बनती है। जब गुजारे लायक व्यवस्था बनेगी तो उसे पैसा मिलेगा। आज हम देखते हैं कि समान रूप से कुछ नहीं मिलता। गांवों में व्यक्ति 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। उसे वर्षभर रोजगार भी नहीं मिलता। हम सरकार की तरफ से रोजगार की सारी योजनाएं बनाकर भेजते हैं। खाद्यान्न में भेजते हैं तो उसे वह बाजार में बेच देता है और पैसा ले लेता है। पैसा लेकर वहां भवन का निर्माण करता है। कुल मिलाकर हम पंचायत का राज लाए होंगे, हमने

रोजगार की सारी योजनाएं बनाई होंगी किन्तु उन्हें साकार करने के उपाय नहीं हैं। रोजगार के लिए मजदूरी के रूप में उसे पैसा दिया जाता है लेकिन अन्न नहीं दिया जाता। खाद्यान को जो कोटा यहां से तय करके प्रदेशों में भेजते हैं, वहां जाते-जाते बाजारों में बिक जाता है। यदि अच्छी किस्म का है तो उसे बड़े-बड़े व्यापारी खरीद लेते हैं और दूसरे में मिक्स करके अच्छे दामों में बेच देते हैं। इस बात पर कौन ध्यान देता है कि हमने गरीब व्यक्ति के लिए जो अन्न भेजा था, वह उसे उपलब्ध हो रहा है या नहीं। यदि सारी योजनाएं ऐसे ही चलनी हैं और यदि ऐसे ही हिन्दुस्तान चलना है तो फिर हिन्दुस्तान के नक्शे को बदलने के लिए दूसरा उपाय करना पड़ेगा, प्रजातंत्र इसके लिए नाकाफी है। इसलिए मेरा कहना है कि लोगों में यह चेतना, गुस्सा, पैदा करने के लिए भी यदि कोई जिम्मेदार है तो हम सब बराबर से जिम्मेदार हैं। यदि हमें इस व्यवस्था में सुधार करना है तो सदप्रयास करके, अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगाकर इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।

रोटी, कपड़ा और मकान
सबको मिले एक समान
पर यह कैसा हिन्दुस्तान
एक खड़ा जमीन एक आसमां
यदि भारत मां की संतान
ऊंच-नीच को नहीं स्थान
एक अर्थ अभाव से विपन्न हो जाता
एक सर्व सुविधा सम्पन्नता पाता।

क्यों हो जाता है, यह प्रश्न हमारे सामने है?

अभी यह कहा गया है कि यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने नौकरी प्राप्त कर ली है तो उसके बाद उसके बच्चों को वह सुविधा नहीं देनी चाहिए। अस्पृश्यता के आधार पर ही अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण हुआ है। समाज में उसके प्रति जो दुराव आया है, वह निम्न जाति का है, अस्पृश्य है। वह ऐसे काम में लगा हुआ है जिसे समाज के लोग पसन्द नहीं करते। यदि एक व्यक्ति ने पढ़-लिखकर नौकरी प्राप्त कर ली लेकिन उसका बच्चा पढ़ नहीं पाया तो उसने जो अच्छा स्थान प्राप्त किया हुआ है, वह स्थान उसकी सन्तान नहीं प्राप्त कर सकेगी। इसी कारण समाज में अस्पृश्यता की भावना बनी हुई है। इसलिए जब तक जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं होती, भेदभाव समाप्त नहीं होता, तब तक इस प्रकार की बात सोचना उस वर्ग के प्रति अन्याय होगा। इसलिए जब हम उस व्यक्ति के उत्थान के बारे में विचार करते हैं तो हमें व्यक्ति से व्यक्तिशः सारी बातें करनी चाहिएं। अनुसूचित जाति के बारे में जो उपाय इस विधेयक में सुझाए गए हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिए मेरा कहना है कि सारी बातें ठीक प्रकार से हों, सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से बनें।

हमने संसद भवन में भी यह लिखकर रखा हुआ है:

सं गच्छध्वं
सं वद्ध्वं
सं वो मनांसि जानताम
समान मंत्र समिति समानी
समान मनः सह चित्तमेषां

हम ऐसा कहते हैं कि साथ-साथ चलना चाहिए, साथ-साथ विचार करना चाहिए, साथ-साथ निष्कर्ष और निर्णय लेने चाहिए। परन्तु साथ-साथ इसके पालन की भी व्यवस्था ठीक प्रकार से बनानी चाहिए और उसमें जो कमी है, उसे दूर करते चले जाना चाहिए। तभी अस्पृश्यता ओर असुरक्षा की भावना सामप्त होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आरक्षण का लाभ मिल जाए।

यह भावना जाती रहेगी। इसलिए जो जड़ है, जो कमी है उसको दूर करने के उपाय करने चाहिए। हो यह रहा है कि जहां बीमारी है, जहां रोग है, उसका उपचार नहीं कर रहे है। उसके बाकी के सिम्पटम्स का उपचार कर रहे हैं। पता लगा यदि किसी के हार्ट में खराबी है, किडनी खराब है तो उसके कारण उसे सिरदर्द होता है या पीठ दर्द होता है तो हम सिरदर्द और पीठ के दर्द के निवारण के लिए दवा देते हैं इससे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिना किडनी के खराब होने या हार्ट के खराब होने के कारण का पता लगाये, ये दर्द ठीक नहीं होंगे और ये बीमारियां यूं ही चलेंगी। इसलिए समाज में समानता लाने के लिए उपाय करने चाहिए। यानि जातिवाद की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सार्थक उपाय करने चाहिए। आर्थिक समानता लाने के लिए जो हमें करना हे, वे उपाय करने चाहिए। सभी लोगों को न्याय मिले इसके लिए जो कार्य करने हैं, वह करने के उपाय करने चाहिए। तभी भारत की पिएम्बल सार्थक होगी कि हम भारत के लोग भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और समता बंधुत्व की स्वतंत्रता देने वाले हैं, तब जाकर सार्थक होगी। तभी सही मानो में कहा जायेगा कि हमने भारत के संविधान को हमने आत्मर्पित किया है। नहीं तो कुछ समझदार आदमियों ने मान लिया है कि हम ही भारत हैं। इसलिए हम विचार कर लें कि हम ही समर्पित करते हैं, किन्तु उस व्यक्ति को पता नहीं है कि आपने क्या अर्पित किया है, क्या उठाया है इसलिए समाज में विभेद हो गया है, अंतर हो गया है। इसको पाटने का उपाय करना चाहिए और जो कमियां है उनको दूर करने के लिए इस समाज में नई आंधियां

उठो कि अब नई आंधियां चलाओ
अरमानों के मचलते तूफान उठाओ
क्रांति की चिन्गारियां अब शोले बनेंगे
जो रोकेंगे रास्ता समानता का वे नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे।

इस प्रकार से लोगों को गुस्सा नहीं आये, आक्रोश नहीं आये। हमें उपाय करना चाहिए। अच्छी और सार्थक संरचना बनाने के लिए एकात्मरूप लाने के लिए हमें उपाय करने चाहिए, तभी हमारा प्रजातंत्र सार्थक होगा, स्वतंत्रता सार्थक होगी, व्यवस्था भी सार्थक होगी। इसलिए मैं यह विचार व्यक्त करते हुए कि यदि हमें उपाय करने हो, तो उसके लिए परिणाम मूलक प्रबन्ध करने चाहिए। इससे ही सारी बातें ठीक होने वाली है, इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। साथ ही मैं सैयद शहाबुद्दीन साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल को यहां पेश किया। जिसके कारण मुझे भी बोलने का अवसर मिला। जब कभी संविधान की चर्चा होती है तो चर्चाओं में देखा जाता है कि कहीं न कहीं से कमजोर वर्गों के लिए संविधान की उन धाराओं के मुताबिक विशेष अवसर के सिद्धान्तों के मुताबिक आरक्षण की बात कही जाती है। संविधान में व्यवस्था है और अधिनियम तथा नियम बनाकर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। इस आरक्षण पर हमें सबसे पहले नजर डालनी चाहिए।

अभी यहां हमारे साथी माननीय शहाबुद्दीनजी नहीं है। उन्होंने बहुत ही मार्मिक विचार यहां व्यक्त किये थे और 40-45 मिनट तक तफसील से अपने विधेयक के समर्थन में विचार रखे। देश की परिस्थिति, समाज की समस्या और आर्थिक पिछड़ेपन की कहानी उन्होंने बताई है। लेकिन उन्होंने जो विधेयक पेश किया है उसमें संविधान के मुताबिक जो आरक्षण की अवधारणा है उससे थोड़ा अलग हटकर उन्होंने अपना कंसेप्ट देने का काम किया है। अपने विधेयक में उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण होगा, वह आबादी के आधार पर होगा।

वहीं पर इन्होंने अधिनियम की धारा 3(2) में कहा है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग या अन्य आरक्षण समूह होंगे, उनकी आबादी के आधे लोगों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मैं उनकी इस राय से अपनी और अपनी पार्टी की ओर से अधिनियम के इस उपखंड से विरोध प्रकट करता हूं। इस देश की परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि जो दबा हुआ है, उसकी जितनी आबादी है, उसकी आबादी के प्रतिशत के आधार पर प्रपोशलन रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए, ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे, किसी का कोई विरोध न रहे। सबको समान न्याय मिले और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का सही परिपालन हो सके। इसमें कई साथियों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब एक परिवार में 4 भाई होते हैं तो उनमें संपत्ति के बटवारे में यदि कोई भाई अधिक हिस्सा लेता है तो उसे बेईमान कहा जाता है और सभी भाइयों में बराबर-बराबर संपत्ति का बटवारा होता है। इसी प्रकार से विशेष अवसर के सिद्धांत में यदि हम छोटे-बड़े सब को बराबर करना चाहते हैं तो इस देश रूपी बगिया के सभी भाइयों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रपोशनल रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी शहाबुद्दीन साहब ने विस्तार से बताया कि जाति पर आधारित आरक्षण के साथ-साथ गरीबों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। मैंने भी इसका समर्थन किया है। विशेष अवसर के सिद्धांत के आधार पर जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, एससीज, एसटीज, और ओबीसीज के लिए व्यवस्था है। हमारी पार्टी तथा राष्ट्रीय मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को रखा है और हमारी राष्ट्रीय कार्य-कारिणी ने भी फैसला लिया है कि उच्च वर्ग में जो गरीब लोग हैं, जिनकी माली हालत खराब है, उनके लिए संविधान में संशोधन कर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई सीलिंग को समाप्त किया जाए और उच्च वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कमजोर वर्ग के हैं तथा शैक्षिक तथा भाषाई रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, यह हमारी पार्टी का मत है और हम इसका समर्थन करते हैं तथा इस मौके पर इस बात को यहां पर कहना चाहते हैं।

जहां तक जाति के आरक्षण से आर्थिक मामले को जोड़ने का सवाल है, वह तो क्रीमीलेअर के नाम पर बात हो गई है, उसमें और इजाफा करने की बात कही गई है। सभापति महोदय, जाति से संबंधित जो आरक्षण है, वह कोई जान-बूझकर नहीं किया गया है। यह उन सामाजिक कुरीतियों की मजबूरी है जो 3500 सालों से ज्यादा इस देश में जाति और गोत्र के नाम पर तबाही मचाए हुए है। जिनकी वजह से मुट्ठीभर लोग सत्ता में और उच्च पदों पर पहुंचते रहे और बाकी लोगों को इन्होंने दबाने का काम किया, पीछे धकेलने का काम किया। इसलिए हमारे यहां संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत की व्यवस्था की गई। ऐसी स्थिति में यदि कुछ लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी नीयत में खोट है, इसलिए वे जातिवाद की बात करते हैं। अभी भाई सत्य नारायण जटिया जी जो कवि भी है, कविता के माध्यम से बोल रहे थे और बहुत विस्तार से हमें अपनी बात बताने का उन्होंने काम किया। इस अवसर पर जो जाति का सवाल यहां पर उठा है, उस पर एक कविता की 2 पंक्तियां मुझे भी याद आ रही है।

जाति का सवाल जो उठा है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। "दलित शम्बूक वेद पढ़े, एकलव्य शस्त्र का ज्ञाता हो। राम-द्रोण यह सह न सके, चाहे द्वापर हो या त्रेता हो"। यही 3500 वर्षों के इतिहास की कहानी है। मैंने इसी कहानी को इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है। चाहे वह राम का जमाना था तब भी शम्बूक के साथ एक साजिश हुई थी क्योंकि वह वेद पढ़ रहा था और शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दलितों

के बेटे-बेटियों को देना चाहता था, उसके साथ छल हुआ था, साजिश हुई थी और राजा राम को भी मजबूर करके यथास्थितिवादियों ने उसकी हत्या करने को मजबूर किया था। उसी प्रकार से महाभारत काल में भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए नौजवान जब आचार्य द्रोण से शस्त्र-विद्या ले रहे थे तो एक धीमर की कोख से, एक गरीबनी की कोख से पैदा हुए एकलव्य ने जब आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने का प्रयास किया तो गोत्र के नाम पर जाति के नाम पर उसको दुत्कार दिया गया। जब वह द्रोण को गुरू मानकर धनुष-विद्या में निपुण हुआ तो गुरू-दक्षिणा के नाम पर उसका अंगूठा काट लिया गया । इतिहास इस बात का साक्षी है कि गोत्र के नाम पर, जाति के नाम 3500 वर्षों से गरीबों को दबाकर रखा गया, उपेक्षित रखा गया। गरीबों को जाति के नाम पर शिक्षित नही होने दिया गया। इसलिए गरीबों को बराबरी पर लाने के लिए यह विशेष अवसर देने का सिद्धांत और यह आरक्षण आगे भी रहेगा, जब तक सब समान नहीं हो जाते है। यह बात मैं यहां आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह जो विधेयक आया हे इसके उपबंधों में श्रेणी "क" और "ख" के समूहों में किसी पद पर यदि आरक्षण के द्वारा किसी को नौकरी दी जाती है तो उनके बच्चों को दुबारा आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगीं। यह जो इस विधेयक का छठवां अनुच्छेद है इस पर मैं अपनी असहमति जताना चाहता हूं। एक तरफ तो हम इस विधेयक को मानते हैं, इसको पारित करते हैं और दूसरी तरफ समूह "क", "ख" में आने वाले बच्चों का शहाबुद्दीन साहब के अनुसार हम अलग समूह पैदा करना चाहते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां आरक्षण में अभी भी बैकलॉग चल रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जो बाईस प्रतिशत और साढ़े बाईस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं। इस देश में सरकार चाहती है, सरकार अपनी नीति-विषयक उद्घोषणाओं में स्वीकार करती है, सभी पक्ष के माननीय नेता अपनी चिन्ता प्रकट करते हैं और हम सभी लोग यहां संसद में इस पर चर्चा करते हैं। हम सभी आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण, बैकलॉग-बैकलॉग-बैकलॉग कहते है, लेकिन बैकलॉग समाप्त नहीं हो रहा है। अभी तक उनको साढ़े बाईस प्रतिशत के स्थान पर केवल 8-9 प्रतिशत ही आरक्षण मिला है। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को संविधान-संशोधन लाना चाहिए। मंत्री जी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि इसपर एक बार सारे लोग विचार करें ओर संविधान में संशोधन करें।

और आरक्षण को संविधान की नौवी अनुसूची में शामिल कर इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना चाहये। ऐसे में जो आरक्षण के इम्प्लिमैंटेशन में ढ़िलाई बरतेगा, वह पकड़ा जायेगा और उसको जेल की सजा और आर्थिक जुर्माना भी दिया जा सकेगा। इससे बैकलॉग में भी सुधार होगा। दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आरक्षण की चर्चा तो बहुत करते हैं और संविधान की धारा 16(4) के मुताबिक विशेष अवसर के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं लेकिन उसे इम्प्लिमैंट नहीं करते हैं। ओ.बी.सी., एस.सी. ओर एस.टी. के लिये हमने आरक्षण की व्यवस्था की है। मेरा आरोप यह है कि आप एक तरफ मंडल को प्रतिपादित करते हैं और उसकी सिफारिशों को मानते है लेकिन मंडल को मारने के बाद उसे खाने के लिये भूमंडलवाद लाते हैं। इस देश को दुनिया का बाजार बना कर भूमंडलीकरण कर सभी नौकरियों को खाने का काम कर रहे हैं। आप नीति विषयक प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों को कड़ाई से कार्यान्वित करेंगे और 27 फीसदी आरक्षण देंगे। यदि आपकी नीयत साफ है तो इसे क्यों नहीं कार्यान्वित करते हैं। अगर सरकार की नीयत मजबूत है और मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओ. बी.सी. के लिये आरक्षण की व्यवस्था को जमीन पर उतारना चाहती है तो संविधान में संशोधन करे। इसका हम सब समर्थन करेंगे। इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र में और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी 27 फीसदी और साढ़े 22 फीसदी अनुसूचित जातियों और जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करके संविधान संशोधन लाये। तभी यह देश और दुनिया समझेगी कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है और उसकी नीयत साफ है। आप एक तरफ सार्वेच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक आरक्षण को इम्प्लिमैंट करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन करके रेलवे स्टेशनों भी निजी क्षेत्र को देते हैं। निजी कम्पनियों और मल्टी नैशनल को लाकर सभी नौकरियों को समाप्त करके आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है। इसलिये आप निश्चित रूप से संविधान संशोधन लायें और निजी क्षेत्र में और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी आरक्षण सुनिश्चित करने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं पहले वाले विधेयक पर भी बोलना चाहता था लेकिन मैं उस पर पहले बोल चुका था इसलिये मुझे बोलने नहीं दिया गया। इन ज्वलंत मामलों की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने आ.बी.सी. को 27 फीसदी आरक्षण दिया है। आप एक तरफ यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में आरक्षण देते हैं और दूसरी तरफ आरक्षण न देने की साजिश में संलग्न हो जाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने 1994 में ओ.बी.सी. के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की। इतिहास में पहली बार 1994 की यू.पी.एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा में दो बार रिजल्ट निकाला गया। इसका कारण यह था कि ओ.बी.सी. का कोटा पूरा नहीं हुआ था और उनको पूरा आरक्षण नहीं मिला था। उसमें पहली बार 1225 छात्र उत्तीर्ण हुए थे। 27 फीसदी आरक्षण के मुताबिक 3917 छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिये था। जब यह मामला अखबारों में आया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं को जिन्होंने इस मामले को उजागर किया। इससे सरकार को चिन्ता बढ़ी।

और दुबारा परिणाम निकालकर उसे पूरा किया गया। ठीक उसी प्रकार से इस बार 1995 में यू.पी.एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा का जो परिणाम निकला है उसे जानकर आपको हैरत होगी कि ओ.बी.सी के आरक्षण में कितने छात्र पास हुये हैं इसकी चर्चा परिणाम में नहीं। जब हम लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि जनरल कोटेगरी के लोगों को आरक्षण में आने वाले लोगों को दोनों श्रेणियों में एक साथ डाला हुआ था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आप आरक्षण ओ.बी.सी. को 27 परसेंट देना चाहते हैं प्रारम्भिक परीक्षा का पालन नहीं होता है, 27 परसेंट लोग पास करके ऊपर नहीं जाते है तो कैसे फाईनल परीक्षा में 27 परसेंट पूरा करेंगे?

सभापति जी, माननीय मंत्री जी चर्चा में मशगूल हैं। इनका नोटिफिकेशन गया और सदन के फ्लोर पर आश्वासन दिया कि हम 27 परसेंट आरक्षण देंगे और जनरल कैटेगरी के साथ नहीं जोड़ेगे। लेकिन इनके मंत्रालय में समन्वय नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ने उसके विपरीत नोटिफिकेशन जारी किया। यदि आपकी आज्ञा हो तो 7.10.94 का नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

> "आयोग का मत है कि सामान्य मापदण्ड के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षा हेतु इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने की संभावना नहीं है ताकि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके।"

[हिन्दी]

इससे स्पष्ट है कि जो जनरल स्टैंडर्ड है, उसमें ओ.बी.सी. और एस.सी.एस.टी. को भी जोड़ा गया है और कहा गया है कि हम प्रारम्भिक परीक्षा में जनरल स्टैंडर्ड वहीं रखेंगे जो जनरल कैटेगरी में मार्किंग का स्तर होगा, ओ.बी.सी. और एस.सी.एस.टी. का होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एस.सी.एस.टी. का बैकलॉग पूरा न होने का कारण यह है कि प्रारम्भिक परीक्षा जनरल कैटेगरी के अनुसार उसका स्टैंडर्ड रखा जाता है, उसी प्रकार से ओ.बी.सी. के लिये किया गया है। इस प्रकार करना अन्याय होगा। यह नीयत में खोट है। यदि आप देना चाहते हैं तो आपको हर स्तर पर ओ.बी.सी. और एस.सी. एस.टी. को आरक्षण देना होगा चाहे मेन परीक्षा हो या प्रारम्भिक परीक्षा हों यदि कोई गेट पर रोक दिया जायेगा तो अंदर कैसे जा सकता है? अर्थात् फाइनल परीक्षा कैसे पास कर पायेगा? आप चाहें तो मैं आर्डर की कॉपी दे सकता हूं। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि यू.पी.एस.सी. के जो छात्र इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी शिकायत है उन लोगों ने मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इससे बढ़कर और उदाहरण क्या हो सकता है? यू.पी. एस.सी. और पर्सोनल डिपार्टमेंट से संबंधित यह नोटिफिकेशन है और मद्रास हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है, उसकी कॉपी हमारे पास है जिसमें कहा गया है कि हम प्रारम्भिक परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं देंगे।

एक पर्सनैलिटी टेस्ट हो और इसमें जनरल कैटिगरि के लोगों का जो मार्किंग का स्टैण्डर्ड है वही ओबीसी का होगा, वही एससीएसटी का होगा। हम आपके जरिये यह आर्ग्यूमेण्ट करना चाहते है और यह चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी से आज इस विषय पर कम से कम जवाब चाहते हैं कि अगर आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते है, तो इस प्रकार से यदि पर्सनैलिटी टेस्ट में फाटक पर प्रवेश में ही आप आरक्षण नहीं देंगे और वहां पर जनरल कैटिगरि के साथ हमें ट्रीट करेंगे तो किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग पूरा नहीं हो सकता है। हम आपके जरिये जानना चाहते हैं कि जनरल कैटिगरि में जो स्टैण्डर्ड प्रारंभिक परीक्षा में या मेन परीक्षा में रखा जाता है, उस स्टैण्डर्ड से जो अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्ग के छात्र पास करते हैं, उनको जनरल कोटे में आरक्षण से बाहर माना जाए। उसके नीचे जो आरक्षण कैटिगरि में आप स्टैण्डर्ड तय करें उसे स्टैण्डर्ड पर जो क्वालिफाइड करके पास करेगा, उसको आरक्षण के कोटे में माना जाए। आज की जो आपकी व्यवस्था है, आज जो आरक्षण आप देते हैं, उसमें ओबीसी को आज जो आरक्षण आप देते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण देते हैं, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपने आरक्षण नहीं दिया है और ओबीसी के मामले में जनरल कैटिगरि वाले छात्र को और आरक्षण वाले छात्र, दोनों के क्वालिफाइंग मार्क्स को समान रखकर जो आप देते हैं उसके इंप्लीमेंटेशन में भेदभाव करके एक हाथ से तो देते हैं मगर दूसरे हाथ से ले लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण देने का जो ऐलान किया गया है, जो इंप्लीमेंटेशन किया गया है, वह कागज पर ही होता है। जितना भी कहते जाइए, जितना भी इंप्लीमेंटेशन की बात करते जाइए, लेकिन विकल्प वही होगा। जब तक आप इस व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, अपनी नीयत को साफ रखकर जब तक यूपीएससी और विभिन्न परीक्षाएं लेने वाले ऐग्जामिनर नहीं सोचेंगे, बोर्ड की जो कमेटी है या फिर जो इंटरव्यू लेते हैं, उसमे आप आरक्षण सुनिश्चित नहीं करेंगे, ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं रखेंगे, तब तक न्याय नहीं हो सकता है। आप हथियार तो दे देते हैं लेकिन अगर ठीक से हथियार चलाना नहीं आता तो कितना भी अच्छा हथियार दे दें वह ठीक से नहीं चल सकता है। जब आपने ओबीसी के लिए आरक्षण प्रतिपादित किया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण प्रतिपादित किया है तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कंपीटीटिव ऐक्जामिनेशन्स के लिए बोर्ड हैं, तमाम जगह पर जितनी कमेटियां हैं, उनमें आरक्षण कैटिगरि के लोगों को उतना हिस्सा दीजिए। जो परीक्षा लेने वाला टेकनीशियन होगा, जो मार्किंग करने वाला होगा, उसमें भी ओबीसी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को

रखिए, तभी वह न्याय कर पाएगा। यह मांग हम आपसे करना चाहते हैं। 1994-95 में जनरल कैटिगरि के ओबीसी के लोगों को और आरक्षण के ओबीसी के लोगों को एक साथ मिक्स अप कर दिया है। जो सवाल हमने पेश किया है इस पर मंत्री जी जवाब देने की कृपा करेंगे यही हम आप से कहना चाहते हैं।

अंत में हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि सही मामले में विशेष अवसर के सिद्धांत को प्रपिादित किया जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा ओबीसी के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन लाइए और संविधान में संशोधन करके यह जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति है, इसके आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करिये ताकि कोई इस पर अंगुली न उठा सके। संविधान में संशोधन लाकर सभी लोगों को आबादी के आधार पर आरक्षण दीजिए। इसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने सीलिंग लगायी है, उसके हिसाब से आप संविधान में संशोधन करिये और सीलिंग को समाप्त करिये और आबादी के आधार पर आरक्षण दीजिए। जो ऊंचे वर्ग के गरीब लोग हैं, उनके लिए भी हमारी पार्टी चाहती है और हम भी चाहते है कि आप सीलिंग को समाप्त करके ऊंचे वर्ग के गरीब लोगों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कराएं। भाषायी अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक जो गरीबी से जूझ रहे हैं चाहे वह किसी भी जाति के हों, उनके लिए भी आप सीलिंग को समाप्त करके संविधान में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था करें यह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। जो यूपीएससी की जनरल कैटिगरि और आरक्षण कैटिगरि को एक कर दिया गया है, उसमें सुधार करने का अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय सभापति जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनादि चरण दास जी, आप एक मिनट के लिए और बोल सकते हैं।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, मैं अगली बार बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है। आप अगली दफा बोल सकते हैं। सभा दिनांक 4 दिसम्बर, 1995 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 दिसम्बर, 1995/अग्रहायन 13, 1917(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।